सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रतिवेदन

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v-vi
विंहगावलोकन		vii -xiii
परिचय		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	1-2	1-2
जवाब देयता संरचना	3-4	2-4
राज्य पीएसयूज द्वारा लेखो का प्रस्तुतिकरण	5-6	4
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो (पीएसयूज) में निवेश	7-9	5-6
भाग–I		
अध्याय I		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमो के कार्यकलाप		
परिचय	1.1-1.2	7-9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमो मे विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	1.3	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमो मे निवेश	1.4	9-10
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमो को बजटीय सहायता	1.5	10-11
राजस्थान सरकार के वित्त लेखो के साथ मिलान	1.6	12
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमो द्वारा लेखो का प्रस्तुतिकरण	1.7	12-13
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमो का निष्पादन	1.8-1.19	13-25
उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरैंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता	1.20	25-28
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखो पर टिप्पणियां	1.21	28
निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप	1.22	29
लेखापरीक्षा अनुच्छेदो पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.23 – 1.24	29
अध्याय II		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमो से सम्बंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़		
सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1-2.22	31-77
अध्याय III		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप		
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़		

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
वितरण ट्रांसफार्मर्स का प्रापण, प्रबंधन, निरस्तीकरण एवं निपटान	3.1	79-105
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़		
दोषयुक्त योजना के कारण गैस आधारित विद्युत संयंत्र का संचालन ना होने से निष्फल व्यय	3.2	105-108
कोयला आपूर्ति अनुबंधो मे अपर्याप्त वाक्यांश के कारण सांविधिक प्रभारो की अवसूली	3.3	108-109
मेगापावर प्रोजेक्ट पॉलिसी के प्रावधानो का पालन के बिना आरडब्लूएस का कार्य देने से अतिरिक्त व्यय	3.4	109-112
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड़		
मुद्राक शुल्क का परिहार्य अधिक भुगतान	3.5	112-113
भाग-II		
अध्याय-IV		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप		
परिचय	4.1 - 4.2	115-116
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	4.3-4.4	116-117
राज्य पीएसयूज(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एव निजीकरण	4.5	117
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	4.6	117-119
राजस्थान सरकार के वित्त लेखो के साथ मिलान	4.7	119-120
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से द्वारा लेखो का प्रस्तुतिकरण	4.8	120-122
सांविधिक निगमो के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो का प्रस्तुतिकरण	4.9	122
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखो के अन्तिमीकरण नही किये जाने के प्रभाव	4.10	122
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	4.11-4.23	123-137
अकार्यरत पीएसयूज का समापन	4.24	137
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियां	4.25-4.26	138-139
अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद	4.27	139
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.28-4.30	139-140
अध्याय V		
सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप		

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़		
निर्माण पूर्ण करने व उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने एवं प्रतिधारित प्रभारो की वसूली की निगरानी मे प्रणालीगत कमीयां	5.1	141-153
भूमि की लागत से नीचे अनुचित आंवटन के कारण परिहार्य हानि	5.2	153-155

अनुबंध

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	157
2.	राज्य सरकार द्वारा सात ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों में स्थापना से 31 मार्च 2018 तक लगाई निधियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र	158
3.	आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अन्तर्गत सामग्री के प्रापण के लिए निर्धारित प्रावधानों के क्रियान्वयन में विचलन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	159-161
4.	अनुपयोगी शेष रही सामग्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	162
5.	निष्क्रिय सामग्री के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण -पत्र	163-164
6.	टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार करने संबंधित प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण -पत्र	165-166
7.	अप्रयुक्त सामग्री की घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र	167-168
8.	मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता का मूल्यांकन, प्रापण,नियोजन और प्रबंधन समिति (पीपीएमसी) द्वारा अनुमोदित मात्रा, मात्रा जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी एवं मात्रा जिसके लिए 2015-18 की अवधि के दौरान जेवीवीएनएल द्वारा क्रय आदेश जारी किए गए थे।	169-170
9.	2015-2018 के दौरान जेडीवीवीएनएल द्वारा ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता का आंकलन, अनुमोदित मात्रा, निविदा की मात्रा तथा आदेशित मात्रा को दर्शाने वाला विवरण पत्र	171-173
10.	जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल द्वारा निविदाओं के अंतिमीकरण में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	174
11.	जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में डीटी की गैर आपूर्ति मात्रा के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	175

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
12.	2015-18 की अवधि के दौरान उप-स्वण्ड के अनुसार विफल डीटीज की संस्था की स्थिति व डीटी की विफलता दर (गारण्टी अवधि के पहले या बाद में) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	176
13.	वर्ष 2015 से 2018 के दौरान स्वराब केन्द्रिय भण्डार/आपूर्तिकर्ता फर्म के पास पड़े हुऐ गारन्टी अवधि के दौरान स्वराब डीटीज जिन्हे केन्द्रीय भण्डार में जमा की गई, उठायी गई, मरम्मत की गई तथा पुनः वापस दी गई को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	177
14.	31 मार्च 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूँजी एवं बकाया ऋण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	178-180
15.	राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखो मे 31 मार्च 2018 को पूँजी, ऋण एवं गारंटी शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र	181
16.	राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया है, में बकाया लेखो के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण पत्र	182
17.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	183-186
18.	राज्य सरकार द्वारा संचारित किया गया कोष (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) 2000-01 से 2017-18 की समयावधि के दौरान दशाने वाला विवरण पत्र	187-191
19.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) में निर्माण कार्यो की समाप्ति, उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ तथा प्रतिधारण शुल्क की वसूली से संबंधित अनुच्छेद पर कोपू की सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	192
20.	31 मार्च 2018 तक चूककर्ता आवंटियों से प्रतिधारण शुल्क की गैर धारण/वसूली को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	193
21.	नियमों के अनुसार प्रतिधारित प्रभार/ भूमि की अतिरिक्त लागत जमा नहीं कराने वाले आवंटियों से, प्रतिधारित प्रभारों की गणना एवं वसूली न करना एवं आवंटियों को प्रदान अनुचित छूट को दर्शाने वाला विवरण पत्र	194-196

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है एवं इसे समय समय पर यथा संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा भागतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित या नियंत्रित अन्य कम्पनी[1] को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। सांविधिक निगमो की लेखापरीक्षा व्यवस्था उनके संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है जिनके माध्यम से इन निगमों की स्थापना की गई है।

3. यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य में 40 सरकारी कम्पनियों और तीन सांविधिक निगमो को सम्मिलित करते हुए 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के प्रदर्शन से संबंधित है जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है। इस प्रतिवेदन में 43 पीएसयूज के कार्यकलाप पर एक परिचय अध्याय सम्मिलित किया गया है। तत्पश्चात, इस प्रतिवेदन को दो भागो में विभाजित किया गया है: **भाग**-I ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों के प्रदर्शन के विश्लेषण से संबंधित है। राजस्थान सरकार (जीओआर) की ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे उच्च वित्तीय हिस्सेदारी है क्योंकि इन कंपनियों में 31 मार्च 2018 तक कुल निवेश ₹ 117215.41 करोड़ रहा। ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2017-18 के दौरान कुल बजटीय सहायता का 95.20 प्रतिशत (₹ 24626.03 करोड़) प्राप्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र मे पूँजी का योगदान मुख्य रूप से पूँजीगत निवेश एवं विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु किया गया। ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों ने वर्ष के दौरान ₹ 2750.85 करोड़ का लाभ कमाया। वर्ष के दौरान सात ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों ने ₹ 2994.36 करोड़ का लाभ अर्जित किया है, चार पीएसयूज ने ₹ 243.51 करोड़ की हानि वहन की है एवं चार पीएसयूज ने मामूली हानि वहन की है। इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान मे रखते हुए, प्रतिवेदन के **भाग–I** मे, ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के प्रदर्शन और इन कम्पनियों की लेखापरीक्षा के परिणाम (एक निष्पादन लेखापरीक्षा और पाँच अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद) प्रस्तुत किए है।

1 कारपोरेट मामलों का मंत्रालय-कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 दिनांक 4 सितम्बर 2014।

4. प्रतिवेदन का **भाग-II** 28 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (3 सांविधिक निगमों सहित) के प्रदर्शन के विवरण से संबंधित है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2017-18 में ₹ 929.70 करोड़ की हानि वहन की। इस भाग में रीको लिमिटेड[2] से संबंधित दो अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल है।

5. इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा आक्षेपों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2017-18 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये एवं गत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख गत प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2018 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

6. लेखापरीक्षा, भारत के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

2 रीको लिमिटेड से अभिप्राय राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड।

विहंगावलोकन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

31 मार्च 2018 को राजस्थान में 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) जिनमें तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं 40 सरकारी कम्पनियाँ (तीन अकार्यरत सरकारी कंपनियां सम्मिलित करते हुये) सम्मिलित थे, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के तहत थी। कार्यरत पीएसयूज ने नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 69516.67 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 8.27 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2018 को 43 पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 127732 करोड़ था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल निवेश (₹ 40828.27 करोड़) का 94.40 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र ने प्राप्त किया।

1. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों का गठन

राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 (आरपीएसआरए 1999) को अधिनियमित (जनवरी 2000) किया, जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ विद्युत उद्योग के पुर्नगठन एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) की शक्तियों, कर्त्तव्यों एवं कार्यो को राज्य सरकार को एक या अधिक ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों को हस्तान्तरण करने के लिए योजना तैयार करने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने तदनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) को विघटित करने के लिए राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तान्तरण योजना 2000 (आरपीएसआरटी योजना 2000) बनायी (19 जुलाई 2000) एवं आरएसईबी की परिसम्पत्तियाँ, सम्पत्तियाँ, उत्तरदायित्व, दायित्व, कार्यवाहियाँ एवं कर्मचारी ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों को हस्तांतरित करना था। परिणामतः, ये पाँच ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ 19 जुलाई 2000 से अस्तित्व में आई एवं आरएसईबी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ आरपीएसआरटी योजना 2000 के प्रावधानों के अनुसार इन कम्पनियों के मध्य विभाजित की गई। राज्य सरकार ने तीन अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों का गठन (एक कम्पनी का 2002-03 एवं दो कम्पनियों का 2015-16 में) किया। इन आठ कम्पनियों के अलावा, सात अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां सहायक कम्पनियों के रूप में नवंबर 2006 से जनवरी 2012 तक निगमित की गयी थी। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 को राज्य में 15 ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां थीं। इन कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानो के

अंतर्गत की जाती है। इन कम्पनियों के वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है, के अतिरिक्त सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती हैं।

इन 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में से छः कम्पनियों ने 2017-18 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की। इस प्रकार इन पीएसयूज की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया है। सरकार को इन पीएसयूज की व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

नवीनतम लेखों के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 55605.46 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 6.62 प्रतिशत के बराबर था जो कि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता हैं।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 तक, 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 117215.41 करोड़ था। निवेश में पूँजी 35.73 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 64.27 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण, कुल दीर्घकालीन ऋण का 44.07 प्रतिशत (₹ 33204.48 करोड़) था जबकि कुल दीर्घकालीन ऋण का 55.93 प्रतिशत (₹ 42134.88 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों का निष्पादन

इन 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा 2013-14 में हुई ₹ 12678.18 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2017-18 में अर्जित लाभ ₹ 2750.85 करोड़ था। इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम लेखों के अनुसार, सात कम्पनियों ने ₹ 2994.36 करोड़ का लाभ कमाया एवं चार कम्पनियों को ₹ 243.51 करोड़ की हानि हुई। शेष चार कम्पनियों को वर्ष 2017-18 के दौरान मामूली नुकसान हुआ। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियाँ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1199.08 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 943.16 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 607.26 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 195.71 करोड़) थी जबकि गिराल लिग्नाईट विद्युत लिमिटेड (₹ 241.45 करोड़) को काफी हानि हुई थी।

31 मार्च 2018 को विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का संचित घाटा ₹ 98929.72 करोड़ के मुकाबले समग्र पूंजी निवेश ₹ 41876.05 करोड़ था। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में से निवल सम्पत्तियों का क्षरण मुख्य रूप से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (₹ -22341.63 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ -22116.53 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ -20551.94 करोड़) एवं गिराल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (₹-570.59 करोड़) था।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरुद्धार

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संबंधित राज्य डिस्काम्स (अर्थात जेवीवीएनएल/जेडीवीवीएनएल/ एवीवीएनएल) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर राज्य स्वामित्व ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किए गए (27

जनवरी 2016)। उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एमओयू के प्रावधानों के अनुसार 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 83229.90 करोड़) में से राजस्थान सरकार ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 62421.95 करोड़ के कुल ऋण का अधिग्रहण कर लिया था, जिसके विरुद्ध राजस्थान सरकार ने उसी अवधि के दौरान ₹ 8700 करोड़ की पूँजी प्रदान की एवं ₹ 9000 करोड़ का अनुदान दिया। शेष ₹ 44721.95 करोड़ की राशि जिसे उदय स्कीम के अन्तर्गत ऋण में परिवर्तित किया गया था, को तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में पूँजी एवं अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। इस राशि के विरुद्ध, राजस्थान सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 3000 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 12000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जबकि शेष ऋण राशि को बाद के वर्षों में राजस्थान सरकार की बजट स्वीकृति के अनुसार परिवर्तित किया जाना था।

लेखों की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप दिये गये 15 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने आठ लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र दिया। ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 12 प्रकरण थे।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थात 'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा' एवं पाँच अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 309.05 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

2. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

सामग्री प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) की प्रापण एवं सामग्री प्रबंधन कार्य सम्मिलित हैं।

राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम (आरटीपीपी) 2012

राजस्थान सरकार ने आरटीपीपी अधिनियम 2012 को लागू (मई 2012) किया और आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के तहत अधिसूचित (जनवरी 2013) किया। अधिनियम ने माल, सेवाओं और कार्यों की प्रापण से संबंधित सभी विद्यमान नियमों और विनियमों को निरस्त कर दिया। हालांकि, कम्पनी ने अधिनियम/नियमों के अनुसार क्रय नियमावली और मानक बोली दस्तावेज को संशोधित नहीं किया।

सामग्री की आवश्यकता का आंकलन

कम्पनी ने सामग्री की आवश्यकता के आंकलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वृत्त कार्यालयों और उप-स्वण्डों ने जोनल कार्यालय को कार्य-वार/उप-स्वण्डों वार सामग्री की आवश्यकता नहीं भेजी। मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन) ने जोनल मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत एडहॉक आवश्यकताओं के अनुसार निविदाएं आमंत्रित कीं, जो फील्ड कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकता को इंगित नहीं करती थी।

निविदाओं को अंतिम रूप देना

चयनित 69 निविदाओं की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने 40 निविदाओं को 120 दिनों की निर्धारित समयावधि से परे अंतिम रूप दिया। निविदाओं को अंतिम रूप देने में 20 महीने तक की देरी हुई। इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी ने अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी के बिना इन निविदाओं को अंतिम रूप देकर क्रय नियमावली का उल्लंघन किया।

सामग्री की खरीद में दक्षता और प्रभावशीलता

कम्पनी ने ₹ 13.62 करोड़ मूल्य के प्रीपेड एनर्जी मीटरों की स्वरीद की जिनमे ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा नहीं थी। भारत सरकार (जीओआई) के आदेश/दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.54 करोड़ मूल्य के ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय किया। इसके अलावा, ऐसे मामले भी मिले, जहां कम्पनी ने उचित आवश्यकता और स्टॉक की उपलब्धता का आंकलन किए बिना निर्धारित वितरण अनुसूची से पहले सामग्री को स्वीकार किया और उच्च दरों पर सामग्री की आपूर्ति के लिए पुनः क्रय आदेश दिए।

सामग्री नियंत्रण

कम्पनी ने सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों को तय नहीं किया और न तो मूल्य विश्लेषण और न ही चलन विश्लेषण किया। भंडारण दर भंडारण पर वास्तविक व्यय के आधार पर तय नहीं की गई थी। सहायक कंट्रोलर ऑफ़ स्टोर्स (एसीओएस) और उपस्वण्डीय स्टोर्स ने निर्धारित प्रारूप में सामग्री के रिकॉर्ड को नहीं बनाया। सभी चयनित एसीओएस में उप-स्वण्डों द्वारा प्रस्तुत इंडेंट में कार्य पहचान ज्ञापन का संदर्भ नहीं था और सामग्री, अनुमान कार्डो की प्रस्तुति के बिना जारी की गई थी। चयनित उप-स्वण्डीय स्टोर में निर्धारित मानदंडों के अनुसार जॉब कार्ड, ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट रजिस्टर और सामग्री, अनुमान कार्ड नहीं रस्वे गए थे।

कम्पनी ने एसीओएस और उपस्वण्डीय स्टोर्स में सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया। एसीओएस के भौतिक सत्यापन के अंतर्गत आने वाली अवधि एक से चार वर्ष के मध्य थी। नमूना जाँच की गई 15 में से 12 उपस्वण्डों में पिछले दस वर्षो के दौरान स्टोरों के भौतिक सत्यापन नहीं किये गए थे।

निष्क्रिय सामग्री, भंडारण, अधिशेष और कमियां और चोरी, आग और गबन

कम्पनी ने केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) में सामग्री को परीक्षण के बिना, टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 10.47 करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया और इसे बिना उचित अनुमोदन के उप-स्वण्डों द्वारा उपयोग किया गया। साथ ही, स्टोर्स में ₹ 1.24 करोड़ की अधिशेष सामग्री अप्रयुक्त रही। कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री की प्रापण की और

एसीओएस और उपस्खण्ड स्टोरों में ₹ 9.11 करोड़ के मूल्य की सामग्री, क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग की कमी के कारण अभी भी अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

एसीओएस और उपस्खण्डीय स्टोर्स ने न तो निर्धारित निर्देशानुसार रिकॉर्ड बनाया और न ही सामग्री को स्टैक किया। स्टॉक सत्यापनकर्ताओं ने सभी एसीओएस के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में मार्च 2017 को ₹ 0.96 करोड़ की असमायोजित कमियां और ₹ 1.11 करोड़ की अधिशेष को इंगित किया। निर्धारित अभिलेखों का रखरखाव न करना, सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में कमी और सामग्री के अनुचित भंडारण से गबन और आग लगने पर सामग्री के नुकसान के अवसर प्रदान किए गए। इसके अलावा, कम्पनी ने उपस्खण्डीय भण्डारों पर सामग्री का बीमा नहीं किया।

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में आठ सिफारिशें सम्मिलित हैं यथा (i) आरटीपीपी अधिनियम 2012 और नियमों के अनुसार क्रय नियमावली का पुनरीक्षण, (ii) सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, जिससे आवश्यकता के अनुसार क्रय को सुनिश्चित किया जा सके, (iii) निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप देना, अंतिमीकरण में देरी के मामलों में उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन सुनिश्चित करना, निविदाओं के लिए और अनुबंधों को जारी करने के लिये निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना, (iv) निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करना और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना, (v) सामग्री नियंत्रण तकनीकें अपनाना और उचित नियंत्रण एवं निगरानी के लिये निर्धारित सामग्री के अभिलेखो को बनाए रखना, (vi) निर्दिष्ट अंतराल पर भौतिक सत्यापन करना और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में पाई गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करना, (vii) आई टी आधारित सामग्री प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, और (viii) समय पर अवशिष्ठ सामग्री का निपटान करना ।

3. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों के नियमों व शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण दो प्रकरणो में ₹ 30.57 करोड़ की हानि/ अतिरिक्त व्यय/ वसूली का अभाव एवं राजस्व अर्जित करने के अवसर का अभाव था।

(अनुच्छेद 3.4 एवं 3.5)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण दो प्रकरणो में ₹ 143.30 करोड़ की हानि/अतिरिक्त व्यय/वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 3.2 एवं 3.3)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटी) की विफलता दर विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अधिकतम

विफलता दर की तुलना में अधिक थी। डीटी का आवश्यकता आंकलन क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जारी योजना/कार्य की वास्तविक मांग के आधार पर नहीं किया गया था। कम्पनियां ट्रांसफॉर्मर्स जो कि गारंटी अवधि के अंतर्गत विफल हुए है, को जमा कराने में त्वरित नहीं थी। अधिक मात्रा में ट्रांसफॉर्मर्स कम्पनियों के भण्डार गृहों में एवं आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े हुए थे।

(अनुच्छेद 3.1)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने ब्याज/संयत्र का बीमा/परियोजना के उपकरणों को क्रय करने के लिए ₹ 90.64 करोड़ व्यय करने से पूर्व रामगढ़ संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (चरण-4) के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। कम्पनी ने संयंत्र/उपकरणों पर भी ₹ 107.41 करोड़ व्यय किये जो अनुपयोगी रहे एवं ₹ 103.87 करोड़ की प्रतिबद्ध देनदारियां भी थी।

(अनुच्छेद 3.2)

कोयला आपूर्ति अनुबंध में उचित प्रावधान ना होने के कारण, **राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड** कोयला आपूर्ति कम्पनियों से ₹ 52.66 करोड़ के सांविधिक प्रभार की वसूली नही कर सकी।

(अनुच्छेद 3.3)

4. सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों का कार्यकलाप

31 मार्च 2018 को राजस्थान में 28 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे, जिनमें 22 कार्यरत कम्पनियां, तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज (समस्त कम्पनियां) थी। वर्ष 2017-18 के दौरान नवीनतम वित्तीय लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयूज ने ₹ 13911.21 करोड़ के टर्नओवर को प्राप्त किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 1.66 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के पीएसयूज की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार के हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 तक, 28 उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 10516.59 करोड़ था। निवेश में पूँजी 34.14 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 65.86 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण, कुल दीर्घकालीन ऋण का 27.96 प्रतिशत (₹1936.85 करोड़) था जबकि कुल दीर्घकालीन ऋण का 72.03 प्रतिशत (₹ 4989.87 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का कार्य निष्पादन

कार्यरत पीएसयूज द्वारा 2013-14 में ₹ 447.84 करोड़ के अर्जित लाभ के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हानि में अधिक वृद्धि के कारण 2017-18 में ₹ 928.35 करोड़ की हानि वहन की गई। नवीनतम लेखों के अनुसार, इन 25 कार्यरत राज्य पीएसयूज में से 19 पीएसयूज ने ₹ 350.08 करोड का लाभ कमाया एवं छः पीएसयूज ने ₹ 1278.43 करोड़ की हानि वहन की ।

शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियों राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 142.94 करोड़), राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 109.68

करोड़), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (₹ 23.51 करोड़) थी जबकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 1169.76 करोड़) एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 90.12 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप दिये गये 14 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र दिया। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के पाँच प्रकरण थे।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2018 को तेरह कार्यरत पीएसयूज के 17 लेखे बकाया थे जिसमे एक अकार्यरत पीएसयू के तीन लेखे बकाया थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयूज को बंद किये जाने के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए।

5. राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों के नियमों व शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण एक प्रकरण में ₹ 38.85 करोड़ की हानि/ अतिरिक्त व्यय/ वसूली का अभाव एवं राजस्व अर्जित करने के अवसर का अभाव था।

(अनुच्छेद 5.1)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण एक प्रकरण में ₹ 4.50 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 5.2)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने आवंटियों को नोटिस समय पर जारी नहीं किये जो कि निर्माण कार्य पूरा करने एवं उत्पादन कार्य प्रारंभ करने में असफल रहे थे। ईकाई कार्यालयों ने निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियां प्रारंभ करने से संबंधित समय सीमा निगरानी के लिये सहीं रूप से डेटाबेस नहीं बनाया था। ऐसे प्रकरण ध्यान में आये जिनमें कम्पनी ने नियमानुसार प्रतिधारित प्रभारों की वसूली नहीं की एवं प्रतिधारित प्रभारों में बिना उचित कारणों के छूट प्रदान की गई थी।

(अनुच्छेद 5.1)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने भूमि को रियायती दरों पर आंवटन आदेश जारी करने से पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा लागत के अंतर की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की।

(अनुच्छेद 5.2)

परिचय
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकलाप

परिचय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकलाप

प्रस्तावना

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को संचालन के लिये की जाती हैं तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है । 31 मार्च 2018 तक, राजस्थान में 43 पीएसयूज थे, जिनमें तीन[1] सांविधिक निगम एवं 40 सरकारी कंपनियां (जिनमें तीन अकार्यरत सरकारी कंपनियां[2] सम्मिलित हैं) जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत थी। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष के दौरान दो[3] सार्वजनिक उपक्रमों को भंग कर दिया गया एवं इन सार्वजनिक उपक्रमों के नाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (5) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर द्वारा कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिए गए। इसके अतिरिक्त, तीन[4] सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व नियंत्रक कम्पनी (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) एवं एक निजी कम्पनी[5] के मध्य निष्पादित शेयर क्रय करार के अन्तर्गत हस्तांतरित किया गया।

2. सार्वजनिक उपक्रमों का 30 सितंबर 2018 को नवीनतम लेखों के अनुसार वित्तीय प्रदर्शन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। पीएसयूज की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

1 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम।

2 अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रम वह हैं जो अपने व्यवसायिक कार्यों का समापन कर चुके हैं ।

3 पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (अगस्त 2017) एवं लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (अगस्त 2017) ।

4 बाड़मेर ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड, हाड़ौती ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड एवं थार ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड ।

5 अदानी प्रसारण लिमिटेड ।

तालिका 1: प्रतिवेदन में सम्मिलित सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि[6] के दौरान प्राप्त हुए				पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2018 को बकाया (बकाया कुल लेखे) थे
		2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	2015-16 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत कम्पनियां[7]	37	25	2	1	28	12 (16)
सांविधिक निगम	3	2	1	-	3	1 (1)
कुल कार्यरत पीएसयूज	**40**	**27**	**3**	**1**	**31**	**13 (17)**
अकार्यरत सरकारी कम्पनियां	3	-	-	-	-	3 (6)
कुल	**43**	**27**	**3**	**1**	**31**	**16 (23)**

कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने 30 सितंबर 2018 को अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 69516.67 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017-18 (₹ 840263 करोड़) के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.27 प्रतिशत के बराबर था। कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 1822.50 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मार्च 2018 को राज्य पीएसयूज में लगभग एक लाख कर्मचारी कार्यरत थे।

तीन[8] अकार्यरत पीएसयूज हैं जो गत दो से 18 वर्षों की अवधि से अक्रियाशील हैं एवं जिनमें कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़, जिसमें पूंजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋण (₹ 16.27 करोड़) सम्मिलित था। यह ध्यान देने योग्य विषय है क्योंकि अकार्यरत पीएसयूज में किये गये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करते हैं।

जवाबदेयता संरचना

3. सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के सम्बन्धित प्रावधानों के द्वारा शासित होती हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है। इसके अलावा, केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं

6 अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 तक।

7 सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में संदर्भित अन्य कंपनियां शामिल हैं ।

8 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड।

आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी[9] को इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है। ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंर्तगत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है । कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार सरकारी कम्पनीयों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनीयों में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर की जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिनों के अंदर की जानी चाहिए एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के प्रकरण में भारत का नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी), यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखों की नमुना जांच करवा सकते हैं तथा नमुना जांच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होगें । इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों अंतर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कंपनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। । सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि में सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते है।

9 कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय- (कठिनाइयों को हटाना) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014.

सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

पीएसयूज द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

5. *समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता*

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना जल्दी हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा बनाई गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणी के साथ सदन या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में रखेगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिये भी लगभग समान प्रावधान हैं। यह तंत्र राज्य के समेकित कोष से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम करनी होती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तारीख से अगली के बीच 15 महीने से अधिक व्यतीत नहीं होना चाहिये। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 बताती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है।

सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक रिपोर्ट एवं सांविधिक निगमों के मामले में जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने रखी जाती हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी की (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश

7. राजस्थान सरकार (जीओआर) का पीएसयूज में उच्च वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है:

- **शेयर पूंजी एवं ऋण** - शेयर पूंजी योगदान के अतिरिक्त, जीओआर समय-समय पर सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** - जीओआर पीएसयू को आवश्यकता के अनुसार अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करता है।
- **गारंटी** -जीओआर वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुर्नभुगतान की गारंटी भी देता है।

8. 31 मार्च 2018 को सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश[10] (₹ करोड़ में)		
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा	15	-	-	-	15	41876.05	75339.36	117215.41
वित्त	3	-	1	-	4	303.75	311.48	615.23
सेवा	8	1	2	-	11	2434.50	2253.80	4688.30
ढांचागत	4	-	-	-	4	359.86	2693.40	3053.26
अन्य	7	2	-	-	9	491.76	1668.04	2159.80
योग	**37**	**3**	**3**	**-**	**43**	45465.92	82266.08	**127732.00**

स्रोतः पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

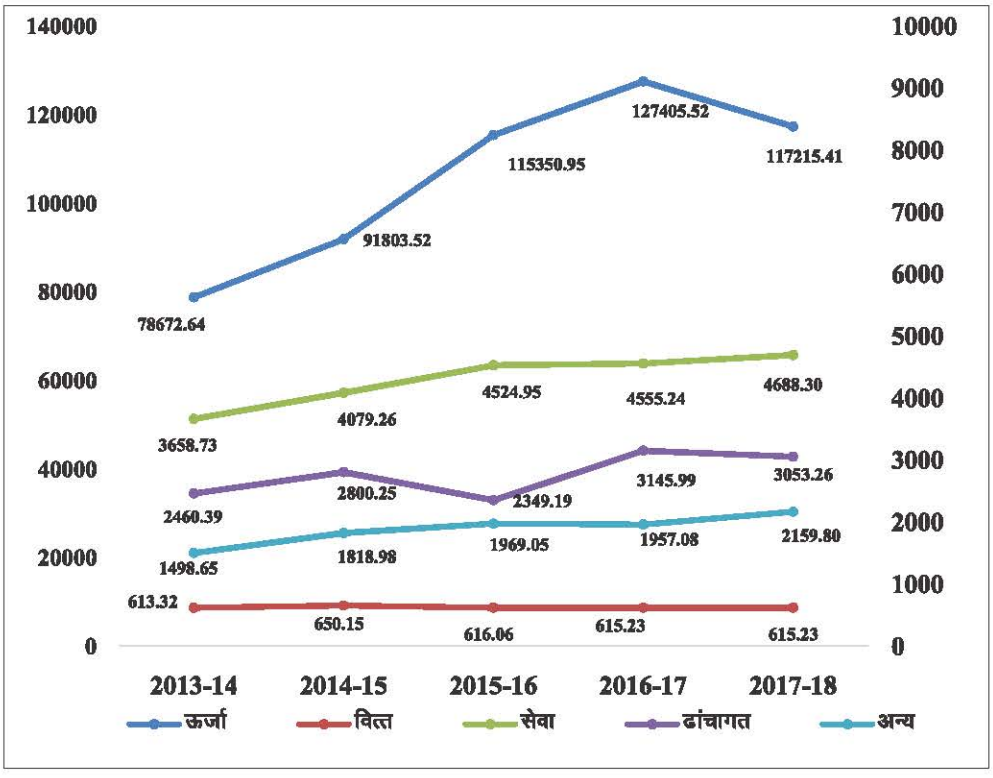
पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 40828.27 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 38542.77 करोड़ (94.40 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ ।

9. 31 मार्च 2014 एवं 31 मार्च 2018 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है

10 निवेशो में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं ।

चार्ट 1: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)



ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग I[11] में 15 ऊर्जा क्षेत्र पीएसयूज के एवं प्रतिवेदन के भाग II[12] में 28 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

11 भाग I में अध्याय- I (ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों का कार्य), अध्याय- II (ऊर्जा क्षेत्र उपक्रम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) एवं अध्याय- III (ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप) सम्मिलित हैं।

12 भाग II में अध्याय- IV (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज का कार्य) एवं अध्याय-V (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप) सम्मिलित हैं।

भाग I

अध्याय I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

भाग–I

अध्याय I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1. परिचय

1.1 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
टर्नओवर	29680.74	36523.38	42663.02	48768.95	55605.46
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	17.68	23.05	16.81	14.31	14.02
राजस्थान की जीएसडीपी	551031.00	615695.00	683758.00	759235.00	840263.00
जीएसडीपी में पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	11.77	11.74	11.05	11.04	10.67
टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी से प्रतिशत	5.39	5.93	6.24	6.42	6.62

स्रोतः राजस्थान सरकार के 2017-18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार तथा कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

इन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर में गत वर्षों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-18 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 14.02 प्रतिशत एवं 23.05 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राजस्थान के जीएसडीपी में वृद्धि 10.67 प्रतिशत एवं 11.77 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर[1] 11.25 प्रतिशत रही।

1 वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर [[{(2017-18 का मूल्य/2012-13 का मूल्य)^(1/5 वर्षों)}-1]*100] जिसमें 2012-13 के लिए टर्नओवर एवं जीसडीपी क्रमशः ₹ 25220.61 करोड़ एवं ₹ 493007 करोड़ है।

वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 11.25 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि के विरूद्ध ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर में पिछले पांच वर्षों के दौरान 17.13 प्रतिशत की अधिक वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर्ज की गई । इससे जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2013-14 में 5.39 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 6.62 प्रतिशत हो गई।

1.2 *ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों का गठन*

राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 (आरपीएसआरए 1999) को अधिनियमित (जनवरी 2000) किया, जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ विद्युत उद्योग के पुर्नगठन एवं राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की शक्तियों, कर्त्तव्यों एवं कार्यो को राज्य सरकार को एक या अधिक ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों को हस्तान्तरण करने के लिए योजना तैयार करने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने तद्नुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) को विघटित करने के लिए राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तान्तरण योजना 2000 (आरपीएसआरटी योजना 2000) बनायी (19 जुलाई 2000) एवं आरएसईबी की परिसम्पत्तियाँ, सम्पत्तियाँ, दायित्व, कार्यवाहियाँ एवं कर्मचारी पाँच ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ *(अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)* को हस्तान्तरित कर दी। ये पाँच ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ 19 जुलाई 2000 को अस्तित्व में आई एवं आरएसईबी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ (₹ 1775 करोड़[2] की पूँजी एवं ₹ 1398 करोड़[3] की आरएसईबी की संचित हानियाँ सहित) आरपीएसआरटी योजना 2000 के प्रावधानों के अनुसार इन कम्पनियों के मध्य विभाजित की गईं। राज्य सरकार ने 2002-03 एवं 2015-16 में दो अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ अर्थात *राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल पूर्व में राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)* एवं *राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड* क्रमशः ₹ 3.65 करोड़ एवं ₹ 50 करोड़ की पूँजी निवेश करके निगमित की। 2015-16 के दौरान एक अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनी अर्थात राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड (आरआरवीवीवीएनएल) को भी निगमित किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने 2017-18 तक इस कम्पनी में कोई पूँजी निवेश नहीं किया। इन आठ कम्पनियों के अतिरिक्त, सात[4] अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों को आरआरवीपीएनएल/

2 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 150 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 140 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 120 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 440 करोड़) और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 925 करोड़)।

3 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 906 करोड़) और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 492 करोड़)।

4 बांसवाडा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (7 अगस्त 2008), बाडमेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (5 जुलाई 2010), केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (17 सितम्बर 2010), छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (22 नबम्बर 2006), धोलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (22 नवम्बर 2006), गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (1 जनवरी 2009) और राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (12 जनवरी 2012)।

आरआरवीयूएनएल/आरआरईसीएल की सहायक कम्पनियों के रूप में (नवंबर 2006 से जनवरी 2012 तक) निगमित किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 को राज्य में 15 ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां थीं। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में से छः[5] कम्पनियों ने 2017-18 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

1.3 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों, बाड़मेर ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड, हाड़ौती ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड एवं थार ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड का स्वामित्व नियंत्रक कम्पनी (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) एवं अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, एक निजी कम्पनी के बीच शेयर खरीद समझौते के तहत हस्तांतरित (अगस्त 2017) किया गया। इसके अलावा, दो बिजली क्षेत्र के उपक्रमों, पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड एवं लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड को भंग (अगस्त 2017) कर दिया गया था एवं 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर द्वारा कम्पनीज रजिस्टर से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (5) के तहत इन कम्पनियों का नाम काट दिया ।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
विद्युत का उत्पादन	5	10104.54	23582.73	33687.27
विद्युत का प्रसारण	4	4270.88	10301.96	14572.84
विद्युत का वितरण	3	27450.58	41454.67	68905.25
अन्य[6]	3	50.05	-	50.05
कुल	**15**	**41876.05**	**75339.36**	**117215.41**

स्रोतः पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

5 बांसवाडा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, बाडमेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड, धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड, केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड और आरआरवीवीवीएनएल

6 तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रम यथा राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड राज्य में सोलर पार्क के प्रबंधन व ढांचागत विकास, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड राज्य की तीन डिस्कॉम्स के लिये ऊर्जा व्यापार करने तथा आरआरवीवीवीएनएल को राज्य के वितरण लाईसेंसी के लिये राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के लिये अन्य गतिविधियों में शामिल किया गया है क्योंकि इन उपक्रमों की गतिविधियाँ उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण में शामिल नहीं होती हैं।

31 मार्च 2018 तक, 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 117215.41 करोड़ था। निवेश में पूँजी 35.73 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 64.27 प्रतिशत शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 44.07 प्रतिशत (₹ 33204.48 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण 55.93 प्रतिशत (₹ 42134.88 करोड़) था। यद्यपि, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना[7] (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 के कुल बकाया ऋणों (₹ 83229.89 करोड़) में से ₹ 62421.96 करोड़ (75 प्रतिशत) का अधिग्रहण कर लिया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 राजस्थान सरकार (जीओआर) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों का, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिस्ति ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय व्यय का विवरण का सारांश निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.3: वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[8]	2015-16		2016-17		2017-18	
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
पूँजी की जावक (i)	5	8438.82	6	4115.71	5	849.92
दिये गये ऋण(ii)	4	36147.62	4	11903.83	1	341.56
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	6	5175.99	4	14576.36	4	23434.55
कुल जावक (i+ii+iii)	6[9]	49762.43	7[9]	30595.90	6[9]	24626.03
अपलिस्ति ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	3	995.00	-	-	3	3000.00
निर्गमित गारंटियाँ	5	16132.96	5	23313.85	5	15283.10
गारंटी प्रतिबद्धता	5	45702.82	5	43218.50	5	53246.68

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

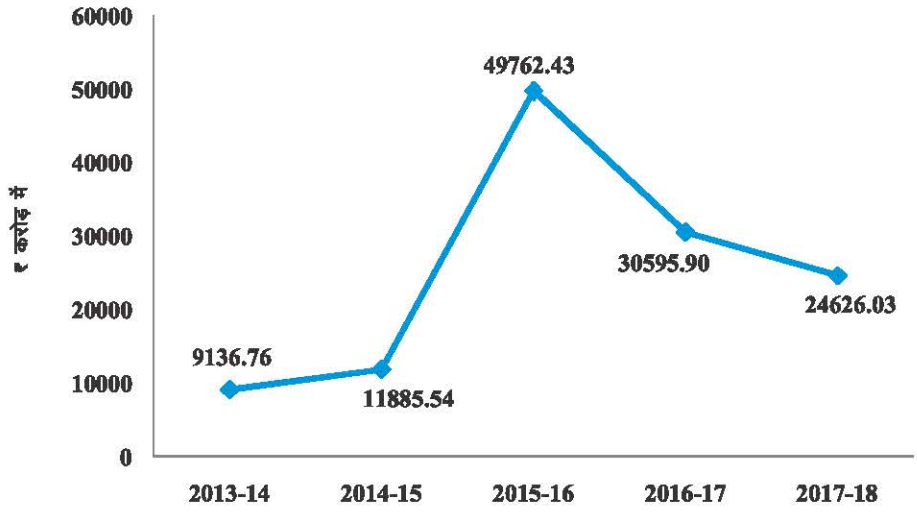
मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/ सब्सिडी में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया हैं:

7 डिस्कॉम्स के वित्तिय एवं प्रचालन परिवर्तन के लिये ऊर्जा मंत्रालय एंव भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना।

8 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

9 यह संस्था ऐसी कम्पनियों की संस्था को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

चार्ट 1.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता



वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को वर्ष के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 9136.76 करोड़ एवं ₹ 49762.43 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 24626.03 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रुप में क्रमशः ₹ 849.92 करोड़, ₹ 341.56 करोड़ एवं ₹ 23434.55 करोड़ शामिल थे। इसके अलावा, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के प्रचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिये उदय योजना प्रारंभ (20 नवम्बर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों एवं तीन डिस्कॉम्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय के अनुच्छेद 1.20 के अंतर्गत की गई है। उदय योजना के अंतर्गत 2017-18 के दौरान बकाया ऋण की ₹ 3000 करोड़ की राशि पूँजी में परिवर्तित की गई। इस प्रकार, 2017-18 के दौरान उदय योजना के तहत, ऊर्जा क्षेत्र की तीन वितरण कम्पनियों की पूँजी में ₹ 3849.92 करोड़ का समावेश, नकद प्रेरण (₹ 849.92 करोड़) एवं ऋणों के रूपांतरण (₹ 3000 करोड़) के माध्यम से हुआ था। पूँजी में वृद्धि मुख्य रूप से पूँजी निवेश एवं विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के द्वारा थी। इसके अलावा, पिछले वर्ष (₹ 14576.36 करोड़) की तुलना में वर्ष 2017-18 (₹ 23434.55 करोड़) के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी/अनुदान में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान यह मुख्य रूप से उदय योजना के तहत डिस्कॉम्स को सहायता (₹ 12000 करोड़), दरों में गैर संशोधन हेतु (₹ 8759.14 करोड़) एवं विद्युत कर के लिए अनुदान (₹ 2613.14 करोड़) की वृद्धि के कारण था।

राजस्थान सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के तहत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के तहत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से पीएसयू द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का फैसला (फरवरी 2011) किया। बकाया गारंटी प्रतिबद्धतायें 23.20 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹ 43218.50 करोड़ से 2017-18 में ₹ 53246.68 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान पांच ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज द्वारा ₹ 416.64 करोड़ की गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.6 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। यद्यपि पूँजी एवं बकाया गारंटी के आंकडे वित्त लेखों के समान है, ऋण के आंकड़ों में 31 मार्च 2018 को अंतर है, जिसकी स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.4: वित्त लेखों एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम	बकाया ऋण		अंतर
	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार	
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10627.07	10701.41	74.34
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10277.40	10202.65	-74.75
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1236.37	884.43	-351.94
कुल अंतर			**501.03**

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों एवं वित्त खातों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया । इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार एवं पीएसयूज को अंतर का समयबद्ध समाशोधन करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों का प्रस्तुतिकरण

1.7 *ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता*

31 मार्च 2018 तक सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम थे। वर्ष 2017-18 के लिए इन सभी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 30 सितंबर 2018 तक वैधानिक आवश्यकता के अनुसार लेखे प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के खातों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पीएसयूज की संस्था	15	15	17	20	15
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संस्था	16	19	17	21	15
3.	पीएसयूज की संस्था जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रुप दिया गया	10	14	16	20	15
4.	पिछले वर्ष के लेखों की	6	5	1	1	0

	संस्था जिनके लेखों को चालू वर्ष में अंतिम रुप दिया गया					
5.	पीएसयूज की संस्था जिनके लेखे बकाया हैं	5	1	1	0	0
6.	बकाया लेखों की संस्था	5	1	1	0	0
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष	-	-

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान कार्यरत पीएसयूज के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां पिछले दो वर्षों से अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में तत्पर हैं।

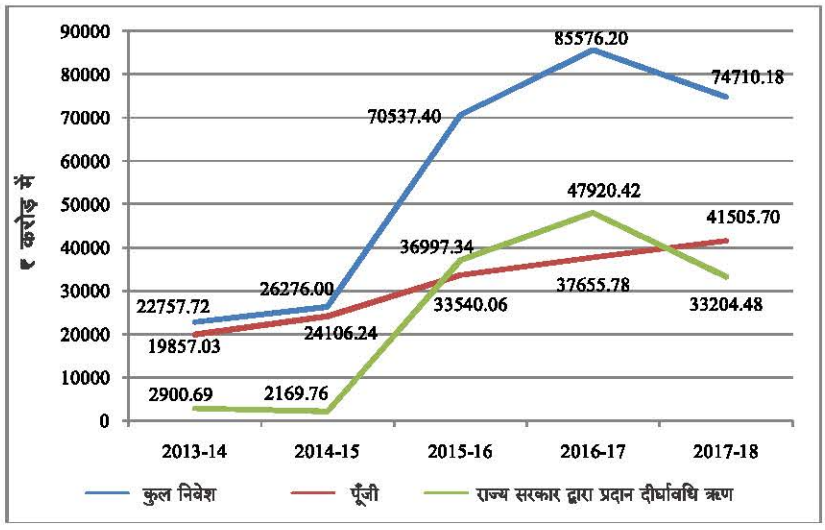
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.8 ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम 30 सितंबर 2018 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार **अनुबंध–1** में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को निवेश की राशि ₹ 117215.41 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 41876.05 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 75339.36 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के सात पीएसयूज में राजस्थान सरकार का निवेश ₹ 74710.18 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 41505.70 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 33204.48 करोड़ सम्मिलित थे।

राजस्थान सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 1.2: राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश



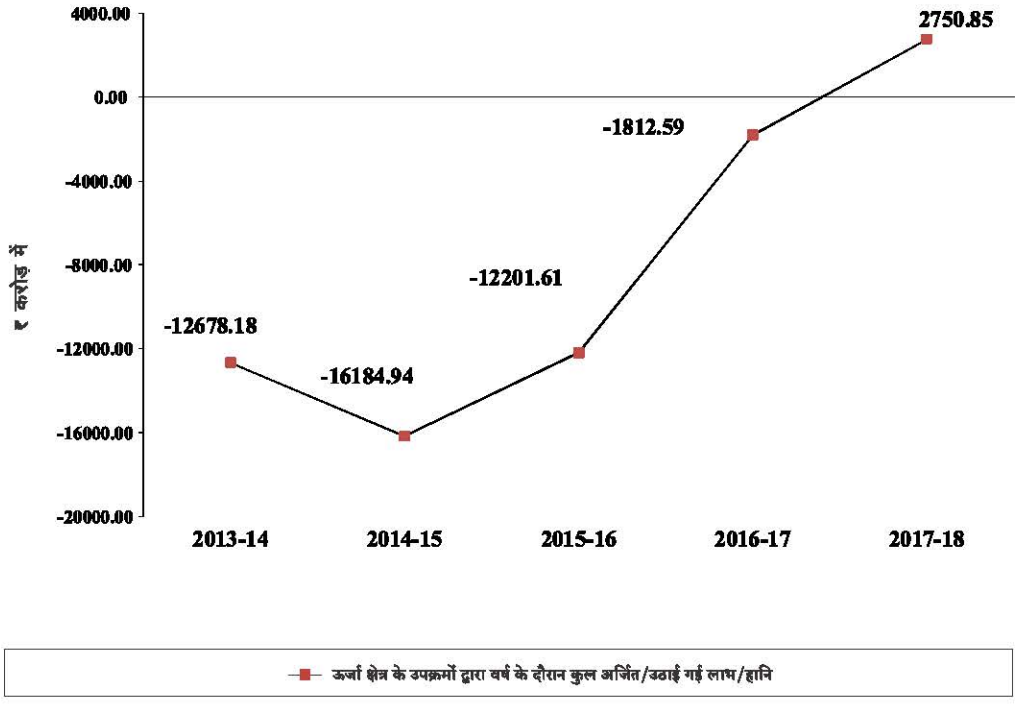
कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को

नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों से पश्चात के लाभों को शेयर धारको की निधि से विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

1.9 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि[10] की समग्र स्थिति को एक चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित/उठाई गई लाभ/हानि



इन 15 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा 2013-14 में हुई ₹ 12678.18 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2017-18 में अर्जित लाभ ₹ 2750.85 करोड़ था। इन 15 पीएसयूज के वर्ष 2017-18 के लेखों के अनुसार, सात पीएसयूज ने ₹ 2994.36 करोड़ का लाभ कमाया एवं चार पीएसयूज को ₹ 243.51 करोड़ की हानि हुई एवं चार पीएसयूज को मामूली नुकसान हुआ **(अनुबंध -1)**। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियाँ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1199.08 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 943.16 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 607.26 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण

10 आंकड़े संबंधित वर्ष के नवीनतम अंतिम लेखो पर आधारित है।

निगम लिमिटेड (₹ 195.71 करोड़) थी जबकि गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 241.45 करोड़) को काफी हानि हुई थी।

2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किये गये पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाये गये पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान पीएसयूज की संख्या जिनकी मामूली लाभ/हानि थे
2013-14	13	3	8	2
2014-15	13	3	8	2
2015-16	15	3	8	4
2016-17	15	4	7	4
2017-18	15	7	4	4

(अ) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

1.10 राज्य के 15 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से राज्य सरकार ने पूँजी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश केवल सात पीएसयूज में किया है। राज्य सरकार ने अन्य आठ ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में कोई सीधे निवेश नहीं किया है जिनमें एक कम्पनी (आरआरवीवीवीएनएल) जिसमे की 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा कोई पूँजी निवेश नहीं किया गया था। तीन[11] ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की सात सहायक कम्पनियों में समस्त पूँजी संबंधित स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा प्रदत्त की गई थी।

पीएसयूज द्वारा निवेश पर प्रतिफल की गणना राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में सात पीएसयूज में किये गये निवेश के आधार पर की गई है। ऋण के संबंध में केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इस प्रकार के ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है एवं इस प्रकार, ऋण की वापसी के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त पुर्नभुगतान की नियम एवं शर्तों के अनुसार यह सरकार के द्वारा किये गये पूँजी निवेश के प्रकृति के है। आगे, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है। यद्यपि, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को उदय योजना के अंतर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश माना गया है जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी को बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों को चुकाने के लिए प्रदान की गई थी। अतः ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य (पीवी) के आधार पर निवेश की प्रतिफल की तुलना दोनों प्रक्रियाओं से दी गई हैं अर्थात उदय में दी गई सब्सिडी को निवेश मानने के साथ एवं सब्सिडी को निवेश मानने के बिना।

इन सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश की गणना पूँजी (प्रारंभिक पूँजी को संचित हानियों के समायोजन के पश्चात बाद के वर्षों में वर्ष के दौरान

11 आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल और आरआरईसी।

निवेशित पूँजी का योग) एवं ब्याज मुक्त ऋण एवं ब्याज मुक्त ऋणों को घटाते हुए जोकि वर्ष के दौरान पूँजी में परिवर्तित हुए है, को सम्मिलित करते हुए की गई है।

राज्य सरकार की इन सात पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को कुल निवेशित राशि ₹ 74710.18 करोड़ थी जिसमें पूँजी ₹ 41505.70 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 33204.48 करोड़ थी। प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों में से ₹ 3537.50 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण थे जिसमें से ₹ 3065 करोड़ बाद में पूँजी में परिवर्तित किये गये। इस प्रकार, निवल ब्याज मुक्त ऋण ₹ 472.50 करोड़ (₹ 3537.50 करोड़ - ₹ 3065 करोड़) एवं पूँजी ₹ 40107.84 करोड़ (₹ 41505.70 करोड़ में से प्रारंभिक संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़ घटाते हुए) को मानते हुए इन सात ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में राज्य सरकार के निवेश की गणना की गई है, ऐतिहासिक लागत पर वर्ष 2017-18 के अंत में निवेश ₹ 40580.34 करोड़ था। निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.7 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा धन का निवेश (₹ करोड़ में)	वर्ष के लिए कुल आय/ हानियां[12] (₹ करोड़ में)	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2013-14	20454.17	-15893.55	-77.70
2014-15	24210.23	-14890.91	-61.51
2015-16	32614.70	-12063.88	-36.99
2016-17	36730.42	-1585.95	-4.32
2017-18	40580.34	2985.46	7.36

सात ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान -77.70 प्रतिशत से -4.32 प्रतिशत के मध्य था। यद्यपि, यह 2017-18 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त होने से तीन डिस्कॉम्स की आय बढ़ने के कारण, यह सुधरकर 7.36 प्रतिशत हो गया।

(ब) निवेश के वर्तमान मुल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

1.11 सरकार द्वारा **सात ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों** में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राजस्थान सरकार के राज्य पीएसयूज में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश की वर्तमान मूल्य की प्रतिफल की दर का पता लगाने के लिए सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में 31 मार्च 2018 तक वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, पूर्व निवेश/वर्षवार राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज में डाला गया धन को वर्षवार सरकारी उधार की औसत ब्याज दर जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की धन की न्यूनतम लागत है, पर चक्रवृद्धि किया गया है। इस

12 संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार।

प्रकार, राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना इन कम्पनियों की स्थापना से 31 मार्च 2018 तक की गई है, जहां पर राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश किया गया है। यद्यपि, इन सात पीएसयूज में निवेश पर प्रतिफल केवल वर्ष 2017-18 के दौरान धनात्मक था। इसलिए, निवेश पर प्रतिफल की गणना केवल वर्ष 2017-18 के लिये की गई है एवं पीवी के आधार पर उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए एवं इस तरह की सब्सिडी के बिना दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित धन राशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार के ब्याज मुक्त ऋण को सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किसी भी मूल्य का ब्याज मुक्त ऋण नहीं चुकाया गया है। आगे, प्रकरणों में जिनमें पीएसयूज को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, पूँजी में परिवर्तित ऋण का मूल्य ब्याज मुक्त ऋण के मूल्य में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है। पैरा 1.10 में संदर्भित उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को छोडकर अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[13] के लिये राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाया जा सकता है।

इन सात कम्पनीयों ने 2013-14 से 2016-17 के दौरान हानि वहन की थी, हानि के कारण पूँजी का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। कम्पनीयों के पूँजी के क्षरण को पैरा 1.13 में टिप्पणी की गई है।

1.12 इन सात राज्य ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में स्थापना से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रुप में धन के निवेश की पीएसयूज वार स्थिति **अनुबंध-2** में इंगित की गई है। इन सात राज्य पीएसयूज में इनकी स्थापना से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश की पीवी एवं कुल लाभदायकता की समेकित स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है:

13 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राजस्थान सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] * 100।

तालिका 1.8: 2000-01 से 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण[14]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ[15]
i	ii	iii	iv	v	vi= iii+iv-v	vii	viii=ii+vi	ix= {viii*(1+ vii)/100}	x={viii*vii) /100}	xi
2000-01	-	380.38[16]	-	-	380.38	10.50	380.38	420.32	39.94	0.36
2001-02	420.32	363.00	-	-	363.00	10.50	783.32	865.57	82.25	0.60
2002-03	865.57	338.43	-	-	338.43	10.00	1204.00	1324.40	120.4	0.70
2003-04	1324.40	282.76	-	-	282.76	9.60	1607.16	1761.45	154.29	1.38
2004-05	1761.45	350.00	200.00	-	550.00	9.10	2311.45	2521.79	210.34	13.08
2005-06	2521.79	630.60	150.00	-	780.60	8.20	3302.39	3573.19	270.8	5.38
2006-07	3573.19	694.00	150.00	-	844.00	8.30	4417.19	4783.81	366.62	8.31
2007-08	4783.81	1063.00	150.00	-	1213.00	8.00	5996.81	6476.56	479.75	13.65
2008-09	6476.56	1336.00	250.00	-	1586.00	7.70	8062.56	8683.38	620.82	-1338.81
2009-10	8683.38	1280.00	170.00	-	1450.00	7.70	10133.38	10913.65	780.27	-813.84
2010-11	10913.65	1540.29	0.00	-	1540.29	7.70	12453.94	13412.89	958.95	-21334.91
2011-12	13412.89	2474.71	995.00	1070.00	2399.71	7.70	15812.60	17030.17	1217.57	-19920.34
2012-13	17030.17	3848.00	1000.00	-	4848.00	7.40	21878.17	23497.15	1618.98	-12479.34
2013-14	23497.15	3878.00	0.00	-	3878.00	7.30	27375.15	29373.54	1998.39	-15893.55
2014-15	29373.54	4249.21	236.25	729.40	3756.06	7.50	33129.60	35614.32	2484.72	-14890.91
2015-16	35614.32	9433.82	236.25	1265.60	8404.47	6.70	44018.79	46968.05	2949.26	-12063.88
2016-17	46968.05	4115.72	0.00	-	4115.72	7.60	51083.77	54966.14	3882.37	-1585.95
2017-18	54966.14	3849.92	0.00	-	3849.92	7.30	58816.06	63109.63	4293.57	2985.46
कुल		**40107.84**	**3537.50**	**3065.00**	**40580.34**					

14 2004-2005 एवं 2009-10 के मध्य प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1070 करोड़ 2011-12 में पूंजी में परिवर्तित हुआ, 2011-12 में प्राप्त ₹ 995 करोड़ 2015-16 में पूंजी में परिवर्तित हुआ एवं 2012-13 में प्राप्त ₹ 1000 करोड़ का समयोजन 2014-15 (₹ 729.40 करोड़) एवं 2015-16 (₹ 270.60 करोड़) के दौरान राजस्थान सरकार के बकाया के विरूद्ध समयोजन किया गया।

15 वर्ष के लिए कुल आय संबंधित वर्ष के लिए सात ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है।

16 यह राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित निवल निवेश/पूंजी को संचित हानियो को घटाने के पश्चात दर्शाता है। आरएसईबी को पांच कम्पनियों में विभाजित करने में कुल व्यय ₹ 376.73 करोड़ (अर्थात पूँजी ₹ 1774.59 करोड़ – आरएसईबी की संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़) + ₹ 3.65 करोड़ (आरआरईसी की प्रारंभिक पूँजी)।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2000-2001 में ₹ 380.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 40580.34 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000-01 से पूँजी (₹ 39727.46 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 472.50 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश की पीवी 31 मार्च 2018 को ₹ 63109.63 करोड़ आती है।

वर्ष 2000-2001 से 2007-08 के लिए कुल आय (लाभ/हानि) केवल एक कम्पनी अर्थात राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के निवल लाभ दर्शाती है जो कि अपने वार्षिक लेखे संबंधित वर्ष के लाभ हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतो के आधार पर बनाती है जबकि शेष पांच कंपनियां अपने वार्षिक लेखे *'ना लाभ ना हानि'* के आधार पर बनाती थी एवं आय एवं व्यय का अन्तर इस अवधि के दौरान *'राज्य सरकार से राजस्व अंतर के विरुद्ध प्राप्य आर्थिक सहायता'* के रूप में दर्शाती थी। तत्पश्चात दो[17] ओर कम्पनियों ने 2008-09 वर्ष के लिए अपने वार्षिक लेखे लाभ/हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतों के आधार पर बनाये जबकि तीन राज्य डिस्कॉम्स[18] ने अपने वार्षिक लेखे वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतो के आधार पर 2010-11 से बनाना प्रारंभ किये।

यह देखा जा सकता है कि इन कम्पनियों से संबंधित वर्ष के लिए कुल लाभ 2008-09 से 2016-17 के दौरान ऋणात्मक रहे जो कि यह दर्शाता है कि निवेशित धन राशि पर प्रतिफल अर्जित करने के स्थान पर, यह कंपनियां सरकार की धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाई। आगे, वर्ष 2017-18 के लिए धनात्मक कुल लाभ इन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में किये गये निवेश की न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से काफी नीचे रहा।

आगे, सरकार द्वारा तीन डिस्कॉम्स को 2016-17 में ₹ 9000 करोड़ एवं 2017-18 में ₹ 12000 करोड़ उदय योजना के अंतर्गत इन डिस्कॉम्स के बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋणों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी भी प्रदान की गई। यदि हम इस सब्सिडी को राज्य सरकार से प्राप्त निवेश के रूप में मानते है तो निवेश पर प्रतिफल ओर अधिक कम हो जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान ऐतिहासिक लागत पर निवेश पर प्रतिफल एवं इस निवेश का वर्तमान मूल्य, जब धनात्मक अर्जन था, उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी के साथ एवं इस सब्सिडी को न मानते हुए नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.9 राज्य सरकार के धन पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	कुल लाभ/हानि (-)	पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राजस्थान सरकार का निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	राज्य सरकार के निवेश पर निवेश का वर्तमान मूल्य मानने के पश्चात प्रतिफल (%)
उदय के बिना	2985.46	40580.34	7.36	63109.63	4.73
उदय के साथ	2985.46	61580.34	4.85	86376.56	3.46

17 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

18 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

वर्तमान मुल्य के आधार पर प्रतिफल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल से कम थे जैसा कि वर्ष 2017-18 के दौरान प्रतिफल की तुलनात्मक स्थिति में दर्शाया गया है। ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल 2017-18 के दौरान 7.36 प्रतिशत था जबकि पीवी के आधार पर यह केवल 4.73 प्रतिशत था। यद्यपि, यदि हम उदय योजना के अन्तर्गत प्रदान सब्सिडी को भी निवेश मानते है, ऐतिहासिक आधार पर प्रतिफल 7.36 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 4.85 (उदय के साथ) हो जाता है एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल 4.73 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 3.46 (उदय के साथ) हो जाता है।

निवल मूल्य का क्षरण

1.13 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह माप है कि क्या एक उपक्रम स्वामियों के लिए मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में पूँजी निवेश के ₹ 41876.05 करोड़ की तुलना में संचित हानियां ₹ 98929.72 करोड़ थे जिससे कि ₹ 1.96 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात निवल मूल्य -₹ 57055.63 करोड़ आता है **(अनुबंध-1)**। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों में से, मुख्य रूप से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-₹ 22341.63 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-₹ 22116.53 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (-₹ 20551.94 करोड़) एवं गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (-₹ 570.59 करोड़) में निवल मूल्य का क्षरण हुआ है।

2013-14 से 2017-18 के दौरान सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों (नियंत्रक कंपनियां) के प्रदत्त पूँजी संचित लाभ/हानियां एवं निवल मूल्य निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: 2013-14 से 2017-18 के दौरान सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित हानियां(-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	18459.17	-56196.61	3.48	-37740.92
2014-15	22708.38	-83109.27	1.47	-60402.36
2015-16	32142.20	-98783.01	1.2	-66642.01
2016-17	36257.92	-100581.13	2.17	-64325.38
2017-18	41505.70	-97981.51	1.96	-56477.77

राज्य सरकार द्वारा इन सात ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में 2013-18 की अवधि के दौरान भारी मात्रा में पूँजी निवेश कर लगातार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। यद्यपि, भारी मात्रा में पूँजी निवेश के पश्चात भी इन ऊर्जा कम्पनियों की संचित हानियां 2013-14 के ₹ 56196.61 करोड़ से बढ़ कर 2016-17 में ₹ 100581.13 करोड़ हो गयी एवं इन कम्पनियों में निवेशित संपूर्ण पूँजी का क्षरण हो गया। आगे, 2017-18 के दौरान, यद्यपि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ₹ 2750.85 करोड़ का लाभ कमाया गया परन्तु इन कम्पनियों का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण ऋणात्मक (-₹ 56477.77 करोड़) था।

2013-14 एवं 2014-15 के दौरान छः[19] पीएसयूज में से, तीन[20] पीएसयूज का निवल मूल्य ऋणात्मक एवं तीन[21] पीएसयूज का निवल मूल्य धनात्मक था। आगे, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान चार[22] पीएसयूज का निवल मूल्य धनात्मक था एवं तीन[23] पीएसयूज का निवल मूल्य ऋणात्मक था। चार[24] पीएसयूज का निवल मूल्य 2013-14 से 2017-18 के दौरान घट गया जबकि यह तीन[25] पीएसयूज के संबंध में बढ़ गया।

लाभांश का भुगतान

1.14 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार (सितंबर 2004) की थी जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लाभ अर्जन करने वाली कम्पनियों को प्रदत्त शेयर पूँजी पर दस प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक था। सात ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश किया गया है, अवधि के दौरान लाभांश का भुगतान निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सात ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयूज जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश		वर्ष के दौरान लाभ कमाने वाले पीएसयूज		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/ भुगतान		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/ भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2013-14	6	18459.17	2	2025.95	1	1.29	0.06
2014-15	6	22708.38	2	2395.95	1	1.29	0.05
2015-16	6	32142.20	2	2933.11	1	1.29	0.04
2016-17	7	36257.92	3	12060.97	1	3.88	0.03
2017-18	7	40107.84	6	40057.84	1	1.29	0.003

19 राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 2015-16 के दौरान अस्तित्व में आई।

20 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

21 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

22 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

23 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

24 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

25 तीन पीएसयूज में से अर्थात राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, एक पीएसयू नामित राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 2015-16 के दौरान अस्तित्व में आई।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, लाभ कमाने वाले पीएसयूज की संख्या दो एवं छः के मध्य थी जबकि केवल एक पीएसयू (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड) ने राजस्थान सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान की थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने 2004-05 से 2007-08 के दौरान ₹ 3.07 करोड़, 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 5.50 करोड़ एवं 2013-14 से 2017-18 के दौरान ₹ 9.04 करोड़ का भुगतान किया।

लाभांश भुगतान अनुपात 2013-14 से 2017-18 के दौरान बहुत न्यून केवल 0.003 प्रतिशत एवं 0.06 प्रतिशत के मध्य रहा। अग्रिम विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि इनमें से किसी भी कम्पनियों ने स्थापना से 2003-04 तक किसी भी लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था। आगे, लाभांश भुगतान अनुपात राजस्थान सरकार के इन पीएसयूज में भारी मात्रा में पूँजी के निवेश के कारण 2004-05 के 4.20 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 0.003 प्रतिशत हो गया।

पूँजी पर प्रतिफल

1.15 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है जिससे यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा शेयरधारकों की निधि का उपयोग लाभों के सृजन करने में किस प्रभाव से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी में की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संस्थायें है।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो हितधारको के पास कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि कम्पनी के पास अपने दायित्व के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक है।

पूँजी प्रतिफल की गणना सात ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण नीचे तालिका दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: सात ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन[26] (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2013-14	-15893.55	-37740.92	-
2014-15	-14890.91	-60402.36	-

26 संबंधित वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर।

2015-16	-12063.88	-66642.01	-
2016-17	-1585.95	-64325.38	-
2017-18	2985.46	-56477.77	-

मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान जैसा कि उपरोक्त तालिका में दृष्टिगत होता है कि शुद्ध आय केवल 2017-18 के दौरान धनात्मक थी, यद्यपि, सभी पांच वर्षों के दौरान शेयरधारकों के निधि ऋणात्मक थी। 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान शुद्ध आय एवं सभी वर्षों का शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक होने के कारण इन पीएसयूज के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकती है। यद्यपि, ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि यह इंगित करती है कि इन पीएसयूज के दायित्व सम्पत्ति से अधिक है एवं शेयरधारकों को प्रतिफल देने के स्थान पर शेयरधारकों पर ऋण हैं।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.16 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी कार्यरत पूँजी से मापता है।

आरओसीई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[27] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान **समस्त 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के आरओसीई** का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2013-14	-4371.23	39453.92	-11.08
2014-15	-6172.47	42466.49	-14.53
2015-16	52.33	40045.85	0.13
2016-17	6143.70	53387.20	11.51
2017-18	18554.01	51204.77	36.23

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन राज्य पीएसयूज का आरओसीई -14.53 *प्रतिशत* से 36.23 *प्रतिशत* की सीमा के मध्य रहा। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में, राजस्थान सरकार से उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिड़ी (2016-17 के दौरान ₹ 9000 करोड़ एवं 2017-18 के दौरान ₹ 12000 करोड़) को आय मानने के कारण डिस्कॉम्स की आय असाधारण रूप से बढ़ने के कारण इसमें भारी मात्रा में बढ़त हुई।

27 नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय आंकडे पीएसयूज के नवीनतम वर्ष जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार है।

कंपनियो के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.17 पीएसयूज जिनमे 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋण थे, में दीर्घावाधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार , बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की सेवा करने के लिए कम्पनीयों की क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण आवर्त अनुपात के माध्यम से किया गया है

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.18 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) से पहले कम्पनी की आय को उसी अवधि के ब्याज स्वर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों जिनमें ब्याज का भार था, में ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.14: ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	कम्पनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण का भार था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2013-14	8306.95	-4371.37	10	2	8[28]
2014-15	10012.47	-6173.33	10	2	8[28]
2015-16	12253.94	49.88	8	2	6[29]
2016-17	7956.29	6132.58	8	3	5[30]
2017-18	15734.07	18541.34	8	6	2[31]

28 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड, लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड, पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

29 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

30 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड तथा गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड।

31 बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड तथा गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड।

वर्ष 2017-18 के ब्याज में अक्टूबर 2015 से मार्च 2018 तक का ₹ 7237.92 करोड़ का ब्याज सम्मिलित है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम्स को उदय योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋणों के दायित्व से मुक्त करने के लिए दिये गये ऋण के लिए वसूल किया गया है।

यह देखा गया कि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में, जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है की संख्या 2013-14 में दो से बढ़कर 2017-18 में छः हो गई।

ऋण आवर्त अनुपात

1.19 गत पांच वर्षों के दौरान, 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के टर्नओवर में 17.13 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 8.42 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे की ऋण आवर्त अनुपात 2013-14 में 1.98 से सुधर कर 2017-18 में 1.35 हो गया जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित ऋण आवर्त अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	58815.16	67511.83	81440.44	89378.68	75339.36
टर्नओवर	29680.74	36523.38	42663.02	48768.95	55605.46
ऋण आवर्त अनुपात	1.98:1	1.85:1	1.91:1	1.83:1	1.35:1

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.20 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारंभ (20 नवंबर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

1.20.1 भागीदार राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियां जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर या मीटरों का उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से मांग पक्ष का प्रबंधन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, बिजली की चोरी की जांच करने के लिए व्यापक आईईसी अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहां संचालन क्षमता में सुधार के लिए एटीएंडसी घाटे को कम किया गया है आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों

को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि । परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे जैसे कि वर्ष 2018-19 में एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानियों की कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटी एंड सी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच अंतर में कमी करके 2018-19 तक शून्य करना ।

वित्तीय बदलाव के लिए योजना

1.20.2 भागीदार राज्यों को 30 सितंबर 2018 तक 75 प्रतिशत डिस्कॉम्स के ऋण के अधीनीकरण की आवश्यकता थी, यानी 2015-16 में 50 प्रतिशत एवं 2016-17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय बदलाव के लिए योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि:

- राज्य 'गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र' जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम्स में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसके बदले में बैंकों/वित्तीय ऋण की राशि का निर्वहन करेगा। जारी किए गए ऋणपत्रों की 10-15 साल की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें 5 साल तक मूलधन चुकाने की छूट होगी।
- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता में लिया जाएगा, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा ।
- 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम को हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा जो कि तीन वर्षों में डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.20.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण आगे दिया गया है:

अ. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

तालिका 1.16: मापदण्डवार उपलब्धियां एवं लक्ष्य के बारे में 30 सितम्बर 2018 तक संचालन निष्पादन

उदय योजना का मापदण्ड	उदय स्कीम के तहत लक्ष्य	उदय स्कीम के तहत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)	2521	3658	100

वितरण ट्रांसफार्मर्स की मीटरिंग (संस्था में)			
शहरी	60166	16842	28
ग्रामीण	3486	0	0
फीडर पृथक्करण (संस्था में)	4357	724	17
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संस्था में)	26821	20248	75
असंबंध घरों में विद्युत (संस्था लाखों में)	11.40	16.53	100
स्मार्ट मीटरिंग (संस्था में)	49849	7953	16
एलईडी उजाला का वितरण (संस्था लाखों में)	34.50	48.78	100
एटीएंडसी हानियां (प्रतिशत में)	20.40	26.01	0
एसीएस-एआरआर में अंतर (₹ प्रति यूनिट)	-0.27	-0.30	100
शुद्ध आय या लाभ/हानि अनुदान सहित(₹ करोड में)	829.64	1197.94	100

स्रोतः ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार उदय योजना के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य कार्ड।

राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी की मीटरिंग के लिए कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है, उसने स्मार्ट मीटरिंग एवं फीडर पृथक्करण के क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया है जबकि फीडर मीटरिंग, असंबद्ध घरों में विद्युत प्रदान करना एवं एलईडी का वितरण के मामले में इसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है । इसके अतिरिक्त, प्रगति की वर्तमान प्रवृत्ति से गुजरते हुए, राज्य को 2018-19 तक एटीएंडसी नुकसान को 15 प्रतिशत तक कम करने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा । भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 30 सितंबर 2018 तक उदय योजना के तहत तीनों राज्य डिस्कॉम्स द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर, राजस्थान राज्य सभी राज्यों में चौथे स्थान पर रहा।

ब. वित्तीय टर्नअराउंड का कार्यान्वयन

1.20.4 राजस्थान सरकार (जीओआर) ने उदय स्कीम का लाभ लेने के लिए ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, को सैद्धांतिक सहमति (07.12.2015) दे दी थी। तत्पश्चात, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं संबंधित राज्य डिस्कॉम्स (अर्थात जेवीवीएनएल/जेडीवीवीएनएल/एवीवीएनएल) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर (27 जनवरी 2016) किए गए । उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 83229.90 करोड़) में से राजस्थान सरकार ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 62421.95 करोड़ के कुल ऋण का अधिग्रहण कर लिया था। जिसके विरुद्ध राजस्थान सरकार ने उसी अवधि के दौरान ₹ 8700 करोड़ की पूँजी प्रदान की एवं ₹ 9000 करोड़ का अनुदान दिया जिसका विवरण निम्न दिया गया है:

तालिका 1.17: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूँजी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	5,700.00	34,349.77	-	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
कुल	**8,700.00**	**44,721.96**	**9,000.00**	**62,421.96**

2017-18	3,000.00	(-)15,000.00	12,000.00	-
31 मार्च 2018 को स्थिति	**11,700.00**	**29,721.96**	**21,000.00**	**62,421.96**

शेष राशि ₹ 44721.95 करोड़ जिसे उदय स्कीम के अंतर्गत ऋण के रूप में दिया गया था, को तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में पूँजी एवं अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। इस राशि के विरुद्ध, राजस्थान सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 3000 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 12000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जबकि शेष ऋण राशि को बाद के वर्षों में राजस्थान सरकार की बजट स्वीकृति के अनुसार परिवर्तित किया जाना था। राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2015 से मार्च 2018 की अवधि के लिए उदय योजना के अंतर्गत अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋण दायित्व चुकाने के लिए दिये गये ऋण पर ₹ 7237.92 करोड़ का ब्याज भी वसूल किया था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणिया

1.21 पंद्रह ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अपने 15 लेखा परीक्षित लेखों को महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से सात लेखों को अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दर्शाती हैं कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। 2015-18 के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 1.18: लेखा परीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	0.23	5	51.95
2.	लाभ में वृद्धि	2	7.22	-	-	2	1169.71
3.	हानि में वृद्धि	4	710.73	1	15.23	1	10.32
4.	हानि में कमी	2	202.32	2	16.82	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	-	-	-	-	2	28.35
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	4	347.83	3	249.81	4	385.18

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के संबंध में वैधानिक लेखा परीक्षकों / सी एंड एजी की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017-18 के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने आठ लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने चार लेखों में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के 12 उदाहरणों का उल्लेख किया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1.22 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन के भाग- I के लिए, एक निष्पादन लेखा परीक्षा 'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा' एवं ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित पांच अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गये है (दिसंबर 2018) एवं इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिये गये हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 309.05 करोड़ है।

लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्त्ती कार्यवाही

1.23 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/व्यास्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने समस्त अनुच्छेदों पर व्यास्यात्मक टिप्पणियां अग्रेषित कर दी है।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.24 30 सितंबर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.19: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितंबर 2018 तक चर्चा किये गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2015-16	1	2	1	2
2016-17	1	5	-	-

स्रोतः लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित

2015-16 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) पर चर्चा पूरी हो गई है।

अध्याय II

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

'सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) की प्रापण और सामग्री प्रबंधन कार्य शामिल हैं।

राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम (आरटीपीपी) 2012

राजस्थान सरकार ने आरटीपीपी अधिनियम 2012 को लागू (मई 2012) किया और आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के तहत अधिसूचित (जनवरी 2013) किया। अधिनियम ने माल, सेवाओं और कार्यों की प्रापण से संबंधित सभी विद्यमान नियमों और विनियमों को निरस्त कर दिया। हालांकि, कम्पनी ने अधिनियम/नियमों के अनुसार क्रय नियमावली और मानक बोली दस्तावेज को संशोधित नहीं किया।

सामग्री की आवश्यकता का आंकलन

कम्पनी ने सामग्री की आवश्यकता के आंकलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वृत्तीय कार्यालयों और उप-स्टेण्डों ने जोनल कार्यालय को कार्य-वार/उप-स्टेण्डों वार सामग्री की आवश्यकता नहीं भेजी। मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन) ने जोनल मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत एडहॉक आवश्यकताओं के अनुसार निविदाएं आमंत्रित कीं, जो फील्ड कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकता को इंगित नहीं करती थी।

निविदाओं को अंतिम रूप देना

69 चयनित निविदाओं की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने 40 निविदाओं को 120 दिनों की निर्धारित समयावधि से परे अंतिम रूप दिया। निविदाओं को अंतिम रूप देने में 20 महीने तक की देरी हुई। इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी ने अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी के बिना इन निविदाओं को अंतिम रूप देकर क्रय नियमावली का उल्लंघन किया।

सामग्री की खरीद में दक्षता और प्रभावशीलता

कम्पनी ने ₹ 13.62 करोड़ मूल्य के प्रीपेड एनर्जी मीटरों की खरीद की जिनमें आनलाइन रिचार्ज की सुविधा नहीं थी। भारत सरकार (जीओआई) के आदेश/दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.54 करोड़ मूल्य के ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय किया। इसके अलावा, ऐसे मामले भी मिले, जहां कम्पनी ने उचित आवश्यकता और स्टॉक की उपलब्धता का आंकलन किए बिना निर्धारित वितरण अनुसूची से पहले सामग्री को स्वीकार किया और उच्च दरों पर सामग्री की आपूर्ति के लिए पुनः क्रय आदेश दिए।

सामग्री नियंत्रण

कम्पनी ने सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों को तय नहीं किया और न तो मूल्य विश्लेषण और न ही चलन विश्लेषण किया। भंडारण दर भंडारण पर वास्तविक व्यय के आधार पर तय नहीं की गई थी। सहायक कंट्रोलर ऑफ़ स्टोर्स (एसीओएस) और उपस्टेण्डीय स्टोर्स ने निर्धारित प्रारूप में सामग्री के रिकॉर्ड को नहीं बनाया। सभी चयनित एसीओएस में उप-स्टेण्डों द्वारा प्रस्तुत इंडेंट में कार्य पहचान ज्ञापन का संदर्भ नहीं था और सामग्री, अनुमान

कार्डों की प्रस्तुति के बिना जारी की गई थी। चयनित उप-खण्डीय स्टोर में निर्धारित मानदंडों के अनुसार जॉब कार्ड, ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट रजिस्टर और सामग्री अनुमान कार्ड नहीं रखे गए थे।

कम्पनी ने एसीओएस और उपखण्डीय स्टोर्स में सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया। एसीओएस के भौतिक सत्यापन के अंतर्गत आने वाली अवधि एक से चार वर्ष के बीच थी। नमूना जाँच की गई 15 में से 12 उपखण्डों में पिछले दस वर्षों के दौरान स्टोर्स के भौतिक सत्यापन नहीं किये गए थे।

निष्क्रिय सामग्री, भंडारण, अधिशेष और कमियां और चोरी, आग और गबन

कम्पनी ने केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) में सामग्री के परीक्षण के बिना, टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 10.47 करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया और बिना उचित अनुमोदन के उपयोग किया गया। साथ ही, स्टोर्स में ₹ 1.24 करोड़ की अधिशेष सामग्री अप्रयुक्त रही। कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री की प्रापण की और एसीओएस और उपखण्ड स्टोरों में ₹ 9.11 करोड़ के मूल्य की सामग्री, क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग की कमी के कारण अभी भी अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

एसीओएस और उपखण्डीय स्टोर्स ने न तो निर्धारित निर्देशानुसार रिकॉर्ड बनाया और न ही सामग्री को स्टैक किया। स्टॉक सत्यापनकर्ताओं ने सभी एसीओएस के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में मार्च 2017 को ₹ 0.96 करोड़ की असमायोजित कमियां और ₹ 1.11 करोड़ की अधिशेष को इंगित किया। निर्धारित अभिलेखों का रखरखाव न करना, सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में कमी और सामग्री के अनुचित भंडारण से गबन और आग लगने पर सामग्री के नुकसान के अवसर प्रदान किए गए। इसके अलावा, कम्पनी ने उपखण्डीय भण्डारों पर सामग्री का बीमा नहीं किया।

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में आठ सिफारिशें शामिल हैं यथा (i) आरटीपीपी अधिनियम 2012 और नियमों के अनुसार क्रय नियमावली का पुनरीक्षण, (ii) सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, जिससे आवश्यकता के अनुसार क्रय को सुनिश्चित किया जा सके, (iii) निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप देना, अंतिमीकरण में देरी के मामलों में उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन सुनिश्चित करना, निविदाओं के लिए और अनुबंधों को जारी करने के लिये निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना, (iv) निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करना और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं का कड़ाई से पालन करना, (v) सामग्री नियंत्रण तकनीकें अपनाना और उचित नियंत्रण एवं निगरानी के लिये सामग्री के निर्धारित अभिलेख को संधारित करना, (vi) निर्दिष्ट अंतराल पर भौतिक सत्यापन करना और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में पाई गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करना, (vii) आई टी आधारित सामग्री प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, और (viii) समय पर अवशिष्ट सामग्री का निपटान करना।

परिचय

2.1 राजस्थान (राज्य) में विद्युत वितरण नेटवर्क का प्रबंध राज्य आधारित तीन कम्पनियों (डिस्कॉम्स) यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) द्वारा किया जाता है।

विद्युत की बढ़ती हुई मांग एवं नए उपभोक्ताओं के जुड़ने के साथ वितरण नेटवर्क को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बड़े एवं कुशल विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाये रखने के लिए वृहत कोषों की जरूरत होती है। साथ ही, वर्तमान विद्युत प्रणाली के नियमित संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) तथा इसके पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध में मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावशीलता सामग्री के अनावश्यक प्रापण, निष्क्रिय पड़ी सामग्री में कोषों की अवरुद्धता एवं सामग्री रखरखाव लागत को कम करती है।

राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा सभा (14 जुलाई 2016) में देखा गया कि सामग्री की छीजत, चोरी एवं सामग्री के अप्रयुक्त रहने के कारण डिस्कॉम्स बड़ी हानि वहन कर रही थी। कोपू द्वारा स्टोर्स एवं कार्यस्थल पर सामग्री/उपकरण के भण्डारण; सामग्री का उपयोग, एवं अवशिष्ट/अप्रचलित सामग्री के निस्तारण पर जोर देते हुए डिस्कॉम्स के सामग्री प्रबंध तंत्र की लेखापरीक्षा करने का सुझाव दिया गया (25 जुलाई 2016)।

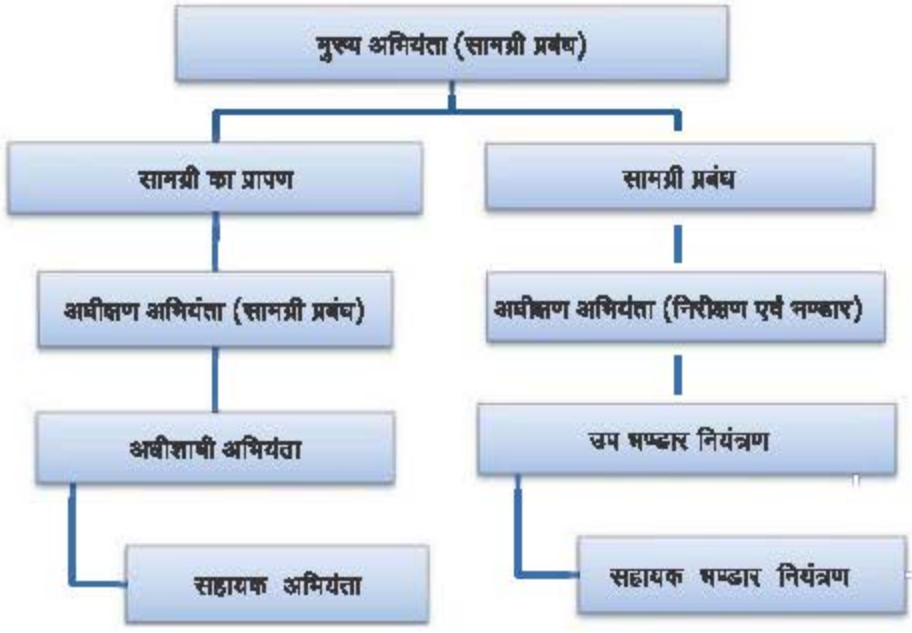
वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा एवीवीएनएल (कम्पनी) के संबंध में की गई (नवम्बर 2017 से मई 2018)।

कम्पनी को 2013-18 के दौरान ₹ 11077.49 करोड़ की हानि हुई। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की संचित हानियां ₹ 29485.37 करोड़ थी। कम्पनी द्वारा 2013-18 की अवधि के दौरान सामग्री के प्रापण पर ₹ 3134.14 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान कम्पनी का औसतन अंतिम स्टॉक (उपस्खण्डीय भण्डार को छोड़कर) ₹ 93.47 करोड़ एवं ₹ 153.23 करोड़ के मध्य रहा जबकि सामग्री का उपभोग स्तर 1.18 एवं 2.70 माह के मध्य रहा।

2.2 *प्रापण एवं सामग्री प्रबंध कार्य*

कम्पनी में सामग्री प्रापण एवं प्रबंध का कार्य मुख्य अभियंता द्वारा निर्देशित सामग्री प्रबंध विंग (एमएम) द्वारा निष्पादित किया जाता है। एमएम विंग में दो वृत्त हैं: सामग्री प्रबंध (एमएम) वृत्त तथा निरीक्षण एवं भण्डार (आईएण्डएस) वृत्त। सामग्री की आवश्यकता यथा ट्रांसफॉर्मर, कण्डक्टर, एनर्जी मीटर, केबल, सेक्शनाईलसर इत्यादि का अंतिमीकरण एवं क्रय का कार्य सामग्री प्रबंध एवं प्रापण वृतों में निहित हैं। एमएम वृत्त अधीक्षण अभियंता (एमएम) के निरीक्षण में कार्यशील है जिसके अधीन दो कार्यकारी अभियंता कार्यरत हैं। आईएण्डएस वृत्त स्टोर्स के प्रबंध, सामग्री की जांच, स्टोर्स के निरीक्षण, एवं नीलामी के द्वारा अवशिष्ट के निस्तारण के कार्य में संलग्न है। जुलाई 2016 तक सामग्री प्रबंध का कार्य उपभण्डार नियंत्रक (डीसीओएस) के नियंत्रणाधीन था। कम्पनी द्वारा सामग्री संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) का पद सृजित किया गया (अगस्त 2016)। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) के अधीन कार्यरत सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) को सामग्री की प्राप्ति, फील्ड

कार्यालयों को सामग्री जारी करने, तथा अवशिष्ट सामग्री के संग्रहण एवं निस्तारण का कार्य सौंपा गया हैं। उपस्थल कार्यालयों द्वारा भी अपने स्वयं के स्टोर्स रखे जाते हैं एवं एसीओएस से सामग्री प्राप्त करते हैं। उपस्थलीय भण्डारों का रखरखाव भण्डारपालों द्वारा किया जाता है जो उपस्थल के सहायक अभियंता को रिपोर्ट करते हैं। कम्पनी की एमएम विंग की पदानुक्रम व्यवस्था निम्नलिखित चार्ट प्रदर्शित करता है-



क्रय किये जाने वाली सभी मदों के तकनीकी मानक एवं वाणिज्यिक विशिष्ट विवरण तीनों डिस्कॉम्स में एक समान हैं तथा एक तकनीकी एवं वाणिज्यिक विशिष्ट विवरण समिति[1] द्वारा इन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है। ₹ 50 लाख तक के क्रय के मामले अधीक्षण अभियंता (एसई) स्तरीय क्रय समिति द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ₹ 50 लाख से अधिक एवं ₹ 1.50 करोड़ तक की वित्तीय प्रभाव वाली निविदाएं मुख्य अभियंता (सीई) स्तरीय क्रय समिति द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ₹ 1.50 करोड़ से अधिक मूल्य के क्रय के मामले निगम स्तरीय क्रय समिति[2] (सीएलपीसी) द्वारा निश्चित किये जाते हैं जिसका अध्यक्ष कम्पनी का प्रबंध निदेशक होता है। समान रूप से क्रय की जाने वाली मदों के लिए तीनों डिस्कॉम्स द्वारा एक ही प्रणाली को अपनाया गया जिसे 2017-18 से समाप्त कर दिया गया।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान कम्पनी के प्रापण एवं सामग्री प्रबंध संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में सीई (एमएम) कार्यालय में अंतिम रूप दी गई कुल 417 निविदाओं में से प्रतिचयन के आधार पर

1 तीनों डिस्कॉम्स के सीई/डिप्टी सीई (क्रय शाखा) एवं जेवीवीएनएल के सीई (ओएण्डएम)/ जोनल सीई, मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) एवं एसई (एमएम/ प्रापण)।

2 समिति के अन्य सदस्य निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), सीई (एमएम) एवं जोनल मुख्य अभियंता (अजमेर जोन) थे। संबंधित एसई (एमएम)/ एसई (प्रापण) एवं सीएओ (लेखा, प्रधान एवं बजट) भी चर्चा के दौरान सहयोगी थे।

चयन की गई 69 निविदाओं[3] की विस्तृत समीक्षा को सम्मिलित किया गया। कम्पनी द्वारा 2013-18 के दौरान किये गये कुल क्रय (₹ 3134.14 करोड़) में इन उच्च मूल्य की निविदाओं (₹ 1904.92 करोड़) का 60.78 प्रतिशत भाग था। सामग्री प्रबंध कार्य की समीक्षा 12 एसीओएस कार्यालयों में से चार[4] एसीओएस एवं इनके अधीन 15 उपस्खण्डीय कार्यालयों[5] में की गई जिनका चयन 2013-18 के दौरान सामग्री के अधिकतम उपभोग के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई कि क्या:

- सामग्री की आवश्यकता निर्धारण करने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली विद्यमान थी;
- सामग्री का प्रापण मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावपूर्ण था;
- कम्पनी का सामग्री प्रबंध तंत्र कुशल एवं प्रभावकारी था एवं
- सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त थी एवं अप्रचलित / अवशिष्ट मदों का निस्तारण तुरन्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मापदण्डों को निम्नलिखित स्रोतों से अपनाया गया:

- क्रय नियमावली, भण्डार नियमावली एवं सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध से संबंधित कार्यालय आदेश/ परिपत्र;
- अनुबंध की सामान्य शर्तें, निविदा एग्रीमेंट एवं कार्यादेश/ क्रयादेश में लिखित नियम एवं शर्तें;
- बजट एवं सामग्री के प्रापण में शामिल विभिन्न समितियों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त;
- राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 एवं आरटीपीपी नियम, 2013 तथा
- कम्पनी की प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा मापदण्डों के संदर्भ में अपनाई गई कार्यविधि में निम्नलिखित को समाहित किया गया:

- प्रविष्टि सभा (फरवरी 2018) के दौरान सरकार/ कम्पनी के समक्ष लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा मापदण्डों को स्पष्ट करना;

3 ₹ 25 करोड़ से अधिक मूल्य वाली 33 निविदाएं (कुल 33 निविदाओं का शत प्रतिशत), ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं ₹ 25 करोड़ तक मूल्य वाली 11 निविदाएं (कुल 54 निविदाओं का 20 प्रतिशत), ₹ एक करोड़ से अधिक एवं ₹ 10 करोड़ तक मूल्य वाली 17 निविदाएं (कुल 173 निविदाओं का 10 प्रतिशत) एवं ₹ एक करोड़ तक मूल्य वाली आठ निविदाएं (कुल 157 निविदाओं का 5 प्रतिशत)।

4 अजमेर शहर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सीकर।

5 चयनित एसीओएस के अधीन कुल 76 उपस्खण्डों में से 20 प्रतिशत उपस्खण्डों का चयन किया गया।

- कम्पनी के प्रधान कार्यालय, सामग्री प्रबंध विंग तथा चयनित एसीओएस एवं उपस्खण्डों पर अभिलेखों की संवीक्षा करना;
- लेखापरीक्षा प्रश्नावली, उनका जवाब लेना एवं प्रबंधन के साथ चर्चा करना;
- 6 जुलाई 2018 को आयोजित समापन सभा के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार/ कम्पनी के साथ चर्चा करना;
- लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार/ कम्पनी की टिप्पणी/ प्रत्युत्तरों (जुलाई 2018) को समाहित करने बाद सरकार/ कम्पनी को प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना (सितम्बर 2018) एवं

इस रिपोर्ट में सरकार एवं कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों (अक्टूबर/नवम्बर 2018) को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है।

आभार

2.7 इस लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी एवं इसके फील्ड कार्यालयों तथा राजस्थान सरकार द्वारा किये गये सहयोग के लिए हम आभार प्रकट करते हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.8 लेखापरीक्षा परिणाम जो मुख्यतः आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के क्रियान्वयन, सामग्री के प्रापण एवं एसीओएस एवं उपस्खण्डीय स्टोर्स के स्तर पर सामग्री के प्रबंध से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हैं, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 2.9 से 2.22) नीचे की गई है। ये लेखापरीक्षा परिणाम केवल हमारे द्वारा चयन किये गये नमूनों पर आधारित हैं तथा कम्पनी में ऐसे अन्य मामलों के होने की भी संभावना है। अतः सरकार/कम्पनी से समान प्रकार की कमियां/अनियमितताऐं के अन्य मामलों की समीक्षा किये जाना अपेक्षित है तथा समान प्रकार की कमियों/अनियमितताओं के मामले में सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 का क्रियान्वयन

2.9 सामग्री प्रापण एवं स्टोर्स संबंधित कार्यों के नियमन के लिए कम्पनी द्वारा तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) जो जुलाई 2000 में पांच कम्पनियों में विभाजित हो गया था, की क्रय एवं भण्डार नियमावली का अनुसरण किया गया। कम्पनी द्वारा समय समय पर क्रय नियमावली को संशोधित किया गया।

लोक प्रापण के नियमन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आरटीपीपी अधिनियम, 2012 लागू किया गया (22 मई 2012) एवं आरटीपीपी अधिनियम एवं नियम 2013 अधिसूचित किये (जनवरी 2013) जो कि अधिसूचना की तिथि से प्रभावशील थे। आरटीपीपी अधिनियम, 2012 राज्य सरकार द्वारा धारित अथवा नियंत्रित राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है (अधिनियम की धारा-3)। आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 86 द्वारा इनके लागू होने की तिथि से माल के प्रापण, सेवाओं अथवा कार्यों से संबंधित सभी नियमों एवं विनियमों

को उस सीमा तक निष्प्रभावी कर दिया गया जिस सीमा तक ये चीजें आरटीपीपी नियमों के अंतर्गत आती थी। अधिनियम की धारा 56 द्वारा कम्पनी को दिशानिर्देशों, क्रियाविधियों, सामान्य प्रपत्रों, मानक विशिष्ट विवरणों एवं आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नियमावली को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही, धारा 56 के अंतर्गत एक प्रापण करने वाली कम्पनी द्वारा जारी किये गये सभी दिशानिर्देशों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना आवश्यक था।

डिस्कॉम्स समन्वय फोरम[6] (डीसीएफ) द्वारा तीनों डिस्कॉम्स को क्रय नियमावली की समीक्षा करने एवं इसमें निर्दिष्ट की गई क्रियाविधियां आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के प्रावधानों/वाक्यांशों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया (फरवरी 2014)। डिस्कॉम्स द्वारा आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अनुसार 12 मुख्य प्रावधानों के संबंध में अपनी क्रय नियमावली का पुनरीक्षण करने के स्थान पर राज्य सरकार को इसके छः[7] प्रावधानों में ढील प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया (अप्रैल 2016) लेकिन राज्य सरकार से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2018)। बाद में, डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अनुसार मानक निविदा प्रलेख के साथ साथ क्रय एवं भण्डार नियमावली को तैयार/पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की गई (8 अगस्त 2016)। तथापि, हमने देखा कि क्रय नियमावली, मानक निविदा प्रलेख एवं भण्डार नियमावली का पुनरीक्षण नहीं किया गया था (मार्च 2018)।

हमने देखा कि कम्पनी की निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) ने आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित *'निविदादाताओं को निर्देश (आईटीबी)'* एवं *'अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी)'* के निर्दिष्ट प्रावधानों[8] को चयनित रूप से संशोधित करने का निर्णय किया (अप्रैल 2017)। सीएलपीसी ने यह भी निर्णय किया कि आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 में निर्दिष्ट प्रावधान आईटीबी एवं जीसीसी में निर्दिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त अधिनियम/ नियमों के अनुसार प्रचलन में रहेंगे। तथापि, कम्पनी ने यह मामला आवश्यक अनुमोदनार्थ अपने संचालक मण्डल (बीओडी) के सामने नहीं रखा एवं बीओडी द्वारा अनुमोदन के अभाव में सीएलपीसी का निर्णय मार्च 2018 तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इसी बीच, तीनों डिस्कॉम्स की तकनीकी विशिष्ट विवरण अनुमोदन समिति (टीएसएसी) ने आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अनुरूप निविदा सुरक्षा जमा एवं निष्पादन सुरक्षा के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय किया (अक्टूबर 2017)। तदनुसार कम्पनी ने बीओडी के अनुमोदन के बिना ही निविदा सुरक्षा जमा एवं निष्पादन सुरक्षा जमा के संबंध में आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों को अपना लिया (अक्टूबर 2017)।

इस प्रकार, कम्पनी अक्टूबर 2017 तक आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के अनुरूप 12 प्रावधानों को अपनाते हुए प्रापण प्रक्रिया के पुनरीक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकी। यहां तक कि इसके बाद भी कम्पनी द्वारा केवल दो प्रावधानों को लागू करके आरटीपीपी अधिनियम/

6 यह तीनों डिस्कॉम्स का एक समान फोरम है जिसका अध्यक्ष डिस्कॉम्स का अध्यक्ष होता है तथा चर्चा करने एवं एक समान/ अंतर्संबंधित मामलों पर पारस्परिक निर्णय लेने के लिए इसमें प्रत्येक डिस्कॉम के प्रबंध संचालक एवं अन्य प्रतिनिधि होते हैं।

7 निविदा सुरक्षा, निष्पादन सुरक्षा, निविदादाताओं के बीच मात्रा का विभाजन, परीक्षण आदेश, सुरक्षा जमा तथा राजस्थान के बाहर स्थित एवं राजस्थान की फर्मों के बीच दरों की तुलना।

8 निविदा सुरक्षा, गारण्टी की विधि, सुरक्षा जमा, मोलभाव, पुनरादेश इत्यादि।

नियमों के अनुरूप प्रापण प्रक्रिया वाले चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 का वर्णन **अनुबंध-3** में दिया गया है।

सरकार ने उत्तर में बताया कि प्रमाप निविदा प्रलेख के साथ–साथ अधिनियम के अनुसार क्रय नियमावली/ भण्डार नियमावली/ जीसीसी का पुनरीक्षण प्रक्रियाधीन था एवं जल्द ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। साथ ही, अधिनियम के प्रावधानों को इन संबंधित मैन्युअल्स/ प्रलेखों के पुनरीक्षण के बाद एक साथ ही लागू कर दिया जायेगा। सरकार ने समापन सभा (जुलाई 2018) के दौरान कम्पनी को यह निर्देश भी दिया कि इसके क्रियान्वयन में आई समस्याओं के बहाने अधिनियम/ नियमों के किसी भी प्रावधान की पालना नहीं करने को न्यायोचित नहीं समझा जायेगा।

विक्रेता विकास एवं मूल्यांकन नीति

2.10 विक्रेता विकास व्यूहरचनात्मक स्त्रोतों की एक तकनीक है तथा उत्पाद के तकनीकी मापदण्डों, मूल्य एवं सुपुर्दगी सूची के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से एक क्रेता द्वारा प्राप्त उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करती है। जैसाकि कम्पनी सामग्री के क्रय पर स्त्रोतों की एक महत्वपूर्ण राशि स्वर्च करती है तब बुद्धिमतापूर्ण व्यवसाय व्यवहार के रूप में एक उचित विक्रेता विकास नीति को बनाये जाने की अपेक्षा की जाती है। यह नीति कम्पनी को अपने विक्रेता डाटाबेस को बढ़ाने में सहायता करती है एवं इसे प्रापण प्रक्रिया में नये विक्रेताओं को सम्मिलित करने के लिए सक्षम बनाती है। साथ ही, कम्पनी द्वारा विश्वसनीय विक्रेताओं एवं अनुबंध की बाध्यताओं पर दोषियों को नियंत्रण /कालीसूची में रखने के उद्देश्य से विक्रेताओं के निष्पादन का मूल्यांकन करने की अपेक्षा भी की जाती है।

हमने देखा कि कम्पनी ने एक औपचारिक विक्रेता विकास नीति नहीं बनाई जो इसे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने एवं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्माणी क्षमता को विकसित करने में सहायता करती। हमने देखा कि विद्युत के प्रसारण में लगी हुई *राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड(आरआरवीपीएनएल)* ने नये आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक विक्रेता विकास नीति अपना रखी है जिसमें नये विक्रेताओं से विशिष्ठ रूपरेखा एवं तकनीकी मापदण्ड की सामग्री स्वीकार की जाती है। आरआरवीपीएनएल की विक्रेता नीति में नये विक्रेता के चयन हेतु जो पूर्व योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा न करते हो, आपूर्ति की शर्तें, स्थापना तथा भुगतान के साथ परीक्षण आदेश दिये जाने से पहले उपकरण के निष्पादन की निगरानी की प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है। तथापि, कम्पनी की क्रय नियमावली में योग्य नये निविदादाताओं के पक्ष में कुल निविदा मात्रा की 10 प्रतिशत के आवंटन के लिए प्रावधान किया गया, तथ्य यही रहा कि कम्पनी ने एक औपचारिक विक्रेता विकास नीति नहीं अपनाई। कम्पनी के पास आपूर्तिकर्ताओं के निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए एक विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली भी नहीं थी।

सरकार ने उत्तर में बताया कि सामग्री के प्रापण के दौरान विभिन्न विक्रेता विकास तकनीकें यथा राजस्थान आधारित रुग्ण इकाइयों को निविदा सुरक्षा में 50 प्रतिशत की छूट देना, एसएसआई इकाइयों से लागू निविदा सुरक्षा जमा का केवल 25 प्रतिशत प्रभारित करना, राजस्थान आधारित इकाइयों के लिए कुल निविदात्मक मात्रा का 10 प्रतिशत आरक्षित करना इत्यादि का अनुसरण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त विक्रेताओं के मूल्यांकन के लिए

आपूर्ति आदेशों को जारी करने से पूर्व नये विक्रेताओं की क्षमता एवं योग्यताओं तथा वर्तमान विक्रेताओं का भूतकालीन निष्पादन का निर्धारण भी किया जा रहा था। कम्पनी का उत्तर, तथापि, इंगित नहीं करता है कि एक औपचारिक विक्रेता विकास नीति एवं विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान है तथा आरटीपीपी अधिनियम 2012 की अनुपालना में केवल राजस्थान आधारित आपूर्तिकर्ताओं पर लागू निविदा सुरक्षा जमा में ढील अनुमत की जा रही थी।

सामग्री का प्रापण

2.11 कम्पनी द्वारा 2013-18 की अवधि के दौरान विभिन्न सामग्री/ उपकरण यथा- पावर ट्रांसफॉर्मर्स, वितरण ट्रांसफॉर्मर्स, केबल,कंडक्टर, एनर्जी मीटर्स (सिंगल एवं थ्री फेज), पोल्स इत्यादि के प्रापण के लिए 417 निविदाएं (₹ 3134.14 करोड़) प्रदान की गई। चयनित निविदाओं एवं एसीओएस की समीक्षा के दौरान हमने सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण में कमियां एवं क्रय नियमावली में निर्धारित प्रापण क्रियाविधि की अनुपालना नहीं करने,विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री के क्रय वाले मामले,सामग्री का अमितव्ययी क्रय, सुपुर्दगी सूची को समयपूर्व करना एवं बिना उचित जांच एवं निरीक्षण के सामग्री का प्रापण करना पाया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा चयनित 69 निविदाओं (₹ 1904.92 करोड़) में से 48 (69.57 प्रतिशत) में ₹ 65.53 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार कमियों को उजागर किया गया:

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

2.12 सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण कम्पनी के क्रय एवं भण्डार नियमावली के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शित होता है। भण्डार नियमावली के अनुसार कम्पनी द्वारा केन्द्रीकृत खरीद वाली मदों के संबंध में वार्षिक रूप से एक निश्चित अनुमान तैयार करना आवश्यक है। क्रय नियमावली में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 'प्रापण नियोजन एवं प्रबंध (पीपीएम)' समिति[9] द्वारा मदानुसार वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण किया जाना है। इसमें आगे प्रावधान है कि पीपीएम समिति द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए विभिन्न मानदण्डों यथा भौतिक लक्ष्य, बजट प्रावधान, स्टॉक की स्थिति, स्टोर्स में एवं कार्यस्थल पर उपलब्ध भौतिक शेष, बकाया क्रयादेशों के विरुद्ध प्रतीक्षित सामग्री की मात्रा, एवं सामान्य प्रापण एवं लीड समय पर आधारित अगले वर्ष के लिए आंशिक मात्रा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे (फरवरी 2014)। निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपस्खण्डीय स्तर पर सामग्री की कार्यानुसार एवं माहवार आवश्यकता के निर्धारण, वृत्त स्तर पर आवश्यकता का संकलन एवं समीक्षा एवं इसके बाद जोनल सीई (अजमेर जोन) द्वारा वृत्तानुसार आवश्यकता का संकलन तथा निर्धारण की गई आवश्यकता को पीपीएम समिति को सूचित किया जाना था।

9 समिति के सदस्य एसई (प्लान), एसई (मीटर एण्ड प्रोटेक्शन), डीसीओएस, एसई (एमएम), सीएओ (लेखा, कराधान एवं बजट), जोनल सीई (अजमेर जोन) सीई (एमएम)।

सम्पूर्ण सामग्री निर्धारण आवश्यकता पर आधारित एवं उपलब्ध बजट द्वारा चालित होना चाहिए था। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा बाद में निर्देश दिया गया (अगस्त 2016) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्ययोजना को अगस्त के प्रथम सप्ताह तक सीई (मुख्यालय) के स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाना है एवं सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण करने की कवायद पिछले वर्ष के सितम्बर तक पूरी की जानी है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के निर्धारण शुरु करने से लेकर निविदा को अन्तिम रूप देने तक की प्रत्येक गतिविधि के लिए माइलस्टोन्स भी निर्धारित किये। चार चयनित एसीओएस पर अभिलेखों की समीक्षा एवं चयनित एसीओएस के अधीन 15[10] उपखण्डीय स्टोर्स पर नमूना जांच द्वारा उजागर हुआ कि सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया गया था। वृत्त कार्यालयों एवं उपखण्डों द्वारा जोनल सीई को भेजी गई कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता निर्धारण शीट/ प्रलेखों के अभाव में, हम आश्वासन प्राप्त नहीं कर सके कि:

- उपखण्डानुसार संचालन एवं रखरखाव कार्यों के लिए जोनल सीई द्वारा निर्धारित की गई सामग्री की आवश्यकता की पर्याप्तता एवं
- क्या संचालन एवं रखरखाव कार्य/ वितरण नेटवर्क में आवर्धन की सामग्री की कमी के कारण बाधित हुई थी।

इस प्रकार, सीई (एमएम) द्वारा अन्तिम रूप दी गई निविदाएं फील्ड कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थी।

सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि सामग्री की वार्षिक आवश्यकता नये कनेक्शन जारी करने एवं सब-स्टेशन एवं लाइनों के निर्माण के लक्ष्य, स्टॉक का शेष, बकाया आपूर्तियों इत्यादि के आधार पर पहले वृत्त स्तर पर, फिर जोनल स्तर पर एवं बाद में कम्पनी के निगम कार्यालय स्तर पर अंतिम रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त सामग्री का उपयोग तथा पिछले वर्ष के प्रगति पर कार्यों को भी ध्यान में रखा गया था। कम्पनी के प्रबंध ने समापन सभा के दौरान बताया कि सामग्री की आवश्यकता उपखण्डीय कार्यालयों से प्राप्त नहीं की गई क्योंकि इससे उद्देश्य की आपूर्ति नहीं होती। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये (फरवरी 2014 एवं अगस्त 2016) दिशा-निर्देशों / आदेशों की पालना नहीं की गई थी। साथ ही, उपखण्डीय कार्यालयों से प्राप्त आवश्यकता निर्धारण की गई आवश्यकता की विश्वसनीयता एवं यथार्थता को बढ़ावा देती।

सामग्री की आवश्यकता का अनुचित अनुमोदन

2.12.1 भण्डार नियमावली के अनुसार आपात स्थितियों से निपटने के लिए एवं सामग्री की सुपुर्दगी में देरी के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बफर सामग्री रखी जाती है। साथ ही क्रय नियमावली में प्रावधान था कि आवश्यकता के अनुमोदन के समय सामान्य प्रापण पर आधारित आगामी वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए आंशिक मात्रा एवं आपूर्ति के लिए लीड समय को जोड़ा जाना चाहिए। कम्पनी शेष बचे हुए कार्यों के लिए 15 प्रतिशत मात्रा एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के

10 (i) पुष्कर (ii) सराधना (iii) मधुवन (iv) झाडोल (v) मावली (vi) भिण्डर (vii) एईएन (आरएपीडीआरपी) (viii) भदेसर (ix) डूंगला (x) बड़ी सादड़ी (xi) रींगस (xii) श्रीमाधोपुर (xiii) लक्ष्मणगढ़ (xiv) पिपराली एवं (xv) पलसाना।

लिए 25 प्रतिशत मात्रा सामान्यतः जोड़ रही थी। कम्पनी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री की अंतिम आवश्यकता को निर्धारित करते समय चालू वित्तीय वर्ष में जारी की गई निविदा लेकिन अंतिम रूप नहीं दी गई निविदा की मात्रा को भी सम्मिलित किया गया था।

सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण एवं अंतिमीकरण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि :

- आवश्यकता को अंतिम रूप देते समय एमएम विंग द्वारा केवल एसीओएस के पास सामग्री के शेष को ध्यान में रखा गया तथा उपखण्डों के पास सामग्री के शेष को नहीं लिया गया एवं इसे ध्यान में नहीं रखा गया।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा 2013-18 की अवधि के दौरान सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई।

समापन सभा के दौरान प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं सामग्री की आवश्यकता निर्धारित करते समय उपखण्डों के स्टॉक को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया। सरकार ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में फिर स्वीकार किया कि उपखण्डों पर शेष स्टाक को ध्यान में नहीं रखा गया एवं कहा कि कम्पनी के उपखण्डीय स्टोर्स पर ज्यादा सामग्री नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया और न ही उपखण्ड पर पड़े स्टॉक की मात्रा का कोई डाटाबेस भी नहीं बनाया जिसके अभाव में उपखण्ड पर उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का निर्धारण नहीं किया जा सका।

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

2.12.2 हमने देखा कि वर्ष 2013-18 की अवधि के लिए सामग्री की वार्षिक मात्रात्मक आवश्यकता क्रय नियमावली के अनुसार पीपीएम समिति द्वारा निर्धारित की गई।

क्रय नियमावली के अनुसार पीपीएम समिति द्वारा बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता को अंतिम रूप दिया जाना था। साथ ही, डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा भी निर्देश दिया गया (फरवरी 2014) कि सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण एवं उसका अंतिमीकरण बजट के अनुसार होना चाहिए। स्वीकृत परियोजनाओं/ कार्यों/संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों के लिए प्रत्येक सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करते समय वृत्त को इसके लिए आवंटित बजट प्रावधानों (सामग्री अवयव के लिए) को ध्यान में रखा जाना था। तथापि, हमने देखा कि 2013-18 (वर्ष 2015-16 के अतिरिक्त) के दौरान पीपीएम समिति द्वारा वार्षिक आवश्यकता के अनुमोदन के बाद कम्पनी के बजट को अंतिम रूप दिया गया था। हमने आगे देखा कि कम्पनी द्वारा सामग्री के प्रापण के लिए वित्तीय आवश यकता के निर्धारण के लिए कोई प्रणाली शुरु नहीं की गई एवं सामग्री के प्रापण के लिए विशिष्ट बजट का प्रावधान किये बिना ही बजट अनुमोदित किये गये। परिणामस्वरूप, पीपीएम समिति द्वारा केवल मात्रात्मक आवश्यकता निर्धारित की गई तथा 2013-17 की अवधि के लिए आवश्यक मात्रा के प्रापण के लिए वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण एवं उसे अंतिम रूप नहीं दिया। इस प्रकार, आवश्यकता को निर्धारित करने एवं सामग्री के लिए वित्तीय प्रावधान किये बिना बजट तैयार करने की प्रणाली दोषपूर्ण थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया कि कम्पनी ने 2013-17 की अवधि में सामग्री के क्रय के लिये वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण एवं अंतिमीकरण नहीं किया तथा कहा कि सामग्री के क्रय के लिये वर्ष 2017-18 से वित्तीय आवश्यकता एवं बजट आवंटन शुरू कर दिया है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, आगे दी गई विसंगतियां जिसके परिणामतः अधिक प्रापण को देखा गया।

- कम्पनी के द्वारा अगस्त 2014 से जनवरी 2016 की अवधि के दौरान सात मदों की भिन्न-भिन्न मात्राओं के प्रापण के लिए क्रयादेश जारी किये। हमने देखा कि दो वर्षों तक (मार्च 2018) की अवधि के बीत जाने के उपरांत भी कम्पनी इन मदों के उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सकी जो इंगित करता है कि पीपीएम समिति द्वारा किया गया निर्धारण यथार्थवादी नहीं था जिसके परिणामतः ₹ 5.97 करोड़ (मार्च 2018) के कोष अवरूद्ध हुए जो **अनुबंध-4** में दिखाये गये है। साथ ही, कई मामलों में एमसीसीबी के संबंध में उनको स्थापित किये बिना ही उपलब्ध करायी गई गारण्टी अवधि का अधिकांश भाग समाप्त हो गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सामग्री का प्रापण वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अंतिम रूप दी गई आवश्यकताओं के विरुद्ध किया गया था लेकिन अधिकांश कार्य टर्नकी अनुबंधों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने के कारण इस सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका। इसने आगे कहा (नवम्बर 2018) कि टीएन-970 के अधीन एमसीसीबी की क्रय की गई अधिकांशतः मात्रा उपभोग कर ली गई थी तथा पिछले वर्ष के उपभोग को देखते हुये एमसीसीबी की मात्रा जो अप्रयुक्त पड़ी रही, काफी कम थी। तथ्य यही रहा कि उपयुक्त नियोजन एवं क्रियान्वयन की विधि के अभाव में अधिक प्रापण हुआ जिसके परिणामतः कोष अवरुद्ध हुए।

- कम्पनी के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए प्रापण आदेश में 25150 किलोमीटर आरमर्ड केबल के अपने हिस्से को सभी डिस्कॉम्स के लिए समान निविदा के अधीन सम्मिलित करने के लिए जेवीवीएनएल को सूचित किया (जनवरी 2014) तथापि यह आवश्यकता पीपीएम समिति द्वारा निर्धारित/ अंतिम नहीं की गई थी। निविदा को अंतिम रूप देने के बाद, कम्पनी ने आरमर्ड केबल के प्रापण के लिए क्रयादेश जारी किया (अगस्त 2014) तथा इसकी आपूर्ति जून 2015 तक पूरी की जानी थी। तथापि, क्रयादेश जारी करने के बाद, कम्पनी ने महसूस किया (अगस्त 2014) कि आदेशित की गई मासिक मात्रा फील्ड की मासिक आवश्यकता की तुलना में अधिक थी एवं आपूर्ति अवधि को नौ माह से 18 माह तक (अर्थात मार्च 2016 तक) बढ़ा दिया (जून 2015)। पूरी आपूर्ति अवधि बढ़ाने के उपरांत भी कम्पनी ने समय समय पर आपूर्तियों को स्थगित कर दिया (सितम्बर 2015, अगस्त 2016 एवं मार्च 2017) एवं यहां तक कि स्थगन को बढ़ाई गई अवधि के पार तक की अवधि (अर्थात् 26 मई 2017 तक) के लिए बढ़ा दिया क्योंकि केबल की आवश्यकता कम्पनी के पास उपलब्ध केबल के स्टॉक से कम थी। इसके बाद, स्थगन को समाप्त कर दिया एवं कम्पनी ने जून 2017 तक 22062 किलोमीटर आरमर्ड केबल की आपूर्ति प्राप्त की। आपूर्तिकर्ता ने मार्च 2018 तक शेष मात्रा (3088 किलोमीटर) की आपूर्ति नहीं की। हमने देखा कि कम्पनी द्वारा अपने फील्ड कार्यालयों से आरमर्ड केबल की आवश्यकता का पता नहीं लगाया गया, इसकी आवश्यकता को सही रूप से निर्धारित नहीं किया एवं इस प्रकार सामग्री की अधिक मात्रा की आपूर्ति का आदेश दिया जो लगभग दो वर्षों तक आपूर्ति अनुसूची के स्थगन के रूप में परिणामित हुआ।

सरकार ने बताया कि राज्य सरकार के *'सात दिवसीय कार्यक्रम'* के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण प्रारम्भिक रूप से *'मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना (एमएमएसएलवीवाई)'* एवं अन्य श्रेणियों के अधीन उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने के लिए किया गया था। इसने आगे बताया कि एमएमएसएलवीवाई के अधीन लक्षित कनेक्शनों की संस्था, तथापि, मार्च 2014 तक सारभूत रूप से बढ़ी जिसके परिणामतः 2014-15 के दौरान और अधिक केबल के प्रापण के लिए आवश्यकता एवं क्रयादेश जारी करने में उसी अनुपात में वृद्धि हुई क्योंकि संबद्ध कार्य सीएलआरसी[11] के माध्यम से निष्पादित किये जाने नियोजित थे। तथापि, केबल की एकीकृत मात्रा का प्रापण नहीं किया जा सका क्योंकि, टर्नकी अनुबंधों के माध्यम से डीडीयूजीजेवाई[12] के अधीन संबंधित कार्यों को क्रियान्वित किये जाने के कारण केबल की वांछित मात्रा का प्रापण नहीं किया जा सका एवं परिणामतः कई स्थगन लगाये गये। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि आवश्यकता को प्रारम्भिक रूप से फीडर रस्परस्राव कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई थी तथा प्रापण के लिए बताये गये कारण कि यह एमएमएसएलवीवाई को क्रियान्वित करने के लिए थे, ये इसके बाद के विचार हैं। तथ्य यही रहा कि आवश्यकता निर्धारित करने के लिए निर्धारित क्रियाविधि को नहीं अपनाया गया। इसके अतिरिक्त, केबल के प्रापण के लिए निर्धारण उचित नियोजन एवं संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करने की विधि का पता लगाये बिना किया गया था।

निविदाओं का अंतिमीकरण

2.13 लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि चयनित 69 निविदाओं में से 40 निविदाओं को समय पर अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जबकि पांच मामलों में निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन देखा गया जिनमें दोषी/ अयोग्य आपूर्तिकर्ताओं पर आपूर्ति आदेशों को जारी करना (दो निविदा मामले), वास्तविक योग्य मात्रा के विरुद्ध अधिक मात्राओं का आवंटन (दो निविदा मामले) एवं डीबारमेंट लगाने के स्थान पर एक दोषी आपूर्तिकर्ता से आपूर्तियों को स्वीकार करने जैसे उल्लंघन सम्मिलित थे। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी

2.13.1 क्रय नियमावली के वाक्यांश 22.8 में क्रय के मामलों को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए निविदाओं को खोलने की तिथि से आशय-पत्र/ क्रयादेश जारी करने तक अधिकतम 120 दिनों की समयावधि का प्रावधान करता है। फर्म की योग्यता निर्धारण करने के लिए कार्यस्थल निरीक्षण एवं मीटर एवं प्रोटेक्शन विंग द्वारा नमूना जांच की आवश्यकता वाले मामलों में 20 दिनों की अतिरिक्त समयावधि अनुमत की जा सकती थी। यदि किसी निविदा को निर्धारित समयावधि में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तो इसको अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा। संबंधित प्राधिकारी द्वारा अगले उच्चतर प्राधिकारी को निविदा की सिफारिश करते समय निर्दिष्ट समयावधि में निविदा को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के लिए कारणों को दर्शाना होता है।

11 सेन्ट्रल लेबर रेट कॉन्ट्रक्ट।

12 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।

चयनित 69 निविदा मामलों की समीक्षा में उजागर हुआ कि कम्पनी द्वारा 40 निविदाओं को 120 दिनों की निर्दिष्ट समयावधि से अधिक समय में अंतिम रूप दिया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया:

देरी का विस्तार	**निविदाओं की संख्या जिन्हें देरी से अंतिम रूप दिया गया**
एक माह तक	11
एक माह से दो माह तक	6
दो माह से तीन माह तक	8
तीन माह से छः माह तक	9
छः माह से 20 माह तक	6
कुल	**40**

तीन माह से अधिक की देरी वाले 15 निविदाओं के विश्लेषण करने से उजागर हुआ कि आठ निविदाओं को कम्पनी द्वारा स्वयं अंतिम रूप दिया गया था जबकि शेष सात निविदाओं में, निर्धारित की गई आवश्यकता कॉमन क्रय के अधीन प्रापण के लिए अन्य डिस्कॉम (जेवीवीएनएल अथवा जेडीवीवीएनएल) को सूचित किया गया था। इन 15 निविदाओं से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान हमने देखा कि :

- कम्पनी द्वारा स्वयं अंतिम रूप दी गई आठ निविदाओं में, देरी के कारण मुख्यतः तकनीकी निविदा के मूल्यांकन में देरी, मूल्य निविदाओं के खोलने एवं उनके मूल्यांकन में देरी, मोलभाव एवं बारम्बार प्रति प्रस्तावों को जारी करने में लिये गये समय, निविदा प्रलेखों में कमियों को दूर करने एवं लम्बित प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुमत किये गये समय इत्यादि रहे।
- राज्य के अन्य डिस्कॉम द्वारा अंतिम रूप दिये गये शेष सात मामलों में, निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने में तीन माह से 20 माह की देरी की गई। हमने देखा कि असामान्य देरी के उपरान्त भी कम्पनी ने निविदाओं को समय पर अंतिम रूप देने के लिए इन डिस्कॉम्स के साथ मामले को नहीं उठाया।
- अगले उच्चत्तर प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 120 दिनों की निर्दिष्ट अनुसूची के अतिरिक्त इन निविदाओं को अंतिम रूप देकर संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्रय नियमावली का उल्लंघन किया गया।

सरकार ने स्वीकार किया कि निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेखों में कमियों एवं बारम्बार प्रति प्रस्ताव देने की लंबी प्रक्रिया के कारण 2016-17 तक निविदाओं को अंतिम रूप देने में असामान्य रूप से देरी की गई। इसने आगे बताया कि 2017-18 से निविदाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाया जा चुका था एवं परिणामतः 2017-18 के दौरान अधिकांश निविदाएं समय से पूरी की गई थी। तथापि, निविदा क्रियाविधि को निर्धारित समयावधि में अंतिम रूप नहीं देने वाले मामलों में अगले उच्चत्तर प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं करने के बारे में उत्तर मौन था।

दोषी/अयोग्य आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध/ अधिक मात्रा प्रदान करना

2.13.2 जीसीसी के वाक्यांश 1.24 में प्रावधान है कि निर्दिष्ट सुपुर्दगी का समय एवं तिथि अनुबंध का सार है तथा आपूर्तियों को निर्दिष्ट अनुसूची में पूरा किया जाना आवश्यक है। साथ

ही, सुर्पुदगी में देरी एवं सामग्री की आपूर्ति नहीं करने को निम्नानुसार नियमित/ निपटाया जाना है:

- विक्रेता के द्वारा अनुबंधात्मक औपचारिकताएं पूरी की गई लेकिन आगामी निविदा की तकनीकी निविदा को स्खोलने की तिथि पर आपूर्तियों को शुरु नहीं किया गया एवं पुराने आदेश की अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, उन मामलों में कम्पनी को आदेश जारी करने की तिथि से दो वर्ष अथवा अगली दो निविदाओं में जो भी बाद में हो, व्यवसाय संबंधों को समाप्त करने के साथ साथ सुपुर्दगी में देरी के कारण अधिकतम वसूली करने का अधिकार रखती है।
- सफल निविदादाता ने अनुबंध कर लिया हो एवं आपूर्तियों को शुरु कर दिया हो लेकिन आगामी निविदा की तकनीकी निविदा को स्खोलने की तिथि पर आदेशित मात्रा का 50 प्रतिशत तक आपूर्ति कर सका हो उन मामलों में अगली निविदा में ऐसे निविदादाता की निविदा उस विशेष मद के लिए नहीं स्खोली जानी है एवं/ अथवा संबंधित फर्म को एक वर्ष / उस विशेष मद के लिए अगली निविदा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- सफल निविदादाता सम्पूर्ण आदेशित मात्रा को पूरा करने में असफल रहा हो तथापि उसने आगामी निविदा की तकनीकी निविदा को स्खोलने की तिथि पर आदेशित मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति कर चुका हो उन मामलों में समान रेटिंग के लिए ऐसे निविदादाता की अगली निविदा पर प्रभावपूर्ण विचार किया जायेगा एवं तदनुसार इसे आगे प्रक्रियागत कर दिया जायेगा। मात्रा आवंटन के लिए योग्य पाये जाने वाले निविदादाता के मामले में उस मद के लिए पिछली निविदा में लम्बित मात्रा के बराबर मात्रा आगामी निविदा में घटा दी जानी है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित दृष्टान्त देखे गये जहां कम्पनी ने ऊपर दर्शाये गये मानदण्डों के उल्लंघन में दोषी/अयोग्य आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध/ अधिक मात्रा प्रदान की गई:

दोषी आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति अनुबंध प्रदान करना

कम्पनी के द्वारा टीएन-2119 के अधीन ट्रांसफॉर्मर्स की आदेशित मात्रा के लिए आपूर्ति नहीं करने के कारण मैसर्स फतेहपुरिया ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स प्राइवेट लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए व्यापारिक संबंध समाप्त कर लिये (अगस्त 2015)। आगामी निविदा (टीएन-966) के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय सीएलपीसी ने आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई मूल्य निविदा को नहीं स्खोलने का निश्चय किया एवं सीएलपीसी द्वारा योग्य पाये गये अन्य निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं स्खोली (2 सितम्बर 2015)। बाद में, कम्पनी ने महसूस किया कि आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना ही उसे प्रतिबंधादेश जारी कर दिया गया। इस प्रकार, कम्पनी ने प्रतिबंधादेश को वापस ले लिया एवं आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्धारित क्रियाविधि को पूरा करने के बाद सीएलपीसी ने आपूर्तिकर्ता पर प्रतिबंध को जारी रखने का निश्चय किया (2 दिसम्बर 2015)। तथापि, इसी बीच कम्पनी आपूर्तिकर्ता की मूल्य निविदा भी स्खोल चुकी थी (6 अक्टूबर 2015)। कम्पनी द्वारा अन्य योग्यताधारी आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश प्रदान किया गया (12 दिसम्बर 2015)। आपूर्तिकर्ता के निवेदन पर, संचालक मंडल (बीओडी) के द्वारा व्यवसाय संबंधों को यह ध्यान में रखते हुए बहाल करने का निश्चय किया (फरवरी 2016) कि व्यवसाय संबंधों को प्रतिबंधित करना एक कड़ा दण्ड होगा क्योंकि आपूर्तिकर्ता पहले ही पिछले आदेश की मात्रा की आपूर्ति करने के लिए अपनी इच्छा बता चुका था (जनवरी 2014)। बीओडी के निर्णय अनुसार, कम्पनी के द्वारा टीएन-966 के अधीन 100 पावर ट्रांसफॉर्मर्स (3.15 एमवीए) की आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ता को एलओआई जारी किया गया (अप्रैल 2016)।

हमने देखा कि आपूर्तिकर्ता की मूल्य निविदाएं प्रतिबंधादेश को वापस लेकर अक्टूबर 2015 में अलग से स्खोली गई। तथापि, एक निविदा के लिए सभी योग्यताधारी निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं साथ साथ स्खोली जानी

आवश्यक हैं एवं दो भिन्न-भिन्न तिथियों पर मूल्य निविदाएं खोलने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही, बीओडी ने इस तथ्य के उपरान्त भी आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवसाय संबंध बहाल कर दिए कि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति शुरु नहीं की गयी थी एवं मूल अनुसूची (नवम्बर 2012) की मियाद खत्म होने से एक वर्ष से अधिक के बीत जाने के बाद आदेशित मात्रा की आपूर्ति के लिए अपनी सहमति दी थी (जनवरी 2014)। यह मामला दो साल से अधिक की देरी के बाद बीओडी के सामने रखा गया जिसने पुरानी निविदा (टीएन–2119) के अधीन सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता की इच्छा को असंगत बना दिया। इस प्रकार, प्रतिबंधादेश को वापस लेने का निर्णय न्यायसंगत नहीं था। साथ ही, व्यवसाय संबंधों की अदेय बहाली के परिणामतः आपूर्तिकर्ता के पक्ष में ₹ 19.50 करोड़ का आपूर्ति आदेश जारी किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि व्यवसाय संबंधों को प्रतिबंधादेश को वापस लेने के लिए सीएलपीसी के आदेश के मध्यनजर आपूर्तिकर्ता की मूल्य निविदा खोली गई क्योंकि ये आदेश उचित क्रियाविधि को सुनिश्चित किये बिना जारी किये गये थे। इसने आगे बताया कि बीओडी के द्वारा प्रतिबंधादेश को एक कड़े दण्ड के रूप में मानते हुए आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवसाय संबंध बहाल किये गये क्योंकि आपूर्तिकर्ता आदेशित सामग्री की आपूर्ति के लिए तैयार था।

उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि केवल उचित क्रियाविधि के माध्यम से व्यवसाय संबंधों को प्रतिबंधित करने को सुनिश्चित किये जाने के लिए प्रारम्भिक प्रतिबंधादेश वापस लिये गये थे। साथ ही, निविदा खोलते समय कम्पनी को अच्छी तरह ज्ञात था कि पिछली निविदा में खराब कार्य निष्पादन के कारण आपूर्तिकर्ता तकनीकी रूप से अयोग्य था एवं दो भिन्न-भिन्न तिथियों पर मूल्य निविदाओं को खोलने के किसी प्रावधान के बिना अलग से मूल्य निविदा खोली गई। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवसाय संबंधों को बहाल करने का निर्णय इस तथ्य के मद्देनजर सही नहीं था कि निर्धारित अनुसूची के समाप्त हो जाने के एक वर्ष बाद आपूर्तिकर्ता ने आदेशित मात्रा की आपूर्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।

दोषी आपूर्तिकर्ताओं को अधिक मात्रा प्रदान करना

दो आपूर्तिकर्ताओं (मैसर्स फतेहपुरिया ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स एवं मैसर्स न्युकोन स्वीचगीयर्स) के द्वारा टीएन-2196 के अधीन 3.15 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर्स की सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति नहीं की जैसा कि आगामी निविदा (टीएन-966) के अधीन तकनीकी निविदाओं को खोलने के समय (3 जून 2015) क्रमशः 20 एवं 10 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति लम्बित थी। इसी के समान, दो अन्य आपूर्तिकर्ता (मैसर्स राजस्थान मैटल्स एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज एवं मैसर्स राजस्थान मैटल्स इण्डस्ट्रीज) के द्वारा टीएन-2217 के अधीन 16 केवीए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति नहीं की जैसा कि आगामी निविदा (टीएन-1052) के अधीन तकनीकी निविदाओं को खोलने के समय (12 मई 2016) पर क्रमशः 300 एवं 200 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति लम्बित थी। हमने देखा कि दोनों मामलों में, कम्पनी के द्वारा आगामी निविदाधीनादेश जारी करते समय मात्रा में कमी पर उस सीमा तक विचार नहीं किया गया जिस सीमा तक पिछली निविदाओं के पेटे आपूर्तियां लम्बित थी तथा जीसीसी के वाक्यांश 1.24 के प्रावधानों के उल्लंघन में आगामी निविदाओं में अधिक मात्रा के लिए दोषी आपूर्तिकर्ताओं को आदेश जारी किये गये। इस प्रकार, वास्तविक योग्य मात्रा से अधिक मात्रा में इन चारों आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 7.80 करोड़[13] के आपूर्ति आदेश जारी किये गये।

सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया कि दो[14] आपूर्तिकर्ताओं के मामलों में, प्रस्तावित मात्राओं वाले पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं की अनुपलब्धता के कारण पिछली निविदा (टीएन-2196) के विरुद्ध बकाया मात्राओं की सीमा तक आवंटित मात्रा को घटाया नहीं गया था। इसने आगे बताया कि दो[15] अन्य आपूर्तिकर्ताओं के मामलों में, मात्राओं का आवंटन पिछली निविदाओं (टीएन-981) को ध्यान में रखते हुए किया गया था जहां निविदादाताओं ने आदेशित आपूर्तियों में कोई चूक नहीं की थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि एक अन्य पिछली निविदा (टीएन-2217) के अधीन बकाया मात्रा को भी आगामी निविदा में घटाने पर विचार किया जाना था जो नहीं किया गया।

13 ₹ 19.50 लाख प्रति ट्रांसफॉरमर की दर से 30 पावर ट्रांसफॉरमर्स (3.15 एमवीए) के लिए ₹ 5.85 करोड़ का आपूर्ति आदेश एवं ₹ 39000 प्रति ट्रांसफॉरमर की दर से 500 वितरण ट्रांसफॉरमर्स (16 केवीए) के लिए ₹ 1.95 करोड़ का आपूर्ति आदेश।

14 मैसर्स फतेहपुरिया ट्रांसफॉरमर्स एण्ड स्वीचगीयर्स एवं मैसर्स न्युकोन स्वीचगीयर्स।

15 मैसर्स राजस्थान मैटल्स एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज एवं मैसर्स राजस्थान मैटल्स इण्डस्ट्रीज ।

अयोग्य आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति अनुबंध प्रदान करना

मैसर्स फतेहपुरिया ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स प्राइवेट लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) के द्वारा दो निविदाओं के अधीन 5 केवीए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति में चूक की क्योंकि आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्रथम निविदा (टीएन-1192) के अधीन 1000 ट्रांसफॉर्मर्स की आदेशित मात्रा के विरुद्ध केवल 117 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति की गई तथा द्वितीय निविदा (टीएन-1203) के अधीन आपूर्ति शुरु नहीं की गई। चूक को ध्यान में रखते हुए, आगामी निविदा की तकनीकी बोली को खोलने की तिथि पर सुपुर्दगी अनुसूची समाप्त हो जाने के उपरांत भी आदेशित मात्रा की अंशतः/ सम्पूर्ण आपूर्ति नहीं करने के कारण आगामी निविदा (टीएन-1147) के अधीन 5 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स के लिए मूल्य बोलियों को खोलने के लिए आपूर्तिकर्ता को नॉन-रिस्पॉन्सिव के रूप में नामित किया गया (11 सितम्बर 2017)। हमने देखा कि आपूर्तिकर्ता को तथापि आगामी निविदा (टीएन-1147) के अधीन 10 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स के लिए तथा आगामी निविदा (टीएन-1149) के अधीन 16 एवं 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स के लिए मूल्य बोलियों को खोलने के लिए रिस्पॉन्सिव निविदादाता के रूप में ध्यान में रखा गया। कम्पनी ने 10 एवं 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए क्रमशः ₹ 0.89 करोड़ एवं ₹ 1.48 करोड़ के लिए आदेश जारी किये (अक्टूबर 2017)।

हमने देखा कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा एक प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति में चूक को ध्यान में नहीं रखा गया तथा दो वर्ष की अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ व्यवसाय संबंध प्रतिबंधित करने के स्थान पर कम्पनी के द्वारा वर्तमान मानदण्डों के उल्लंघन में ट्रांसफॉर्मर्स[16] की अन्य श्रेणियों के लिए आगामी आदेशों के अधीन ₹ 2.37 करोड़ मूल्य के आपूर्ति आदेश जारी करके अदेय लाभ पहुंचाया गया। हमने यह भी देखा कि अक्टूबर 2017 में जारी किये दोनों आपूर्ति आदेशों (10 एवं 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स) की सुपुर्दगी अनुसूची अप्रैल 2018 में समाप्त हो चुकी थी। इसके उपरान्त भी आपूर्तिकर्ता के द्वारा मई 2018 तक इन आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध आपूर्ति शुरु नहीं की गई थी।

सरकार ने उत्तर में बताया कि दोषी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने के स्थान पर प्रतिबंधादेश प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं आपूर्तिकर्ताओं की सीमित संख्या होने के मध्यनजर देरी के साथ आपूर्तियों को लेने की प्रतीक्षा करना ठीक समझा गया था। साथ ही यह बताया गया कि टीएन-1203 के अधीन केवल 384 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति करने के कारण आपूर्तिकर्ता को एक वर्ष अथवा अगली निविदा जो भी बाद में हो, के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया (जुलाई 2018)। इस प्रकार तथ्य यही रहा कि वर्तमान मानदण्डों के उल्लंघन में आगामी निविदाओं (टीएन-1147 एवं 1149) के अधीन ₹ 2.37 करोड़ मूल्य के आपूर्ति आदेश जारी करके दोषी आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ पहुंचाया गया।

सामग्री के प्रापण में कुशलता एवं प्रभावशीलता

2.14 प्रचलित क्रियाविधियों के अनुसार तकनीकी समिति वर्तमान वितरण नेटवर्क के लिए उपयुक्त सामग्री के तकनीकी मानक / विशिष्ट विवरणों को अन्तिम रूप देती है। विभिन्न प्रकार की सामग्री के विशिष्ट विवरणों को निविदा प्रपत्रों एवं क्रयादेशों में सम्मिलित किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं एवं कम्पनी दोनों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करने वाली थी। निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुसार सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा सामग्री का निरीक्षण एवं जांच की जाती है।

विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री का प्रापण

2.14.1 अभिलेखों की समीक्षा के दौरान निम्न दृष्टान्तों को देखा गया जहां कम्पनी द्वारा आवश्यक सुविधा के अभाव वाली सामग्री का प्रापण किया गया एवं ट्रांसफॉर्मर्स के प्रापण के लिए जीओआई आदेश /दिशा-निर्देशों के अधीन निर्धारित विशिष्ट विवरणों का उल्लंघन किया गया जिनकी चर्चा नीचे की गई:

16 10 केवीए, 16 केवीए एवं 25 केवीए।

अप्रचलित तकनीक वाले विद्युत मीटर्स का प्रापण

जीओआई के वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम 2012 (एफआरपी) के अनुसार डिस्कॉम्स के द्वारा उन सभी सरकारी एवं वृहत उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटरिंग[17] करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था जिन्होंने मार्च 2013 तक अपने सभी भुगतान नहीं किये थे। जेवीवीएनएल के द्वारा प्रीपेड विद्युत मीटर्स (थ्री फेज) के प्रापण के लिए समान निविदा (टीएन-2297) आमंत्रित की (फरवरी 2015) एवं सिक्योर मीटर्स (आपूर्तिकर्ता) को ₹ 9500 प्रति मीटर की दर पर ₹ 13.62 करोड़ के 14334[18] प्रीपेड विद्युत मीटर्स (थ्री फेज) के प्रापण के लिए आपूर्ति आदेश जारी किये (अगस्त 2015)। कम्पनी के द्वारा टीएन-2193 के अधीन 11639 सिंगल फेज मीटर्स के क्रय के लिए आपूर्ति आदेश भी जारी किये गये (अगस्त 2014)।

हमने देखा कि ये मीटर्स सरकारी कनेक्शनों (जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) सहित) के लिए आवश्यक थे। तथापि, ये मीटर्स कई[19] अड़चनों के कारण स्थापित नहीं किये जा सके। मीटर्स में रिचार्जिंग के लिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन फीचर का अभाव भी था। इसके परिणामतः विद्युत आपूर्ति संबंध स्वतः ही विच्छेद हुआ जिससे जनता के बीच असंतोष पैदा हुआ। इस प्रकार, राज्य सरकार ने पीएचईडी कनेक्शनों पर इन प्रीपेड विद्युत मीटर्स संस्थापित नहीं करने का निश्चय किया (फरवरी 2016)।

मई 2016 में 5576 मीटर्स[20] एवं जून 2016 में 2000 मीटर्स की पुनर्निर्धारित आवश्यकता के विरुद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा शेष आपूर्तियों पर प्रतिबंधादेश के अधीन रखते हुए अप्रैल 2016 तक 8752 मीटर्स की सुपुर्दगी की जा चुकी थी। बाद में, सीएलपीसी ने इन मीटर्स को घरेलू, अघरेलू एवं अस्थायी कनेक्शनों के लिए भी संस्थापित करने का निश्चय किया (जुलाई 2016) एवं शेष 3582 मीटर्स[21] की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध को भी उठा लिया तथा शेष मीटर्स की आपूर्ति को अनुमत किया। इस प्रकार, कम्पनी के द्वारा नवम्बर 2016 तक सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति को स्वीकार किया गया। इसी बीच, प्रीपेड मीटर्स को संस्थापित करने के औचित्य एवं विधि को जांचने के लिए जेवीवीएनएल द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया (जुलाई 2016)। समिति ने देखा (अगस्त 2016) कि प्रीपेड मीटर्स अप्रचलित तकनीक वाले थे।

हमने देखा कि प्रारम्भिक प्रस्ताव के अनुसार प्रीपेड विद्युत मीटर्स केवल सरकारी एवं वृहत उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के लिए स्थापित किये जाने थे। कार्यक्षेत्र से पीएचईडी को अलग रखने के राज्य सरकार के निर्णय (फरवरी 2016) के मद्देनजर कम्पनी को आगे आपूर्तियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह 5576 मीटर्स की पुनरीक्षित आवश्यकता के विरुद्ध पहले ही 8752 मीटर्स की आपूर्ति स्वीकार कर चुकी थी। तथापि, कम्पनी के द्वारा इन तथ्यों को अनदेखा किया गया एवं सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति को स्वीकार किया गया। हमने यह भी देखा कि कम्पनी 10276 मीटर्स ही संस्थापित कर सकी जबकि जनवरी 2019 तक ₹ 3.86 करोड़ मूल्य के शेष 4058 मीटर्स स्टोर्स में पड़े हुए थे। इस प्रकार, कम्पनी इन मीटर्स के उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सकी जो अप्रचलित तकनीक पर आधारित थे।

इसी के समान, कम्पनी के द्वारा दिसम्बर 2015 तक एक अन्य निविदा (टीएन-2193) के अधीन आपूर्तिकर्ता से ₹ 4832 प्रति मीटर की दर पर 11639 सिंगल फेज मीटर्स क्रय किये गये। कम्पनी 7264 सिंगल फेज मीटर्स ही संस्थापित कर सकी जबकि जनवरी 2019 तक ₹ 2.11 करोड़ मूल्य के शेष 4375 मीटर्स स्टोर्स में पड़े हुए थे। हमने यह भी देखा कि कम्पनी के द्वारा एफआरपी 2012 के प्रावधानों के उल्लंघन में अपने परिसरों पर इन मीटर्स[22] में से 829 को संस्थापित करते हुए ₹ 42.76 लाख का निष्फल व्यय किया गया।

17 इसका तात्पर्य उपभोक्ता के परिसर पर प्रीपेड मीटर लगाने की एक प्रणाली से है जो उपभोक्ता के परिसर को उस सीमा तक विद्युत की आपूर्ति अनुमत करेगी जिस सीमा तक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत के पेटे पहले से ही भुगतान कर दिया गया हो।

18 यह जेवीवीएनएल द्वारा कम्पनी के लिए आवंटित मात्रा को इंगित करती है।

19 पीएचईडी कनेक्शन वेल्डेड बॉक्स वाले सुपर ट्रांसफॉरमर्स में संस्थापित किये गये थे, उपभोक्ता इंटरफेस यूनिटस के संस्थापन के संबंध में आवश्यक निर्देशों का अभाव एवं पीएचईडी मीटर बॉक्स में स्थान का अभाव।

20 यह सरकारी कनेक्शनों (पेयजल एवं सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग के अतिरिक्त) के लिए प्रीपेड विद्युत मीटर्स की आवश्यकता को दर्शाता है।

21 कुल आदेशित मात्रा (14334 मीटर्स) – पूर्व में आपूर्तित मात्रा 10752 मीटर्स (8752 मीटर्स + 2000 मीटर्स)।

22 इसमें 771 सिंगल फेज एवं 58 थ्री फेज मीटर्स सम्मिलित हैं।

सरकार ने जवाब में तथ्यों को स्वीकार किया कि ये प्रीपेड मीटर्स विशिष्ट विवरणानुसार एफआरपी 2012 के अधीन प्रापण किये गये तथापि, केवल 50 प्रतिशत प्रीपेड मीटर्स ही उपयोग में लाये जा सके क्योंकि सरकारी कार्यालयों/ भवनों पर इन प्रीपेड मीटर्स को संस्थापित नहीं करने का निश्चय किया गया था (फरवरी 2016)। इसने आगे बताया कि उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों पर उनके द्वारा प्रतिरोध किये जाने के कारण इन प्रीपेड मीटर्स को संस्थापित करने के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। सरकार ने आगे बताया कि मई 2018 से ऐसे मीटर्स के ऑनलाइन रिचार्ज करने के लिए आसान क्रियाविधि शुरु की जा चुकी है। उत्तर तथापि विभिन्न सरकारी कार्यालयों/ भवनों पर इन प्रीपेड मीटर्स को संस्थापित नहीं करने का निर्णय लेने के उपरान्त भी आपूर्तियों को स्वीकार करने के विषय पर मौन था। उत्तर कम्पनी द्वारा अपने परिसरों पर ऐसे मीटर्स को उपयोग में लेने के विषय पर भी मौन था।

जीओआई आदेश /दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में ट्रांसफॉर्मर्स के प्रापण

जीओआई द्वारा जारी किये गये (मई 2015) इलेक्ट्रीकल ट्रांसफॉर्मर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2015 में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से एक वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही ट्रांसफॉर्मर्स का निर्माण करने का प्रावधान था। इसमें ऊर्जा दक्षता के भिन्न-भिन्न स्तरों (यथा स्तर 1 से 5) में ट्रांसफॉर्मर्स के श्रेणीकरण के लिए भी प्रावधान था जिन्हें ट्रांसफॉर्मर के 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत लोडिंग स्तरों पर अधिकतम अनुमत्य कुल हानियों की निर्धारित सीमाओं की अनुपालना के आधार पर निर्धारित किया जाना था। यह आदेश सभी मामलों के लिए लागू था जहां आपूर्ति आदेश 1 फरवरी 2016 अथवा उसके बाद जारी किये गये थे। हमने देखा कि कम्पनी के द्वारा मैसर्स विजय इलेक्ट्रीकल्स (आपूर्तिकर्ता) को 25 केवीए के 250 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए एक आदेश जारी किया (अप्रैल 2016)। आपूर्ति आदेश में ऊर्जा दक्षता के स्तर-1 के अंतर्गत 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर की 50 प्रतिशत लोडिंग पर 100 वॉट की अधिकतम कुल हानियां निर्दिष्ट थी। हमने देखा कि इलेक्ट्रीकल ट्रांसफॉर्मर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसार, 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर के लिए ऊर्जा दक्षता के स्तर-1 एवं स्तर-2 के लिए 50 प्रतिशत लोडिंग पर अधिकतम अनुमत्य कुल हानियां क्रमशः 111 से 125 वॉट एवं 96 से 110 वॉट के रूप में निर्दिष्ट थी तथा आदेशित ट्रांसफॉर्मर्स स्तर-2 श्रेणी के अंतर्गत सन्निहित थे। हमने आगे देखा कि आपूर्तिकर्ता के पास केवल स्तर-1 के ट्रांसफॉर्मर्स के निर्माण के लिए बीआईएस प्रपत्र/लाइसेंस था। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा जीओआई आदेश /दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में अयोग्य आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.54 करोड़ मूल्य के कार्यादेश जारी किये गये।

सरकार ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति को आपूर्ति आदेश के अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुसार एवं आपूर्तिकर्ता से बीआईएस प्रपत्र/लाइसेंस प्राप्त करने के बाद स्वीकार किया गया था। इसने आगे बताया कि सामग्री ऊर्जा दक्षता के स्तर-1 की शर्त पूरी करती थी क्योंकि 50 प्रतिशत लोडिंग पर हानियां दोनों स्तरों यथा ऊर्जा दक्षता के स्तर-1 एवं स्तर-2 में समाहित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 50 प्रतिशत लोडिंग (100 वॉट) के लिए निर्धारित हानियां ऊर्जा दक्षता के स्तर-2 में समाहित थी तथा आपूर्तिकर्ता को उसी के अनुसार स्तर-2 के लिए भी बीआईएस प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक था। यह दर्शाना उपयुक्त होगा कि समापन सभा के दौरान, विभाग (ऊर्जा) ने आक्षेप को स्वीकार किया एवं दोनों स्तरों पर लोड हानियों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

सामग्री का अमितव्ययीपूर्ण क्रय

2.15 प्रापण प्रक्रिया के साथ सम्बद्ध अथवा सामग्री के क्रय को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार प्राधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने की अपेक्षा की जाती है कि सामग्री विशिष्ट विवरणों के साथ क्रय की गई है, मूल्य उचित हैं, क्रय आवश्यक मात्रा से मेल खाती है एवं निविदादाताओं की मिलीभगत न्यूनतम है। साथ ही, उपलब्ध कोषों के उचित उपयोग करने के लिए अग्रिम/आवश्यकता से अधिक प्रापण को टाला जाता है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, निम्न दृष्टांतों को देखा गया जहां उचित आवश्यकता एवं स्टॉक की उपलब्धता निर्धारण किये बिना कम्पनी के द्वारा निर्धारित सुपुर्दगी अनुसूची से पूर्व सामग्री को स्वीकार किया गया एवं उच्चतर दरों पर सामग्री की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किये गये:

सुपुर्दगी सूची से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करना

कम्पनी ने टीएन-2318 के अधीन (जेवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदा) 906 वीसीबी कियोस्क की आपूर्ति के लिए स्टेलमेक लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) के अहमदाबाद वर्क्स पर आदेश जारी किया (21 अप्रैल 2016)। आदेश के अनुसार, कियोस्क की आपूर्ति को 21 जून 2016 तक शुरु की जानी थी एवं 91 वीसीबी कियोस्क प्रति माह की दर से शुरु करते हुए आपूर्ति 10 माह की अवधि (अर्थात 20 अप्रैल 2017 तक) में पूरी की जानी थी। आदेश में आगे बताया गया था कि प्रत्येक प्रेषण के पेटे कियोस्क की आपूर्ति पर 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था जबकि शेष 10 प्रतिशत भुगतान को इन कियोस्कस को संस्थापित किये जाने पर जारी किया जाना था।

यह देखा गया कि कम्पनी ने बिना कोई कारण दर्ज किये अगस्त 2016 तक 182 कियोस्कस की अनुसूचित आपूर्ति के विरुद्ध आपूर्तिकर्ता से 500 कियोस्कस की आपूर्ति को स्वीकार किया। आपूर्तिकर्ता के द्वारा फिर से (अगस्त 2016) 300 कियोस्कस की आपूर्ति स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया जिसे शुरु में इस मामले में प्रतिबंध लगे होने (अगस्त 2016) के कारण स्वीकार नहीं किया गया। बाद में, सीएलपीसी ने आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्रस्तावित 300 कियोस्कस की आपूर्ति को स्वीकार करने का यह कहते हुए निश्चय किया (सितम्बर 2016) कि 354 कियोस्कस की आवश्यकता के विरुद्ध कम्पनी के पास स्टॉक में केवल 133 कियोस्कस थे। सीएलपीसी के अनुमोदन के बाद, आपूर्तिकर्ता के द्वारा 27 सितम्बर 2016 को अन्य 300 कियोस्कस की आपूर्ति की गई। इस प्रकार कम्पनी के द्वारा निर्धारित सुपुर्दगी अनुसूची से पूर्व ₹ 11.32 करोड़[23] (अर्थात 906 कियोस्कस की आदेशित मात्रा का 88.30 प्रतिशत) मूल्य वाले 436 कियोस्कस[24] की आपूर्ति को स्वीकार किया गया एवं सितम्बर 2016 तक अनुसूची से पूर्व की गई आपूर्तियों के पेटे ₹ 10.19 करोड़ (अर्थात ₹ 11.32 करोड़ का 90 प्रतिशत) जारी किये गये।

हमने देखा कि आवश्यकता के अनुचित निर्धारण के आधार पर कम्पनी के द्वारा बाद में प्रस्तावित की गई कियोस्कस (300 कियोस्क) की आपूर्ति को स्वीकार किया गया क्योंकि उपस्खण्डीय स्टोर्स पर पड़े हुए 378 कियोस्क के स्टॉक को उपलब्ध स्टॉक की गणना में ध्यान में नहीं रखा गया था (अगस्त 2016)। इस प्रकार, निर्धारित आवश्यकता (354 कियोस्क) के विरुद्ध पर्याप्त स्टॉक की मात्रा (511 कियोस्कस) उपलब्धता होने के उपरान्त भी कम्पनी के द्वारा इसकी अनुसूची के पूर्व आपूर्ति को स्वीकार किया गया जिसके परिणामतः आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 10.19 करोड़ का भुगतान जल्दी हुआ। साथ ही, इन कियोस्कस की वारण्टी अवधि इनके संस्थापन में देरी की सीमा तक समाप्त हो गयी थी।

सरकार ने उत्तर में बताया कि सब-स्टेशन उन्नयन कार्यक्रम के अधीन पुराने एवं अप्रचलित वीसीबी कियोस्कस के बदलने एवं नये सब-स्टेशन पर कियोस्कस को संस्थापित करने के लिए वीसीबी कियोस्कस की आपूर्ति को सुपुर्दगी अनुसूची से पूर्व स्वीकार किया गया। इसने आगे बताया कि उपस्खण्डों का स्टॉक को ध्यान में नहीं रखा गया था क्योंकि ये संस्थापनाधीन थे। तथ्य तथापि यही रहा कि इन कियोस्कस के उसी समय संस्थापन की क्षमता का निर्धारण किये बिना ही वीसीबी कियोस्कस की आपूर्ति को निर्धारित अनुसूची से पूर्व स्वीकार किया गया जिसके परिणामतः 436 आपूर्तित कियोस्क 31 से 541 दिनों तक बिना संस्थापित किये पड़े रहे।

उच्चतर दरों पर सामग्री का क्रय

कम्पनी के द्वारा टीएन-2298 के अधीन (जेवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदा) ₹ 740 प्रति मीटर की दर पर तीन लाख सिंगल फेज स्टेटिक मीटर्स की आपूर्ति के लिए दो आपूर्तिकर्ताओं[25] पर क्रयादेश

23 ₹ 259694.58 प्रति इकाई की दर पर 436 वीसीबी कियोस्कस।

24 कुल स्वीकार की गई आपूर्ति (800 कियोस्कस) – 21 अक्टूबर 2016 को समाप्त प्रारम्भिक चार माह के लिए अनुसूचित आपूर्ति (364 कियोस्कस)।

25 एचपीएल इलेक्ट्रिक तथा लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड प्रत्येक को 1.50 लाख मीटर्स।

जारी किये (जून 2015)। आपूर्ति निर्दिष्ट अनुसूची के अनुरूप की गई। इसी बीच, जेवीवीएनएल के द्वारा 17.70 लाख[26] सिंगल फेज स्टेटिक मीटर्स के प्रापण के लिए आगामी समान निविदा (टीएन-2317) आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई (मई 2015)। आगामी निविदा के अंतिमीकरण में देरी एवं मीटर्स की आकस्मिक आवश्यकता के कारण कम्पनी के द्वारा टीएन-2298 के अधीन अंतिम रूप दी गई दर पर 1.50 लाख मीटर्स (यथा प्रारम्भिक आदेशित मात्रा का 50 प्रतिशत) की आपूर्ति के लिए दोनों आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश जारी किये गये (दिसम्बर 2015)। दोनों आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मार्च 2016 तक अतिरिक्त आदेशित मात्रा की आपूर्ति कर दी गई। इसी बीच, आगामी निविदा (टीएन-2317) की मूल्य बोली खोली गई (28 मार्च 2016) एवं इस निविदाधीन ₹ 687 प्रति मीटर की दर पर मीटर्स की आपूर्ति के लिए क्रयादेश जारी किये (अप्रैल 2016)।

हमने देखा कि जब कम्पनी के द्वारा पुनरादेश जारी करने का निश्चय किया गया उस समय आगामी निविदा की निविदा प्रक्रिया पहले से ही प्रक्रियाधीन थी क्योंकि तकनीकी एवं मूल्य बोलियां अगस्त 2015 में प्रस्तुत कर दी गई थी लेकिन मूल्य निविदा दिसम्बर 2015 तक नहीं खोली गई थी। इस प्रकार, कम्पनी पुनरादेश में एक शर्त डालकर कि वर्तमान निविदा (टीएन-2298) एवं आगामी निविदा (टीएन-2317) के मूल्य में जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा, अपने वित्तीय हित की रक्षा कर सकती थी। हमने देखा कि कम्पनी के द्वारा अपने वित्तीय हित की रक्षा नहीं की गई एवं पुनरादेशाधीन आपूर्तियों के लिए उच्चतर दर का भुगतान करके ₹ 79.50 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया कि सिंगल फेज मीटर्स की अत्यन्त कमी के कारण पुनरादेश जारी किये गये। इसने आगे बताया कि मीटर्स को बदलने में देरी के कारण उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली छूट के भार से बचने के लिए दोषपूर्ण मीटर्स को बदलने के लिए सिंगल फेज मीटर्स के प्रापण करना आकस्मिक आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा आक्षेप, जिसमें इस पर प्रकाश डाला गया था कि पुनरादेशों में आगामी निविदाधीन निम्नतर मूल्य प्राप्त होने पर आगामी निविदा की सीमाओं में मूल्यों को सीमित करने के लिए कोई शर्त नहीं डाली गई थी, को उत्तर में संबोधित नहीं किया गया था।

दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का अभाव

2.16 जीसीसी के वाक्यांश 1.24 में प्रावधान था कि सुपुर्दगी में देरी, पूर्व में स्वीकार किये गये मूल्यों एवं नियम व शर्तों पर जारी किये गये आदेशों को स्वीकार नहीं करने तथा एग्रीमेंट का निष्पादन नहीं करने को निम्नानुसार नियमित/निपटारा किया जाना है:

- सुपुर्दगी में देरी के मामले में, देरी किये गये/ अनिष्पादित आपूर्ति के अधिकतम पांच प्रतिशत के अधीन रखते हुए चार सप्ताह तक एवं चार सप्ताह से अधिक की देरी के लिए प्रति सप्ताह अथवा उसके किसी भाग पर क्रमशः 0.25 एवं 0.50 प्रतिशत की दर पर शास्ति प्रभारित की जानी है।
- उन मामलों में जहां आपूर्तिकर्ता स्वीकार किये गये मूल्यों एवं नियम व शर्तों पर जारी किये गये आदेशों को स्वीकार नहीं करता है तथा अनुबंधात्मक औपचारिकताएं पूरी नहीं करता है, आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय संबंध तोड़ने के साथ-साथ ईएमडी को जब्त करने/ इसके विक्रेता पंजीकरण को रद्द करने के रूप में दोषी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है।

वाक्यांश 1.59 में प्रावधान है कि यदि आपूर्तिकर्ता अनुबंधाधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन/ पूरा करने में विफल/उपेक्षा करने के मामले में कम्पनी अपने स्वविवेक से सुरक्षा जमा को जब्त करने के लिए अधिकृत है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान दृष्टान्तों को देखा गया जहां कम्पनी के द्वारा सुपुर्दगी में देरी/आपूर्तियों को शुरु नहीं करने के लिए शास्ति वसूलने एवं सुरक्षा जमा जब्त करने तथा

26 इसमें कम्पनी के लिए 6.1 लाख की प्रापण आवश्यकता सम्मिलित है।

जहां आपूर्ति एग्रीमेंट का निष्पादन नहीं करने के साथ-साथ स्वीकार किये गये मूल्यों एवं नियम व शर्तों पर जारी किये गये आदेशों को स्वीकार नहीं किया, आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवसायिक संबंध विच्छेद करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

सामग्री की आपूर्ति में चूक के लिए शास्ति लगाने का अभाव

2.16.1 चार[27] मामलों में, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आदेशित मात्रा के विरुद्ध आंशिक आपूर्तियां दी जबकि एक मामले में (टीएन-4519 के अधीन इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड), सुपुर्दगी अनुसूची के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्तियां शुरु नहीं की गई। इस प्रकार, सभी पांचों मामलों में, आपूर्तिकर्ता द्वारा आदेशित मात्रा की सुपुर्दगी में देरी/ आपूर्तियां शुरु नहीं करने के द्वारा अनुबंधात्मक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया।

हमने देखा कि चार[28] मामलों में, कम्पनी ने ₹ 0.46 करोड़ की उपलब्ध सुरक्षा जमा को जब्त नहीं करने के अतिरिक्त देरी/अनिष्पादित आपूर्तियों के लिए ₹ 1.01 करोड़ शास्ति भी वसूल नहीं की। एक मामले में ट्रांसफॉर्मर के तेल की आपूर्ति के लिए (टीएन-934 के अधीन हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड) कम्पनी के द्वारा ₹ 16.40 लाख की सुरक्षा जमा को जब्त नहीं करने के अतिरिक्त सुपुर्दगी में देरी के लिए देय ₹ 32.28 लाख की शास्ति भी माफ की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि एक दोषी आपूर्तिकर्ता यथा *इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड* के द्वारा आदेशित मात्रा के विरुद्ध टीएन-4519 के अधीन इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आंशिक आपूर्ति की (अप्रैल 2018)। आपूर्तिकर्ता ने तथापि आगे मात्राओं की आपूर्ति नहीं की जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को एक अन्य कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है (जून 2018) एवं कम्पनी के द्वारा आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही, उत्तर, टीएन-4448 के अधीन आदेशित सामग्री की आपूर्ति में इसके चूक के लिए इस आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरु नहीं करने के विषय पर मौन था। एक अन्य दोषी आपूर्तिकर्ता यथा *ईसन रेरोल लिमिटेड* जिसने टीएन-2169 के अधीन आंशिक आपूर्तियां की, सरकार ने बताया (नवम्बर 2018) कि कम्पनी आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के लिए निरस्तीकरण आदेश जारी कर चुकी थी एवं आपूर्ति में देरी एवं आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के पेटे वसूलनीय शास्ति का निर्धारण कर दिया गया। तथापि, अन्तिम वसूली / दण्ड राशि का समायोजन की स्थिति प्रतीक्षित **(नवम्बर 2018)** है।

हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में सरकार ने बताया कि संबंधित आपूर्तिकर्ता के जीओआई के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने तथा यह विचार करते हुए

27 इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (टीएन-4448), हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएन-934), ईसन रेरोल लिमिटेड (टीएन-2169) एवं भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (टीएन-2207)।

28 देरी से / आपूर्तियां शुरु नहीं करने के लिए शास्ति एवं सुरक्षा जमा की जब्ती की लागू राशि इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (टीएन-4448) के लिए क्रमशः ₹ 31.32 लाख एवं ₹ 14.91 लाख, इण्डो एल्युसिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (टीएन-4519) के लिए क्रमशः ₹ 26.74 लाख एवं ₹ 12.72 लाख, ईसन रेरोल लिमिटेड (टीएन-2169) के लिए क्रमशः ₹ 17.85 लाख एवं ₹ 6.91 लाख एवं भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (टीएन-2207) के लिए क्रमशः ₹ 25.44 लाख एवं ₹ 11.91 लाख।

कि ट्रांसफॉर्मर के तेल की आवश्यकता ट्रांसफॉर्मर्स मरम्मत के लिए नियुक्त फर्मों से पूरी की गई कम्पनी के प्रबंधन के द्वारा लागू शास्ति को माफ कर दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीसीसी एवं क्रयादेश में आपूर्ति में देरी एवं शास्ति लगाने के लिए आपूर्तिकर्ता पर शास्ति लगाने के लिए प्रावधान था जिसे आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए केवल जीओआई इकाई होने के कारण लागू शास्ति को माफ करना, न्यायसंगत नहीं था।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के मामले में सरकार ने बताया (नवम्बर 2018) कि कम्पनी आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के लिए निरस्तीकरण आदेश जारी कर चुकी थी एवं आपूर्ति में देरी के पेटे वसूलनीय शास्ति का निर्धारण कर दिया गया। तथापि, अन्तिम वसूली / दण्ड राशि का समायोजन की स्थिति प्रतीक्षित **(नवम्बर 2018)** है।

दोषी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवसाय संबंधों पर रोक नहीं लगाना

2.16.2 कम्पनी के द्वारा जेवीवीएनएल/ जेडीवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदाओं के अधीन संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए निम्नादेश जारी किये गये:

निविदा (टीएन) संख्या	आपूर्तित मद	आपूर्तिकर्ता का नाम	आदेशित मात्रा (किमी)	आपूर्ति आदेश की तिथि
4559[29]	एलटी एक्सएलपीई केबल	राजस्थान ट्रांसमिशन वायर प्राइवेट लिमिटेड (आरटीडब्ल्युपीएल)	1000	जून 2017
		राजस्थान ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड स्वीचगीयर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरटीएसएल)	900	
1207[30]	एसीएसआर विजल कंडक्टर	बंसल कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीसीपीएल)	3571.50	जुलाई 2016

हमने देखा कि सभी तीनों मामलों में, शुरु में अलग-अलग डिस्कॉम्स (जेवीवीएनएल/ जेडीवीवीएनएल) जिसने समान निविदाओं को अंतिम रूप दिया, के द्वारा जारी किये गये मंशा-पत्रों (एलओआई) को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया। तथापि, इन आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा आदेशित सामग्री की आपूर्ति के लिए कम्पनी के साथ एग्रीमेंट का निष्पादन नहीं किया गया।

हमने देखा कि टीएन-4559 के मामले में, कम्पनी ने ईएमडी को जब्त करने/ इसके विक्रेता पंजीकरण को रद्द करने के साथ-साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय संबंध तोड़ने के लिए दोनों आपूर्तिकर्ताओं (आरटीडब्ल्युपीएल एवं आरटीएसएल) को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) देरी से जारी किये (दिसम्बर 2017)। आरटीडब्ल्युपीएल ने मार्च 2018 तक एससीएन का प्रत्युत्तर नहीं दिया जबकि आरटीएसएल ने बताया (जनवरी 2018) कि वह केवल जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल को सामग्री की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ था। तथापि, जेवीवीएनएल ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था (22 मई 2017) कि समान निविदा के मामले में निविदादाता को सभी तीनों डिस्कॉम्स के लिए आपूर्ति के लिए उद्धृत करने थे। साथ ही, प्रचलित विशिष्ट विवरण के अनुसार क्रेता तीनों डिस्कॉम्स की आवश्यकता के अनुपात में

29 जेवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदा।

30 जेडीवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप दी गई समान निविदा।

उनके बीच मात्रा को विभाजित करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है तथा उसी के अनुसार एलओआई जारी किये गये।

हमने आगे देखा कि टीएन-1207 के मामले में, बीसीपीएल ने किसी वित्तीय दायित्व के बिना व्यक्तिगत आधार पर क्रयादेश को निरस्त करने का निवेदन किया (नवम्बर 2016)। कम्पनी ने निवेदन को खारिज कर दिया (17 फरवरी 2017) एवं ईएमडी को जब्त करने/ विक्रेता के पंजीकरण को रद्द करने के साथ-साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय संबंध तोड़ने के लिए बीसीपीएल को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया (27 फरवरी 2017)। प्रत्युत्तर में, बीसीपीएल ने बताया (मार्च 2017) कि इसने जेडीवीवीएनएल द्वारा दिये गये प्रति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तथापि, जेडीवीवीएनएल ने स्पष्ट किया (मई 2017) कि बीसीपीएल ने प्रति प्रस्ताव को 13 जून 2016 को स्वीकार किया था।

हमने देखा कि तीन वर्ष की अवधि के लिए इन तीनों दोषी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवसाय संबंध तोड़ने के लिए कम्पनी ने आगे कोई कार्यवाही (मार्च 2018 तक) नहीं की जैसा कि संबंधित वाक्यांशों के अधीन प्रावधान था।

सरकार ने उत्तर में बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, आरटीडब्ल्युपीएल एवं आरटीएसएल ने क्रमशः आदेश को निरस्त करने अथवा सुपुर्दगी अनुसूची को पुनरीक्षित करने तथा आवंटित मात्रा को निरस्त करने के लिए निवेदन किया। जैसा कि इस निविदा (टीएन-4559) के अधीन आपूर्ति दर आगामी निविदा से कम थी, आरटीडब्ल्युपीएल की सुपुर्दगी अवधि को बढ़ा दिया एवं आरटीडब्ल्युपीएल के द्वारा आदेशित मात्रा के विरुद्ध 22.360 किमी केबल की आपूर्ति की जबकि आरटीसीएल को आवंटित मात्रा के निरस्तीकरण का मामला तीनों डिस्कॉम्स की निस्तारण समिति के पास लम्बित था। इसने आगे बताया कि बीसीपीएल के मामले में, सीएलपीसी ने ईएमडी को जब्त करने अथवा ईएमडी राशि को वसूलने के लिए विक्रेता के पंजीकरण को रद्द करने के साथ-साथ आदेशित मात्रा को निरस्त करने का निश्चय किया (जुलाई 2018)। तथ्य इस प्रकार रहा कि आपूर्तियां शुरु नहीं करने पर भी इन आपूर्तिकर्ताओं को एससीएन जारी करने से क्रमशः सात माह एवं 17 माह व्यतीत होने के उपरांत भी आरटीसीएल एवं बीसीपीएल के विरुद्ध व्यवसाय संबंध तोड़ने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जबकि तय मानकों की अवहेलना में आरटीडब्ल्यूपीएल की आपूर्ति अवधि को आगे बढाया गया। सभी तीन प्रकरणों में आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है **(नवम्बर 2018)**।

सामग्री का निरीक्षण/ जांच

2.17 कम्पनी के निरीक्षण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना था कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता एवं विनिर्देशों के अनुरूप थी। साथ ही, निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में आवश्यक जांच के उपरांत ही सामग्री को स्वीकार किया जाना था। ट्रांसफॉर्मर्स के मामले में, कम्पनी द्वारा जारी किये गये क्रयादेशों में प्रावधान था कि प्रत्येक समूह[31] अथवा उसके किसी भाग में से एक ट्रांसफॉर्मर को नियत वॉल्टेज के 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत भार पर कुल हानियों[32] की गणना हेतु चयनित किया जाना था। उन मामलों में

31 संबंधित क्रयादेश में निर्दिष्टानुसार एक समूह में 25 अथवा 10 ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं।

32 यह नियत वॉल्टेज के 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत भार पर ट्रांसफॉर्मर्स की कुल ऊर्जा हानियों के स्तर को दर्शाता है।

जहां 100 प्रतिशत भार पर कुल हानियां निर्दिष्ट हानियों से 10 प्रतिशत से अधिक पाई गई हों वहां संबंधित समूह को निरस्त करने के साथ साथ फर्म का शेष आदेश भी निरस्त किया जाना था। साथ ही, संबंधित आपूर्तिकर्ता को एक वर्ष अथवा समान रेटिंग की अगली निविदा के खोले जाने/ अंतिमीकरण, जो भी बाद में हो, तक कोई भी क्रयादेश प्रदान नहीं किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने ऐसे प्रकरण देखे जहां कम्पनी ने उचित निरीक्षण एवं जांच के बिना सामग्री प्राप्त की एवं संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने की बजाय अमानक सामग्री का उपयोग कर लिया। विवरण निम्नानुसार है:

निर्दिष्ट जांच को सुनिश्चित किये बिना ट्रांसफॉर्मर्स स्वीकार करना

2.17.1 हमने पाया कि कम्पनी ने निम्न मामलों में ट्रांसफॉर्मर्स की निर्दिष्ट जांच को सुनिश्चित नहीं किया:

- कम्पनी ने टीएन-1052 के अंतर्गत दो आपूर्तिकर्ताओं (अनुपम उद्योग एवं मोर ट्रांसफॉर्मर्स) को प्रत्येक से 1000 ट्रांसफॉर्मर्स (16 केवीए) के क्रय हेतु पुनः क्रयादेश प्रदान (जनवरी 2017 एवं फरवरी 2017) किया। हमने पाया कि कम्पनी ने 13 समूहों में 126 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति इन समूहों में से कोई नमूना चयन किये बिना स्वीकार की।
- कम्पनी ने हार्दिक ट्रांसफॉर्मर्स प्राईवेट लिमिटेड को टीएन 2218 के अंतर्गत 292 ट्रांसफॉर्मर्स (25 केवीए तीन फेज) का क्रयादेश प्रदान (मई 2014) किया। हमने पाया कि कम्पनी ने 10 ट्रांसफॉर्मर्स के पांच[33] समूहों में से कोई नमूना नहीं लिया।

इस प्रकार कम्पनी ने ₹ 70.45 लाख मूल्य के 176 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति निर्दिष्ट प्रमापों एवं तकनीकी मानकों के अनुसार इनकी जांच किये बिना स्वीकार कर ली। कम्पनी ने ट्रांसफॉर्मरवार निष्पादन का विवरण संधारित नहीं किया एवं इस कारण लेखापरीक्षा इन ट्रांसफॉर्मर्स की असफलता दर की जांच नहीं कर सकी।

सरकार ने कहा कि समूहों की जांच हेतु नमूनों का चयन क्रयादेश में निर्दिष्ट नमूना योजना के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूनों के चयन का तरीका दोषपूर्ण था क्योंकि इससे क्रयादेश के प्रावधानों के अनुसार ट्रांसफॉर्मर्स के प्रत्येक समूह में से नमूना नहीं लिया जा सका तथा कुछ समूह पूर्णतया छूट गये।

आपूर्ति को रद्द करने का अभाव/ दोषी आपूर्तिकर्ता को वर्जित करने का अभाव

2.17.2 हमने पाया कि सीटीएल द्वारा की गई आवश्यक जांच में ट्रांसफॉर्मर्स के असफल हो जाने के उपरान्त भी कम्पनी ने निम्न मामलों में दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की:

- कल्पना इन्डस्ट्रीज (आपूर्तिकर्ता) के मामले में 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर के एक विशेष समूह को केन्द्रीय जांच प्रयोगशाला (सीटीएल) में जांच के दौरान इस आधार पर असफल घोषित (29 मई 2014) किया कि नमूना जांच के दौरान 100 प्रतिशत भार पर ट्रांसफॉर्मर्स में अभिलेखित की गई कुल हानियां (395.50 वॉट) निर्दिष्ट हानियों (315 वाट) से 10 प्रतिशत से भी अधिक थी। हमने पाया कि कम्पनी ने उक्त समूह को रद्द करने के उपरान्त भी संबंधित क्रयादेश के प्रावधानों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को

33 क्रम संख्या 2195-2204, 2225-2234, 2245-2254, 2295-2304 एवं 2325-2334

अगली निविदाओं[34] में भाग लेने से वर्जित करते हुए शेष आपूर्ति रद्द नहीं की। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने उक्त निविदा (टीएन-2223) के अंतर्गत ₹ 1.59 करोड़ मूल्य के ट्रांसफॉर्मर्स की ओर आपूर्ति स्वीकार की तथा आपूर्तिकर्ता को आगामी निविदाओं में ₹ 1.08 करोड़ मूल्य के ओर आपूर्ति आदेश भी प्रदान किये।

- अनुपम उद्योग को टीएन-1052 के अंतर्गत 1000 ट्रांसफॉर्मर्स (16 केवीए) की आपूर्ति के पुनः क्रयादेश प्रदान किये जाने के मामले में 100 प्रतिशत भार पर नमूना ट्रांसफॉर्मर्स (क्रम संख्या 35306) की हानियां 538.83 वॉट अभिलेखित (मार्च 2017) की गई जो कि निर्दिष्ट अधिकतम कुल हानियों (440) से 10 प्रतिशत से भी अधिक थी। हमने पाया कि कम्पनी ने संबंधित समूह (35301 से 35310) को रद्द कर दिया परंतु शेष आदेश को रद्द नहीं किया तथा ₹ 1.83 करोड़ के शेष 484 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति स्वीकार कर ली जबकि क्रयादेश में वर्तमान निविदा की संपूर्ण आदेशित मात्रा को रद्द किये जाने तथा आगामी निविदा अथवा एक वर्ष जो भी बाद में हो तक वर्जित किये जाने का प्रावधान था। इस प्रकार, कम्पनी ने क्रयादेश में तय किये गये प्रावधानों के उल्लंघन में संबंधित आपूर्तिकर्ता पर शेष आपूर्ति को रद्द करने एवं आपूर्तिकर्ता को वर्जित किये जाने की आवश्यक कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (नवम्बर 2018) कि चूक एवं क्रयादेशों के गलत प्रावधानों को लागू किये जाने के कारण इन दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने भविष्य में ऐसे मामलों में तय प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वासित किया।

सामग्री प्रबंधन

2.18 एक प्रभावी सामग्री प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य अधिक स्टॉक को टालकर पूँजीगत निवेश को कम करना, मांग की अस्थिरता को संभालने हेतु आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अप्रचलन एवं गुणवत्ता में कमी के कारण हानि के जोखिम को कम करना होता है। एसई (आईएण्डएस) समग्र सामग्री प्रबंधन हेतु जवाबदेय है। लेखापरीक्षा जांच में सामग्री प्रबंधन में ₹ 69.65 करोड़ की निहित राशि की कमियां उजागर हुई। इनमें, स्टोर नियमावली में सामग्री जारी करने एवं लेखांकन करने की निर्दिष्ट पद्धति को लागू किये जाने का अभाव (₹ 3.01 करोड़), अतिरिक्त प्रापण के कारण निरर्थक सामग्री (₹ 9.11 करोड़), गारंटी अवधि में असफल सामग्री की मरम्मत में विलम्ब (₹ 36.62 करोड़), आवश्यक जांच के बिना टर्नकी ठेकेदारों से अतिरिक्त सामग्री को स्वीकार करना तथा उचित अनुमोदन के बिना सामग्री का उपयोग (₹ 10.47 करोड़), चोरी, आग, गबन के कारण सामग्री की हानि (₹ 2.04 करोड़) तथा ट्रांसफॉर्मर्स के निस्तारण में विलम्ब (₹ 8.40 करोड़) सम्मिलित हैं।

सामग्री नियंत्रण

2.19 क्रय नियमावली में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो क्रय की जाने वाली मदों की मात्रा

34 टीएन-2269 (16 सितम्बर 2014) के अंतर्गत ₹ 99.70 लाख एवं टीएन-2245 (26 अगस्त 2014) के अंतर्गत ₹ 8.42 लाख के 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स।

सामग्री नियंत्रण की तकनीकों यथा न्यूनतम स्तर, पुनः क्रयादेश स्तर एवं अधिकतम स्तर के निर्धारण तथा मूल्य विश्लेषण (एबीसी) एवं सामग्री के चलन के विश्लेषण को लागू करके निर्धारित की जाये। तथापि, कम्पनी ने सामग्री के प्रभावी प्रबंधन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण स्तर निर्धारित नहीं किये। कम्पनी ने निवेश, सामग्री धारण लागत एवं सामग्री के अप्रचलन व गुणवत्ता में कमी के जोखिम को न्यूनतम रखने के लिये मूल्य विश्लेषण भी नहीं किया।

कम्पनी द्वारा चलन के आधार पर सामग्री की मदों के वर्गीकरण हेतु मानक एवं क्रियाविधि भी निर्धारित की जानी थी तथा उसी अनुसार सामग्री के चलन की निगरानी की जानी थी। हमने देखा कि कम्पनी ने सामग्री की मदों को धीमी गति से चलन, रुकी हुई और अप्रचलित मदों में वर्गीकृत करने के लिए कोई मानक तथा पद्धति निर्धारित नहीं की थी। तथापि, कम्पनी ने बिना किसी एकरूप वर्गीकरण के अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से धीमी गति से चलने, रुकी हुई एवं अप्रचलित मदों हेतु रिपोर्ट तैयार की। हमने पाया कि इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए अपनाए गए मापदंड विभिन्न एसीओएस के लिए अलग-अलग थे क्योंकि यह कम्पनी के मुख्यालय से किसी भी परिपत्र / निर्देशों के माध्यम से निर्धारित नहीं किया गया था। इस प्रकार, वर्गीकरण किसी भी मानक प्रक्रिया / मानदंडों के बिना किया गया था।

2013-18 की अवधि के लिए कम्पनी की लेखा पुस्तकों में दर्शायी गई सामग्री की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सामग्री का आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त हुई सामग्री	वर्ष के दौरान जारी की गई सामग्री	सामग्री का अन्तिम शेष	वर्ष के दौरान औसत सामग्री[35]	वर्ष के दौरान औसत सामग्री (महिनों में)
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*12 महीने
2013-14	93.42	947.12	947.07	93.47	93.45	1.18
2014-15	93.47	825.87	775.98	143.36	118.42	1.83
2015-16	143.36	715.13	705.26	153.23	148.30	2.52
2016-17	153.23	631.09	646.83	137.49	145.36	2.70
2017-18	137.49	672.59	709.13	100.95	119.22	2.02

यह देखा जा सकता है कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान कम्पनी का अंतिम स्टॉक ₹93.47 करोड़ से ₹ 153.23 करोड़ के मध्य था। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अंतिम स्टॉक के मूल्य की गणना करते समय, कम्पनी ने केवल एसीओएस के पास पड़ी सामग्री के अंतिम शेष को ध्यान में रखा तथा उप-खण्ड भंडारों में स्थित सामग्री के अंतिम शेष पर विचार नहीं किया। साथ ही, कम्पनी ने एसीओएस से जारी की गई सामग्री का लेखा प्रगति पर कार्य के अंतर्गत किया तथा उपखण्ड भण्डारों पर सामग्री के अंतिम शेष को लेखा पुस्तकों में अलग से नहीं दर्शाया। उप-खण्ड भंडारों में सामग्री की स्थिति के विवरण के अभाव में, समग्र रूप से कम्पनी के लिए सामग्री स्तर एवं इसकी उपयुक्तता का विश्लेषण नहीं किया जा सका। तथापि, हमने देखा कि 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान एसीओएस[36] द्वारा धारित औसत सामग्री 1.18 से 2.70 महीने के मध्य थी।

35 वर्ष के दौरान औसत सामग्री = (सामग्री का प्रारम्भिक शेष + सामग्री का अन्तिम शेष)/2

36 इसमें कम्पनी के उप-खण्डों द्वारा धारित सामग्री सम्मिलित नहीं है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि पिछले तीन वर्षों की तुलना में 2017-18 में एसीओएस में सामग्री का स्तर कम हुआ है। साथ ही यह कहा कि सामग्री के विभिन्न स्तरों, मूल्य विश्लेषण, चलन विश्लेषण, एवं सामग्री के लेखांकन की प्रणाली में सुधार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यवसाय संसाधन आयोजना (ईआरपी) आधारित सामग्री नियंत्रण प्रणाली भी लागू की जा रही है जिसे इस तरह की अनियमितताओं / कमियों को दूर करने के लिए वर्तमान सामग्री प्रबंधन प्रणाली में विकसित किया जाएगा।

सामग्री जारी करने की दर का अनुचित निर्धारण

2.19.1 भण्डार नियमावली के वाक्यांश 9.17 में प्रावधान है कि सामग्री के वितरण के बाद किए गए सभी प्रभारों सहित वार्षिक एकरूप भण्डारण दर 'भण्डारण' शीर्ष के अंतर्गत लेखा किया जाना है एवं सामग्री जारी करने के प्रपत्र (एसआईएन) के माध्यम से जारी किए गए माल के मूल्य प्रभारित किया जाना है। हमने देखा कि एसई (आईएण्डएस) ने कुल अनुमानित वार्षिक भंडारण व्यय के आधार पर एकरूप भंडारण दर तय नहीं की तथा इसके स्थान पर सामग्री की लागत में मूल्य विचलन के पेटे 15 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 'सामग्री जारी करने की दर' (एसआईआर) निर्धारित की। इस प्रकार गणना की गई एसआईआर कार्यों की लागत के पूँजीकरण हेतु फील्ड कार्यालयों / कार्यों को जारी की गई सामग्री की लागत पर प्रभारित की गई। भण्डार नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित वास्तविक भंडारण दर की अनुपस्थिति में, कम्पनी द्वारा कार्यों पर भंडारण की लागत को अधिक प्रभारित / कम प्रभारित किये जाने को लेखापरीक्षा द्वारा तय नहीं किया जा सका।

सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि डीसीएफ के निर्णय (18 सितंबर 2009) के अनुसार, मूल्य विचलन के पेटे सामग्री की लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एसआईआर की गणना की गई तथा कहा कि एसआईआर निर्धारित करने के लिए सामग्री की भंडारण लागत की गणना करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जा रही है। इसने आगे कहा कि इस संबंध में भण्डार नियमावली/क्रय नियमावली को संशोधित करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है।

भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

2.19.2 कम्पनी ने नेक्सजेन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (नेक्सजेन) को ₹ 3.63 लाख की लागत से भण्डार एवं सामग्री के प्रबंधन के लिए पूर्णतया समर्पित सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य प्रदान किया (जनवरी 2006) तथा कार्य को साठ दिनों की अवधि में पूर्ण किया जाना था। सॉफ्टवेयर के कार्यक्षेत्र में 59 रिपोर्ट / विवरण-पत्र का सृजन शामिल था। विकासकर्ता को अजमेर और उदयपुर एसीओएस में सफल परीक्षण एवं सत्यता जांच करनी थी। हमने देखा कि परीक्षण हेतु अजमेर एवं उदयपुर में सॉफ्टवेयर की स्थापना से संबंधित कोई प्रतिवेदन और सॉफ्टवेयर के सही होने का विश्लेषण करने के लिए जांच प्रतिवेदन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

यह पाया गया कि नेक्सजेन द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर (पुराना संस्करण) जून 2006 से जनवरी 2017 तक उपयोग में था। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग सामग्री प्रबंधन के एक प्रभावी औजार के रूप में नहीं किया जा सका क्योंकि यह कार्यादेश के अनुसार कार्य करने और इच्छित प्रतिवेदन प्रदान करने में विफल रहा। सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन एवं प्रतिवेदनों/ विवरण-पत्रों के सृजन में निम्न कमियां पाई गईः

- सॉफ्टवेयर न्यूनतम और अधिकतम सामग्री स्तर, स्पण्ड-वार प्रभारित शीर्ष वार लेखा, सामग्री ट्रैकिंग रजिस्टर, सामग्री के आयु वार विश्लेषण आदि से संबंधित प्रतिवेदन सृजित नहीं कर सका।
- सॉफ्टवेयर में परीक्षण के लिए भेजी गई सामग्री के लेखांकन के लिए प्रावधान नहीं था इस प्रकार इसका लेखांकन मानवीय रूप से किया गया था।
- सॉफ्टवेयर पूर्व तिथि को धीमी गति चलन वाली / रुकी हुई मदों के प्रतिवेदन सृजित नहीं कर सका।
- एसीओएस ने विभिन्न परिचालन समस्याओं यथा स्याली भण्डार प्राप्ति नोट (एसआरएन), भण्डार जारी नोट (एसआईएन) में क्रमांक की प्रविष्टि का अभाव, लेनदेन की भारी मात्रा का लेखा करने में विफलता, विभिन्न रिपोर्टों में गलत और असंगत सामग्री शेष दर्शाया जाना आदि का सामना किया। इसके अलावा, सॉफ़्टवेयर कम्पनी द्वारा खरीदे गए नवीनतम हार्डवेयर द्वारा समर्थित नहीं था।

सॉफ्टवेयर में उपर्युक्त कमियों और परिचालन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एसआईएमएस) को अद्यतित एवं संशोधित करने का कार्य विजुअल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 1.73 लाख की लागत पर प्रदान (27 दिसम्बर 2016) किया गया। इस कार्य में सामग्री परीक्षण प्रवाह, गारंटी में असफल/ मरम्मत की गई सामग्री (ट्रांसफॉर्मर्स, सीटीपीटी सेट और मीटर) के लेखांकन की सुविधा, प्राप्ति / जारी करने की बहु-उपयोगकर्ता प्रविष्ठि तथा रिपोर्टिंग सुविधा का बहु-वर्षीय संकलन शामिल है। विकसित सॉफ्टवेयर को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लेन) के माध्यम से सभी वृतीय भण्डार कार्यालयों में वेब आधारित संरचना पर कार्य करना था और दिन के अंत में डाटा को कम्पनी के वेब सर्वर पर अद्यतित किया जाना था। डाटा को कम्पनी के मुख्यालय स्तर पर संकलित किया जाना था।

सॉफ्टवेयर का संशोधित संस्करण जनवरी 2017 से लागू किया गया था। हालांकि, सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण के कार्यान्वयन और इसके द्वारा सृजित निर्गत प्रतिवदेनों / विवरण-पत्रों में निम्न विसंगतियां पाई गईः

- सॉफ्टवेयर का संशोधित संस्करण भी एक पूर्व तिथि पर धीमी गति से चलने वाली/ रुकी हुई मदों के प्रतिवेदन सृजित नहीं कर सका।
- सॉफ्टवेयर को अद्यतित करने के लिए जारी किए गए कार्यादेश में सॉफ्टवेयर के पुराने संस्करण से संशोधित संस्करण में डाटा के स्थानान्तरण के घटक शामिल नहीं थे। परिणामस्वरूप, संशोधित सॉफ्टवेयर मौजूदा प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं था और पुराने संस्करण के डेटा को एक अलग प्रणाली में रखा गया था। इस प्रकार सॉफ्टवेयर का संशोधित संस्करण एकीकृत निर्गत उत्पन्न करने के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी ने पुराने संस्करण से 12 साल के विद्यमान डेटा का सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण में स्थानान्तरण का कार्य ₹ 7.78 लाख की अतिरिक्त लागत पर अलग से प्रदान (जून 2018) किया।
- सॉफ्टवेयर लेन के माध्यम से एसीओएस के मध्य एकीकृत नहीं किया गया था और दिन के अंत में डेटा कम्पनी के वेब सर्वर पर उपलब्ध नहीं था। मार्च 2018 तक मुख्यालय में प्रतिवेदन संकलित नहीं किये गये थे।

- सॉफ़्टवेयर के संशोधित संस्करण में सामग्री की उन मदों (ट्रांसफॉर्मर, सीटीपीटी सेट, मीटर, वीसीबीज आदि) के संबंध में प्रतिवेदन सृजित करने का प्रावधान नहीं था जो गारंटी अवधि में या उसके पश्चात विफल हो गई थी और संबंधित भण्डार / आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़ी थी। डेटा को अलग से एमएस एक्सल में रखा गया था। इस प्रकार कम्पनी इस तरह के उच्च मूल्य की मदों की स्थिति की निगरानी और इस सॉफ्टवेयर की सहायता से विफल वस्तुओं के प्रतिस्थापन नहीं किये जाने / प्रतिस्थापन में देरी के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर लगाए जाने वाली शास्ति की गणना नहीं कर पाई।

इस प्रकार, सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण को भी सामग्री प्रबंधन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि संशोधित सॉफ्टवेयर एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है, जो सभी एसीओएस में स्थापित किया गया है और डीसीओएस में एक सर्वर स्थापित किया गया है, परंतु इंटरनेट की धीमी गति के कारण एसीओएस के डेटा को डीसीओएस स्तर के सर्वर में स्थानांतरित नहीं किया जा सका। इसने आगे कहा कि डेटा स्थानान्तरण की समस्या को दूर करने के लिए एक उच्च गति का लीज लाइन कनेक्शन लिया जाना है। सरकार ने आगे कहा कि संशोधित सॉफ्टवेयर में उन मदों के लिए एक मॉड्यूल है जो गारंटी अवधि के दौरान विफल रही परंतु सॉफ्टवेयर के पुराने संस्करण से डेटा का स्थानान्तरण नहीं होने के कारण यह अपेक्षित प्रतिवेदन सृजित नहीं कर सका। निकासी सभा के दौरान, कम्पनी के प्रबंधन ने जुलाई 2018 के अंत तक डेटा स्थानान्तरण का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन प्रदान किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है **(नवंबर 2018)**।

सामग्री का लेखांकन

2.19.3 भण्डार नियमावली ने विभिन्न प्रकार के कार्यों और सामग्री के लिए **32 प्रकार के भण्डार पर नियंत्रण (सीओएस) प्रारूपों** के माध्यम से स्टोरकीपिंग, लेखाकंन और सामग्री नियंत्रण की प्रणाली निर्धारित की। कुशल लेखाकंन, निगरानी, नियंत्रण और प्रभावी सूचना प्रणाली के लिए एसीओएस और उप-खण्ड भंडारों के लिए इन सीओएस प्रारूपों में सामग्री के अभिलेखों का संधारण करना आवश्यक था। सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के बाद, एसीओएस स्तर पर सामग्री का लेखांकन आईटी सक्षम प्रणाली पर किया गया था, हालांकि, उप-खण्ड स्तर पर लेखांकन मानवीय रूप से जारी रहा। हमने देखा कि एसआईएमएस के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और अभिलेख संधारण के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे। हमने यह भी देखा कि एसआईएमएस के दोनों संस्करण, भण्डार नियमावली में निर्धारित सभी सीओएस प्रारूप (वृत की सामग्री के भण्डार विवरण खाते (सीओएस-14), भण्डार प्राप्ति नोट (सीओएस-8) और भण्डार जारी करने के नोट (सीओएस-18) को छोड़कर) आईटी प्रणाली के माध्यम से संधारित नहीं किये जा रहे थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि उप-खण्ड स्तर पर लेखांकन के लिए भी एक आईटी सक्षम प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, एसआईएमएस के कार्यान्वयन के पश्चात सामग्री के लेखांकन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं करने के संबंध में उत्तर मौन था।

सामग्री को जारी करना एवं लेखाकंन

2.19.4 भण्डार नियमावली का वाक्यांश 8.2 एक अनुमान पत्र (सीओएस-16) के संधारण की अनिवार्यता का प्रावधान करता है जिसमें एक कार्यादेश के लिये आवश्यक संचालन / रखरखाव / पूंजी कार्यों के लिए स्वीकृत अनुमान / उप-अनुमान के समक्ष प्रत्येक वर्ग / प्रकार की सामग्री की मात्रा का अनुमान बनाना तथा खण्ड/ उप-खण्ड अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित करवाना होता है। भण्डार नियमावली के वाक्यांश 8.3 और 8.4 में सामग्री जारी करने हेतु भण्डार मांग-पत्र (सीओएस 17) नामक मांग-पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है जिसमें उस भण्डार / उप-खण्ड का नाम जिसके लिए सामग्री की आवश्यकता है, कार्य/ कार्यादेश क्रम संख्या, लेखा शीर्ष, आवश्यकता का उद्देश्य, कार्य पहचान पत्र, व्यक्ति का नाम जिसे माल जारी किया जाना है, आदि का उल्लेख होता है। हमने देखा कि सभी चयनित एसीओएस में उप-खण्डों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र (सीओएस -17) में कार्य पहचान पत्र (डब्ल्यूआईएम), लेखा शीर्ष, आवश्यकता का उद्देश्य का संदर्भ नहीं था। साथ ही, सामग्री अनुमान पत्र की प्रस्तुति के बिना जारी की गई थी।

चयनित एसीओएस तथा उनके अंतर्गत 15 उप-खंडों में सामग्री की प्राप्ति और जारी करने से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई :

भण्डार नियमावली का प्रावधान	*कम्पनी द्वारा अपनाई गई पद्धति*
उप-खंड कार्यालयों द्वारा एसीओएस को भण्डार मांग-पत्र (सीओएस 17) प्रस्तुत किया जाना था और एसीओएस द्वारा भण्डार जारी करने के पत्र (सीओएस 18) के माध्यम से सामग्री जारी की जानी थी। तत्पश्चात, दोनों सीओएस प्रारूपों (सीओएस 17 और 18) को मिला दिया गया और तदनुसार, उप-खंड कार्यालयों को अनुमान कार्ड (सीओएस 16) के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक मांगपत्र / भण्डार मांग-पत्र पांच प्रतियों में जमा करवाया जाना था।	• नमूना जांच किये गये सात[37] उप-खंडों द्वारा मांग-पत्र की मूल प्रति खाली रखी गई थी तथा चार प्रतियां एसीओएस को भेजी गई थी। यह पाया गया कि मांग-पत्र एसीओएस में भरे गये तथा तदानुसार सामग्री जारी की गई। कुछ मामलों में, गेट पास जिनके द्वारा सामग्री जारी की गई थी मांग पत्र/ सामग्री मांग-पत्र पर चस्पा पाये गये। • चयनित उप-खंडों के अंतर्गत सात[38] कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा मांग-पत्र हाथ से बनाये गये थे तथा यह सीओएस 17 प्रारूप में नहीं थे तथा इनमें लेखा शीर्ष, जारी किये जाने का उद्देश्य, डब्ल्यूआईएम क्रमांक एवं कार्यादेश क्रमांक का उल्लेख नहीं था। • चार[39] उप-खंडों के कनिष्ठ अभियंताओं ने चल रहे कार्यों हेतु उप-खंडों द्वारा उनको जारी सामग्री हेतु मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे।
भण्डारपाल द्वारा सामग्री जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों का एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा जिसमें संबंधित एसई/ कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किये गये नमूना हस्ताक्षर होगें तथा सामग्री जारी करने से पूर्व उनका मिलान किया जायेगा।	• संबंधित एसई/ कार्यपालक अभियंता ने एसीओएस से सामग्री की मांग करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों के नाम एवं नमूना हस्ताक्षर सूचित नहीं किये। एसीओएस ने भी यह सुनिश्चित किये बिना उप-खंड/ कार्यों को सामग्री जारी कर दी कि मांग-पत्र प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये गये हैं। • नमूना जांच किये गये सभी उप-खंडों (आरएपीडीआरपी, उदयपुर एवं मधुबन के अतिरिक्त) के भण्डारपालों ने

37 (i) पुष्कर, (ii) झाड़ौल, (iii) मधुबन, (iv) आरएपीडीआरपी-उदयपुर, (v) पलसाना, (vi) लक्ष्मनगढ़ एवं (vii) पीपराली।

38 (i) पुष्कर, (ii) झाड़ौल, (iii) श्री माधोपुर, (iv) भदेसर, (v) डूंगला, (vi) बड़ी सादड़ी एवं (vii) पलसाना।

39 (i) पीपराली, (ii) भिंडर, (iii) मावली एवं (iv) आरएपीडीआरपी-उदयपुर।

	कनिष्ठ अभियंताओं के मांग-पत्रों हेतु संबंधित एईएन से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया।
एसीओएस द्वारा एसआईएन पांच प्रतियों में बनाया जाना था तथा इसे मांग करने वाले, भण्डार लेखा तथा वृत लेखा को उपलब्ध करवाया जाना था।	चयनित चारों एसीओएस ने एसआईएन चार प्रतियों में संधारित की परंतु एसआईएन की सभी प्रतियां स्वयं के पास रखी तथा मांग करने वाले, भण्डार लेखा तथा वृत्त लेखा को यह प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाई। उप-खंड कार्यालयों पर भण्डार मांग-पत्र एवं एसआईएन की प्रतियों के अभाव में अनुमान पत्र नहीं भरे गये तथा वृत्त लेखों को लेखाकंन हेतु नहीं भेजे गये।
उप-खंडों से कनिष्ठ अभियंताओं को सामग्री जारी करने हेतु गेट पास तीन प्रतियों में बनाया जाना चाहिये तथा संदेशवाहक एवं कनिष्ठ अभियंताओं को उपलब्ध करवाया जाना चाहिये।	भण्डारपालों द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं को ऐसे गेट पास द्वारा सामग्री जारी की गई जिसमें प्राप्तकर्ता का नाम, कार्य का नाम एवं जारी किये जाने के उद्देश्य का वर्णन नहीं था। साथ ही, छः[40] उप-खंडों द्वारा गेट पास की दो प्रतियां संधारित की गई तथा इन्हें संदेशवाहक एवं संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

सरकार ने इन तथ्यों को स्वीकार किया कि कुछ उप-खंडों में मांग-पत्रों को खाली रखे जाने की गलती हुई थी क्योंकि प्रणाली से अवगत नहीं होने के कारण संबंधित भण्डारपालों को अभिलेख संधारित करने का आवश्यक ज्ञान नहीं था तथा यह आश्वासन प्रदान किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां दोहराई नहीं जायेगी। यह भी स्वीकार किया गया कि प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों की पुष्टी की तय प्रणाली एवं उप-खंडों को एसआईएन जारी करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था तथा भविष्य में तय प्रणाली/प्रक्रिया का पालन किये जाने का आश्वासन प्रदान किया गया। यह भी कहा गया कि सामग्री के अनुचित लेखाकंन एवं निगरानी की समस्या को उप-खंड स्तर पर आईटी आधारित सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के पश्चात दूर कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, एसीओएस को सामग्री की निगरानी रखने तथा नियमित आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये उप-खंड भंडारों का दौरा करने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2017) किया गया है।

अपूर्ण अभिलेखीकरण

2.19.5 भण्डार नियमावली एवं समय समय पर प्रबंध द्वारा जारी निर्देश सामग्री के लेखाकंन से संबंधित अभिलेखीकरण की प्रकिया को निर्धारित करते हैं। चयनित एसीओएस से सामग्री की मांग करने वाले 15 उप-खंडों के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा निम्नलिखित कमियां उजागर हुईः

- चयनित उप-खंड भंडारों द्वारा जारी किये गये निर्देशों (26 फरवरी 2010) के अनुसार प्रत्येक कार्यादेश हेतु कार्य पहचान पत्र के अनुसार कार्य-पत्रकों एवं ट्रांसफॉर्मर चलन रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था। साथ ही, चयनित सभी उप-खंडों में कार्य में संलग्न कनिष्ठ अभियंताओं एवं ठेकेदारों द्वारा *'कार्यस्थल पर सामग्री का खाता'* नहीं संधारित किया गया।
- कम्पनी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सामग्री एवं भण्डार के अभिलेख संधारित करने हेतु निर्धारित प्रारूपों (सीओएस 6: भण्डार सह मात्रा खाता) में मुद्रित स्टेशनरी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित नहीं किया। आवश्यक मुद्रित स्टेशनरी के अभाव में सभी चयनित उप-खंडों द्वारा सामग्री के लेखों का संधारण बाजार से क्रय किये गये

40 (i) रींगस, (ii) पलसाना, (iii) श्री माधोपुर, (iv) भदेसर, (v) डूंगला एवं (vi) बड़ी सादड़ी।

भण्डार रजिस्टरों में किया गया जिसमें केवल सामग्री के मात्रात्मक विवरण यथा प्राप्ति, जारी करना एवं सामग्री का शेष दर्ज किये गये।

- चयनित उप-स्टेशनों (आरएपीडीआरपी-उदयपुर एवं मधुबन को छोड़कर) के कनिष्ठ अभियंताओं ने उप-स्टेशन भंडारों से प्राप्त तथा ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री के लेखांकन हेतु भण्डार रजिस्टर संधारित नहीं किया। साथ ही, कनिष्ठ अभियंताओं एवं ठेकेदारों द्वारा विशिष्ठ कार्यादेश हेतु जारी एवं उपयोग की गई सामग्री के लिये कार्यस्थल पर सामग्री का स्थाता संधारित नहीं किया गया था।
- चयनित उप-स्टेशनों (आरएपीडीआरपी-उदयपुर, डूंगला एवं बड़ी सादड़ी को छोड़कर) द्वारा ट्रांसफॉर्मर्स असफलता रजिस्टर संधारित किया जा रहा था। तथापि, यह रजिस्टर एसीओएस में जमा करवाये गये ट्रांसफॉर्मर्स एवं असफलता प्रतिवेदन के संबंध में समुचित उल्लेख के बिना हाथ से बनाये गये प्रारूपों में संधारित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, इन रजिस्टरों के संधारण हेतु कोई समान प्रारूप नहीं अपनाया गया था। साथ ही, चयनित उप-स्टेशन भंडारों में से किसी ने भी जले हुये ट्रांसफॉर्मर्स से निकाले गये ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अभिलेख संधारित नहीं किये।
- चयनित उप-स्टेशनों के भण्डारपालों द्वारा संधारित रजिस्टर ना तो भण्डारपालों द्वारा हस्ताक्षरित थे और ना ही संबंधित एईएन को प्रस्तुत/सत्यापित किये गये थे।
- चयनित 13 उप-स्टेशनों[41] में, भण्डारपालों द्वारा सामग्री जमा नोट समुचित रूप से संधारित नहीं किये गये थे क्योंकि कुछ मामलों में अपूर्ण/रिक्त सामग्री जमा नोट भण्डारपालों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये थे जबकि कुछ मामलों में सामग्री जमा नोट पर प्राप्तिकर्ता के प्रति-हस्ताक्षर नहीं थे।

सरकार ने कहा कि उप-स्टेशन स्तर पर अभिलेखों के उचित संधारण हेतु आईटी आधारित प्रणाली सॉफ्टवेयर लागू किया जायेगा। तथापि, उत्तर चयनित उप-स्टेशनों द्वारा अपूर्ण अभिलेखीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी में रेखांकित कमियों/खामियों के संबंध में मौन था।

भण्डार नियमावली के प्रावधानों एवं उच्च प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुये सामग्री जारी करने एवं लेखाकंन के कुछ उदाहरण स्वरूप मामले नीचे वर्णित हैं:

फीफो विधि अपनाये बिना सामग्री की मदें जारी करना

2.19.6 डिस्कॉम्स के अध्यक्ष ने निर्देश जारी (अगस्त 2016) किये कि सभी भण्डार मदें विशेषतया गारंटी अवधि वाक्यांश के अंतर्गत आने वाली सामग्री यथा ट्रांसफॉर्मर्स, सीटीपीटी सेट एवं विद्युत मीटर *प्रथम आगत प्रथम निर्गत* (फीफो) विधि से जारी की जानी चाहिये ताकि कार्यक्षेत्र में भण्डार का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने सामग्री जारी करने के लिये फीफो विधि की अनुपालना नहीं की जिसके कारण पूर्व के वर्षों से संबंधित सामग्री भण्डार में पाई गई जबकि बाद में प्राप्त हुई सामग्री जारी कर दी गई थी।

41 (i) सराधना, (ii) पुष्कर, (iii) झाड़ौल, (iv) भिंडर, (v) मावली, (vi) आरएपीडीआरपी-उदयपुर, (vii) श्रीमाधोपुर, (viii) रींगस, (ix) पलसाना, (x) लक्ष्मणगढ़, (xi) भदेसर, (xii) डूंगला एवं (xiii) बड़ी सादड़ी।

एसीओएस अजमेर शहर के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि भण्डार के आंतरिक निरीक्षण के दौरान एसीओएस ने 2014-15, जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 एवं 2017-18 की अवधि में क्रमशः 300, 1660 एवं 2825 तीन फेज मीटर अतिरिक्त पाये। इसके अतिरिक्त, स्टॉक सत्यापक ने भी 2013-17 की अवधि के लिये भण्डार का भौतिक सत्यापन किया था। तथापि, स्टॉक सत्यापक ने नवम्बर 2014 से जनवरी 2016 की अवधि के दौरान केवल 178 मीटर अतिरिक्त पाये तथा फरवरी 2016 से मार्च 2017 के दौरान भण्डार में पड़े मीटरों की वास्तविक संख्या एवं लेखों में शेष (460 मीटर) में कोई अंतर नहीं पाया।

यह दर्शाता है कि भण्डार की मदों के सत्यापन हेतु निर्दिष्ट प्रणाली एवं नियंत्रणों की उचित रूप से पालना नहीं की गई थी क्योंकि स्टॉक सत्यापक भण्डार के भौतिक सत्यापन के दौरान अतिरिक्त मीटर पकड़ने में असफल रहे जो कि एसीओएस द्वारा भण्डार के आंतरिक निरीक्षण के दौरान पाये गये। तत्पश्चात, भण्डार के सत्यापन के दौरान एसीओएस ने 2825 अतिरिक्त मीटर (मार्च 2013 में क्रय किये गये 2000 मीटरों सहित) पाये (जनवरी 2018)। इस प्रकार, कमजोर सामग्री नियंत्रण के कारण ₹ 1.15 करोड़ मूल्य के मीटरों, जो कि भण्डार में अनुपयोगी पड़े रहे, की अधिकांश गारंटी अवधि (पांच वर्ष) समाप्त हो गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि तीन फेज मीटर अतिरिक्त पाये गये क्योंकि मीटर क्रम संख्या के आधार पर जारी नहीं किये गये थे तथा इस प्रकार सामग्री जारी करने की फीफो प्रणाली नहीं अपनाई गई। तथापि उत्तर भण्डार सत्यापकों द्वारा आंतरिक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करने के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी में रेखांकित की गई कमियों/ त्रुटियों के संबंध में मौन था।

जारी की गई/उपलब्ध सामग्री का दोषपूर्ण लेखांकन

2.19.7 निम्नलिखित मामले देखे गये जहां कम्पनी द्वारा जारी की गई/ उपलब्ध सामग्री के उचित लेखांकन को सुनिश्चित नहीं किया गया:

- चार[42] चयनित उप-खंडों के भण्डार रजिस्टरों की संवीक्षा एवं भंडारों में उपलब्ध सामग्री के संयुक्त निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि भण्डार रजिस्टरों में दर्शाया (अप्रैल 2018) गया सामग्री का अंतिम शेष भण्डार में पाये गये स्टॉक के शेष से अलग था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान, उप-खंडों के भण्डार पर भौतिक रूप से उपलब्ध 134 सामग्री मदों का निरीक्षण किया गया जिसमें से ₹ 1.86 करोड़ मूल्य की 97 मदों का स्टॉक, स्टॉक रजिस्टरों में दर्शाये गये शेषों की तुलना में अतिरिक्त पाया गया। यह दर्शाता है कि भण्डारपालों ने भण्डार में पड़ी सामग्री को गेट पास जारी करके कार्यों को जारी करना दर्शाया। कनिष्ठ अभियंता भी स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं कर रहे थे तथा उप-खंड के लेखों में स्टॉक शून्य दर्शाया गया था।
- एसीओएस अजमेर शहर के कार्मिकों के साथ किये गये संयुक्त निरीक्षण (22 फरवरी 2018) के दौरान हमने पाया कि दो प्रकार (7/10 एमएम एवं 7/8 एमएम) का 52.80 एमटी (1056 बंडल) जीआई स्टे वायर भण्डार में छः स्थानों पर मिला कर खुले में डाल दिया गया जबकि स्टॉक रजिस्टर उसी दिन इन वायर्स का शेष शून्य दर्शा रहे थे। अभिलेखों की आगे संवीक्षा से उजागर हुआ कि दोनों प्रकार के वायर्स का संपूर्ण उपलब्ध स्टॉक मांग-पत्र के माध्यम से उप-खंडों को जारी किया जा चुका था

42 बड़ी सादड़ी, भदेसर, मावली एवं भिंडर।

तथा भण्डार जारी करने के प्रपत्र (एसआईएन) भी सृजित किये जा चुके थे। यह दर्शाता है कि सृजित किये गये मांग-पत्र एवं गेट पास असली नहीं थे। इसके अतिरिक्त, भण्डार सत्यापक ने अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2014, नवम्बर 2014 से जनवरी 2016 एवं फरवरी 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि हेतु किये गये तीन भौतिक सत्यापनों के दौरान इन स्टे वायर्स का सत्यापन नहीं किया।

- एसीओएस अजमेर शहर के मामले में, एसीओएस अजमेर शहर पर जीआई वायर (8 एसडब्ल्यूजी) का शेष 1 अप्रैल 2013 एवं 31 मार्च 2018 को क्रमशः 263.19 एमटी एवं 53.29 एमटी दर्शाया गया। हमने पाया कि सहायक अभियंता (मीटर जांच) अजमेर ने एसीओएस अजमेर शहर को 60 किलोग्राम जीआई वायर (8 एसडब्ल्यूजी) जारी करने हेतु एक मांग पत्र भेजा (8 अगस्त 2013) जो कि हाथ से बनाये गये गेट पास के आधार पर जारी कर दिया गया। हमने पाया कि गेट पास में 60 किग्रा के स्थान पर गलत रूप से 60 एमटी जीआई वायर जारी करना दर्शाया (21 सितम्बर 2013) गया। तथापि, 59.94 एमटी (1199 बंडल में) अतिरिक्त वायर जारी करने का लेखा भण्डार लेखा अनुभाग द्वारा इंगित नहीं किया गया तथा 2013-14 के पश्चात की अवधि के स्टॉक खाते का सत्यापन मांग-पत्रों एवं सामग्री जारी करने के प्रपत्रों से कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, स्टॉक सत्यापक ने भी 2013-18 की अवधि के दौरान एसीओएस अजमेर शहर का तीन बार भौतिक सत्यापन किया परंतु इस प्रकार की गलती इंगित नहीं की।

यह दर्शाता है कि कम्पनी ने भण्डार अभिलेखों के संधारण एवं निगरानी हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली नहीं अपनाई थी।

सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उप-खंड स्तर पर सामग्री का लेखांकन उचित रूप से नहीं किया जा रहा है तथा कहा कि सामग्री के उचित लेखांकन हेतु आईटी आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी अथवा प्राप्त सामग्री के समाशोधन एवं कार्यक्षेत्र में सामग्री के उपयोग की निगरानी हेतु एसीओएस को निर्देश जारी किये गये हैं। यह भी स्वीकार किया गया कि भूलवश स्टे वायर का लेखा नहीं किया गया तथा जीआई वायर की मात्रा अभिलेखों में गलत दर्ज की गई थी। तथापि, जीआई वायर के अनुचित लेखे की गलती को सुधार लिया गया है। तथापि, उत्तर भण्डार के भौतिक सत्यापन के दौरान इन त्रुटियों को नहीं पकड़ पाने के संबंध में मौन था।

भण्डार का भौतिक सत्यापन

2.19.8 भण्डार नियमावली के वाक्यांश 11.2 निर्धारित करता है कि मुख्य लेखाधिकारी/आंतरिक लेखापरीक्षा के नियंत्रण में काम कर रहे स्टॉक सत्यापनकर्ताओं द्वारा एसीओएस और उप-खण्डीय स्टोर्स में सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन (पीवी) करना है।

हमने देखा कि भण्डारों का भौतिक सत्यापन वार्षिक रूप से नहीं किया गया था। 2013-18 में कुल 12 एसीओएस में से, छः[43] एसीओएस, तीन[44] एसीओएस और तीन[45] एसीओएस पर क्रमशः एक बार, दो बार और तीन बार भौतिक सत्यापन किया गया। इस प्रकार, 2013-18 के

43 एसीओएस चित्तौड़गढ, झुंझुनू, प्रतापगढ, अजमेर जिला, डूंगरपुर और बाँसवाड़ा।

44 एसीओएस सीकर, उदयपुर और राजसमंद।

45 एसीओएस अजमेर शहर, नागौर और भीलवाडा।

दौरान स्टॉक सत्यापनकर्ताओं ने 60[46] भौतिक सत्यापन की आवश्यकता के खिलाफ केवल 21 भौतिक सत्यापन किए और ₹ 93.21 लाख की कमी और ₹ 106.13 लाख के आधिक्य की सूचना दी। भौतिक सत्यापन में शामिल की गई समयावधि भी एक से चार वर्ष के बीच थी । हमने देखा कि 13 भौतिक सत्यापनों के दौरान, स्टॉक सत्यापनकर्ताओं ने स्टोर की वस्तुओं को 18.12 प्रतिशत (उदयपुर एसीओएस) से 96.63 प्रतिशत (भीलवाड़ा एसीओएस) के बीच कवर किया, जबकि शेष आठ भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में सत्यापन में समाविष्ट/अपवर्जित वस्तुओं की स्थिति का वर्णन नहीं किया गया था। हमने आगे देखा कि 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान, 15 चयनित उप-मण्डलीय स्टोरों में, कोई भौतिक सत्यापन (तीन उप-मण्डलों जैसे 2010-11 में डूंगला और 2016-17 में पुष्कर और सराधना को छोड़कर) नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कम्पनी ने वार्षिक आधार पर एसीओएस और उप-खण्डीय स्टोर्स का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया। कम्पनी ने भौतिक सत्यापन रिपोर्टों के लिए एक समान प्रारूप भी विनिर्दिष्ट नहीं किया था और ये रिपोर्टें अलग-अलग प्रारुप में बनाई जा रही थी । भण्डारों का समय पर भौतिक सत्यापन ना करने से भण्डारों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निगरानी प्रभावित हुई।

सरकार ने इन तथ्यों को स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा कर्मचारियों की कमी के कारण वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका और स्टोर मैन्युअल के अनुसार प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करने के लिए कम्पनी की लेखापरीक्षा दल को मजबूत करने का आश्वासन दिया ।

भण्डार की आंतरिक जांच

2.19.9 भण्डार नियमावली के वाक्यांश 11.1 प्रदान करता है कि सामग्री का आवधिक भौतिक सत्यापन स्टोरकीपर/एसीओएस द्वारा इस तरह करना होता है कि सभी बिन कार्डस को वर्ष में कम से कम तीन बार चैक किया जाए और स्टोर्स की मात्रा बहीखाता के साथ मिलान किया जाए। अध्यक्ष (डिस्कॉम्स), ने एसीओएस / स्टोर अधीक्षक (एसएस) को, उच्च मूल्य की वस्तुओं जैसे कंडक्टर ड्रम्स, केबल ड्रम्स, वितरण ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर ऑयल ड्रम्स, सीटीपीटी सेट इत्यादि के संबंध में स्टोर्स के आंतरिक भौतिक सत्यापन के लिए भी निर्देशित (1 सितम्बर 2016) किया। निर्देशों के अनुसार,एसीओएस/एसएस को हर महीने कम से कम अन्य पांच क्रमरहित ढंग से चयनित स्टोर आइटम्स का भौतिक सत्यापन करना होता है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, हमने देखा कि एसीओएस/एसएस/स्टोर कीपर्स ने स्टोर मैन्युअल के प्रावधानों और अध्यक्ष, डिस्कॉम्स के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया क्योंकि 2013-18 की अवधि के दौरान सामग्री के आवधिक सत्यापन के लिए आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टें नहीं बनाई गई थी। हालांकि, एसीओएस/एसएस/स्टोरकीपर्स ने चुनिंदा मामलों[47] में स्टोरों का आंतरिक निरीक्षण किया था । हमने 2013-18 में दो उदाहरणों में, जहां चयनित एसीओएस ने भण्डारों का आंतरिक निरीक्षण किया और सामग्री में कमी/अधिशेष मिली, में निम्न कमियाँ पाई गईः

- चित्तौड़गढ़ एसीओएस ने ₹ 69.10 लाख मूल्य के 67 स्टोर आइटम्स अधिशेष घोषित किए और इन वस्तुओं को स्टॉक में शामिल किया। इन वस्तुओं में से, 19 पुराने और

46 12 एसीओएस * 5 वर्ष।

47 एसीओएस चित्तोड़गढ में 12 मामले, एसीओएस सीकर में 5 मामले, एसीओएस उदयपुर में 18 मामले तथा एसीओएस अजमेर शहर में 44 मामले।

उपयोग योग्य वस्तुओं को शून्य मूल्य पर दिखाया गया था। इसके अलावा, दो स्टोर आइटम्स यानी 465 ट्रांसफॉर्मर्स (198 पुराने और उपयोग करने योग्य, 168 अमितव्ययी और 99 क्षतिग्रस्त अमॉरफॉस ट्रांसफॉर्मर्स) और 452 एनर्जी मीटर (तीन फेस) भी अधिशेष घोषित किए गए थे। हमने देखा कि एसीओएस ने बिना गारंटी अवधि की सीमा सुनिश्चित किये अतिरिक्त मीटर जारी कर दिए।

- अजमेर सिटी एसीओएस ने ₹ 2.44 करोड़ के 73 स्टोर आइटम्स[48] जैसे एनर्जी मीटरों, केबल, कंडक्टर आदि अधिशेष घोषित किये । इसमें मुख्य रूप से 5385 तीन फेस और 1552 सिंगल फेस एनर्जी मीटर, विभिन्न रेटिंग की 12.418 किलोमीटर केबल और 80.319 किलोमीटर कंडक्टर शामिल थे। हमने देखा कि गारंटी अवधि अंतिम खरीद की तारीख से एनर्जी मीटर के लिए पांच साल और केबल के लिए 18 महीने थी। स्टोर में टेंडर संख्या और प्राप्ति की तारीख की अनुपस्थिति में, केबलों के लिए गारंटी अवधि के पूरा होने का पता नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, स्टोर की ज्यादातर वस्तुओं की अधिशेष/कमी की पहचान इंगित करती है कि स्टोर वस्तुओं को जारी करने और उनके लेखांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया था। हमने देखा कि एसीओएस ने भविष्य में इस तरह की कमियों को नियंत्रित करने के लिए, स्टोर में कमजोर लेखांकन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। इसके अलावा, एसीओएस ने मुख्य लेखा अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा (सीएओ /आईए) को भण्डार नियमावली में निर्धारित किये अनुसार, विचलनों के लेखांकन के लिए मंजूरी नहीं ली।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि सामग्री के यादृच्छिक भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक आंतरिक निरीक्षण करने के लिए सभी एसीओएस को निर्देश जारी किए गए हैं और एसीओएस ने विशेष रूप से उच्च मूल्य के लिए सामग्री के मासिक यादृच्छिक भौतिक सत्यापन करना शुरू कर दिया है। इसमें आगे कहा है कि एसीओएस अजमेर और चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिशेष घोषित सामग्री के अनधिकृत लेखांकन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित **(नवम्बर 2018)** है।

सामग्री की अधिशेष/कमी का समायोजन

2.19.10 भण्डार नियमावली के अनुसार सामग्री की कमी और अधिशेष का समायोजन क्रमशः स्टोर इश्यू नोट्स (एसआईएन) और स्टोर इश्यू रिसीप्ट (एसआईआर) के द्वारा करना होता है। संबंधित सहायक अभियंताओं/सहायक स्टोरकीपरों को सामग्री की ऐसी कमी/अधिशेष का औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अधीक्षक अभियंता (आई एंड एस) को सामग्री की कमी/अधिशेष के कारणों की जांच करना और सामग्री की कमी के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए स्वीकृति जारी करना आवश्यक था। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट्स में इंगित की गई सामग्री की अधिशेष/कमी को एक महीने में या कम से कम संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन पर समायोजित किया जाना आवश्यक है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, ध्यान में आया कि 31 मार्च 2017 को सामग्री की कुल असमायोजित कमियाँ और अधिशेष क्रमशः ₹ 0.96 करोड़ और ₹ 1.11 करोड़ था। हमने पाया कि संबंधित प्राधिकारियों ने इन सामग्रियों की कमियों या अधिशेषों के कारणों की जांच नहीं की। इसके अलावा, इन कमियों/अधिशेषों का समायोजन भी नहीं किया गया। सामग्री की

48 इनमें संयुक्त जांच में अधिशेष पाये गये जीआई स्टे वायर शामिल है।

कमियों/अधिशेषों, सामग्री का अनुचित लेखांकन को दर्शाती है। इन सामग्रियों के उचित प्रलेखन और लेखांकन के अभाव में, सामग्रियों की चोरी और दुरुपयोग की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि, जाँच करना और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना, एक समय लगने वाली प्रक्रिया होने के कारण, अधिशेषों और कमियों का समायोजन नहीं किया जा सका और आश्वासन दिया कि निर्धारित कार्यक्रम के भीतर इस तरह के समायोजन को अंतिम रूप देने के लिए लगने वाली समयावधि को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। इसने आगे कहा (नवम्बर 2018) कि दो एसीओएस (झुंझुंनु एवं उदयपुर) में कमियों/अधिशेषों का समायोजन कर लिया गया है तथा शेष एसीओएस में आवश्यक समायोजन की प्रक्रिया जारी है जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा।

अधिशेष प्रापण के कारण निष्क्रिय सामग्री

2.19.11 एसीओएस, उप-स्पण्डीय स्टोर्स के अभिलेखों की संवीक्षा और भौतिक सत्यापन रिपोर्टों से पता चलता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग ना होने के कारण कई तरह की सामग्री अप्रयुक्त रही। यह इंगित करता है कि सामग्री आवश्यकता से अधिक प्राप्त की गई थी। कुछ सांकेतिक मामले, जो कमजोर सामग्री प्रबंधन को इंगित करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप सामग्री के अधिशेष क्रय के कारण ₹ 9.11 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध हुई की अनुबंध-5 पर चर्चा की गई है।

सरकार/कम्पनी से उतर प्रतीक्षित **(नवम्बर 2018)** है।

भण्डार मदों का निष्पादन

2.20 कम्पनी मुख्यतया तीन भण्डार मदों जैसे वितरण ट्रांसफॉर्मर्स, करंट ट्रांसफॉर्मर्स पोटेन्शियल ट्रांसफॉर्मर्स (सीटीपीटी), वेक्यूम सर्किट ब्रेकर्स (वीसीबी) की प्राप्ति करता है जिसमें आपूर्तिकर्ता को भण्डार मदों के गारंटी अवधि में खराब हो जाने पर मरम्मत करना/बदलना पड़ता है। कम्पनी के लिये खराब हुए सामान की समय पर मरम्मत करवाना/बदलवाना सुनिश्चित करना आवश्यक होता है क्योंकि खराब/विफल भण्डार मदों की मरम्मत करवाने/बदलवाने में देरी, नई सामग्री की प्रापण की आवश्यकता को बढा देती है। देरी की दशा में, ऐसे खराब/विफल भण्डार मदों की प्रभावी गारंटी अवधि को भी देरी की सीमा तक घटा देती है।

लेखों की जांच के दौरान, इन तीन भण्डार मदों के निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की उच्च विफलता दर

2.20.1 ट्रांसफॉर्मर, वितरण नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह विद्युत वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके खराब होने से उपयोगिता को ना केवल वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि आपूर्ति में रुकावट होने से उपभोक्ता संतुष्टि पर विपरीत प्रभाव डालता है। वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटी) की उच्च विफलता दर कई कारणों के मेल से होती है जैसे डीटी पर अधि भार, उचित तरीके से अर्थिंग एवं सुरक्षा ना होना, उचित फ्यूज ना होना, अनुपयुक्त सुरक्षात्मक अनुरक्षण आदि। उचित विश्वसनीयता के लिए, ऊर्जा मंत्रालय

(एमओपी), भारत सरकार ने डीटी विफलता दर 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम रखने का निर्देश दिया था।

निम्नलिखित तालिका 2013-18 की अवधि में स्थापित किये डीटीज की संख्या, विफल हुए डीटीज की संख्या, और डीटी की विफलता दर को दर्शाती है :

वर्ष	वर्ष के शुरू में स्थापित वितरण ट्रान्सफॉरमर्स की संख्या	गारंटी अवधि और गारंटी अवधि के पार विफल हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की संख्या			वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता दर (प्रतिशत में)		
		गारंटी अवधि	गारंटी अवधि के पार	कुल	गारंटी अवधि	गारंटी अवधि के पार	कुल
2013-14	314077	17023	22973	39996	5.42	7.31	12.73
2014-15	390077	17908	29975	47883	4.59	7.68	12.27
2015-16	420169	19183	28096	47279	4.57	6.69	11.25
2016-17	453795	20602	31970	52572	4.54	7.05	11.58
2017-18	471390	16416	30787	47203	3.48	6.53	10.01
कुल		**91132**	**143801**	**234933**			

(स्त्रोतः कम्पनी की प्रबंधन सूचना तंत्र)

उपरोक्त से यह पता चलता है कि 2013-18 की अवधि के दौरान ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता दर 10.01 प्रतिशत से 12.73 प्रतिशत थी जो कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम विफलता दर की तुलना मे काफी अधिक थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि ट्रांसफॉर्मर्स की उच्च विफलता दर को कम करने के लिये लोस रिडक्शन प्रोग्राम के तहत ट्रांसफॉर्मर्स के नवीनीकरण, भार स्तर के अनुसार क्षमता बढाने और उचित अर्थिंग के कार्य किये जा रहे है। आगे कहा कि 2018-19 में ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता दर को पांच प्रतिशत तक कम करने के प्रयास किये जायेंगे।

गारंटी अवधि में विफल हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटीज) की मरम्मत में देरी

2.20.2 डिस्कॉम्स समन्वय मंच (डीसीएफ) के निर्देशों (जनवरी 2010) के अनुसार, संबंधित उप-स्वण्डों के लिये गारंटी अवधि में विफल हुए डीटी को इसके विफल होने की तारीख से सात दिन के अंदर संबंधित एसीओएस में जमा करवाना आवश्यक था। इसके बाद, संबंधित आपूर्तिकर्ता को, गारंटी अवधि में विफल हुए डीटी को इसके विफल होने की सूचना के दिन से 60 दिनों के अंदर उठाना आवश्यक था और मरम्मत करके डीटी को, तत्परता से, विफल हुए डीटी को उठाने के दिन से अधिकतम 60 दिनों के अंदर संबंधित एसीओएस को वापिस सुपुर्द करेगा। देरी की दशा में, कम्पनी विफल डीटी की लागत को रोकने और देरी के लिये, विफल हुए डीटी की लागत का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माने को कम्पनी के पास उपलब्ध निष्पादन गारंटी जमा में से अथवा आगामी निविदा में आपूर्तिकर्ता के भुगतान में से वसूल करने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त, डीटी की प्रापण के लिये जारी क्रय आदेशों में प्रावधान था कि डिस्पैच के दिन से 60 महिनों की अवधि की निष्पादन गारंटी होगी और लागत के बिना तीव्रता से मरम्मत/सुधार की जायेगी।

2013-18 की अवधि के विफल डीटी से संबंधित लेखो की संवीक्षा के दौरान ध्यान मे आया कि चार चयनित एसीओएस मे कुल 44919 डीटी गारंटी अवधि के भीतर विफल हुए। हमने 2013-18 के दौरान गारंटी अवधि में विफल हुए डीटी को उठाने/मरम्मत करने में निम्नलिखित कमियां पाई :

- मार्च 2018 तक कुल 44919 गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज में से 41246 डीटी (91.82 प्रतिशत) संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये। हमने पाया कि आपूर्तिकर्ताओं ने 16001 डीटीज 60 दिनो की निर्धारित समयावधि के अंदर और बचे हुए 25245 डीटीज देरी से उठाये। आगे, आपूर्तिकर्ताओं ने मार्च 2018 तक 37751 डीटीज मरम्मत और वापिस सुपुर्द किये जिनमें से (31043 डीटी निर्धारित अवधि से पार मरम्मत किये शामिल) 2937 डीटीज ऐसे थे जो तीन से 12 वर्ष की देरी से वापस लौटाये। हमने यह भी पाया कि चयनित एसीओएस, 2013-18 के दौरान कुल विफल डीटी का केवल 84.04[49] प्रतिशत की मरम्मत ही सुनिश्चित कर सका।
- बचे हुए गारंटी अवधि में विफल 3673[50] डीटी (8.18 प्रतिशत) जिनका मूल्य ₹ 18.50 करोड़ था, आपूर्तिकर्ताओं ने नही उठाये और मार्च 2018 तक एसीओएस के पास पड़े थे। इन 3673 डीटी में से 1118 डीटी एसीओएस के पास 3 से 16 वर्षों की अवधि से पड़े थे। हमने पाया कि कम्पनी ने दिये गये प्रावधानों के अनुसार इन विफल डीटीज की कीमत नहीं रोकी।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाए गए 41246 डीटीज में से, 3495[51] डीटीज (8.47 प्रतिशत) जिनका मूल्य ₹ 18.12 करोड़ था को 17 वर्ष की विचारणीय देरी हो जाने पर भी मरम्मत करके नहीं लौटाया। हमने पाया कि कम्पनी ने न तो इन विफल डीटीज की लागत रोकी और ना ही दिये गये प्रावधानों के अनुसार लागु होने वाली पेनल्टी काटी।
- आपूर्तिकर्ता अनुसार गारंटी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर्स के रिकार्ड की जांच से पता चला कि 10 मूल्य आपूर्तिकर्ताओं[52] ने डीटी की मरम्मत करने में चूक की, को आगे 2013-18 में आपूर्ति आदेश दिये गये थे।

इस प्रकार, हमने पाया कि कम्पनी ने गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज की समय पर मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.62 करोड़ के डीटीज की मरम्मत नहीं की गई। इन गारंटी अवधि में विफल डीटीज की देरी की सीमा तक प्रभावी गारंटी अवधि भी कम हो गई।

49 मरम्मत और पुनः आपूर्ति वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (37751)/ गारंटी अवधि में विफल कुल वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (44919)×100

50 गारंटी अवधि मे विफल कुल वितरण ट्रांसफॉर्मर्स – गारंटी अवधि में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये विफल कुल वितरण ट्रांसफॉर्मर्स।

51 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये वितरण ट्रांसफॉर्मर्स– एसीओएस में मरम्मत कर और वापस लौटाये हुए वितरण ट्रांसफॉर्मर्स।

52 कोटशन प्राइवेट लिमिटेड (2009-18), राजस्थान ट्रांसफॉर्मर्स एवं स्वीच गीयर्स (2009-2018), श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (2011-2018), शेरा एनर्जी (2010-17), अनुपम उद्योग (2014-18), रोशन इंजीनियर्स (2010-18), विजय इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (2008-18), यश ग्रेनाइटस (2015-18), मिश्रा इंडस्ट्रीज (2007-18) और मूर्ति मैटल इंडस्ट्रीज (2011-17) ।

सरकार ने कहा है कि गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज की मरम्मत के लिये आपूर्तिकर्ताओं को नियमित रुप से नोटिस जारी किये गये थे। इसने आगे कहा कि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज को ना उठाने के लिये भुगतान रोका गया और अनुबंध को अंतिम रुप देते समय, मरम्मत में देरी के लिये वसूली की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं से ऊपर वर्णित मामलों में दर्शायी गारंटी अवधि में विफल हुए डीटीज को उठाने और मरम्मत में देरी के लिये पेनल्टी की वसूली नहीं की थी और कम्पनी द्वारा गारंटी अवधि में विफल हुए डीटी को ना उठाने के लिये रोकी गई राशि को भी पहले ही रिलीज कर चूकी थी।

गारंटी अवधि में विफल हुए सीटीपीटी की मरम्मत में देरी होने पर आपूर्ति आदेश में जुर्माने के प्रावधान का अभाव

2.20.3 सीटीपीटी के आपूर्ति आदेशों में यह प्रावधान था कि सीटीपीटी की गारंटी अवधि इनकी प्राप्ति से 3 वर्ष होगी। विफल की सूचना प्राप्त होने पर, आपूर्तिकर्ता को विफल सीटीपीटी को 45 दिनो की अवधि के भीतर मरम्मत करना था। चार चयनित एसीओएस की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 1 अप्रैल 2013 को 351 स्वराब सीटीपीटी, एसीओएस के पास पड़े थे और 1094 स्वराब सीटीपीटी 2013-18 के दौरान उप-स्वण्डों से प्राप्त हुए थे। इन 1445 स्वराब सीटीपीटी में से आपूर्तिकर्ताओं ने केवल 868 सीटीपीटी उठाये थे जबकि बचे हुए 577 सीटीपीटी अभी भी (मार्च 2018) एसीओएस के पास पड़े थे। आगे, आपूर्तिकर्ताओं ने केवल 754 सीटीपीटी 28 से 2177 दिनों तक की देरी से बदले थे जबकि शेष 114 सीटीपीटी अभी भी (मार्च 2018) आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े थे।

हमने देखा कि कम्पनी ने स्वराब सीटीपीटी की समय पर मरम्मत करवाने को सुनिश्चित नहीं किया। आगे इस अवधि में जारी किए गये क्रयआदेश भी दोषपूर्ण थे क्योंकि कम्पनी ने स्वराब सीटीपीटी को बदलने में देरी होने पर कोई पेनल्टी का प्रावधान शामिल नहीं किया था। इसके अतिरिक्त देरी की सीमा तक इन गारंटी अवधि में विफल हुए सीटीपीटी की प्रभावी गारंटी अवधि भी कम हुई है।

सरकार ने कहा कि गारंटी अवधि में विफल हुए सीटीपीटी की मरम्मत करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसने आगे कहा कि सीटीपीटी की मरम्मत में देरी होने पर चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार वसूली की जायेगी। हालांकि उत्तर, आपूर्ति आदेशों मे, गारंटी अवधि विफल सीटीपीटी की मरम्मत में देरी होने पर पैनल वाक्यांश ना डालने के बारे में मौन था।

निष्पादन गारंटी अवधि मे विफल हुई वीसीबी की मरम्मत मे देरी

2.20.4 कम्पनी ने वीसीबी की आपूर्ति करने के लिये स्टेलमेक लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) को दो आदेश (सितंबर 2008 और जून 2010) टीएन-433 और टीएन-2064 दिये। क्रय आदेशो में वीसीबीज के संतोषजनक निष्पादन के लिये आपूर्ति की तिथि से 5/10 वर्षों की उत्पादक वारंटी का प्रावधान था। आपूर्तिकर्ता को शिकायत मिलने के 15 दिनों के भीतर वीसीबीज की स्वराबी को ठीक करना आवश्यक था। देरी की दशा में, क्रमशः 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह (टीएन-433) और तीस दिन तक की देरी के लिए ₹ 500 प्रतिदिन और तीस दिन से ज्यादा देरी की दशा ₹ 1000 प्रतिदिन (टीएन-2064) की पेनल्टी वसूल करनी थी। एसीओएस सीकर के लेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 1 अप्रैल 2013 को एसीओएस के पास

14 खराब हुई वीसीबी पड़ी थी तथा 2013-18 की अवधि में उपखण्डों से 10 और खराब वीसीबी प्राप्त हुई थी। एसीओएस सीकर के पास कुल 24 खराब वीसीबी में से आपूर्तिकर्ता ने केवल 21 वीसीबीज 720 से लेकर 2988 दिनों की देरी से उठाई और शेष 3 वीसीबीज अभी भी (मार्च 2018) एसीओएस सीकर के पास पड़ी हुई है। इसके बाद आपूर्तिकर्ता ने केवल 11 वीसीबीज, 950 दिनों से लेकर 3218 दिनों[53] की देरी से बदली और शेष 10 वीसीबीज, 2595 दिन बीत जाने के बावजूद आपूर्तिकर्ता (फरवरी 2018) के पास पड़ी है।

हमने देखा कि कम्पनी ने खराब हुई वीसीबीज का समय पर मरम्मत करवाने के लिये उचित कार्यवाही जैसे वीसीबीज की लागत को रोक लेना और देरी की पेनल्टी काटना आदि नही की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि कुल 24 वीसीबीज में से आपूर्तिकर्ता ने केवल 16 वीसीबीज की मरम्मत/प्रतिस्थापित किया है जबकि शेष आठ वीसीबीज अभी भी आपूर्तिकर्ता/भण्डार में पड़ी (जुलाई 2018) हैं। आगे बताया है कि मरम्मत की गई/बदली गई वीसीबीज के मामलों में वीसीबीज की लागत की 10 प्रतिशत राशि मरम्मत/प्रतिस्थापन में देरी के लिए रोकी हुई है जबकि शेष वीसीबी के मामले में वीसीबी नहीं उठाने/मरम्मत न किये जाने के कारण वीसीबी के मूल्य के बराबर राशि रोकी हुई है। आगे, वास्तविक पेनल्टी की राशि को अंतिम रुप दिया जा रहा है। यहाँ यह बताना भी उपयुक्त होगा कि कम्पनी के प्रबंधन ने कहा कि पेनल्टी को अंतिम रुप इसलिये नही दिया जा सका क्योंकि कई बार यह उपकरण की लागत से अधिक हो जाती है।

टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार करने में कमियां

2.20.5 कम्पनी ने विभिन्न टर्नकी कार्य दिये जिनमें ठेकेदार को बिलों की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करनी थी और कार्य आदेशों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करना था। अध्यक्ष, डिस्काम्स ने विभिन्न टर्नकी कार्यों के ठेकेदारों से अधिशेष/अप्रयुक्त सामग्री को स्वीकार करने के निर्देश जारी (फरवरी 2009) किये बशर्ते सामग्री अच्छी स्थिति में है एवं सीटीएल में सफल परीक्षण पूर्ण कर ली हो। डीसीएफ ने टर्नकी ठेकेदारों के द्वारा सामग्री कम जमा करवाने पर वसूली और अधिशेष जमा सामग्री पर भुगतान की दर का निर्णय (31 अगस्त 2010) लिया।

2013-18 में अंतिम रुप दिये गये 18 टर्नकी अनुबंधों के लेखो की संवीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में आया कि टर्नकी ठेकेदारों ने कम्पनी के पास ₹ 22.51 करोड़ की अधिशेष सामग्री जमा की। ऐसे दृष्टांत देखे गये जिनमें टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 10.47 करोड़ की अधिशेष सामग्री बिना आवश्यक अनुमति और सीटीएल टेस्टिंग के स्वीकार की। साथ ही, ₹ 1.24 करोड़ की सामग्री **अनुबंध-6** में दर्शाये अनुसार स्टोर में अप्रयुक्त पड़ी है। सरकार द्वारा दिये गये उत्तर को भी अनुबंध में शामिल कर लिया गया है।

सामग्री का अनुचित भंडारण

2.20.6 भण्डार संगठन की कार्य पद्धति को सुव्यवस्थित करने के लिए, अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने सामग्री की चोरी और गायब करने से रोकने के लिये, सामग्री के उचित भण्डारण के निर्देश (सितंबर 2016) दिये। निर्देशो में आगे प्रावधान था कि एक ही तरह की सामग्री एक स्थान पर

53 आपूर्ति आदेश के अनुसार मरम्मत/बदलने की अनुमत अवधि 15 दिनों को छोड़कर।

रखना, भण्डार मदों का व्यवस्थित तरीके से ढेर लगाना, ज्वलनशील सामग्री जैसे पीवीसी केबल, ट्रांसफॉर्मर्स आदि को चालू विद्युत लाइनों/खतरनाक स्थानों से दूर रखना।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने देखा कि चयनित एसीओएस और उपखण्डीय भण्डारों ने अध्यक्ष, डिस्कॉम के निर्देशों का पालन नहीं किया था और सामग्री का उचित तरीके से ढेर नहीं लगाया था और अव्यवस्थित तरीके से पड़ी हुई थी। सामग्री के अनुचित भंडारण के कारण भण्डार की कमी व अधिकता हुई जो कि समय-समय पर भण्डार सत्यापनकर्ताओं द्वारा उनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में दर्शाई गई थी। हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर्स, केबल, सीटीपीटी और दूसरी ज्वलनशील सामग्री को उच्च तनाव लाइनों के नीचे संग्रहित किया गया था। निम्न चित्र में सामग्री के अनुचित संग्रहण/भंडारण को दर्शाया गया है:



(एसीओएस सीकर में उच्च तनाव लाइनों के नीचे सामग्री का ढेर)



(एसीओएस, उदयपुर में उच्च तनाव लाइनों के नीचे सामग्री का ढेर एवं एसीओएस अजमेर में पड़ी हुई सामग्री)

सरकार ने कहा (नवम्बर 2018) कि कम्पनी अपने एसीओएस व उपखण्डों को सामग्री के उचित रखरखाव हेतु समय-समय पर निर्देश जारी करती है। इसने आगे स्वीकार किया कि कुछ भण्डार गृहों पर स्थान की कमी के कारण सामग्री को उचित तरीके से नहीं रखा जा सका एवं एसीओएस पर उचित भण्डारण के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही, उतारे गये/पुराने/अनुपयोगी सामग्री के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है तथा एसीओएस पर स्थान की समस्या दूर करने हेतु अवशिष्ट सामग्री/अनुपयोगी सामान की ई-नीलामी पाक्षिक रूप से की जा रही है।

चोरी, आग और गबन से सामग्री का नुकसान

2.21 भण्डार नियमावली प्रदान करता है कि सामग्री के नुकसान के सभी मामले एसीओएस/एसई (आई एंड एस) और मुख्य लेखा अधिकारी-आंतरिक लेखा परीक्षा (सीएओ-आईए) को तुरंत सूचित किये जाने चाहिए और जांच को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार निपटाना चाहिए। सहायक अभियंता, एसीओएस को प्रारंभिक जांच करने, पुलिस में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवाने, बीमा कम्पनी से मुआवजे का दावा करने और विस्तृत रिपोर्ट को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, एफआईआर की कापी और बीमा कम्पनी से मुआवजे के दावे की प्रति के साथ अधीक्षण अभियंता (आई एंड एस) को भेजना आवश्यक था। अधीक्षण अभियंता (आई एंड एस) के लिए विस्तृत जांच का आदेश देने और जांच रिपोर्ट के आधार पर कारवाई करना भी आवश्यक था।

अभिलेखों की जांच के दौरान, निम्न कमियां ध्यान में आई :

- एसीओएस के मामले में, कम्पनी ने सूचित किया कि 2013-18 की अवधि में डीसीओएस ने, नौ चोरी की घटनाएँ और एक आग लगने जिसमे ₹ 24.10 लाख का नुकसान की सूचना दी। हमने देखा कि चोरी/आग के इन 10 मामलों में से चार घटनाओं में, संबंधित एसीओएस से सूचना मिलने के बावजूद पुलिस विभाग में 26 दिनों से 89 दिनों की देरी से एफआईआर दर्ज की जबकि एक मामले में एसीओएस के स्तर पर पुलिस विभाग को चोरी की सूचना देने में 36 दिनों की देरी हुई। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त इन दस मामलों में (तीन अस्वीकार किए गए मामले) चोरी/आग से नुकसान से बीमा कम्पनी से कोई क्लेम प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2018)।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2018) कि एसीओएस पर चोरी/आग से हुआ नुकसान एसीओएस पर रखी सामग्री से तुलना करने पर काफी कम था। इसने आगे कहा कि कम्पनी दावों पुनर्भरण के हेतु बीमा कम्पनी से लगातार प्रयास कर रही है।

- उप-खंडीय स्तर पर सामग्री की चोरी के मामलों में, सीएओ-आईए ने सूचित (मई 2018) किया कि पिछले पांच वर्षों में केवल एक तांबे की चोरी का मामला (उप-खंड प्रतापगढ़ में) हुआ था। हालांकि, अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखा परीक्षा ने एसीओएस चित्तौड़गढ़ के 16 उप-खंडो में से 11 उप-खंडो में ₹ 1.35 करोड़ के 63 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स की चोरी की पहचान की। इसके अतिरिक्त 10 उप-खंडो[54] में ₹ 0.45 करोड़ के विभिन्न सामग्री जैसे केबल, कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स तेल, लाइन सामग्री, लोहे की पिन, चैनल्स और आर्म्स आदि के लिए 14 दूसरे मामले भी मिले। उप-खंड स्तर पर ₹ 1.80 करोड़ की सामग्री की चोरी के बारे में प्रबंधन की जागरूकता का अभाव यह दर्शाता है कि कम्पनी के पास उप-खंडो के स्तर पर चोरी के मामलों में उचित निगरानी प्रणाली का अभाव था। आगे, उप-खंड ने उप-खंडीय स्तर पर रखी जाने वाली सामग्री की चोरी/आग/गबन की सुरक्षा के लिये बीमा पॉलिसियां नहीं ले रखी थी।

54 सहायक अभियंता निर्माण (उदयपुर), ऋषभदेव, आरएपीडीआरपी (उदयपुर), गिरवा, बडगांव, सरघाना, पुष्कर, भींडर, सावा और मंगलियावास।

सरकार/कम्पनी का उत्तर प्रतीक्षित (**नवम्बर 2018**) है।

- 2013-18 की अवधि के दौरान क्षेत्र में स्थापित सामग्री के मामले में, क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर्स और दूसरी सामग्री की चोरी के मामलों की वरिष्ठ अधिकारियों की मासिक बैठको में नियमित रूप से चर्चा की गई जिसके अनुसार 2013-18 की अवधि के दौरान स्थापित ट्रांसफॉर्मर्स की चोरी के 4824 मामले, तेल चोरी के 936 मामले, कंडक्टर चोरी के 70 मामले सूचित किये गये थे। कम्पनी ने वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में संपत्ति चोरी के क्रमशः ₹ 5.04 करोड़, ₹ 2.17 करोड़ एवं ₹ 2 करोड़ का नुकसान दर्ज किया। हमने देखा कि 2013-14 में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ट्रांसफॉर्मर्स चोरी के 202, तेल के 38 और कंडक्टर चोरी का एक मामला सूचित हुआ परन्तु चोरी से हुए नुकसान को लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध नही किया गया। इसके अतिरिक्त 2014-15 की अवधि मे ट्रांसफॉर्मर चोरी के 1795, तेल के 217 और कंडक्टर के 17 मामले सूचित हुए परन्तु कम्पनी की लेखा शाखा के पास इनका लेखांकन ब्योरा उपलब्ध नहीं था। यह इंगित करता है कि कम्पनी के पास चोरी के कारण सामग्री की हानि की बुकिंग के लिए उचित और ठोस लेखांकन प्रणाली का अभाव था।

सरकार/कम्पनी से उत्तर की प्रतीक्षा है। (**नवम्बर 2018**)

अवशिष्ट सामग्री का निपटान

2.22 भण्डार नियमावली में प्रावधान है कि उतारी गई सामग्री चाहे वो ठीक होने योग्य हो या ना हो सीओएस 24 में दर्ज करनी चाहिये। ठीक होने योग्य सामग्री स्टॉक में लेनी चाहिए जबकि ठीक ना होने योग्य रद्दी को सामग्री क्रेडिट नोट के द्वारा संबंधित एसीओएस के पास जमा करानी चाहिए। एसीओएस द्वारा स्टोर्स प्राप्ति नोट बनाया जाना चाहिये एवं अवशिष्ट सामग्री रजिस्टर में प्रविष्टि करनी चाहिये।

चयनित एसीओएस के 15 उप-खंडीय भण्डारों के लेखों कि संवीक्षा के दौरान पाया कि स्टोरकीपर ने उतारी गई सामग्री को सीओएस 24 में दर्ज नहीं किया। उप-खंडीय भंडारो ने सीओएस 24 में दर्ज किये बगैर सामग्री क्रेडिट नोट बनाये जो कि एसीओएस ने स्वीकार किये। यह इंगित करता है कि कबाड़ पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि लेखांकन उप-खंडीय भंडार के द्वारा एसीओएस में जमा कराई गई सामग्री के आधार पर किया गया। लाईन/परियोजनाओं के खंडित करने के समय प्राप्त वास्तविक सामग्री का कोई रिकार्ड नहीं था। भण्डार के निस्तारण नियमों में एसीओएस के लिये तिमाही सर्वे रिपोर्ट तैयार करना और निस्तारण की जाने वाली सामग्री की सिफारिश करना आवश्यक था। अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एस) भण्डार के लिए निस्तारण के अनुमोदन के लिये त्रैमासिक सर्वे रिपोर्टो का सार, निदेशक मंडल को भेजना आवश्यक था। हमने पाया कि अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एस) ने ,सर्वे रिपोर्ट का सार तैयार करके अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत नहीं किया। आगे एसीओएस द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपोर्टो में मदों को निलामी के लिये बेकार हो जाने के कारण नहीं बताये।

सरकार ने अपने उत्तर में एसीओएस स्तर पर कम्पनी द्वारा अपनायी जा रही ई-नीलामी की प्रणाली का वर्णन किया है। परन्तु इसने विशेष लेखा-परीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया है।

अवशिष्ट सामग्री की बिक्री

2.22.1 कम्पनी, 2014-15 तक एसीओएस स्तर पर अवशिष्ट सामग्री की खुली नीलामी आयोजित करती थी। इसके साथ-साथ अवशिष्ट सामग्री की मैटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसएसटीसी) के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोली को भी अपनाया जाता था। घोषित किये गये और लगाई गई बोली का विश्लेषण करने से पता चला कि 2013-14 से 2017-18 की अवधि में एसीओएस की सर्वे रिपोर्टों के आधार पर ₹ 141.40 करोड़ की सामग्री को अवशिष्ट सामग्री घोषित किया गया। 2013-18 की अवधि में अवशिष्ट सामग्री की नीलामी से ₹ 88.47 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

ट्रांसफॉर्मर के निस्तारण के फैसले में देरी

2.22.2 अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कम्पनी इस समिति का गठन करने के बावजूद फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम (एफआरपी) में उतरे ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत एवं निस्तारण सुनिश्चित नहीं कर सकी। इसने अमारफॉस और ताँबे के ट्रांसफॉर्मर्स के निस्तारण, 5 केवीए सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर्स के निस्तारण में देरी और प्रयोग ना होने वाले पावर ट्रांसफॉर्मर्स को सर्वे रिपोर्टो में अवशिष्ट सामग्री घोषित करके बोली द्वारा बेचने का निर्णय नहीं किया। इस प्रकार के निर्णय लेने और आगे ₹ 8.40 करोड़ के ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत या निस्तारण की कार्यवाही में देरी के परिणामस्वरुप कम्पनी की काफी राशि अवरुद्ध हुई है और इसके अतिरिक्त कम्पनी के एसीओएस में अनावश्यक स्थान ग्रहण किया हुआ है। ये मामले पर विस्तार से **अनुबंध-7** में चर्चा की गई है:

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एफआरपी में उतारे गये ट्रांसफॉर्मर्स और अमारफास और तांबे के ट्रांसफॉर्मर्स के निस्तारण मामले में, कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इसने अतिरिक्त गारंटी अवधि पार 5 केवीए ट्रांसफॉर्मर की नीलामी भी प्रक्रियागत है। तथापि, कम्पनी ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

निष्कर्ष और सिफारिशें

निष्कर्ष

लेखा परीक्षा के निष्कर्षों में सामग्री की आवश्यकता के आंकलन और क्रय-प्रणाली में विभिन्न कमियों, जिसके कारण सामग्री की अमितव्ययता से खरीद, सामग्री का क्रय विनिर्देशों के अनुरूप नहीं था, आवश्यकता के बिना आपूर्ति अनुसूची से पहले सामग्री की प्राप्ति और उचित परीक्षण और निरीक्षण के बिना सामग्री की स्वीकृति आदि पर प्रकाश डाला है। कम्पनी ने किसी वैज्ञानिक सूची प्रबंधन प्रणाली को नहीं अपनाया था। सामग्री का संकटपूर्ण स्तर तय नहीं किया गया था और सामग्री के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संचलन विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप भंडारों में सामग्री निष्क्रिय पड़ी रही। सामग्री जारी करने और लेखांकन से संबंधित उचित रिकॉर्ड नहीं बनाया गया था और भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त नहीं थी जिसके कारण सामग्री की चोरी और गबन हुआ। कम्पनी आईटी आधारित सूची प्रबंधन प्रणाली को लागू नहीं कर सकी।

अनुशंसाएँ

यह अनुशंसा की जाती है कि कम्पनी को चाहिए कि:

- क्रय नियमावली को राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और उसके नियमों के अनुरूप संशोधित करे
- सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की प्रक्रिया को कारगर बनाना ताकि सामग्री-क्रय आवश्यकताओं के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके
- निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप देना और अंतिम रूप देने में देरी के मामले में उच्च अधिकारियों की मंजूरी मांगी जानी चाहिए। अनुबंधों के टेंडरिंग और अवार्डिंग के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन करने की आवश्यकता है
- निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करना और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना
- सामग्री के कुशल प्रबंधन के लिए सामग्री नियंत्रण तकनीकों को अपनाना और सामग्री के बेहतर नियंत्रण और निगरानी के लिए निर्धारित रिकॉर्ड को सही तरीके से बनाए रखना
- निर्दिष्ट अंतराल पर सामग्री का भौतिक सत्यापन करना और भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में बताई गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करना
- आईटी आधारित सामग्री प्रबंधन प्रणाली को लागू करना और
- सामयिक रीति से कबाड़ का निपटान।

अध्याय III

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

अध्याय III

3. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.1 *वितरण ट्रांसफॉर्मर का प्रापण, प्रबंधन, निरस्तरीकरण एवं निपटान*

3.1.1 *परिचय*

राजस्थान (राज्य) में विद्युत वितरण नेटवर्क का प्रबंधन, राज्य के स्वामित्व वाली तीन विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) द्वारा किया जाता है। राज्य के लोगों को विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स को एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाये रखना आवश्यक होता है। विद्युत के उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण में वोल्टेज को बढाने या घटाने के लिए ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर उपकरण है जो कि विद्युत क्षेत्र की उपयोगिताओं द्वारा तेजी से उपयोग में ली जाने वाली सामग्री में से एक है। वितरण प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफॉर्मर को वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) कहा जाता है जो कि कुशल विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्राप्त करने वाले सब-स्टेशनों पर डीटी के माध्यम से वोल्टेज को 11 केवी से 0.4 केवी तक नीचे लाया जाता है। वितरण प्रणाली की कुशलता उचित क्षमता के डीटी की संस्थापना, उनकी सही मरम्मत एवं रखरखाव एवं दोष की स्थिति में समय पर प्रतिस्थापन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त डीटी की विफलता विद्युत वितरण प्रणाली में बाधा डालती है।

वर्तमान अध्ययन (जनवरी 2018 से मार्च 2018) जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के संबंध में यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया है कि क्या :

- डीटी की आवश्यकता का आंकलन यथार्थवादी था,
- डीटी की प्रापण की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्याय संगत एवं पारदर्शी थी,
- गारंटी अवधि के दौरान विफल डीटी की मरम्मत /प्रतिस्थापन निर्दिष्ट समय में हो गया था एवं डीटी के स्टॉक की प्राप्ति, निर्गमन, भंडारण एवं लेखा प्रक्रिया कुशल एवं प्रभावी थी, एवं
- डीटी की निरस्तरीकरण की नीति पर्याप्त थी।

अध्ययन से जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में 2015-16 से 2017-18 के दौरान डीटी के प्रापण, प्रबंधन, निरस्तीकरण एवं निपटान कार्यों का आंकलन किया गया है। इस अवधि के

दौरान जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल ने क्रमशः ₹ 962.43 करोड़ मूल्य के 219253 डीटी एवं ₹ 427.73 करोड़ मूल्य के 77073 डीटीज की खरीद के लिए क्रय आदेश जारी किये।

हमने 2015-16 से 2017-18 के दौरान दोनों कम्पनियों द्वारा आमंत्रित एवं निष्पादित 63 निविदाओं में से 24[1] उच्च[2] मूल्य निविदाओं की समीक्षा की। डीटी के प्रबंधन की समीक्षा जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में क्रमशः 13 एवं 10 सहायक भंडार नियंत्रकों (एसीओएस) में से छः[3] (प्रत्येक कम्पनी में से तीन) एसीओएस में की गई। इसके अतिरिक्त, चयनित एसीओएस के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक से दो उप-खण्डों को डीटी के निष्पादन के विस्तृत मूल्यांकन के लिए चुना गया। एसीओएस एवं उपखण्डों का चयन 2015-18 के दौरान डीटी की उच्चतम विफलता दर के आधार पर किया गया था।

सरकार के उत्तर (जुलाई एवं सितम्बर 2018) पर विचार करने के बाद अनुच्छेद को अंतिम रूप दिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.1.2 लेखापरीक्षा परिणाम विस्तृत रुप से आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 का क्रियान्वयन, वितरण ट्रांसफार्मर्स की मांग का निर्धारण, वितरण ट्रांसफार्मर्स का प्रापण, वितरण ट्रांसफार्मर्स का निष्पादन, विफल वितरण ट्रांसफार्मर्स का निस्तारण एवं कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) के एसीओएस एवं उपखण्डीय भण्डारों पर आईटी सक्षम स्कन्ध प्रबधन प्रणाली की कमी से संवंधित मुद्दे आगामी अनुच्छेदो (अनुच्छेद 3.1.3 से 3.1.22) में वर्णित किये गये है। ये लेखापरीक्षा परिणाम केवल नमूना प्रकरणों के विश्लेषण पर आधारित है एवं कम्पनियों में ऐसे ओर भी प्रकरण घटित होने की संभावना है। इसलिए सरकार/कम्पनियों से अपेक्षा है कि वह अन्य सभी प्रकरणों की समीक्षा करे जिनमें की समान कमियां/अनियमितता होने की संभावना है एवं अन्य प्रकरण जिनमे की कमियां/अनियमितता पायी जाती है, उनमे सुधारात्मक कार्यवाही करना अपेक्षित है।

3.1.3 *क्रय-नियमावली का राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अनुरूप पुनरीक्षण ना करना*

राज्य सरकार ने राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी अधिनियम, 2012) पारित (22 मई 2012) किया एवं आरटीपीपी अधिनियम एवं आरटीपीपी नियम, 2013 अधिसूचित किया (जनवरी 2013)। आरटीपीपी अधिनियम, 2012, बोली लगाने वालों के लिये निष्पक्ष एवं न्याय संगत उपचार सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धा को बढावा देने, लोक प्रापण में दक्षता एवं मितव्ययता में वृद्वि करना एवं सत्यनिष्ठा को सुरक्षित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये लोक प्रापण के विनियमन के उद्देश्य के लिये लागू किया गया था, जो कि राज्य सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले सभी राज्य लोक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू[4] है। आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 86 के द्वारा, सामग्री, सेवाओं या कार्यो की प्रापण से

1 जेवीवीएनएल की 31 निविदाओं में से 16 तथा जेडीवीवीएनएल की 32 निविदाओं में से 8।

2 निविदाओं का मूल्य ₹ 0.81 करोड़ से लेकर ₹ 157.29 करोड़ के मध्य था।

3 जेवीवीएनएल में जयपुर जिला वृत, अलवर एवं भरतपुर एसीओएस एवं जेडीवीवीएनएल में जोधपुर, बीकानेर जिला वृत्त एवं एसीओएस जालोर।

4 राजस्थान लोक उप्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 का धारा 3।

संबंधित सभी विद्यमान नियमों एवं विनियमों को, उनके लागू होने की सीमा तक, नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से निरस्त कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 56 के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को, अधिनियम/नियमों प्रावधानों के अनुसार दिशानिर्देश, प्रक्रियाओं, सामान्य प्रपत्रों, मानक विनिर्देशों एवं नियमावली को जारी करने की आवश्यकता थी।

हमने देखा कि जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल ने आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रय नियमावली को संशोधित नहीं किया (मार्च 2018) एवं पूर्ववर्त्ती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) जो कि जुलाई 2000 में पांच कम्पनियों में विभक्त हो गया था, द्वारा अनुमोदित (1999) क्रय नियमावली का ही अनुसरण जारी रखा। हालांकि, कम्पनियों ने समय-समय पर क्रय नियमावली में संशोधन किया था।

डिस्कॉम्स समन्वय फोरम[5] (डीसीफ) ने डिस्कॉम्स को क्रय नियमावली की समीक्षा करने एवं इसमें निर्दिष्ट की गई क्रियाविधियां आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के प्रावधानों/ वाक्यांशों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित (फरवरी 2014) किया। डिस्कॉम्स ने अपने सम्बन्धित क्रय मैनुअलों के 12 मुख्य प्रावधानों को आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुसार संशोधित करने के स्थान पर, इसके प्रावधानों की छः[6] शर्तों में छूट देने के लिए राज्य सरकार को आवेदन करने का निर्णय (अप्रैल 2016) किया परन्तु राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2018)। इसके बाद अध्यक्ष, डिस्कॉम्स ने आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अनुरूप क्रय एवं भण्डार नियमावली के साथ मानक बोली प्रपत्र को तैयार/ संशोधित करने के लिए एक समिति गठित (8 अगस्त 2016) की। तथापि हमने देखा कि कम्पनियों की क्रय नियमावली, मानक बोली प्रपत्र एवं भण्डार नियमावली को संशोधित नहीं किया गया था (मार्च 2018)।

तीनों डिस्कॉम्स की तकनीकी विशिष्टता स्वीकृति समिति (टीएसएसी) ने आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुरूप बोली प्रतिभूति एवं निष्पादन प्रतिभूति के प्रावधानों को अपनाने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2017)। कम्पनी ने तदनुसार बोली प्रतिभूति एवं निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में आरटीपीपी अधिनियम/नियम के प्रावधानों को बीओडी की स्वीकृति लिये बिना अपना लिया (अक्टूबर 2017)।

इस प्रकार, कंपनियां अक्टूबर 2017 तक आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के अनुरूप बारह प्रावधानों को अपनाकर क्रय प्रक्रिया में संशोधन सुनिश्चित नहीं कर सकी। इसके बाद भी कम्पनियों ने क्रय-प्रक्रिया को आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के अनुरूप करने के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल दो प्रावधानों को ही अपनाया। आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 से विचलन **अनुबंध 3** में वर्णित है।

उत्तर में सरकार ने कहा (सितम्बर 2018) कि आरटीपीपी अधिनियम 2012 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप क्रय नियमावली एवं भण्डार नियमावली का संशोधन पूर्ण किया जा रहा है।

5 यह तीनों डिस्कॉम्स का सामान्य मंच है जिसका मुखिया डिस्कॉम्स अध्यक्ष होता है एवं प्रत्येक डिस्कॉम्स के प्रबन्ध निदेशकों एवं दूसरे प्रतिनिधियों से मिलकर बना है जो सामान्य परस्पर प्रकरणों पर आपसी निर्णयों के लिये विचार-विमर्श करते हैं।

6 बोली प्रतिभुति, निष्पादन प्रतिभुति, बोलीकर्ताओं के मध्य मात्रा का विभाजन, परीक्षण आदेश, प्रतिभुति राशि एवं राजस्थान की फर्मों एवं राजस्थान से बाहर स्थित फर्मों के मध्य दरों की तुलना।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अब तक आरटीपीपी अधिनियम 2012 की कुछ शर्तों में छूट देने की अनुमति के लिए किए गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया है (नवम्बर 2018)।

तथ्य यही है कि 2017-18 के दौरान संशोधित नियमावली को लागू करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद दोनों कम्पनियां क्रय नियमावली एवं भण्डार नियमावली में संशोधन नहीं कर सकी। यह उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा कि *'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा'* के लिए निकास बैठक (जुलाई 2018) में, सरकार ने डिस्कॉम्स को, कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के बहाने से किसी वैधानिक प्रावधान की पालना ना करने को न्यायसंगत ठहराने के स्थान पर, अधिनियम/नियमों का सम्पूर्ण पालन करने का निर्देश दिया।

वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता का आंकलन

3.1.4 सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की प्रक्रिया, कम्पनियों के भण्डार एवं क्रय नियमावली के प्रावधानों द्वारा निर्देशित है, जिसके अनुसार केन्द्रीय रूप से क्रय की जाने वाली वस्तुओं का वार्षिक आंकलन तैयार करना होता है। क्रय नियमावली बताता है कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने पर जेवीवीएनएल एवं जेडीवीएनएल में क्रमशः 'क्रय योजना एवं प्रबंधन समिति' (पीपीएमसी) एवं 'आवश्यकता स्वीकृति समिति' (आरएसी) द्वारा मदवार वार्षिक आवश्यकता को अंतिम रूप दिया जाएगा। पीपीएमसी/आरएसी सामग्री की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए विभिन्न पहलुओं जैसे कि भौतिक लक्ष्य, स्टॉक स्थिति, लंबित आदेश इत्यादि को ध्यान में रखेगा।

अध्यक्ष, डिस्कॉम्स ने सामग्री की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे (अगस्त 2016)। दिये गये निर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ, उप-खण्ड स्तर पर सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की कार्यवार सूची का संकलन एवं समीक्षा वृत्तीय स्तर पर की जानी थी। वृत्तीयवार आवश्यकता को आगे जोनल चीफ इंजीनियर (जेडसीई) द्वारा फिर संकलित किया जाना था एवं मुख्य अभियंता (एमएम) के माध्यम से पीपीएमसी/आरएसी को सूचित किया जाना था।

चयनित एसीओएस एवं उनके उप-खण्डों के रिकॉर्डस की समीक्षा से पता चला कि डीटी की आवश्यकता के आंकलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। वृत्त कार्यालयों एवं उप-खण्डों द्वारा मुख्य अभियंता (एमएम) को भेजे गये कार्यवार/उप-खण्ड वार डीटी की आवश्यकता के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं था। कार्यवार/उप-खण्ड वार मूल्यांकन पत्रों/दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि:

- सीई(एमएम) द्वारा उप-खण्ड वार संचालन एवं रखरखाव कार्यो के लिए डीटी आवश्यकता की मूल्यांकन पर्याप्तता एवं
- क्या डीटी की कमी के कारण संचालन एवं रखरखाव कार्य/ वितरण नेटवर्क संवर्धन में रूकावट आई थी।

उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया (जुलाई/सितम्बर 2018) कि उप-मंडल स्तर पर आवश्यकता का सटीक मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीपीएमसी/आरएसी ने आवश्यकता को अंतिम रूप पिछले वर्षों को उपभोग के स्वरूप एवं लम्बित आदेशों से प्रत्याशित

मात्रा एवं उपलब्ध भण्डार को ध्यान में रखते हुए दिया। हालांकि, यह उत्तर इस अवलोकन पर मौन था कि आवश्यकता के आंकलन के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसी कोई आवश्यकता नहीं मिली एवं सीई (एमएम) ने आवश्यकता के आंकलन के लिये ध्यान में रखी। तथ्य यही है कि सरकार द्वारा इसी तरह के आक्षेप पर दिए गए आश्वासन जो कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) राजस्थान सरकार, के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 4) में सम्मिलित है, के बावजूद दोनों कम्पनियों ने आवश्यकता के आंकलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

3.1.5 *वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता को अंतिम रूप देने में देरी*

क्रय नियमावली के वाक्यांश 6.3 में यह प्रावधान था कि प्रसारण एवं वितरण कार्यो के लिए केंद्रीय स्तर पर प्रापण की जाने वाली वस्तुओं की मदवार आवश्यकता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के समय अंतिम रूप दिया जायेगा।

जेवीवीएनएल में पीपीएमसी एवं जेडीवीवीएनएल में आरएसी द्वारा 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए सामग्री की आवश्यकता (डीटी सहित) को अंतिम रूप देने की स्थिति नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	पीपीएमसी/आरएसी द्वारा सामग्री की आवश्यकता (डीटी सहित) को अंतिम रूप देने की दिनांक	
	जेवीवीएनएल	जेडीवीवीएनएल
2015-16	1 जुलाई 2015	5 दिसंबर 2014
2016-17	1 जून 2016	3 फरवरी 2016
2017-18	23 सितम्बर 2016	10 अक्टूबर 2016

यह उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि यद्यपि जेडीवीवीएनएल संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व 2015-16 एवं 2016-17 की आवश्यकता को अन्तिम रूप दे चुका था, जेवीवीएनएल ने 2015-2017 के दौरान क्रय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के दो से तीन महीने देरी से मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने निर्देश जारी किए थे (अगस्त 2016) जिसके अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता को अंतिम रूप अक्टूबर के पहले सप्ताह तक देना था। उसके बाद, जेवीवीएनएल की पीपीएमसी एवं जेडीवीवीएनएल की आरएसी ने वर्ष 2017-18 के लिए सामग्री की आवश्यकता को क्रमशः सितम्बर 2016 एवं अक्टूबर 2016 में अंतिम रूप दिया जिन्हें इन कम्पनियों की बीओडी द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2016 एवं नवंबर 2016 में अनुमोदित किया था। इस प्रकार जेडीवीवीएनएल ने वर्ष 2017-18 की आवश्यकता को एक महीने की देरी से अंतिम रूप दिया।

सरकार ने कहा (जुलाई/सितम्बर 2018) कि जेवीवीएनएल ने वर्ष 2017-18 की आवश्यकता को निर्धारित निर्देशों के अनुसार समय पर अंतिम रूप दिया था एवं दोनों कपंनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) ने भविष्य में आवश्यकता को समय पर अंतिम रूप देने का आश्वासन दिया।

3.1.6 *अनुमोदित मात्रा, निविदा मात्रा एवं क्रय आदेश मात्रा में भिन्नता*

डिस्कॉम्स अन्य श्रेणी के साथ-साथ सिंगल फेज एवं थ्री फेज के क्रमशः 5 केवीए से 25 केवीए एवं 10 केवीए से लेकर 500 केवीए तक की क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर का क्रय करते है। 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा मूल्यांकन की गयी विभिन्न क्षमताओं के वितरण ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता, पीपीएमसी/आरएसी द्वारा अनुमोदित मात्रा, निविदा मात्रा एवं मात्रा जिसके लिए क्रय आदेश दिए गए थे, जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के संबंध में क्रमशः **अनुबंध 8** एवं **9** दिए गए हैं।

यह **अनुबंध 8** से देखा जा सकता है कि हालांकि जेवीवीएनएल ने 2015-16 एवं 2016-17 में पीपीएमसी द्वारा अनुमोदित मात्रा के अनुसार निविदाएं[7] आमंत्रित की, परन्तु 2017-18 के लिए पीपीएमसी द्वारा अनुमोदित मात्रा से कम के लिए निविदाएं[8] आमंत्रित की। 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुमोदित मात्रा एवं क्रय आदेशों की मात्रा के मध्य (+) 60 प्रतिशत से (-)100 प्रतिशत तक का अन्तर था।

2016-17 के दौरान, जेवीवीएनएल ने 9000 वितरण ट्रॉसफॉर्मर्स[9] की आवश्यकता का आंकलन करने एवं निविदा आमंत्रित करने के बावजूद भी 25 केवीए एवं 16 केवीए सिंगल फेज डीटी के लिए कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया। यह देखा गया कि जेवीवीएनएल ने वर्ष 2015-16 के लिए जेडीवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप से दी गई निविदाओं से ही अपनी आवश्यकता पूरी की, क्योंकि जेडीवीवीएनएल ने वर्ष 2015-16 के लिए आरएसी द्वारा आंकलन की गयी मात्रा से अधिक मात्रा की निविदाएं आमंत्रित की एवं क्रय आदेश जारी किये जैसा कि **अनुबंध-9** में दर्शाया है।

जेडीवीवीएनएल के मामले में **अनुबंध-9** से देखा जा सकता है कि 2015-18 के दौरान आरएसी द्वारा अंतिम किए गए मात्रा के 39[10] प्रकरणों में से केवल 9 प्रकरणों में जेडीवीवीएनएल आरएसी द्वारा अनुमोदित मात्रा के अनुसार निविदाएं आमंत्रित कर सका जबकि शेष प्रकरणों में, जेडीवीवीएनएल, आरएसी द्वारा अनुमोदित मात्रा की तुलना में काफी अधिक/कम मात्रा, 303.86 प्रतिशत से (-)100 प्रतिशत के बीच अन्तर के लिए निविदाएं आमंत्रित की। 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुमोदित मात्रा एवं क्रय आदेशों की मात्रा के बीच अंतर 415.50 प्रतिशत एवं (-)100 प्रतिशत के बीच था।

हमने पाया कि डिस्कॉम्स में ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता के आंकलन एवं अनुमोदन के लिए प्रभावी एवं मजबूत तंत्र की कमी थी क्योंकि ऐसे कई उदाहरण[11] थे जिनमें मुख्य अभियंता (एमएम) ने डीटी की आवश्यकता का आंकलन किया था लेकिन पीपीएमसी/आरसी ने कोई

7 2015-16 के लिये 10 केवीए, तीन फेस डीटी एवं 16 केवीए सिंगल फेस डीटी एवं 2016-17 के लिये 10 केवीए एवं 40 केवीए तीन फेस डीटी को छोड़कर।

8 10 केवीए एवं 40 केवीए तीन फेस डीटी को छोड़कर।

9 4000 डीटी 25 केवीए के एवं 5000 डीटी 16 केवीए के।

10 2015-16 से 2017-18 तक प्रत्येक वर्ष 13 प्रकार के वितरण ट्रॉन्सफार्मर।

11 जेवीवीएनएल में 2015-16 एवं 2016-17 में 40 केवीए थ्री फेस वाले डीटी एवं 2016-17 में 5 केवीए सिंगल फेस डीटी।

स्वीकृति नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त, ऐसे भी कई उदाहरण[12] थे जिनमें पीपीएमसी/आरसी ने पर्याप्त मात्रा में डीटी को मंजूरी, मुख्य अभियंता(एमएम) की आवश्यकता के आंकलन के बिना, दे दी थी। इसके अतिरिक्त, निविदा मात्रा एवं मात्रा जिसके लिए क्रय आदेश जारी किये गये थे, का अनुमोदित मात्रा की तुलना में अत्यधिक अन्तर था।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने उचित क्रय योजना तैयार करने के लिए आंकलित आवश्यकता एवं वास्तविक क्रय के बीच अन्तर को नियंत्रित नहीं किया।

सरकार ने कहा (जुलाई/सितम्बर 2018) कि मात्रा में अन्तर विभिन्न कारणों, जैसे कि पिछले वर्षों की उपभोग के स्वरूप, सफल बोलीदाताओं द्वारा आदेशित मात्रा की आपूर्ति नहीं करना, सरकार द्वारा योजना की देरी से घोषणा करना आदि की वजह से रहा है।

ट्रान्सफॉर्मर्स का प्रापण

3.1.7 *निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी*

कम्पनियों के क्रय नियमावली के वाक्यांश 22.8 में निविदा खोलने की तारीख से लेकर लेटर ऑफ इन्टेंट/क्रय आदेश जारी करने तक क्रय के प्रकरणों को अंतिम रूप देने के लिए 120 दिनों की अधिकतम अवधि प्रदान करने का प्रावधान है। यदि किसी भी निविदा को निर्धारित समय अवधि में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तो उसे अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। संबंधित प्राधिकारी को अगले उच्च प्राधिकारी को निविदा की अनुशंसा करते समय निर्धारित समय अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप न देने के कारणों का उल्लेख करना होगा। अध्यक्ष डिस्कॉम ने भी निविदा खोलने के 120 दिनों के भीतर विस्तृत क्रय आदेश जारी करने के लिए निर्देश (अगस्त 2016) जारी किए थे।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान 63 आमंत्रित निविदाओं मे से 24[13] चयनित निविदाओं की संवीक्षा से पता चला कि कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) ने 15[14] निविदाओं को 120 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक अवधि में अंतिम रूप दिया। निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी तीन से 411 दिनों के मध्य थी जैसा कि **अनुबंध 10** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, कम्पनियों ने इन निविदाओं को अंतिम रूप अगले उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना दिया।

उत्तर में सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि तीन[15] निविदाओं के मामले में, लैटर आफ इन्टेंट 120 दिनों की निर्धारित सीमा में जारी कर दिये थे। सरकार ने फिर भी स्वीकार किया कि शेष प्रकरणों में देरी विभिन्न कारणों जैसे कि अदालत के आदेश, नकली प्रमाणपत्र जमा करना एवं कर्मचारियों की कमी की वजह से हुई थी। उत्तर में उल्लेखित तीन निविदाओं को अंतिम रूप देने में कोई देरी नही होने के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी (जेवीवीएनएल) ने इन प्रकरणों में बोलीदाताओं को क्रय आदेश जारी करने में क्रमशः तीन, 125 एवं 70 दिनों कि देरी की जैसा कि **अनुबंध–10** में वर्णित है।

12 जेवीवीएनएल में 2016-17 में 16 केवीए थ्री फेस डीटी एवं 2017-18 में 5 केवीए सिंगल फेस डीटी तथा जेडीवीवीएनएल में 2015-16 में 10 केवीए थ्री फेस डीटी ।

13 जेवीवीएनएल की 16 निविदायें एवं जेडीवीवीएनएल की 8 निविदायें ।

14 जेवीवीएनएल की 11 निविदायें एवं जेडीवीवीएनएल की 4 निविदायें।

15 जेवीवीएनएल के टीएन-2332, 2359, तथा 2384 ।

3.1.8 *क्रय नियमावली का उल्लंघन/आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का अभाव*

अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के वाक्यांश 1.24 जो जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा किये गए प्रत्येक अनुबंध/क्रय आदेश का भाग होता है, यह बताती है कि निर्दिष्ट आपूर्ति का समय एवं तिथि अनुबंध का सार है एवं निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपूर्ति पूरी करनी जरुरी है। यह आगे बताती है कि जिन प्रकरणों में विक्रेता ने अनुबंधिक औपचारिकताओं की अनुपालना कर दी थी, लेकिन बाद की निविदा की तकनीकी बोली स्खोलने की तारीख तक आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की थी एवं पुराने आदेश की डिलीवरी की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, कम्पनी वितरण में देरी के कारण वसूली के अधिकतम दण्ड लगाने के साथ आदेश जारी करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए या अगले दो बोलियों के लिए व्यापार संबंधों को तोडने, जो भी बाद में हो, की हकदार है। आगे यह भी प्रावधान था कि ऐसे प्रकरणों में यदि पूर्तिकर्ता सामग्री की निर्धारित समय में पूर्ति करने में असफल रहता है, कम्पनी (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल), देरी से पूर्ति करने अनापूर्तित मात्रा के लिये अधिकतम 5 प्रतिशत की दर से वसूली की हकदार होगी।

(अ) जेवीवीएनएल (कम्पनी) ने 315 केवीए के थ्री फेज 135 डीटी (टीएन 2392) की आपूर्ति के लिए सेंचुरी इंफ्रापावर, जयपुर (आपूर्तिकर्ता) को क्रय आदेश (मई 2017) जारी किये। क्रय आदेश के अनुच्छेद 3 के अनुसार, फर्म को जुलाई 2017 में आपूर्ति प्रारम्भ करनी थी एवं मार्च 2018 में पूरी करनी थी। हमने देखा कि फर्म ने निर्धारित अवधि समाप्त होने एवं बाद की निविदा (टीएन 2413) की मूल्य निविदा के स्खोलने (अगस्त 2017) के पश्चात भी आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की (अप्रैल 2018)। यहां तक कि इसने ड्राइंग एवं गारंटीकृत तकनीकी पैरामीटर्स के लिए भी कम्पनी से अनुमति नहीं ली (अप्रैल 2018)।

कम्पनी ने फिर भी, अनुबंध के अनुच्छेदो एवं क्रय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, पूर्ण दंड की वसूली के साथ क्रय आदेशो को रद्द करने जैसी कोई कार्यवाही फर्म के विरुद्ध नहीं की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई/सितम्बर 2018) किया एवं कहा कि आपूर्ति में देरी हुई क्योंकि डीटी के लिए प्रारंभिक रूप से अनुमोदित डिजाइन के साथ हानियों को हासिल नहीं किया जा सका। हालांकि, डीटी के संशोधित ड्रांइगों को अनुमति दे दी गई थी (अप्रैल 2018) एवं उसके बाद आपूर्तिकर्ता द्वारा, छः डीटी की आपूर्ति टाइप टेस्ट किये जाने के पश्चात आपूर्तिकर्ता से अगस्त 2018 में प्राप्त हो गई है एवं शेष मात्रा की आपूर्ति अक्टूबर 2018 तक कर दी जायेगी।

(ब) जेवीवीएनएल (कम्पनी) ने 315 केवीए क्षमता (टीएन 2413) के 315 थ्री फेज डीटी के क्रय के लिए वित्तीय बोली स्खोली (अगस्त 2017), जिसमें विकास इंटरप्राइजेज (आपूर्तिकर्ता) जो कि परीक्षण आदेश के लिए पात्र था, ईकाई दर ₹ 387500 पर न्यूनतम बोलीदाता (एल 1) था। कम्पनी ने न्यूनतम बोलीदाता (एल 1) के साथ बातचीत (सितंबर 2017) की एवं वह ₹ 385093 की इकाई दर पर डीटी आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया। इस दर का प्रति–प्रस्ताव अन्य बची हुई उत्तरदायी बोली लगाने वाली फर्मों को दिया गया (सितंबर 2017) लेकिन कोई भी फर्म इस दर पर सहमत नहीं हुई। कम्पनी ने 200 डीटी की आपूर्ति के लिए न्यूनतम बोलीदाता (एल 1) फर्म को क्रय आदेश जारी कर दिया (अक्टूबर 2017)। क्रय आदेश के अनुच्छेद 3 के अनुसार, फर्म को 15 दिसंबर 2017 से आपूर्ति प्रारम्भ

करने एवं 31 अगस्त 2018 तक इसे पूर्ण करना था। परन्तु फर्म ने आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की थी (अप्रैल 2018)।

हमने देखा कि असाधारण प्रकरणों में, निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) को, परीक्षण आदेश के लिए पात्र फर्म को निविदा मात्रा का अधिकतम 30 प्रतिशत तक आदेश देने का अधिकार था। यह वाक्य, एक नए निविदाकार द्वारा चूक से होने वाले दुष्प्रभावों से कम्पनी को सुरक्षित रखता था। परन्तु इस मामले में, सीएलपीसी ने क्रय नियमावली का उल्लंघन करते हुए, फर्म को जो केवल परीक्षण आदेश के योग्य थी निविदा मात्रा के 63.50 प्रतिशत का आदेश देने का निर्णय (अक्टूबर 2017) लिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने फर्म के खिलाफ आपूर्ति प्रारम्भ नहीं करने पर कोई कार्रवाई नहीं की (अप्रैल 2018)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई/सितम्बर 2018) एवं कहा कि निचली कीमत का लाभ उठाने के लिए पात्र मात्रा की बजाय कुल उद्धृत मात्रा (200 डीटी) के लिए आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश जारी किया गया था। आगे यह कहा गया कि टाईप टैस्ट के पूर्ण होने पर, फर्म द्वारा सामग्री को जांच के लिये प्रस्तुत करने की संभावना है एवं डीटी की आपूर्ति लागू दंड के बाद ही ली जायेगी।

(स) जेवीवीएनएल (कम्पनी) ने 10, 16 एवं 25 केवीए डीटी की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों को क्रय आदेश (टीएन 2384) जारी (जुलाई 2017) किये। क्रय आदेश के वाक्यों के अनुसार फर्मों को 22 अगस्त 2017 से आपूर्ति प्रारम्भ करनी थी एवं 7 मई 2018 तक उसे पूर्ण करना था। 31 मार्च 2018 तक विभिन्न प्रकार के डीटी की कुल आदेशित मात्रा, प्राप्त डीटी की मात्रा, जिन कम्पनियों ने अप्रैल 2018 तक आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की, की स्थिति को नीचे दिखाया गया है:

डीटी का प्रकार	सभी फर्मों पर डीटी की कुल आदेशित मात्रा	मार्च 2018 तक प्राप्त हुई मात्रा	मार्च 2018 तक शेष मात्रा	फर्मों की संख्या जो अप्रैल 2018 तक आपूर्ति प्रारम्भ नहीं कर सकी	फर्मों की आदेशित (संख्या) मात्रा जिसकी आपूर्ति अप्रैल 2018 तक शुरु नही की गई
10 केवीए	7000	3126	3874	5[16]	1400
16 केवीए	7125	3901	3224	4[17]	1068
25 केवीए	4875	1117	3758	5[18]	569
कुल	19000	8144	10856		3037

हमने देखा कि कम्पनी ने 2017-18 की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 19000 डीटी की क्रय के आदेश दिए थे, लेकिन मार्च 2018 तक केवल 8144 डीटी (42.86 प्रतिशत) क्रय

16 फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर्स व स्विचगीयर्स, जयपुर (350 डीटी), जी एंड जी इंटरप्राईजिज, जयपुर (175 डीटी), मार्सन्स एनर्जी प्रा लि. जयपुर (350 डीटी), टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ (350 डीटी) व विकास इंटरप्राईजिज, जयपुर (175 डीटी).

17 फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर्स व स्विचगीयर्स, जयपुर (356 डीटी), जी एंड जी इंटरप्राईजिज, जयपुर (178 डीटी), मार्सन्स एनर्जी प्रा लि. जयपुर (356 डीटी) व विकास इंटरप्राईजिज, जयपुर (178 डीटी).

18 फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर्स व स्विचगीयर्स, जयपुर (244 डीटी), जी एंड जी इंटरप्राईजिज, जयपुर (81 डीटी), मार्सन्स एनर्जी प्रा लि. जयपुर (81 डीटी), पुष्कर मैटल, हनुमानगढ (81 डीटी) व विकास इंटरप्राईजिज, जयपुर (82 डीटी).

किये जा सके। इस प्रकार, 10856 डीटी (57.14 प्रतिशत) की आपूर्ति लगभग सारी अवधि समाप्त जाने के पश्चात भी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, छः[19] ऐसी फर्में भी थीं जिन्होंने अप्रैल 2018 तक 3037 डीटी, जिनकी कीमत ₹ 14.26 करोड़ थी, आदेशित मात्रा के विरुद्ध एक भी डीटी की पूर्ति नहीं की थी। फिर भी, कम्पनी ने इन फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कम्पनी ने मौजूदा वितरण नेटवर्क एवं चल रही योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर डीटी की प्राप्ति नहीं होने के प्रभाव का आकलन नहीं किया।

सरकार ने तथ्यों (जुलाई 2018) को स्वीकार किया एवं कहा कि टाईप टेस्ट की आवश्यकता एवं बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त करने के कारण आपूर्ति में देरी हुई थी एवं डीटी की आपूर्ति लागू दंड के साथ स्वीकार की जाएगी। इसने आगे कहा कि (सितम्बर 2018) 14 चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं में से 4 ने आपूर्ति शुरु कर दी है (नवम्बर 2018)।

(द) कम्पनियों ने सिंगल एवं थ्री फेज डीटी की खरीद के लिए चार निविदाओं[20] के तहत 15 क्रय आदेश दिए जैसा कि **अनुबंध-11** में वर्णित है। यह अनुबंध से देखा जा सकता है कि आपूर्तिकर्ताओं ने फरवरी 2015 से जुलाई 2017 के बीच निर्धारित सुपर्दगी अवधि की समाप्ति के पश्चात भी आदेशित मात्रा के विरुद्ध संपूर्ण आपूर्ति निष्पादित नहीं की थी। फिर भी, कम्पनी ने इन आपूर्तिकर्ताओं से ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति ना करने की मात्रा के लिए ₹ 2.65 करोड़ का दंड वसूल नहीं किया (जुलाई 2018)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2018) एवं जेवीवीएनएल ने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं ने मूल्य गिरने के नियम के लागू होने के कारण सामग्री की आपूर्ति नहीं की थी। इसने आगे कहा कि (सितम्बर 2018) आठ में से चार[21] प्रकरणों मे जेवीवीएनएल मे वो ही आपूर्ति स्वीकार की गई जो निर्धारित अवधि में थी जबकि शेष मात्रा की आपूर्ति को लागू दंड वसूल करके रद्द कर दी गई थी। शेष चार प्रकरणों में शेष मात्रा की आपूर्ति को रद्द करने के लिये अनुबंध के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जेडीवीवीएनएल के चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के प्रकरणों में शेष मात्रा को लागू दंड के साथ/बिना दंड के साथ रद्द करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2018)।

3.1.9 *नॉन स्टार रेटेड ट्रांसफॉर्मर का क्रय*

जेडीवीवीएनएल ने मै.सेंचुरी इंफ्रा पावर (प्राइवेट) लिमिटेड जयपुर (फर्म) को 1000, 16 केवीए थ्री फेज (एल्यूमिनियम वाउंड) चार सितारा रेटेड वितरण ट्रांसफॉर्मर ₹ 3.99 करोड़ मूल्य की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश दिये (जून 2014)। ट्रांसफॉर्मर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा जारी चार सितारा रेटिंग के साथ प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर पर बीईई के स्टार लेबल वांछित थे। आपूर्ति जुलाई 2015 में पूरी की गई थी। यह पाया गया कि बीईई ने अगस्त 2011 में स्टार रेटिंग के लेबल को फर्म को अनुमति दी जो कि 10 अगस्त 2011 से 09 अगस्त

19 फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर्स व स्विचगीयर्स, जयपुर (10, 16 व 25 के वी ए), जी एंड जी इंटरप्राईजिज, जयपुर (10, 16 व 25 के वी ए), मार्सन्स एनर्जी प्रा लि. जयपुर (10, 16 व 25 के वी ए), टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ (10 के वी ए), विकास इंटरप्राईजिज, जयपुर (10, 16 व 25 के वी ए), व पुष्कर मैटल, हनुमानगढ (25 के वी ए)।

20 टी एन 968, 1052, 2217, व 2270 ।

21 पशुपतिनाथ ट्रांसफार्मर्स, वर्धमान इलैक्ट्रोमेच, राजस्थान मैटल व कैमिकल इंडस्ट्रिज व सुपर ट्रांसफार्मर्स व इलैक्ट्रिकल।

2014 तक मान्य थी। फर्म ने निर्धारित समय में बीईई अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया (अर्थात वैधता की समाप्ति से तीन महीने पहले)। प्रारंभिक अनुमति (अगस्त 2014) की समाप्ति के बाद, फर्म ने अनुमति के नवीनीकरण के लिए बीईई से संपर्क किया। बीईई द्वारा अनुमति जून 2015 में नवीनीकृत की गई जो 19 मई 2015 से 18 मई 2018 तक तीन साल के लिए मान्य थी। इस प्रकार, फर्म के पास अगस्त 2014 से मई 2015 की अवधि के दौरान बीईई अनुमति नहीं थी एवं उसे ट्रांसफॉर्मर पर बीईई स्टार रेटिंग लेबल प्रत्यर्पित करने की अनुमति नहीं थी हांलाकि इन ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति सीटीएल में परीक्षण की उचित प्रक्रिया के बाद स्वीकार की गई थी। यद्यपि यह देखा गया था कि इस अवधि के दौरान 826 ट्रांसफॉर्मर (अगस्त 2014 से फरवरी 2015) की आपूर्ति की गई थी एवं मार्च 2015 तक ₹ 3.26 करोड़ का भुगतान भी किया गया था। लेखा परीक्षा इन ट्रांसफार्मर्स के निष्पादन का मूल्यांकन नही कर सका क्योंकि ये ट्रासंफार्मर्स विभिन्न स्थानो पर लगे हुए थे एवं कम्पनी ने ट्रासंफार्मर्स वार निष्पादन का रिकार्ड रखने एवं गुणावलोकन का तंत्र विकसित नही कर रखा था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2018) एवं कहा कि जेडीवीवीएनएल ने अगस्त 2014 से मई 2015 तक इन ट्रासंफार्मर्स की आपूर्ति गलती से स्वीकार की थी। फिर भी लेखा परीक्षा का यह विचार है कि कम्पनी (जेडीवीवीएनएल) को भविष्य में सामग्री की प्राप्ति करते समय इस मामले मे सावधान रहना चाहिए।

ट्रांसफॉर्मर का निष्पादन

3.1.10 वितरण ट्रांसफॉर्मर एक महत्वपूर्ण उपकरण है एवं यह विद्युत वितरण नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं किसी भी प्रकार की विफलता से ना केवल उपक्रम को वित्तीय हानि होती है बल्कि आपूर्ति में व्यवधान भी डालता है। वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रबन्धन तंत्र मरम्मत एवं रख-रखाव, निस्तारण/निपटान की प्रणाली की 2015-18 में समीक्षा के लिए 12 उपखण्ड (जेवीवीएनएल में तीन[22] परिचालन एवं रख रखाव (ओ एण्ड एम) वृत्तों/एसीओएस के छः[23] उपखण्ड एवं जेडीवीवीएनएल में तीन[24] ओ एण्ड एम वृत्तों/ऐसीओएस में छः उपखण्डों[25]) को परीक्षण जांच हेतु चुना गया जिसमे निम्नलिखित अवलोकन देखे गये :

3.1.11 वितरण ट्रांसफॉर्मर की उच्च विफलता दर

वितरण ट्रांसफॉर्मर की उच्च विफलता दर कारको के संयोजन के कारण जैसे वितरण ट्रांसफॉर्मर पर अधिक लोड, अनुचित अर्थिंग एवं सुरक्षा, अनुचित फ्यूज, अपर्याप्त रख रखाव इत्यादि के कारण होती है। उचित विश्वसनीयता हेतु ऊर्जा मंत्रालय (एम ओ पी) द्वारा डीटी की विफलता दर 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम इंगित की गई थी।

जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में 2015-16 से 2017-18 के दौरान स्थापित वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या, विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं डीटी की विफलता दर निम्नलिखित तालिका मे इंगित है :

22 अलवर, जयपुर जिला व भरतपुर।

23 मुंडावर, बानसूर, विराटनगर, बस्सी, नदबई व बयाना।

24 जोधपुर जिला, बीकानेर जिला व जालौर।

25 बालेसर, डेचु, बज्जु, लूनकरणसर, भडराना व सांचौर।

क्रम सं.	विवरण	जेवीवीएनएल			जेडीवीवीएनएल		
		2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
1	स्थापित वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या	558061	602179	643044	376295	402202	414767
2	**विफल ट्रांसफॉर्मर की संख्या**						
i	गारन्टी अवधि[26] में	38079	36793	32165	14845	12405	14654
ii	गारन्टी अवधि पार	33640	35317	31332	23434	19823	23934
	कुल	**71719**	**72110**	**63497**	**38279**	**32228**	**38588**
3	**वितरण ट्रांसफॉर्मर की विफलता दर (प्रतिशत)**						
i	गारन्टी अवधि में	6.82	6.11	5.00	3.95	3.08	3.53
ii	गारन्टी अवधि पार	6.03	5.86	4.87	6.23	4.93	5.77
	कुल	**12.85**	**11.97**	**9.87**	**10.18**	**8.01**	**9.30**

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2015-18 के दौरान जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में वितरण ट्रांसफॉर्मर की विफलता दर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम विफलता दर से काफी अधिक थी क्योंकि समग्र विफलता दर क्रमशः 9.87 एवं 12.85 प्रतिशत एवं 8.01 प्रतिशत एवं 10.18 प्रतिशत के मध्य थी। जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के चयनित उपखण्डों में उपखण्ड वार विफलता दर वर्ष 2015-16 से 2017-18 की स्थिति **अनुबंध 12** में दर्शाई गई है। हमने पाया कि डिस्कॉम्स ने ट्रांसफॉर्मर की विफलता की प्रवृति को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की विफलता के कारणो का विश्लेषण नहीं किया। डिस्कॉम्स ने उच्च विफलता दर वाले ट्रांसफॉर्मर की विक्रेतावार विफलता दर नहीं निकाली एवं विश्लेषण भी नहीं किया जिससे वितरण ट्रांसफॉर्मर विक्रेताओं की पहचान एवं ब्लैकलिस्ट किया जा सके।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई/सितम्बर 2018) किया एवं बताया कि उच्च विफलता दर अधिभारित, अर्थिंग एवं आंतरिक विनिर्माण दोष के कारण थी एवं इसके अतिरिक्त नये स्थापित वितरण ट्रांसफॉर्मर को संबंध भार की बजाय संबंध उपभोक्ताओं की संख्या को आधार मानना था। आगे कहा गया कि कम्पनियों ने 2017-18 से विफलता दर को नियंत्रित करने के लिए एमसीसीबी[27] स्थापित कर डीटी की पुनर्संरचना प्रारम्भ कर दी है, नये वितरण ट्रांसफॉर्मर संबंध भार के आधार पर स्थापित किये जा रहे है एवं डीडीयूजीजेवाई[28] के तहत अधिक संख्या में वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये गये है जिससे विफलता दर में कमी आयेगी। हालांकि विशेष आपूर्तिकर्ताओं से निम्न श्रेणी के वितरण ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति को रोकने के लिए विक्रेतानुसार विफलता दर बनाने एवं विश्लेषण करने के लिए तंत्र तैयार करने के मुद्दे पर, उत्तर मौन था।

26 वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रापण से संबंधित बोली/अनुबंध में आपूर्ति की दिनांक से 60 माह तक की गारण्टी अवधि का प्रावधान है।

27 मौउलडेड केस सर्किट ब्रेकर ।

28 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ।

3.1.12 *ट्रांसफॉर्मर पर स्वीकृत / जुडे भार को सुनिश्चित किये बिना नये कनेक्शन जारी करना*

डिस्कॉम्स उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणीयों के नए कनेक्शन/भार विस्तार जारी करने के लिए विभिन्न क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित करते है। जारी किये जाने वाले प्रस्तावित कनेक्शनों की भार-आवश्यकता के निर्धारण के बाद वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता विस्तार / नये ट्रांसफॉर्मर की स्थापना डिस्कॉम्स द्वारा की जानी चाहिये थी।

सिंगल फेस नये कनेक्शन / भार विस्तार जारी करने से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि डिस्कॉम्स ने स्वीकृत / जुडे भार के बजाय मौजूदा/प्रस्तावित कनेक्शनों की संख्या के आधार पर, आवश्यक वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का आकलन करने के लिए तकनीकी अनुमान तैयार किये। इस प्रकार डिस्कॉम्स ने वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाई / स्थापित किये एवं नये कनेक्शन जारी किये एवं मौजूदा कनेक्शनों का भार विस्तार, वितरण ट्रांसफॉर्मर के विद्यमान/प्रस्तावित भार निर्धारण का आंकलन किये बिना किया जिससे बाद में ट्रांसफॉर्मर की ओवरलोडिंग एवं विफलता हुई।

हालांकि, ट्रांसफॉर्मर की विफलता पर ओवरलोडिंग के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि डिस्कॉम्स ने ट्रांसफॉर्मर की विफलताओं के अभिलेख नहीं बनाए एवं ट्रांसफॉर्मरवाइज डाटा का विश्लेषण नहीं किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया कि सिंगल फेस वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थापना संबंध उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर की गई जिससे वितरण ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडिंग एवं उच्च विफलता दर हुई। आगे कहा गया कि वर्ष 2018-19 से यह प्रथा बंद कर दी है एवं वर्तमान में नयें वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का निर्धारण वास्तविक संबंधित भार से किया जाता है।

इसने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि उपकरण की अनाधिकृत क्रियाविधि को रोकने के लिये ट्रांसफार्मर्स की ऊंचाई भी बढाई गई। जिन उपभोक्ताओं ने वोल्यूंट्री लोड डिस्कलोजर स्कीम के तहत अपना लोड बता दिया था उन उपभोक्ताओं के लिये ट्रांसफॉर्मर की क्षमता भी बढाई गई है।

ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट के कारण हुई क्षति की क्षतिपूर्ति का भुगतान

वितरण निगम कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी करते है जिसके लिए आशान्वित भार / कृषि उपभोक्ताओं की आवश्यकता के दृष्टिगत ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने की आवश्यकता होती है। कृषि उपभोक्ताओं के मामले में, सामान्यतः व्यक्तिगत कृषि कनेक्शन अलग ट्रांसफॉर्मर की स्थापना के माध्यम से जारी किये जाते है। इसलिए वितरण निगमों से कृषि कनेक्शन के लिए स्थापित ट्रांसफॉर्मर पर भार की निगरानी करने एवं ट्रांसफॉर्मर पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, हमने जयपुर जिलावृत के विराटनगर उपखण्ड के तहत गुर्जरपुरा में जारी कृषि कनेक्शन का एक मामला देखा जिसमें जेवीवीएनएल ने 16 केवीए ट्रांसफॉर्मर स्थापित करके कृषि उपभोक्ता को कनेक्शन जारी किया जो 24 दिसम्बर 2016 को विफल हो गया। कम्पनी ने 16 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर तुरन्त (24 दिसम्बर 2016) बदल दिया हालांकि, ट्रांसफॉर्मर की विफलता के कारणो के अभिलेख में नहीं पाये गये। तत्पश्चात, पुनः स्थापित ट्रांसफॉर्मर (16 केवीए) भी छः माह (10 मई 2017) मे विफल हो गया एवं कम्पनी ने दर्ज किया कि ट्रांसफॉर्मर पर वास्तविक भार स्वीकृत भार (15 एचपी) से बढ़कर (27.31 एचपी/ 22.64 किलोवाट) हो गया था। कम्पनी ने उपभोक्ता को 30 दिन में भार विस्तार हेतु नोटिस जारी किया (10 मई 2017) लेकिन उपभोकता ने इस तरह के विस्तार हेतु आवेदन नहीं किया था। इसी बीच, इस बार कम्पनी ने

फिर से 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर से प्रतिस्थापित कर दिया (18 मई 2017)। कम्पनी को जले हुए मीटर की शिकायत प्राप्त (4 सितम्बर 2017) हुई एवं शिकायत का निवारण मीटर प्रतिस्थापित करके किया गया (24 अक्टूबर 2017)। तत्पश्चात, प्रतिस्थापित ट्रांसफॉर्मर (25 केवीए) में विस्फोट हो गया (31 अक्टूबर 2017) जो 21 लोगों की मौत का कारण बना। कम्पनी ने मृतकों के परिवारों को तत्काल राहत/मुआवजे हेतु ₹ 1.05 करोड़ का भुगतान जारी किया। कम्पनी ने लंबित जाँच का हवाला देते हुए घटना से सम्बन्धित रिकॉर्ड/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये एवं कहा कि मामला न्यायाधीन है।

हमने देखा कि कम्पनी ने पिछले उदाहरणों पर ट्रांसफॉर्मर को अधिभारित करने के लिए उपभोक्ता के विरूद्ध उचित कार्रवाई नहीं की थी। बिना संबंधित उपभोक्ता से आवेदन प्राप्त होने के उपभोक्ता के लोड को नियमित करने के लिये कोई तंत्र नही था। इस प्रकार, कम्पनी ने ट्रांसफॉर्मर पर ओवरलोडिंग को रोकने के लिए किसी भी तंत्र को विकसित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ऐसे घातक हादसे हुए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा (जुलाई 2018) एवं कहा कि संबन्धित उपभोक्ता से आवेदन पत्र प्राप्त किये बिना भार-विस्तार के लिए सतर्कता जाँच आयोजित की गई। आगे कहा कि जयपुर जिला वृत्त में सभी उपभोक्ताओ (5 एच पी एवं अधिक) के लोड की जांच करके नियमित किया जा चुका है।

आगे यह कहा गया (सितम्बर 2018) कि कोर्ट केस का निपटान हो चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय में जुलाई 2018 में निरस्त कर दिया है। हालांकि अन्य वृत्तों में समान जाँच नहीं किये जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया। फिर भी जेवीवीएनएल ने इस मामले में इसके द्वारा की गई जाँच का परिणाम सूचित नहीं किया है। **(नवम्बर 2018)**

3.1.13 *ट्रांसफॉर्मर मूवमेन्ट पत्र (टीएमसी)/ विवरण पत्र का रख-रखाव ना करना*

विशिष्ट ट्रांसफॉर्मर के निष्पादन एवं निगरानी कार्य के आंकलन के लिए, कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) को ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट पत्र (टीएमसी) / *विवरण पत्र*/ किसी अन्य रूप में जिसमें आवश्यक जानकारी हो जैसे ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट के सम्बन्ध में मदवार आंकड़े/ सूचना जैसे प्राप्ति की दिनांक, स्थापना, रख-रखाव, विफलता, मरम्मत, पुनः स्थापना एवं मूवमेंट आदि रखने की आवश्यकता थी। हालांकि कम्पनियों ने ट्रांसफॉर्मर के मदवार मूवमेंट को दर्ज करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की। ट्रांसफॉर्मर के मदवार अभिलेख के रख-रखाव के अभाव में कंपनियां अपने ट्रांसफॉर्मर की स्थिति की पहचान/उपलब्ध नहीं करा सकी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनियां फर्मानुसार ट्रांसफॉर्मर की विफलता, निर्धारित समयावधि में ट्रांसफॉर्मर के मरम्मत की प्राप्ति ,विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर का आपूर्तिकर्ता के पास पड़े रहने के विश्लेषण की स्थिति में नहीं थी।

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि कनिष्ठ अभियंता अपने द्वारा स्थापित डीटी से सम्बन्धित विवरण रखता है। इसके अतिरिक्त विफल एवं मरम्मत किये गये डीटी के आपूर्तिकर्तावार विश्लेषण हेतु संबंधित एसीओएस सक्षम है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयनित एसीओएस एवं उपखण्डों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि न तो संबंधित कनिष्ठ अभियंता ने स्थापित डीटी का ऐसा अभिलेख बनाया एवं न ही संबंधित एसीओएस ने विफल/मरम्मत किये डीटी का आपूर्तिकर्तावार विश्लेषण किया था।

सरकार ने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि स्टोर मदवार (ट्रांसफार्मर्स सहित) डाटा बनाने के लिये ईआरपी को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है।

विफल ट्रांसफॉर्मर का निपटान

3.1.14 डिस्कॉम्स समन्वय मंच (डीसीएफ) के निर्णय (15 जनवरी 2010) के अनुसार कम्पनी (जेवीवीएनएल) ने राज्य के सभी तीनों डिस्कॉम्स को निर्देश जारी (29 जनवरी 2010) किये जिसमें निम्न सम्मिलित थेः-

- क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता एवं मुख्य लेखा नियंत्रक को संयुक्त रूप से रिपोर्ट तैयार करने एवं ट्रांसफॉर्मर को इसकी विफलता के 72 घंटे के भीतर उपखण्डों में जमा करवाना आवश्यक है।
- सहायक अभियंता (संचालन एवं रख-रखाव) को उसी दिन डीटी की विफलता के बारे में संबंधित आपूर्तिकर्ता को टेलीग्राफिक रूप से सुचित करने एवं सात दिनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त सत्यापित रिपोर्ट के साथ संबंधित स्टोर मे विफल ट्रांसफॉर्मर को जमा कराना आवश्यक था।
- डीटी प्राप्त करते समय एसीओएस ट्रांसफॉर्मर की दशा, पूर्जो/तेल स्तर की उपलब्धता, आदि को सत्यापित करेगा। एसीओएस संबंधित आपूर्तिकर्ता को ऐसे डीटी की प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर असफल डीटी की विफलता एवं मरम्मत के बारे में सूचित करेंगें।

इसके अतिरिक्त, दोनों कम्पनियों ने समय-समय पर आदेश जारी किये ताकि गारन्टी अवधि में विफल होने वाले ट्रांसफॉर्मर के जमा/निपटान के संबंध में उपर्युक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

3.1.15 *विफल ट्रांसफॉर्मर जमा कराने में देरी*

यह देखा गया कि डिस्कॉम्स ने विशिष्ट ट्रांसफॉर्मर से संबंधित कार्यप्रणाली को चिन्हित करने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया। ट्रांसफॉर्मर से संबंधित रख-रखाव के अभिलेख भी व्यवस्थित नहीं थे। उचित एवं समेकित अभिलेखों की अनुपस्थिति में हमने ट्रांसफार्मर्स की विफलता, जमा एवं ट्रांसफॉर्मर के निपटान की समीक्षा चयनित उपखण्डों में तीन महीने यानि मई 2015, मई 2016 एवं मई 2017 के लिए की।

निम्नलिखित तालिका चयनित अवधि में चयनित उपखण्डों में विफल ट्रांसफॉर्मर की संख्या (गारन्टी अवधि में/गारन्टी अवधि पार), एवं उपखण्ड कार्यालयों द्वारा विफल ट्रांसफॉर्मर की संबंधित स्टोर में जमा इंगित करता है :

कम्पनी एवं उपखण्ड	विफल ट्रांसफॉर्मर्स (संख्या में)			ट्रांसफॉर्मर्स जमा (संख्या में)				अधिकतम देरी[29] (दिनों में)
	गारन्टी अवधि[30] में	गारन्टी अवधि[31] पार	कुल	निर्धारित समय में	देरी से	उपखण्ड में पड़े	ब्यौरा/ अभिलेख अनुपलब्ध	
जेवीवीएनएल								
मुंडावर	185	201	386	51	224	27	84	760
बानसुर	230	204	434	0	0	10	424	उपलब्ध नही

29 जमा किये गये डीटी में देरी की गणना सात दिनों की अवधि छोड़ कर की गई है।

30 गारंटी अवधि के भीतर ।

31 गारंटी अवधि से परे ।

विराटनगर	136	176	312	64	248	-	0	96
बस्सी	70	112	182	33	149	-	0	932
नदबई	86	100	186	43	110	-	33	643
बयाना	83	82	165	24	67	-	74	160
कुल	**790**	**875**	**1665**	**215**	**798**	**37**	**615**	
जेडीवीवीएनएल								
बालेसर	79	88	167	36	129	-	2	111
डेचू	133	126	259	70	189	-	-	224
बज्जू	46	उपलब्ध नही[32]	46	0	46	-	-	198
लूनकरणसर	90	उपलब्ध नहीं	90	0	90	-	-	305
भदारणा	130	76	206	30	176	-	-	494
सांचौर	62	151	213	61	152	-	-	26
कुल	**540**	**441**	**981**	**197**	**782**	**-**	**2**	

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के चयनित उपस्थण्डों में क्रमशः 1665 ट्रांसफॉर्मर मे से 790 एवं 981 में से 540 ट्रांसफॉर्मर्स गारन्टी अवधि में विफल हुए जबकि शेष ट्रांसफॉर्मर क्रमशः 875 एवं 441 गारन्टी अवधि पार विफल हुए। आगे जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के चयनित उपस्थण्डों से संबंधित वृत स्टोर में समय पर क्रमशः 12.91 प्रतिशत (215 संख्या) एवं 20.08 प्रतिशत (197 संख्या) विफल ट्रांसफॉर्मर ही जमा करवाये गये। इसके अतिरिक्त 47.93 प्रतिशत (798 संख्या) एवं 79.71 प्रतिशत (782 संख्या) विफल हुए ट्रांसफार्मर्स क्रमशः 932 एवं 494 दिनों की देरी से जमा करवाये गये। जेवीवीएनएल के अलवर वृत के मुंडावर एवं बानसूर उपस्थण्डों में ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता के दस माह व्यतीत होने के तत्पश्चात भी 37 विफल ट्रांसफॉर्मर्स (नौ ट्रांसफॉर्मर टूटे टैंक सहित) संबंधित उपस्थण्डों में पड़े थे (मार्च 2018)। इस प्रकार उपस्थण्डों ने विफल ट्रांसफॉर्मर्स जमा कराने के लिये जारी किये गये निर्देशों का पालन नहीं किया। यह ये भी इंगित करता है कि उपस्थण्ड में विफल ट्रांसफॉर्मर्स को स्टोर में जमा करवाने की तत्परता का अभाव था।

जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के शेष क्रमशः 615 एवं दो विफल ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में उपस्थण्ड ने वृत भंडार में जमा करवाने के बारे में सूचित किया परन्तु उपस्थण्ड द्वारा ट्रांसफॉर्मर जमा करवाने से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड/विवरण/सामग्री क्रेडिट नोट (एमसीएम) नहीं बनाये/उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त, जेडीवीवीएनएल के बीकानेर वृत में बज्जू एवं लूनकरणसर उपस्थण्डों ने गारण्टी अवधि पार विफल ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता एवं जमा करवाने के कोई रिकार्ड / विवरण नहीं बनाया। यह इंगित करता है कि रिकॉर्ड का रख-रखाव उचित नहीं था एवं विफल ट्रांसफॉर्मर्स की स्थिति की निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर की प्रतिस्थापना एवं गारन्टी अवधि पार विफल (बीजीपी) ट्रांसफार्मर्स की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को यह निर्देश जारी कर दिये गये (मई 2018) है कि जले हुए/विफल हुए ट्रांसफॉर्मर के विरुद्ध नया ट्रांसफॉर्मर, जले हुए/विफल हुए ट्रांसफॉर्मर के जमा करवाने के

32 रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।

पश्चात ही जारी किये जाये। इसके अतिरिक्त, विफल ट्रांसफॉर्मर जमा करवाने के लिए समय-सारिणी के पालन करने के निर्देश जारी किये गये।

सरकार ने आगे कहा (सितंबर 2018) कि जेडीवीवीएनएल ने विफल हुए ट्रांसफार्मर्स को एसीओएस में जमा करवाने के लिये एक विशेष अभियान चलाया था जिससे स्टोर में पड़े मरम्मत रहित ट्रांसफार्मर्स की संख्या में कमी आयी है। जेडीवीवीएनएल ने बचे विफल ट्रांसफार्मर्स को उठाने में चूक करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं को नोटिस भी जारी किये थे।

3.1.16 *गारन्टी अवधि पार विफल ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत /निपटान की निगरानी की दोषयुक्त प्रणाली*

जेवीवीएनएल के तीन चयनित एसीओएस में गारन्टी अवधि पार ट्रांसफॉर्मर्स के प्रकरण में, केवल जयपुर जिला वृत में दो चयनित उपस्वण्डों[33] में ट्रांसफॉर्मर्स स्टोर में जमा कराने की स्थिति उपलब्ध करवा सके जबकि शेष दो एसीओएस (अलवर एवं भरतपुर) ने सूचित किया कि गारन्टी अवधि पार एवं एसीओएस में जमा समस्त विफल ट्रांसफॉर्मर स्क्रेप में बेच दिये गये। हालांकि इसका लेखापरीक्षा में सत्यापन नही किया जा सका क्योंकि एसीओएस उनके नियंत्रण में चयनित उपस्वण्डों का, इन ट्रांसफार्मर्स के निपटान से संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत नही कर सके।

जेडीवीवीएनएल के प्रकरण में हमने देखा कि लूनकरणसर उपस्वण्ड द्वारा 10 नमूना जांच के प्रकरणों में से चार में तैयार की गई विफलता रिपोर्ट एवं एसीओएस बीकानेर द्वारा रखे गये रिकार्ड में ट्रांसफार्मर्स की विफलता की तारीख अलग-अलग थी। इस प्रकार बनाये गये अभिलेख विश्वसनीय नहीं थे। इसके अतिरिक्त, जोधपुर जिला वृत्त के तहत ढ़ेचू उपस्वण्ड ने ट्रांसफॉर्मर विफलता रिपोर्ट (टीएफआर) प्रस्तुत करवाने के बारे में कोई अभिलेख नहीं बनाये थे एवं इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर विफलता की स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया एवं कहा कि अभिलेखों की एकरूपता सुनिश्चित करने, बीजीपी विफल ट्रांसफॉर्मर के अभिलेख बनाने एवं ऐसे ट्रांसफॉर्मर को संबंधित एसीओएस में जमा करवाने के निर्देश जारी किये जा चुके है। आगे कहा कि जेवीवीएनएल मे, थ्री फेज वाले गारंटी अवधि पार विफल ट्रांसफार्मर्स का निपटान नीलामी द्वारा किया जा चुका है। जबकि अन्य प्रकरणों में ऐसे ट्रांसफार्मर्स का या तो नीलामी से निपटान किया जा चुका है या समय-समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत कर ली गई है। आगे, रोजाना निरीक्षण प्रपत्र जारी किये गये है एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया जाता है। परंतु उत्तर, जेवीवीएनएल के तीन मे दो चयनित एसीओएस (अलवर एवं भरतपुर) द्वारा बीजीपी विफल ट्रांसफार्मर्स का रिकार्ड प्रस्तुत ना करने के संबंध में मौन है।

3.1.17 *गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर के उठाने/ मरम्मत में देरी*

यदि ट्रांसफॉर्मर गारन्टी अवधि में विफल होता है तो ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत का दायित्व आपूर्तिकर्ता का है। दोनों कम्पनियों द्वारा जारी किये गये क्रयादेशों में प्रावधान था कि आपूर्तिकर्ता को सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर ट्रांसफॉर्मर को स्टोर से उठाना होगा एवं अगले 60 दिनों में मरम्मत के बाद इन्हें सुपुर्द करना होगा। इसके अतिरिक्त, विफलता के मामले में ट्रांसफॉर्मर्स की लागत बिलों में से रोक देनी है। इसके अतिरिक्त यदि आपूर्तिकर्त्ता

33 विराटनगर व बस्सी ।

निर्धारित अवधि के भीतर उचित मरम्मत के बाद ट्रांसफॉर्मर सुपुर्द करने में विफल रहता है तो प्रति सप्ताह 1/2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत दंड लगाया जाना आवश्यक है। दोनों कम्पनियों को यह निगरानी करने की आवश्यकता है कि विफल ट्रांसफॉर्मर उठाये जा रहे हैं एवं मरम्मत किये गये ट्रांसफॉर्मर संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा समय पर वापिस सुपुर्द किये जा रहे है।

जेवीवीएनएल

गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर उपस्खण्ड द्वारा संबंधित एसीओएस में जमा कराये जाते थे एवं इसके बाद एसीओएस, जयपुर सिटी वृत्त के केन्द्रीय भण्डार में इकट्ठे किये जाते थे। तब विफल ट्रांसफॉर्मर संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्रीय भण्डार से उठाये जाते थे एवं आवश्यक मरम्मत करने के पश्चात वापिस सुपुर्द किये जाते थे। केन्द्रीय भण्डार में विफल ट्रांसफॉर्मर को जमा कराने की प्रणाली को 1 जुलाई 2017 से बंद कर दिया गया। तब से विफल ट्रांसफॉर्मर संबंधित एसीओएस में जमा किये जाते है।

उपस्खण्डों द्वारा जमा कराये गये ट्रांसफॉर्मर्स, आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाये गये एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अप्रैल 2015 से जून 2017 में वापिस सुपुर्द किये गये विफल ट्रांसफॉर्मर की स्थिति एवं 2015-18 के दौरान केन्द्रीय भण्डार/आपूर्तिकर्ताओ के पास पड़े विफल ट्रांसफॉर्मर का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष **अनुबंध-13** में दर्शाया गया है। अनुबंध में 14 प्रमुस्व आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत में देरी की आपूर्तिकर्ता वार स्थिति भी सम्मिलित है।

अनुबंध से देस्वा जा सकता है कि 1 अप्रैल 2015 को जेवीवीएनएल के केन्द्रीय भण्डार में गारन्टी अवधि में विफल 23129 ट्रांसफॉर्मर्स बिना मरम्मत के पड़े थे। 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2017 तक, 82240ओर विफल ट्रांसफॉर्मर्स केन्द्रीय भण्डार में जमा कराये गये। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2015 को 12376 गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर्स आपूर्तिकर्त्ताओं के पास बिना मरम्मत पड़े थे।

हमने विफल ट्रांसफॉर्मर को उठाने/ मरम्मत में निम्नलिस्वित कमियाँ देस्वी :-

1. जेवीवीएनएल के केन्द्रीय भण्डार में 30.6.2017 तक कुल 105369 एकत्रित ट्रांसफॉर्मर्स में से, आपूर्तिकर्ताओं ने मार्च 2018 तक केवल 92.28 प्रतिशत (97230 संस्था) उठाये जबकि शेष 7.72 प्रतिशत (8139 संस्था) ट्रांसफॉर्मर्स उठाये नहीं गये एवं विफल ट्रांसफॉर्मर के केन्द्रीय भण्डार में जमा करवाने की व्यवस्था को बन्द (1 जुलाई 2017) होने के बावजूद 31 मार्च 2018 तक केन्द्रीय भण्डार में पड़े थे।
2. आपूर्तिकर्ताओं ने उठाये गये कुल ट्रांसफॉर्मर (109606 मे से 98840) में से मात्र 90.18 प्रतिशत मरम्मत किये एवं वापिस किये जबकि शेष 9.82 प्रतिशत (10766 संस्था) ट्रांसफॉर्मर आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े थे (मार्च 2018)।
3. अनुबंध में दर्शाये अनुसार 1 अप्रैल 2015 को 14 प्रमुस्व आपूर्तिकर्ताओं के पास 8611 ट्रांसफार्मर्स पडे थे। आगे इन आपूर्तिकर्त्ताओ ने 2015-18 अवधि में 68158 ट्रांसफार्मर्स उठाये। कुल 76769 ट्रांसफार्मर्स में से इन आपूर्तिकर्त्ताओं ने केवल 12430 ट्रांसफार्मर्स (16.19 प्रतिशत) समय पर मरम्मत एवं वापिस किये जबकि 56173 ट्रांसफार्मर्स (73.17 प्रतिशत) देरी से मरम्मत किये जैसा कि **अनुबंध-13** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 13860 ट्रांसफॉर्मर बिना मरम्मत पड़े रहे क्योंकि

इन आपूर्तिकर्ताओं के केन्द्रीय भण्डार एवं आपूर्तिकर्ताओं के पास क्रमशः 5694 एवं 8166 ट्रांसफॉर्मर्स पड़े हुए थे।

4. ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत में असामान्य विलम्ब के बावजूद, जेवीवीएनएल ने इन 14 आपूर्तिकर्ताओं से मार्च 2018 तक वसूली योग्य राशी निर्धारित नहीं की।

5. आपूर्तिकर्ताओं ने गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत करने से यह कहते हुए मना (अक्टूबर 2017) कर दिया कि ये ट्रांसफॉर्मर्स अनुचित रक्तरस्राव/अधिभार से विफल हुए जो कि विनिर्माण दोष के तहत सम्मिलित नहीं थे। आपूर्तिकर्ताओं ने दंड की छूट के लिए भी बातचीत की क्योंकि जेवीवीएनएल यह साबित करने के प्रमाणित दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया कि ट्रांसफॉर्मर्स विनिर्माण दोष के कारण विफल हुए है। मामला अनसुलझा रहा (मार्च 2018)। यह इंगित करता है कि जेवीवीएनएल ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ टकराव से बचने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता के कारणों की पहचान करने एवं साबित करने हेतु उचित तंत्र नहीं बनाया था।

जेडीवीवीएनएल

जेडीवीवीएनएल के प्रकरण में, विफल ट्रांसफॉर्मर संबंधित एसीओएस में उपस्खण्डों द्वारा जमा कराये जाते है एवं आपूर्तिकर्ता विफल ट्रांसफॉर्मर्स को उठाता है एवं मरम्मत किये गये ट्रांसफॉर्मर्स संबंधित एसीओएस को वापिस सुपुर्द किये जाते है।

निम्न तालिका उपस्खण्डों द्वारा जमा किये गये विफल ट्रांसफॉर्मर की स्थिति, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये, मरम्मत किये गये एवं वापिस सुपुर्द किये गये एवं चयनित एसीओएस से संबंधित एसीओएस/आपूर्तिकर्ता के पास पड़े ट्रांसफॉर्मर की 2015-18 अवधि की स्थिति दर्शाता है :

क्र.स.	विफल ट्रांसफार्मर्स की स्थिति	एसीओएस बीकानेर जिला	एसीओएस जोधपुर[34]	एसीओएस जालौर	कुल
1.	उपस्खण्डों द्वारा जमा	6419	2932	4532	13883
2	**आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाये गये**				
	समय सारणी में	2647	785	1742	5174
	समय सारणी के पश्चात	2758	862	1801	5421
	कुल	**5405**	**1647**	**3543**	**10595**
3.	आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा उठाये गये ट्रांसफॉर्मर्स का प्रतिशत (3=2/1×100)	84.20	56.17	78.17	76.32
4.	**आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मरम्मत एवं वापिस सुपुर्द**				
	समय सारणी में	915	65	579	1559
	समय- सारणी के पश्चात	2630	219	1422	4271
	कुल	**3545**	**284**	**2001**	**5830**
5.	आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े (2-4)	1860	1363	1542	4765
6.	एसीओएस के पास पड़े (1-2)	1014	1285	989	3288
7.	उपस्खण्डों द्वारा जमा की तुलना में एसीओएस के पास ट्रांसफॉर्मर का प्रतिशत (7=6/1×100)	15.80	43.83	21.82	23.68

34 इस संस्था में सिर्फ 2017-18 के आंकड़े सम्मिलित है क्योंकि 2015-17 अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

8.	**ट्रांसफॉर्मर उठाने अधिकतम देरी (दिनों में)**	**819**	**238**	**988**	**988**
8अ	ट्रांसफॉर्मर्स को उठाने में देरी का विश्लेषण (दिनों में)				
	तीन माह तक	1704	539	1010	3253
	तीन से छः माह तक	590	264	367	1221
	छः माह से एक वर्ष तक	387	59	262	708
	एक वर्ष से अधिक	77	0	162	239
	कुल मामले	**2758**	**862**	**1801**	**5421**
9	ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत में अधिकतम देरी (दिनों में)	485	140	695	695
9अ	**ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत में देरी का विश्लेषण (दिनों में)**				
	तीन माह तक	1697	216	989	2902
	तीन से छः माह तक	678	3	266	947
	छः माह से एक वर्ष तक	215	0	105	320
	एक वर्ष से अधिक	40	0	62	102
	कुल मामले	**2630**	**219**	**1422**	**4271**

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जेडीवीवीएनएल ने गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर की समयबद्व उठाने एवं मरम्मत को सुनिश्चित नहीं किया क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं ने 2015-18 के दौरान तीन एसीओएस में कुल विफल ट्रांसफॉर्मर का 76.32 प्रतिशत (13883 में से 10595) उठाये। इसके अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं ने विफल ट्रांसफॉर्मर्स को निर्धारित समय-सीमा में उठाने एवं मरम्मत करने का पालन नहीं किया क्योंकि कुल 10595 विफल ट्रांसफॉर्मर में से 51.17 प्रतिशत (5421 संस्था) ट्रांसफार्मर्स देरी से उठाये जो कि 3253 प्रकरणों में तीन महीने तक से लेकर, 239 प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक थी एवं 40.31 प्रतिशत (4271 संस्था) ट्रांसफार्मर्स के 2902 प्रकरणों में तीन महीने तक से लेकर, 102 प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक की देरी से मरम्मत किये गये।

हमने आगे देखा कि जेडीवीवीएनएल में गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर की समयबद्व मरम्मत सुनिश्चित करने की आवश्यक निगरानी प्रणाली का अभाव था। विफल एवं एसीओएस में जमा 13883 ट्रांसफॉर्मर्स में से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मात्र 11.22 प्रतिशत (1559 संस्था) निर्धारित समयसीमा में मरम्मत किये जबकि 58 प्रतिशत (8053 डीटी[35]) ट्रांसफॉर्मर आपूर्तिकर्ताओं एवं एसीओएस के पास बिना मरम्मत किये पड़े थे (मार्च 2018)।

हमने देखा कि गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर्स को जमा करवाने में दोनों कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) के उपखण्ड तत्पर नहीं थे। इसके अतिरिक्त, दोनों कम्पनियों में ट्रांसफॉर्मर विफल की प्रारंभिक सूचना देने के बाद ऐसे ट्रांसफार्मर्स को समय पर उठाने एवं मरम्मत करवाने के लिये आपूर्तिकर्त्ताओं पर दबाव बनाने की उचित व्यवस्था/तंत्र का अभाव था।

विफल ट्रांसफॉर्मर्स की जमा, उठाने एवं मरम्मत में देरी के कारण, दोनों कम्पनियों को विद्युत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक ट्रांसफॉर्मर्स की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऐसे ट्रांसफॉर्मर की प्रभावी गारन्टी अवधि ट्रांसफॉर्मर जमा करने में देरी की सीमा तक कम हो गई थी क्योंकि दोनों कम्पनियों द्वारा जारी किये गये क्रयादेश में मरम्मत में देरी की सीमा तक गारन्टी अवधि में विस्तार का प्रावधान नहीं था। दोनों कम्पनियों को ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत में

35 8053 डीटी =आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े 4765 डीटी +एसीओएस में पड़े 3288 डीटी।

देरी हेतु दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही जैसे बैंक गारन्टी का भुनाना, आगामी निविदा हेतु बहिष्कृत, अन्य क्रयादेश के बकाया बिलों से कटौती/ रोक इत्यादि करनी थी, जो की नहीं की गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया एवं कहा कि अनुबंधित प्रावधानों के अनुसार विनिर्माण दोषों के कारण गारन्टी अवधि में विफल हुए ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की जानी थी जबकि आपूर्तिकर्ता दूसरे कारणों जैसे अधि-भार, एमसीसीबी से छेड़छाड़, तेल/कॉपर कॉयल की चोरी इत्यादि से विफल ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत हेतु बाध्य नहीं थे। यह भी कहा गया कि गारन्टी अवधि में विफल शेष ट्रांसफॉर्मर्स उठाने एवं मरम्मत हेतु आपूर्तिकर्ताओं को राजी किया जा रहा है एवं इन आपूर्त्तिकर्त्ताओं से दंड की वसूली, प्रकरण के बंद होने अथवा गारन्टी अवधि की समाप्ति पर की जायेगी।

सरकार ने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि जेवीवीएनएल ने चूक करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं पर दंड लगाने का फैसला किया था। आगे, गारंटी अवधि में विफल हुए ट्रांसफार्मर्स में से 90 प्रतिशत की सितम्बर 2018 तक मरम्मत की जा चुकी थी। इसमे आगे कहा है कि जेडीवीवीएनएल द्वारा दिये गये क्रय आदेशों में गारंटी के अनुच्छेद में होगा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा इस अनुच्छेद के तहत ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के प्रकरणों मे, ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के पश्चात आगे 12 महीने की ओर गारन्टी होगी। जेवीवीएनएल के प्रकरणों में उत्तर तथ्यात्मक रुप से गलत है क्योंकि जेवीवीएनएल द्वारा प्रदान की गई सूचना दर्शाती है कि 77 प्रतिशत से ज्यादा (कुल विफल 18905 डीटी में से 14580 डीटी) गारंटी अवधि में विफल ट्रांसफार्मर्स आज तक कम्पनी/आपूर्तिकर्ताओं के पास पडे हैं (नवम्बर 2018)।

3.1.18 *वितरण ट्रांसफॉर्मर की चोरी*

डिस्कॉम्स से अपने माल (ट्रांसफॉर्मर एवं ट्रांसफॉर्मर कॉयल सहित) जो भण्डार/क्षेत्र में स्थापित है की समयबद्व ट्रेकिंग एवं चोरी की रिपोर्टिंग, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करवाने एवं चोरी किये गये माल की पुलिस द्वारा पुनः प्राप्ति द्वारा चोरी एवं गबन की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत एवं प्रभावी प्रणाली विकसित करने की उम्मीद की जाती है।

हमने पाया कि दोनों ही डिस्कॉम्स में ऐसी मजबूत एवं प्रभावी प्रणाली में निम्न वर्णित कमियां थीः-

3.1.19 *ट्रांसफॉर्मर एवं ट्रांसफॉर्मर कॉयलस की चोरी से नुकसान*

निम्नलिखित तालिका 2015-18 में जेवीवीएनएल के चयनित उपखण्डों में ट्रांसफॉर्मर/ ट्रांसफॉर्मर कॉयल की चोरी के प्रकरणों की संख्या एवं मूल्य दर्शाता हैः-

उपखण्ड	वृत्त कार्यालय	चोरी के मामले (संख्या)	चोरी के माल का मूल्य (₹ करोड़ में)
मुण्डावर	अलवर	171	0.94
बानसूर	अलवर	49	0.20
विराटनगर	जयपुर जिला	52	0.29
बस्सी	जयपुर जिला	154	0.90
नदबई	भरतपुर	210	1.09
बयाना	भरतपुर	107	0.48
कुल		**743**	**3.90**

हमने पाया कि कम्पनी ने सभी प्रकरणों में संबंधित पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज करवाई जो कि अभी तक लम्बित हैं। परंतु कम्पनी ने, इन प्रकरणों को पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाने के लिये कोई प्रणालीगत तरीका नही अपनाया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा चोरी रोकने के लिये कोई रोकथाम/निरोधक तरीका नही अपनाया।

सरकार ने इन तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया एवं कहा कि इन चोरी के प्रकरणों में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पुलिस के साथ नियमित अनुसरण किया जा रहा है। हालांकि, चोरी के प्रकरणों से पुनः प्राप्त माल के उचित इंद्राज हेतु किसी भी निवारक तंत्र एवं रस्स-रस्साव प्रणाली के निर्माण के विषय पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

सरकार ने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि ट्रांसफार्मर्स की चोरी रोकने के लिये जनता/उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से प्रयास किये जा रहे है एवं आई टी सक्षम ई आर पी प्रणाली के द्वारा तकनीकी हस्तक्षेप लागू किये जा रहे है। उन्होने आगे कहा कि दूसरे निवारक तरीके जैसे एल्यूमिनियम कायल्स के ट्रांसफार्मर्स की स्पीद, ट्रांसफॉर्मर को अधिक ऊंचाई पर लगाना एवं ट्रांसफॉर्मर को ढांचे के साथ वेल्ड कराना आदि अपनाये जा रहे है।

3.1.20 *ट्रांसफॉर्मर की चोरी के अभिलेख न बनाना*

कम्पनी (जेडीवीवीएनएल) ने चोरी एवं गबन प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने एवं कम्पनी के मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु वृत कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी (सितम्बर 2002, मार्च 2010, अगस्त 2010, अप्रैल 2014 एवं मई 2014) किये। वृत्त कार्यालयों को भी लंबित चोरी एवं गबन प्रकरणों के लिये एक पृथक रजिस्टर बनाने एवं कम्पनी के प्रबंध निर्देशक की जानकारी/ सूचना के लिए निर्धारित प्रारूप में चोरी एवं गबन की मासिक सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

हमने पाया कि चयनित वृत्त कार्यालयों[36] एवं उपखण्ड कार्यालयों[37] में चोरी एवं गबन के प्रकरणों के लिये आवश्यक रजिस्टर / पंजिका नहीं बनाये। इसके अतिरिक्त, वृत्त कार्यालयों ने निर्धारित मासिक सूचना प्रस्तुत नहीं की। कम्पनी ने 2015-18 की अवधि के दौरान ट्रांसफॉर्मर एवं ट्रांसफॉर्मर कॉयल की चोरी के मात्र 366 मामले दर्ज किये जिनमें चयनित वृत्तों से संबंधित 130 मामले[38] सम्मिलित थे। चयनित वृत्तों द्वारा चोरी के प्रकरणों के लिए बनाई गई सूचना सही नहीं थी क्योंकि दो चयनित वृत्तों (बीकानेर जिला वृत्त एवं जालौर वृत्त) ने उन उपखण्डों के संबंध में चोरी एवं गबन के कारण शून्य सूचना दी, जिन्होंने वृत्त कार्यालय को सूचना नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त, वृत्तों के तहत चार उपखण्डों की जाँच में देखा गया कि ₹ 4.54 लाख के चोरी एवं गबन के 12 मामले पुलिस अधिकारियों के पास लंबित थे एवं अभी तक कोई वसूली नही हुई थी (मार्च 2018)। इस प्रकार चोरी एवं गबन के प्रकरणों की निगरानी हेतु प्रबन्धकीय सूचना तंत्र कमजोर था। इसके अतिरिक्त, उचित अभिलेखो की अनुपस्थिति में, 2015-18 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा प्रकरणों की सटीक संख्या एवं ट्रांसफॉर्मर की चोरी एवं गबन के कारण कम्पनी को हुए नुकसान की सटीक गणना करना संभव नहीं था।

36 जोधपुर जिला वृत्त, बिकानेर जिला वृत्त एवं जालौर वृत्त ।

37 बालेसर, डेचू, बज्जु, लूनकरणसर, भडराना एवं सांचौर ।

38 जोधपुर जिला वृत्त मे 118 मामले, बीकानेर जिला वृत्त मे छः मामले व जालौर वृत्त मे छः मामले ।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई/सितम्बर 2018) किया एवं कहा कि प्रबंधकीय सूचना तंत्र एवं आंतरिक लेखापरीक्षा समुह की हर महीने सही एवं प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किये गये है। इसमे आगे यह भी आश्वासन दिया कि ऐसे प्रकरणों की आगे की कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों के दौरान नियमित रुप से की जावेगी।

3.1.21 *ट्रांसफॉर्मर का समयपूर्व बेकार घोषित करना*

भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श पर लाइसेन्सधारियों के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मर का उचित जीवनकाल 25 वर्ष निर्धारित करते हुए ह्रास का मानक निर्धारण (मार्च 1994) किया।

जेवीवीएनएल

निम्नलिखित तालिका जेवीवीएनएल के तीन चयनित एसीओएस में 2015-16 से 2017-18 के दौरान गारन्टी अवधि (बीजीपी) के बाद विफल हुए वितरण ट्रांसफार्मर्स के प्रारंभिक शेष, प्राप्त किये, मरम्मत किये, निरस्त, विक्रय किये एवं अंतिम शेष को दर्शाता है।

अवधि	एसीओएस	गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थिति (संख्या)				
		प्रारंभिक शेष	प्राप्त	मरम्मत	निरस्त एवं विक्रय किये गये	अंतिम शेष
2015-16	अलवर	5105	14660	1807	3702	14256
	भरतपुर	3872	4741	514	4757	3342
	जयपुर जिला	10648	14677	2360	8202	14763
	कुल	**19625**	**34078**	**4681**	**16661**	**32361**
2016-17	अलवर	14256	9916	0	12494	11678
	भरतपुर	3342	2680	0	2662	3360
	जयपुर जिला	14763	20527	0	16698	18592
	कुल	**32361**	**33123**	**0**	**31854**	**33630**
2017-18	अलवर	11678	14005	2108	16012	7563
	भरतपुर	3360	2970	534	3955	1841
	जयपुर जिला	18592	15358	420	27554	5976
	कुल	**33630**	**32333**	**3062**	**47521**	**15380**
कुल योग			**99534**	**7743**	**96036**	

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2015-18 के दौरान 119159[39] गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर्स में से केवल 7743 मरम्मत किये गये एवं 96036 वितरण ट्रांसफॉर्मर्स बेकार घोषित किये गये एवं नीलामी द्वारा स्क्रेप के रुप में विक्रय किया गया। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2018 गारन्टी अवधि पार को विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर (15380) में से केवल 238 मरम्मत किये गये जबकि 15142 डीटी को पूर्व में ही बेकार घोषित किये जा चुके थे एवं निस्तारण हेतु लंबित थे। इस प्रकार कुल 119159 गारन्टी अवधिपार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर में से केवल 7981[40] (6.70 प्रतिशत) मरम्मत किये गये/मरम्मत योग्य थे एवं शेष

39 1 अप्रैल 2015 को डीटी का प्रारम्भिक शेष (19625)+ 2015-18 के दौरान कुल प्राप्त डीटी (99534)

40 2015-18 में मरम्मत किये गये डीटी (7743)+ 31 मार्च 2018 को मरम्मत योग्य डीटी (238)

111178[41] वितरण ट्रांसफॉर्मर (93.30 प्रतिशत) खराब घोषित किये एवं स्क्रेप में निस्तारित/विक्रय किये गये।

यह देखा गया कि जेवीवीएनएल ने सभी सिंगल फेस गारन्टी अवधि पार वितरण ट्रांसफॉर्मर को निस्तारित करने का निर्णय (नवम्बर 2015) लिया। इसके अतिरिक्त, जेवीवीएनएल ने थ्री फेस गारन्टी अवधि पार वितरण ट्रांसफॉर्मर जो 1 अप्रैल 2010 से पूर्व निर्मित थे, को यह मानते हुए निस्तारित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2016) कि इनकी मरम्मत, नये ट्रांसफॉर्मर क्रय करने की तुलना में आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं थी। हमने पाया कि वो सभी गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर जो बेकार घोषित किये गये एवं 2015-18 में विक्रय किये गये/ निस्तारित किये गये, अप्रैल 2006 से मार्च 2010 के बीच निर्मित थे। इस प्रकार वितरण ट्रांसफॉर्मर के सामयिक मरम्मत/ सुरक्षा के मानक निर्धारित करने जैसे भार का सामयिक निरीक्षण, तापमान एवं वोल्टेज, ऑयल स्तर, पृथ्वी प्रतिरोध, रिले, अलार्म एवं सर्किट इत्यादि के स्थान पर कम्पनी नें पुराने अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर को निपटाने का निर्णय किया जिससे वितरण ट्रांसफॉर्मर की उचित प्रभावी उपयोगी आयु 25 वर्ष से 11 वर्ष तक घट गई एवं गारंटी अवधि पार विफल डीटी के बेकार घोषित करने एवं निस्तारित करने से ₹ 122.90 करोड़[42] रूपयों का नुकसान हुआ।

जेडीवीवीएनएल

निम्नलिखित तालिका जेडीवीवीएनएल के तीनों चयनित एसीओएस में 2015-16 से 2017-18 में गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर का प्रारंभिक शेष, प्राप्ति , मरम्मत , बेकार घोषित एवं विक्रय किये गये एवं अंतिम शेष को दर्शाती है:-

अवधि	एसीओएस	गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थिति (संख्या)				
		प्रारंभिक शेष	प्राप्त	मरम्मत	निरस्त एवं बेचे गये	अंतिम शेष
2015-16	जोधपुर	5565	5331	5285	0	5611
	बीकानेर जिला	1368	2509	2172	1181	524
	जालौर	2123	4392	4274	4	2237
	कुल	**9056**	**12232**	**11731**	**1185**	**8372**
2016-17	जोधपुर	5611	4793	6447	60	3897
	बीकानेर जिला	524	2053	1793	178	606
	जालौर	2237	4437	2865	0	3809
	कुल	**8372**	**11283**	**11105**	**238**	**8312**
2017-18	जोधपुर	3897	2783	1881	0	4799
	बीकानेर जिला	606	908	759	237	518
	जालौर	3809	3687	2004	0	5492
	कुल	**8312**	**7378**	**4644**	**237**	**10809**
कुल योग			**30893**	**27480**	**1660**	

41 कुल विफल डीटी (119159) – कुल मरम्मत किये / मरम्मत योग्य डीटी (7981)

42 यह जेवीवीएनएल के लेखों में चयनित ऐसीओएस/ वृत्तों में ट्रांसफॉर्मर की बिक्री से हुई हानि जो कि "सम्पत्ति को बेचने से हुई" हानि को इंगित करता है।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2015-18 के दौरान 39949[43] गारन्टी अवधि पार वितरण ट्रांसफॉर्मर में से 27480 (68.79 प्रतिशत) मरम्मत किये गये एवं 1660 (4.16 प्रतिशत) खराब घोषित किये एवं नीलामी द्वारा स्क्रेप में विक्रय किये गये। इसके अतिरिक्त गारन्टी अवधि पार विफल 10809 वितरण ट्रांसफॉर्मर तीन चयनित एसीओएस में पड़े हुए थे (मार्च 2018)।

हमने पाया कि जेडीवीवीएनएल ने सभी गारन्टी अवधि पार वितरण ट्रांसफॉर्मर के निपटारे के लिए निर्माण तिथि 31 दिसम्बर 2008 तक रखने का निर्णय (फरवरी 2017) यह मानते हुए किया कि गारन्टी अवधिपार वितरण ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं थी। हालांकि थ्री फेस वितरण ट्रांसफॉर्मर की कमी के कारण जेडीवीवीएनएल ने अपने निर्णय को संशोधित किया एवं 31 दिसम्बर 2004 के बाद में निर्मित थ्री फेस गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत कराने का निर्णय (27 सितम्बर 2017) किया। तत्पश्चात जेडीवीवीएनएल की निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) ने निर्णय (27 दिसम्बर 2017) लिया कि 31 मार्च 2010 तक निर्मित गारण्टी अवधि पार डीटी की मरम्मत नहीं कराई जाये। इस प्रकार जेडीवीवीएनएल ने उन वितरण ट्रांसफॉर्मर को स्क्रेप कर दिया एवं 8 वर्ष उपयोग के बाद निस्तारित कर दिया जिनकी उचित आयु भारत सरकार ने 25 वर्ष निर्धारित की थी। वितरण ट्रांसफॉर्मर की सामयिक मरम्मत/सुरक्षा के मानकों जैसे भार का सामयिक निरीक्षण, तापमान एवं वोल्टेज, तेल स्तर, पृथ्वी प्रतिरोध, रिले, अलार्म एवं सर्किट इत्यादि के अभाव में जेडीवीवीएनएल ने वितरण ट्रांसफॉर्मर की सामयिक मरम्मत सुनिश्चित नहीं की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया एवं कहा कि दोनों कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मर की निर्धारित आयु आदर्श भौगोलिक /क्षेत्रीय स्थितियों के अनुसार थी जो वास्तविक रूप से हासिल नहीं की जा सकती है जैसे तापमान स्तर, लोडिंग की स्थिति, अधिक वोल्टेज एवं शॉर्ट सर्किट इत्यादि एवं ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत व्यवहारिक नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर्स को स्क्रैप घोषित किया गया।

इसने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि जेडीवीवीएनएल को दूर-दराज के क्षेत्रों मे नियमित यातायात की उपलब्धता ना होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विफल डीटीज के आवधिक अनुरक्षण में कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जेडीवीवीएनएल ने मुख्यमंत्री विद्युत सुधार योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर्स के अनुरक्षण/नवीनीकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था।

आईटी सक्षम स्कन्ध प्रबंधन प्रणाली की कमी

3.1.22 31 मार्च 2017 को, जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल क्रमशः ₹ 361.87 करोड़ एवं ₹ 151.63 करोड़ मूल्य का स्कंध रखती थी। 2015-18 के दौरान, जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल ने क्रमशः ₹ 962.43 करोड़ एवं ₹ 427.73 करोड़ के डीटी की खरीद आदेश दिए। ऐसी विशाल सामग्री उपभोग के वित्तीय एवं परिचालन महत्व को ध्यान में रखते हुए, कम्पनियों को आईटी सक्षम स्कंध प्रबंधन प्रणाली लागू करना समझदारी होगी। हमने देखा कि

43 1 अप्रैल 2015 को डीटी का प्रारम्भिक शेष (9056) + 2015-18 के दौरान कुल प्राप्त डीटी (30893)

कम्पनियों ने ऐसी कोई प्रणाली लागू नहीं की है। जेवीवीएनएल ने एक स्टोर एवं स्कंध प्रबंधन प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए (अक्टूबर 2007) योजना बनाई थी, लेकिन, इस तरह के सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के बावजूद, आईटी बुनियादी ढांचे की कमी, कम्पनी के अधिकारियों के बीच सॉफ्टवेयर के ज्ञान की कमी, मानव शक्ति की कमी एवं धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। जेडीवीवीएनएल भी किसी भी आईटी सक्षम स्कंध प्रबंधन प्रणाली को लागू करने में असफल रहा। यह भी देखा गया था कि सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश (25 सितंबर 2013)का पालन भी नहीं किया गया। आईटी सक्षम स्कन्ध प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए दोनों कम्पनियों की विफलता के परिणाम स्वरुप वांछित पारदर्शिता की कमी हुई एवं वे सामग्री के कुशल प्रबंधन एवं अनचाहे क्रय को टालना सुनिश्चित नहीं कर पाए।

सरकार ने तथ्यों (जुलाई एवं सितम्बर 2018) को स्वीकार किया एवं कहा कि एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर अर्थात *'एंटरप्राईस रिसोर्स प्लैनिंग'* को कुशल स्वरीद एवं स्कंध प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जा रहा है जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। साथ ही, जेवीवीएनएल के जयपुर जिला वृत्त के ऐसीओएस में स्टोर्स लेखांकन (डीटी को सम्मिलित करते हुये) की एक पायलट परियोजना प्रारम्भ कर दी है।

निष्कर्ष एवं सिफारिश

वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) कुशल एवं अविराम विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल (कम्पनियों) ने आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधान एवं नियमों के अनुरूप क्रय मैनुअल में संशोधन नहीं किया। डीटी का निर्धारण फील्ड कार्यालयों द्वारा तैयार वास्तविक आवश्यकता एवं चल रही योजनाओं/ कार्यो पर आधारित नहीं था। दोनों कम्पनियों में डीटी की विफलता दर ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम विफलता दर की तुलना में उच्च थी। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 1.5 प्रतिशत की दर की तुलना में 2015-18 के दौरान जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में कुल विफलता दर क्रमशः 9.87 प्रतिशत एवं 12.85 प्रतिशत एवं 8.01 प्रतिशत एवं 10.18 प्रतिशत के मध्य थी। कम्पनियों ने न तो विफलता दर के कारणों का विश्लेषण किया एवं न ही इस समस्या का अध्ययन करने के लिए विक्रेता-वार विफलता दर का कोई रिकॉर्ड बनाया। कंपनियां गारंटी अवधि के भीतर विफल रहे ट्रांसफार्मरों को जमा करने में तत्पर नहीं थी। कम्पनियों ने विफलताओं की प्रारंभिक सूचना के बाद भी दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर की समय पर उठाने एवं मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुसरण के लिए उचित प्रणाली विकसित नहीं की थी। ट्रांसफॉर्मर की पर्याप्त मात्रा कम्पनियों के भंडार एवं आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े थे।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम्पनियों को :

- आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों का पालन करें एवं क्रय नियमावली को इसके साथ समानता में संशोधित करना चाहिए।

- अतिरिक्त/कम खरीद से बचने के लिए चल रहे कार्य / योजनाओं के आधार पर आवश्यकताओं का आकलन करें।
- डीटी की विफलता के कारणों का विश्लेषण करें एवं उच्च विफलता दर को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय करें।
- भंडार में असफल डीटी की समय पर जमा सुनिश्चित करने, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा डीटी उठाने एवं निर्धारित समय अवधि के भीतर उनकी मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित तंत्र विकसित करें।
- अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार दोषी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें, एवं प्राथमिकता पर उचित आईटी सक्षम सामग्री प्रबंधन समाधान लागू करें।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.2 दोषयुक्त योजना के कारण गैस आधारित विद्युत संयंत्र का संचालन ना होने से निष्फल व्यय

कम्पनी ने गैस आधारित, रामगढ संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (चरण-4) के लिये क्रय किये गये संयंत्र/उपकरणों के बीमा एवं ऋण पर ब्याज के लिये ₹ 90.64 करोड़ व्यय करने से पूर्व गैस की उपलब्धता सुनिश्चित नही की थी। कम्पनी ने ऐसे संयंत्र/उपकरणों पर भी ₹ 107.41 करोड़ व्यय किये जो अनुपयोगी पड़े हैं एवं ₹ 103.87 करोड़ की प्रतिबद्ध देनदारियां और भी हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने रामगढ, जैसलमैर में 270.50 मेगा वाट[44] (एमडब्लयू) के गैस आधारित थर्मल पॉवर स्टेशन (चरण I से III) की स्थापना की थी। कम्पनी, अपनी स्थापित इकाइयों/परियोजनाओं के संचालन के लिये आवश्यक मात्रा में गैस (1.70 एमएमएससीएमडी[45]), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गैल) से प्राप्त करती थी। तद्नुसार इन परियोजनाओं के लिये गैस की आवश्यकता की पूर्ति गैल के क्षेत्रों से (0.75 एमएमएससीएमडी की प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) के मूल्य पर) एवं इसके अप-स्ट्रीम आपूर्तिकर्त्ता अर्थात फोकस एनर्जी लिमिटेड (एफईएल) से (0.95 एमएमएससीएमडी की पारस्परिक रुप से सहमत मूल्य पर) की जाती थी। कम्पनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने रामगढ़, जैसलमेर में एक ओर परियोजना अर्थात 160 मेगावाट[46] की गैस आधारित रामगढ़ संयुक्त चक्र विद्युत प्रोजेक्ट (चरण-4) लगाने का निर्णय (16 मार्च 2010) किया। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल परियोजना लागत ₹ 640 करोड़[47] की प्रशासनिक

44 एक यूनिट-35.5 मेगा वाट (चरण-1) + प्रत्येक 37.5 मेगा वाट की दो यूनिट (चरण-2) एवं 110 मेगा वाट की गैस टर्बाईन एवं 50 मेगा वाट की भाप टर्बाईन (चरण-3)।

45 एमएमएससीएमडी का अर्थ है मिलियन मीट्रिक स्टेन्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन।

46 110 मेगावाट की एक गैस टर्बाईन इकाई एवं 50 मेगावाट की एक भाप टर्बाईन इकाई ।

47 राज्य सरकार से ईक्विटी (परियोजना लागत का 20 प्रतिशत) के रूप में ₹ 128 करोड़ एवं शेष ₹ 512 करोड़ पीएफसी/आरईसी से उधार लेना था ।

एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (24 जून 2010) कर दी। बीओडी ने परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, गैल से बातचीत के आधार पर गैस की दर का प्रबंधन करने का निश्चय (21 सितम्बर 2011) किया एवं परियोजना को फास्ट ट्रेक आधार पर अगस्त 2013 तक पूर्ण करने के लिए मुख्य प्लांट का अनुबंध, एकल निविदा आधार पर भारत हैवी ईलेक्ट्रीकल लिमिटेड (बीएचईएल) को दे दिया।

कम्पनी ने परियोजना के लिए दीर्घकालिक आधार पर गैस की आपूर्ति करने के लिए, गैल एवं एफईएल के साथ त्रिपक्षीय बैठके (अक्टूबर 2011, दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012) की जिसमें एफईएल ने 10 वर्ष के लिए 0.75 एमएमएससीएमडी गैस आपूर्ति करने की पेशकश (अक्टूबर 2011) की जिसको कि प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्याप्त माना गया। एफईएल ने इस अभिकथन के साथ $ 7.5[48] प्रति एमएमबीटीयू[49] के आधार मूल्य पर गैस आपूर्ति का आगे प्रस्ताव किया कि वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है एवं वह गैस का मूल्य *'आर्मस लेंथ बेसिस'* पर तय करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार गैस की कीमत तय नहीं की जा सकी, यद्यपि कम्पनी ने गैल के साथ एफईएल के क्षेत्र से 0.75 एमएमएससीएमडी गैस आपूर्ति करने के लिए हैडस ऑफ एग्रीमेंट (एचओए) निष्पादित (9 मई 2012) कर लिया। इसके साथ ही कम्पनी ने बीएचईएल से, परियोजना के मुख्य संयंत्र/उपकरणों की आपूर्ति एवं निर्माण, परीक्षण एवं स्थापना (ईटीसी) के लिए विस्तृत तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव मांगे (29 सितम्बर 2011)। बीओडी ने मुख्य प्लांट की आपूर्ति एवं ईटीसी के लिए ₹ 380.25 करोड़[50] का कार्य आवंटन का अनुमोदन (14 फरवरी 2012) किया एवं बीएचईएल को लेटर ऑफ इन्टेंट एवं कार्य आदेश क्रमशः अप्रैल 2012 एवं सितम्बर 2012 को जारी कर दिया। हालांकि, गैस उपलब्ध ना होने के कारण परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि गैस के मूल्य को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था (जून 2018)।

हमने देखा कि कम्पनी जुलाई 2013 तक बीएचईएल से उपकरणों जैसे गैस टबाईन, गैस टबाईन सहायक आदि की ₹ 211.28 करोड़ की आपूर्ति स्वीकार कर चुकी थी। कम्पनी ने बीएचईएल से शेष आपूर्ति स्थगित (अक्टूबर 2013) कर दी एवं जून 2018 तक कोई ओर आपूर्ति स्वीकार नहीं की थी। कम्पनी ने जून 2018 तक प्लांट/उपकरणों की आपूर्ति के लिए बीएचईएल को ₹ 107.41 करोड़ जारी कर दिये थे एवं शेष राशि (₹ 103.87 करोड़) के लिए बीएचईएल कई बार मांग जारी कर चुकी थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने दिसंबर 2017 तक ऋण पर ब्याज (₹ 87.89 करोड़[51]) एवं प्लांट/उपकरणों के बीमा पर (₹ 2.75 करोड़) कुल ₹ 90.64 करोड़ खर्च किये।

लेखा-परीक्षा का मानना है कि विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय के रूप में कम्पनी को संयंत्र/उपकरणों के लिए क्रय प्रक्रिया पूरी करने से पहले, व्यवहार्य दर पर गैस की आपूर्ति के

48 यह प्रस्तावित कीमत प्रारंभिक दो साल के लिए लागू थी जिसको कि दो साल के पश्चात संशोधित किया जाना था।

49 मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट।

50 ₹ 336.38 करोड़ आपूर्ति के लिये एवं ₹ 43.87 करोड़ ईटीसी भाग के लिये।

51 पीएफसी से लिये गये कर्ज ₹ 223.42 करोड पर ब्याज अदा किया जो कि जुलाई 2017 में वापिस अदा किया।

लिए अनुबंध को अंतिम रूप देना चाहिए था। संयंत्र के लिए, गैस सबसे महत्वपूर्ण तत्व था लेकिन कम्पनी ने गैस मूल्य को अंतिम रूप देने को उचित प्राथमिकता नहीं दी। कम्पनी ब्याज एवं बीमा पर हुए निष्फल व्यय एवं बीएचईएल से क्रय उपकरणों, जो कि पांच वर्ष से ज्यादा अवधि से निष्क्रिय पड़े हैं एवं उनकी स्थिति समय बीतने के साथ ओर भी बिगडती जायेगी, पर हुए पूँजी अवरोधन से बच सकती थी।

कम्पनी ने इस तथ्य को माना (मई 2018) कि गैस के मूल्य के निर्धारण के किये बिना एचओए का निष्पादन एवं अनुबंधों का आवंटन किया गया क्योंकि एफईएल ने उच्चतर दर उद्धृत की थी। तत्पश्चात बातचीत (22 मार्च 2016) में एफईएल ने $ 5.67 प्रति एमएमबीटीयू तक दर कम कर दी थी परन्तु विनिमय दर में पर्याप्त वृद्धि के कारण प्रभावी दर काफी बढ़ चुकी थी एवं इससे परिवर्तनीय लागत महंगी हो गयी थी। बाद में ओएनजीसी व ओआईएल ने 0.40 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति, घरेलू/एपीएम मूल्य ($ 3.21 प्रति एमएमबीटीयू) पर करने की पेशकश (जनवरी 2018) की एवं शेष 0.55 एमएमएससीएमडी गैस, एफईएल से ($ 5 प्रति एमएमबीटीयू) की दर से प्राप्त करनी थी। इस प्रकार, समग्र परिवर्तनीय लागत की गणना ₹ 2.56 प्रति यूनिट (केडब्ल्यूएच) आ रही थी। कम्पनी ने, विद्युत लागत की व्यवहार्यता की जांच के लिए इन तथ्यों से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को सूचित (फरवरी 2018) किया परन्तु सहमति प्रतीक्षित है।

तत्पश्चात सरकार ने (जून 2018) कहा है कि लेखा-परीक्षा आपत्ति प्रकल्पित है क्योंकि अभी तक कोई लागत वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-12 के दौरान राज्य में विद्युत की कमी थी जो वर्तमान में विद्युत अधिशेष में बदल गया है। परिणामस्वरूप तापीय/सौर ऊर्जा संयंत्रो से प्रतिस्पर्धी एवं सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध है। वर्तमान परिदृश्य में, टैरिफ प्रतिस्पर्धी होने पर ही परियोजना लागू की जा सकेगी। गैस आपूर्तिकर्ताओं/ट्रांसपोर्टर्स जैसे ओएनजीसी, ओआईएल, एफईएल एवं गैल से बातचीत चल रही है एवं इस संबंध में शीघ्र निर्णय होने की उम्मीद है। इस प्रकार तेजी से बदलती हुई मांग-आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संयंत्र स्थापित करने के निर्णय पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:-

(i) लेखा-परीक्षा ने सयंत्र स्थापित करने के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया है। लेखा-परीक्षा आक्षेप में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मूल्य तय किये बिना ही उपकरणों का क्रय प्रारम्भ करने के अविवेकपूर्ण निर्णय पर प्रकाश डाला गया है, जिसके कारण कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही।

(ii) लेखा-परीक्षा ने परियोजना की लागत में किसी भी वृद्धि का प्रश्न नहीं उठाया है एवं वास्तविक निष्फल व्यय एवं निधियों के अवरोधन की गणना वास्तविक आधार पर की गई है।

(iii) मांग-आपूर्ति के गतिशील होने का तर्क भी एक घटक था जिसको उस समय के निर्णयकर्ताओं को गैस आपूर्ति का प्रबंध किये बिना उपकरण/संयंत्र को क्रय प्रारम्भ करते समय ध्यान में रखना चाहिए था।

(iv) उत्तर इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं करते कि, गैस आपूर्ति का मूल्य-निर्धारण किये बिना, एफईएल के क्षेत्रों से गैस की आपूर्ति के लिए गैल के साथ, एचओए को अंतिम रूप

क्यों दिया गया एवं गैस आपूर्ति लागत तय किये बिना बीएचईल को संयंत्र/उपक्रणों की आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया।

इस प्रकार तथ्य यह है कि कम्पनी ने ऊर्जा संयंत्र के लिए, ईंधन के मुख्य स्त्रोत पर निर्णय किये बिना, ब्याज एवं बीमा के ₹ 90.64 करोड़ निष्फल व्यय किया है एवं निष्क्रिय पड़े संयंत्र/उपकरणों पर ₹ 107.41 करोड़ की राशि अवरूद्ध पडी है।

सरकार ने अपने पूर्व के उत्तर को पुनः दोहराया (सितम्बर 2018) एवं स्वीकार किया कि गैस का मूल्य तय किये बिना, संयंत्र/उपकरण की क्रय प्रारम्भ करने का निर्णय राज्य में ऊर्जा की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए लिया गया था ताकि संयंत्र जितना जल्दी संभव हो लगाया जा सके। प्रतिस्पर्धी कीमतों एवं सस्ती विद्युत की उपलब्धता के कारण ऊर्जा की मांग का वर्तमान परिदृश्य भी बदल गया है। आगे यह कहा गया है कि गैस आपूर्तिकर्ताओं/ ट्रांसपोर्टर जैसे ओएनजीसी, ओआईएल, एफईएल एवं गैल से बातचीत चल रही है एवं इस संबंध में शीघ्र निर्णय की संभावना है। यद्यपि तथ्य यही है कि त्रुटिपूर्ण योजना के कारण निष्फल व्यय के अतिरिक्त परियोजना के कार्यान्वयन पर भी असर पड़ा है।

3.3 कोयला आपूर्ति अनुबंध में अपर्याप्त वाक्यांश के कारण सांविधिक प्रभारों की अवसूली

कोयला आपूर्ति अनुबंध में संबंधित वाक्यांश ना होने के कारण, कम्पनी कोयला आपूर्ति कम्पनियों से ₹ 52.66 करोड़ के सांविधिक प्रभार की वसूली नही कर सकी।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अपने तापीय ऊर्जा केन्द्रों[52] के लिये कोयले की आपूर्ति हेतु नार्दन कॉलफील्ड लिमिटेड, सिंगरोली (जुलाई 2009) एवं साऊथ इस्टर्न कॉलफील्ड लिमिटेड (अगस्त 2009) के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिये अनुबंध किया जो कि 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी था। कम्पनी को कोयले की आपूर्ति के लिये हर महीने तीन किश्तों में अग्रिम भुगतान करना था। अग्रिम भुगतान **'आपूर्ति किये गये कोयले के मूल्य' जिसमें आधार मूल्य[53], अन्य शुल्क[54] एवं सांविधिक प्रभार[55] भी सम्मिलित थे,** के आधार पर करना था।

कोयला आपूर्ति अनुबंध के अनुसार, कम्पनी **कोयले की गुणवत्ता की श्रेणी में गिरावट होने पर घोषित श्रेणी[56] एवं विश्लेषित श्रेणी[57] के आधार मूल्य में अन्तर की सीमा तक क्रेडिट** की हकदार थी। इस प्रकार, विश्लेषित श्रेणी के घोषित श्रेणी से कम होने पर कम्पनी केवल ***आधार मूल्य*** में अन्तर की सीमा तक ही वसूल करने की हकदार थी।

52 कोटा सुपर तापीय ऊर्जा केन्द्र एवं सुरतगढ सुपर तापीय ऊर्जा केन्द्र ।

53 आधार मूल्य से तात्पर्य विक्रेता द्वारा उत्पादित कोयले की घोषित श्रेणी की कीमत से है जिसमें आपूर्ति स्थल तक की कीमत सम्मिलित है ।

54 परिवहन शुल्क, माप/पिसाई शुल्क एवम त्वरित लदान शुल्क ।

55 रायल्टी, राष्ट्रीय खनन अन्वेषण व्यास तथा जिला खनन प्रतिष्ठान का अंशदान, उत्पाद शुल्क, एम पी गतस्व/सड्क विकास कर, केन्द्रीय बिक्री कर ।

56 कोयले की श्रेणी/गुणवत्ता सीमा नमूने के आधार पर अन्तिम घोषित तथा कोयले के प्रेषण से पूर्व उक्त सीमा के आधार पर उत्पादित नमूने ।

57 कोयले की वास्तविक श्रेणी/गुणवत्ता प्रेषण से पूर्व नमूने तथा विश्लेषण की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर निश्चित किया जाना ।

यद्यपि, अनुबंध में अन्तर *आधार मूल्य* पर ***सांविधिक प्रभारों*** की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं था जो कि, कोयले की घोषित श्रेणी के *'आपूर्ति किये गये मूल्य'* में सम्मिलित थे एवं कम्पनी ने अग्रिम भुगतान के समय अदा किये थे।

हमने देखा (अक्टूबर/दिसम्बर 2017) कि कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये कोयले की घोषित श्रेणी एवं विश्लेषित श्रेणी में कई बार बड़ी गिरावट थी। घोषित श्रेणी, विश्लेषित श्रेणी से उच्चतर थी अतः कम्पनी श्रेणी में गिरावट के कारण क्रेडिट की हकदार थी।

दिसम्बर 2016 से जून 2017 तक कम्पनी को कोयले की श्रेणी में गिरावट के लिये प्राप्त हुए क्रेडिट नोट की संवीक्षा से पता चला कि कोयला कम्पनियों ने कोयला आपूर्ति अनुबंध के अनुसार कोयले कि घोषित श्रेणी एवं विश्लेषित श्रेणी के अंतर आधार मूल्य पर ₹ 52.66 करोड़ के सांविधिक प्रभारों का क्रेडिट नही दिया।

हमने पाया कि कम्पनी कोयला आपूर्ति अनुबंध में विशिष्ट वाक्यांश ना होने के कारण, सांविधिक प्रभार की वसूली नहीं कर सकी एवं कोयला कम्पनियों ने कोयले की घोषित श्रेणी एवं विश्लेषित श्रेणी के अंतर आधार मूल्य का ही क्रेडिट दिया।

सरकार (ऊर्जा विभाग) ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जनवरी 2018) कहा कि कोयला कम्पनियों से निवेदन किया गया है (नवम्बर 2017) कि अंतर आधार मूल्य पर सांविधिक प्रभार लौटाए जायें। कम्पनी ने अपने बाद के उत्तर (जून 2018) में कहा है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2007 मे जारी नवीन कोयला वितरण नीति के अनुसार, उपभोक्ताओं को कोयला आपूर्ति केवल वैद्यानिक रुप से प्रवर्तनीय द्विपक्षीय कोयला आपूर्ति समझौते (एफएसए) के माध्यम से करने की आवश्यकता थी, जिसके आदर्श प्रारुप को ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, केन्द्रीय विद्युत आयोग एवं एनटीपीसी के स्तर पर अंतिम रुप दिया गया था। कोल इंडिया ने निर्देशित किया था कि वर्तमान राज्य/सरकार को विद्युत संयंत्रो के कोयले की आपूर्ति के लिए आदर्श प्रारुप समझौते का पालन करना चाहिए। तदनुसार, कम्पनी ने उपरोक्त प्रारुप कोयला आपूर्ति अनुबंध निष्पादित किये जो कि श्रेणी गिरावट होने पर, केवल आधार मूल्य के अंतर तक ही क्रेडिट प्रदान करते है।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कम्पनी कोयला आपूर्ति अनुबंध मे सावंधिक प्रभार का क्रेडिट लेने के लिये यथोचित वाक्यांश डालना सुनिश्चित नही कर पायी साथ ही प्रारुप कोयला आपूर्ति अनुबंधो को अंतिम रुप देते समय विषय को उच्च प्राधिकारी तक ले जा सकती थी।

3.4 मेगापॉवर प्रोजेक्ट पॉलिसी के प्रावधानों का पालन किए बिना आरडब्ल्यूएस का कार्य देने से अतिरिक्त व्यय।

कम्पनी मेगा पॉवर प्रोजेक्ट पॉलिसी के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही एवं रिवर वाटर सिस्टम का कार्य अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को अपनाये बिना आवंटित किया, इस प्रकार ₹ 29.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एमओपी-जीओआई) ने मेगा पॉवर प्रोजेक्ट (एमपीपी) लगाने की अपनी मौजूदा नीति के दिशा-निर्देशो (अगस्त 2006) को संशोधित करके पुनरीक्षित नीति (14 दिसंबर 2009) जारी की। एमपीपी नीति, 2009 में निम्नलिखित प्रावधान थे :

- राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 एवं टैरिफ पॉलिसी 2006 के अनुसार एमपीपी के, वितरण कम्पनियों/उपयोगिताओं के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) के द्वारा विद्युत आपूर्ति करार होने चाहिए।
- जहां पर आवश्यक मात्रा में विद्युत का करार हो चुका हो अथवा परियोजना का आवंटन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली[58] के द्वारा किया गया हो वहां एमपीपी द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली[59] (आईसीबी) की कोई ओर आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में, विदेश व्यापार नीति के प्रासंगिक अध्याय के तहत निर्यात लाभों के उद्देश्य के लिए, आईसीबी की आवश्यकताओं को पूर्ण किया माना जायेगा। अन्य सभी प्रकरणों में उपकरण की खरीद के लिए आईसीबी अनिवार्य होगी।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) भारत सरकार द्वारा जारी (17 मार्च 2012) अधिसूचनाओं एवं विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 में भी इन्ही प्रावधानों को दोहराया गया था कि विद्युत के करार एवं कार्य के आवंटन में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली को अपनाने पर, एमपीपी को आपूर्ति किये गये सभी मशीनरी/उपकरण/घटक आदि उत्पाद एवं सीमा शुल्क से मुक्त होगें।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (कम्पनी) के 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, छबड़ा (एसटीटीपी, छबड़ा) को मेगापावर स्टेट्स प्रदान (6 जनवरी 2010) किया। कम्पनी ने एसटीटीपी, छबडा के लिये आईसीबी के माध्यम से इंजिनियरिंग, क्रय एवं निर्माण (ईपीसी) का अनुबंध (मई 2013) मैसर्स लार्सन एण्ड टर्बो (एल एण्ड टी) को दिया एवं उस पर सभी कर संबन्धी लाभ प्राप्त किये।

तत्पश्चात, कपंनी को कुछ ओर उपकरण/ प्रणालियों जैसे रिवर वाटर सिस्टम (आरडब्ल्यूएस), डोजर, लोकोमोटिव्ज आदि की आवश्यकता महसूस हुई जो कि एल एण्ड टी के साथ हुए ईपीसी अनुबंध में सम्मिलित नहीं थे। यद्यपि, कम्पनी ने इस स्थिति में घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली[60] के द्वारा आरडब्ल्यूएस के लिए निविदाएं आमंत्रित (जुलाई 2014) की। कपंनी ने आरडब्ल्यूएस का अनुबंध (8 मई 2015) टर्न-की आधार पर मैसर्स जुबेरी इंजिनियरिंग कम्पनी (जेडईसी) को ₹ 458.94 करोड़ में दिया।

58 यह शब्द राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया/निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर टैरिफ निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त किया गया है।

59 यह शब्द माल के क्रय / बोली आमंत्रण से संबंधित है तथा विश्व बैंक द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रापण प्रक्रिया के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है यथा संयुक्त राष्ट्र विकास व्यापार में 'बोली आमंत्रण' (आईएफबी) के साथ प्रापण सूचना प्रकाशित करना, सभी विश्व बैंक के सदस्य देशों की के दुतावास को आईएफबी की सूचना देना तथा व्यापक स्तर पर आईएफबी को प्रकाशित करना इत्यादि से प्रयुक्त किया गया है।

60 शब्द का अर्थ है कि माल एवं कार्यों की निविदाओं के आमंत्रण/क्रय,जहाँ आईएफबी को राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों जिनका व्यापक/परिसंचरण हो में प्रकाशित किया जाये ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेडईसी ने परियोजना की एमपीपी स्थिति को मानते हुए, कीमत ₹ 507.45 करोड़ से घटाकर ₹ 458.94 करोड़ कर दी (जिसमें ₹ 26.59 करोड़[61] प्रोजेक्ट के एमपीपी स्थिति के कारण करो मे छूट के लिये, ₹ 21.07 करोड़ लागु होने वाले सेवा कर की पुनरीक्षित गणना के प्रभाव के लिये एवं ₹ 0.85 करोड़ जेडईसी ने बातचीत के दौरान अतिरिक्त छूट दी)। तथापि कम्पनी बाद की निविदा के समय एमपीपी पॉलिसी पर भारत सरकार की अधिसूचनाएं एवं एफटीपी 2015-20 की शर्तों के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रही थी एवं कम्पनी ने आरडब्ल्यूएस का कार्य आईसीबी के स्थान पर घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत आवंटन किया।

कम्पनी ने काफी देरी से घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली के तहत क्रय किये गये उपकरणों/ प्रणालियों के लिये एमपीपी नीति के तहत कर लाभों की उपलब्धता के संबंध में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से स्पष्टीकरण (अप्रैल 2016) मांगा। ऊर्जा मंत्रालय ने एमपीपी नीति के प्रावधानों को फिर से दोहराया (जुलाई 2016)। कम्पनी को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के प्रमाणपत्र एवं एमपीपी नीति के तहत मिलने वाले कर लाभों के लिये इंकार कर दिया गया था क्योंकि कम्पनी एमपीपी नीति के प्रावधानों को पूर्ण करने में विफल रही थी। इसी बीच कम्पनी ने संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय को आरडब्ल्यूएस के लिये क्रय पर कर लाभ देने का अनुरोध (दिसम्बर 2016) किया, ऊर्जा मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित है। (जून 2018)

इस प्रकार, कम्पनी को देय करों के अतिरिक्त वित्तीय भार के लिये ₹ 29.39[62] करोड़ के भुगतान की स्वीकृति देनी (अगस्त 2017) पड़ी।

लेखा-परीक्षा प्रश्न के उत्तर में, सरकार (ऊर्जा विभाग) ने कहा (जून 2018) कि परियोजना की एमपीपी स्थिति (एसटीटीपी, छबडा) एवं एमपीपी नीति के प्रावधानों को देखते हुए आरडब्ल्यूएस का काम आईसीबी के माध्यम से नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना की 100 प्रतिशत विद्युत का करार राजस्थान के डिस्कॉमस के साथ किया गया था। तत्पश्चात ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा विद्युत की मात्रा का करार करने का स्पष्टीकरण (जुलाई 2016) दिया था। इस प्रकार एमपीपी नीति की कोई गलत व्याख्या नहीं की गई एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाद में जारी किये गये स्पष्टीकरण के कारण कर लाभो का फायदा नहीं उठाया जा सका। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

(i) वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार द्वारा जारी (17 मार्च 2012) अधिसूचनायें एवं विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि विद्युत के करार में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली लगाने पर ही एमपीपी में उपयोग होने वाले उपकरण/ घटकों पर, उत्पाद एवं सीमा शुल्क की छूट होगी।

61 वर्कस् कॉन्ट्रेक्ट टैक्स (डब्ल्यूसीटी) ₹ 1.02 करोड़, उत्पाद शुल्क (ईडी) ₹ 25.05 करोड़ एवं केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) ₹ 0.52 करोड़

62 विभिन्न करो के कुल प्रभाव के रुप मे ₹ 26.59 करोड़ एवं अनुबंध के अन्तर्गत निष्पादित आकस्मिक कार्यो के लिए इस तरह के करो के प्रभाव के लिए ₹ 2.80 करोड़ सम्मिलित है।

(ii) स्पष्टीकरण मांगना यह दर्शाता है कि कम्पनी एमपीपी नीति के प्रावधानों के बारे में स्पष्ट नहीं थी एवं कम्पनी के लिए आरडब्ल्यूएस के अनुबंध को देने से पहले छूट की उपलब्धता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना समझदारी होता।

तथ्य यही है कि कम्पनी ने एमपीपी नीति के संबंधित प्रावधानों, भारत सरकार की अधिसूचनाओं एवं एफटीपी की उचित तरीके से जांच नहीं की, जिसके कारण ₹ 29.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार ने अपने उत्तर को दोहराया (सितम्बर 2018) एवं कहा कि एमपीपी नीति की कोई गलत व्याख्या नहीं की थी एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के बाद के स्पष्टीकरणों के कारण कर लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका। हालांकि यह उत्तर, भारत सरकार की अधिसूचनाओं एवं एफटीपी 2015-2020 के प्रावधानों को नजरअंदाज करने एवं ऊर्जा मंत्रालय से बाद में कर छूट की उपलब्धता के लिए स्पष्टीकरण मांगने के संबंध में मौन है। यह इंगित करता है कि कम्पनी ने बिना आईसीबी मार्ग को अपनाये आरडब्ल्यूएस का कार्य देने में यथोचित आंकलन नहीं किया, जिसके कारण कम्पनी द्वारा अतिरिक्त व्यय हुआ।

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

3.5 मुद्रांक शुल्क का परिहार्य अधिक भुगतान

कम्पनी ने मुद्रांक शुल्क की प्रचलित दर की पूर्ण जानकारी नहीं ली एवं इस प्रकार ₹ 1.18 करोड़ का अधिक भुगतान किया। साथ ही, कम्पनी ने निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के बाद धन वापस लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ की एवं इसलिए पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग से धन वापस प्राप्त करने में सफल नहीं हुई।

राजस्थान डिस्कॉम्स विद्युत प्रापण केन्द्र[63] (आरडीपीपीसी) (वर्तमान में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी)) ने कोस्टल पावर गुजरात लिमिटेड (विक्रेता) के साथ, अप्रैल 2007 में विद्युत क्रय अनुबंध के अर्न्तगत डिस्कॉम्स की देयताओं को विक्रेता के हित सुरक्षित करने हेतु अनुबंध (दृष्टिबंधक सह दृष्टिबंधक पत्र, जो कि इसके बाद प्रपत्र के रूप में संदर्भित है) किया (9 अक्टूबर 2013) एवं उसके पक्ष में 'सास्य पत्र' (एलओसी) जारी (9 अक्टूबर 2013) किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (मुद्रांक अधिनियम) के अनुच्छेद 6 (2) के अनुसार प्रपत्रों के निष्पादन के समय मुद्रांक शुल्क की लागू दर सास्य-पत्र में वर्णित राशि की 0.1 प्रतिशत थी। तथापि, कम्पनी प्रपत्रों के निष्पादन के समय मुद्रांक शुल्क की लागू दर का पता लगाने में विफल रही एवं सास्य-पत्र के दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क का भुगतान (अक्टूबर 2013) किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ के मुद्रांक शुल्क का अधिक भुगतान किया गया जैसा कि नीचे तालिका में विस्तृत रूप से दिया गया है-

63 आरडीपीपीसी दिसम्बर 2015 तक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ईकाई थी । यह तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्काम्स) के लिये ऊर्जा व्यापार की गतिविधियों में सम्मिलित थी। राज्य सरकार ने एक नई कम्पनी यथा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड स्थापित (4 दिसम्बर 2015) की जिसने आरडीपीपीसी के कार्यों का अधिग्रहण किया।

(राशि ₹ में)

डिस्कॉम का नाम	साख पत्र में वर्णित राशि	अधिनियम के अनुसार 0.1 प्रतिशत की दर से लागू मुद्रांक शुल्क के साथ ₹ 100 प्रति प्रकरण में	आरडीपीपीसी द्वारा दो प्रतिशत की दर से भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क के साथ ₹ 100 प्रति प्रकरण में	मुद्रांक शुल्क का अधिक भुगतान
जेवीवीएनएल	218251000	218351	4365120	4146769
एवीवीएनएल	218251000	218351	4365120	4146769
जेडीवीवीएनएल	185300000	185400	3706100	3520700
योग	**621802000**	**622102**	**12436340**	**11814238**

लेखापरीक्षा द्वारा (सितम्बर 2014) इंगित किये जाने के पश्चात, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मुद्रांक) से मुद्रांक शुल्क की लागू दर 0.1 प्रतिशत की पुष्टि (अक्टूबर 2014) होने के पश्चात, मुख्य अभियंता (आरडीपीपीसी) एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स के द्वारा पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग से अधिक भुगतान किया हुआ शुल्क वापिस मांगा (क्रमशः अक्टूबर 2014 एवं दिसम्बर 2014 को) गया।

मुद्रांक अधिनियम (धारा 61 से 63) प्रपत्रों के निष्पादन की दिनांक से छह महीने की अवधि तक विभिन्न परिस्थितियों के तहत मुद्रांक शुल्क की वापसी के लिए अनुमति देता है। इस प्रकार, जब मुख्य अभियंता (आरडीपीपीसी) एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग से धन वापसी का अनुरोध किया उस समय तक मुद्रांक अधिनियम के तहत दी गई समय अवधि समाप्त हो चुकी थी।

आरडीपीपीसी, अध्यक्ष डिस्कॉम्स/ प्रधान सचिव (ऊर्जा विभाग) एवं कम्पनी के द्वारा पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग एवं राज्य सरकार के वित्त (राजस्व) विभाग के साथ अधिक शुल्क भुगतान की वापसी के लिये किये गये विभिन्न पत्राचारों के बावजूद दावा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह देरी से प्रस्तुत किया गया था।

सरकार (ऊर्जा विभाग) ने कहा (जून 2018) कि मुद्रांक शुल्क का अधिक भुगतान गलती से किया गया था एवं मामला वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन था।

तथ्य यह है कि कम्पनी ने प्रपत्रों के निष्पादन के समय मुद्रांक शुल्क की लागू दर का पता लगाने में उचित प्रयास नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान किया गया।

भाग II

अध्याय IV

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) उपक्रमों के कार्यकलाप

भाग-II

अध्याय IV

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) उपक्रमों के कार्यकलाप

परिचय

4.1 31 मार्च 2018 को 28 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। ये राज्य पीएसयूज 1954-55 एवं 2015-16 के मध्य निगमित थे एवं इनमें 25 सरकारी कंपनियां एवं तीन सांविधिक निगम सम्मिलित थे अर्थात राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम। सरकारी कंपनियों में तीन[1] अकार्यरत कंपनियां एवं अन्य सरकारी कंपनियों के स्वामित्व वाली तीन[2] सहायक कंपनियां सम्मिलित थी। एक सरकारी कंपनी राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (अन्य राज्य पीएसयू आरएसएमएमएल की सहायक कंपनी) ने वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन 2017-18 तक प्रारम्भ नहीं किया था। इन 28 राज्य पीएसयूज के अलावा, दो राज्य पीएसयूज (दोनों सांविधिक निगम) नामित राजस्थान भूमि विकास निगम एवं राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम की लेखा परीक्षा सीएजी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है।

राज्य सरकार राज्य पीएसयूज को समय-समय पर पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इन 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य सरकार ने केवल 25 पीएसयूज में निवेश किया है जबकि राज्य सरकार ने तीन अन्य पीएसयूज जो कि अन्य सरकारी कंपनियों की संयुक्त उपक्रम/सहायक है, में निवेश नहीं किया है। इन तीन संयुक्त उपक्रमों/सहायक कंपनियों में संबंधित सहायक साझेदार /नियंत्रक कंपनी द्वारा पूँजी योगदान किया गया है।

1 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड जिन्होने अपना संचालन क्रमशः 2000-01, 2011-12 एवं 2016-17 से बंद कर दिया था।

2 राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड एवं बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड(राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल) एवं एक निजी कम्पनी राजवेस्ट पावर लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम), आरएसएमएमएल के सहायक कम्पनी के रूप में निगमित (10 जुलाई 2008 एवं 19 जनवरी 2007) एवं आरएसपीसीएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित (20 सितम्बर 2013) राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.1: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	9273.10	11390.91	12171.63	13417.48	13911.21
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	12.19	22.84	6.85	10.24	3.68
राजस्थान की जीएसडीपी	551031.00	615695.00	683758.00	759235.00	840263.00
जीएसडीपी में पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	11.77	11.74	11.05	11.04	10.67
टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी से प्रतिशत	1.68	1.85	1.78	1.77	1.66

स्रोत: राजस्थान सरकार के 2017-18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार तथा कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

इन पीएसयूज के टर्नओवर में गत वर्षों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-18 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 3.68 प्रतिशत एवं 22.84 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राजस्थान के जीएसडीपी में वृद्धि 10.67 प्रतिशत एवं 11.77 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की पिछले पांच वर्षो के दौरान वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर[3] 11.25 प्रतिशत रही। वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 11.25 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि के विरूद्ध पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर में पिछले पांच वर्षों के दौरान 10.97 प्रतिशत की कम वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर्ज की गई । इससे जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2013-14 में 1.68 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2017-18 में 1.66 प्रतिशत हो गई।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

4.3 इनमें से कुछ पीएसयूज जो कि राज्य सरकार के स्तर पर निश्चित सेवाएं प्रदान करने में साध्य है जो कि निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से सेवाएं प्रदान करने में इच्छुक नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएसयूज के द्वारा ऐसे व्यापार क्षेत्रों में भी प्रवेश कर लिया है जिनमें

3 वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर [[{(2017-18 का मूल्य/2012-13 का मूल्य)^(1/5 वर्षों)}-1]*100] जिसमें 2012-13 के लिए टर्नओवर एवं जीसडीपी क्रमशः ₹ 8265.72 करोड़ एवं ₹ 493007 करोड़ है।

उसको निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धी परिवेश में कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार हम इन राज्य पीएसयूज की स्थिति को दो प्रमुख श्रेणियों में विश्लेषण कर रहें है अर्थात सामाजिक क्षेत्र एवं प्रतिस्पर्धी परिवेश में कार्यरत। इसके अतिरिक्त, इनमें से दो[4] राज्य पीएसयूज राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ठ कार्यकलाप पूरा करने के लिये निगमित की गई है जो कि 'अन्य' क्षेत्र में श्रेणीबद्ध है। इन 28 राज्य पीएसयूज में पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण के रूप में 31 मार्च 2018 को निवेश की स्थिति **अनुबंध-14** में दर्शाया गया है।

4.4 31 मार्च 2018 को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: राज्य पीएसयूज में (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
सामाजिक क्षेत्र	12	1872.65	1244.43	3117.08
प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र में पीएसयूज	14	1711.73	5682.29	7394.02
अन्य	2	5.49	0.00	5.49
कुल	**28**	**3589.87**	**6926.72**	**10516.59**

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2018 तक, 28 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 10516.59 करोड़ था। निवेश में पूँजी 34.14 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 65.86 प्रतिशत सम्मलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 27.96 प्रतिशत (₹ 1936.85 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण 72.03 प्रतिशत (₹ 4989.87 करोड़) था।

निवेश 27.77 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 के ₹ 8231.09 करोड़ से 2017-18 में ₹ 10516.59 करोड़ हो गया था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण में क्रमशः ₹ 372.79 करोड़ एवं ₹ 1912.71 करोड़ बढ़ने के कारण निवेश बढ़ा।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

4.5 वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

4.6 राजस्थान सरकार (जीओआर) द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले

4 राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड का निगमन क्रमशः पुलिस विभाग, राजस्थान सरकार के लिए भवन निर्माण एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्यों एवं राजस्थान सरकार के लिए अनुसूचित वायु परिवहन के लिए किया गया।

तीन वर्षों के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिस्वित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय जावक का विवरण का सारांश विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 4.3: वर्ष के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

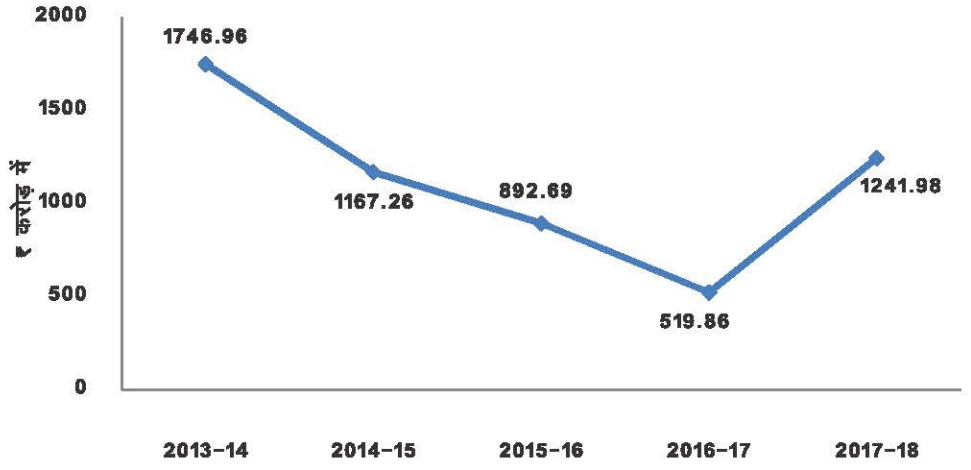
(₹ करोड़ में)

विवरण[5]	2015-16		2016-17		2017-18	
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
अंश पूँजी की जावक (i)	1	58.87	-	-	-	-
दिये गये ऋण(ii)	5	421.02	3	180.10	5	280.22
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	10	412.80	7	339.76	8	961.76
कुल जावक (i+ii+iii)	13[6]	892.69	9[6]	519.86	12[6]	1241.98
अपलिस्वित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	1	4.12
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
निर्गमित गारंटियाँ	2	1.70	-	-	1	49.45
गारंटी प्रतिबद्धता	4	2975.21	3	3165.77	3	3235.32

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया हैं:

चार्ट 4.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय जावक



5 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

6 इन आंकड़ों में उन कम्पनियों की संख्या शामिल है जिनमें बजट से एक अथवा अधिक मदों में राशि प्राप्त हुई यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 519.86 करोड़ एवं ₹ 1746.96 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 1241.98 करोड़ की बजटीय सहायता में ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रुप में क्रमशः ₹ 280.22 करोड़ एवं ₹ 961.76 करोड़ सम्मिलित थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान इन पीएसयूज को पूँजी सहायता प्रदान नहीं की। राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सब्सिडी प्राथमिक रूप से जनता को मुफ्त औषधियां एवं मुफ्त/रियायती यात्रा प्रदान करने के लिये थी। इसके अलावा, इसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) को राज्य सरकार की सुधारबद्ध योजना के अंतर्गत प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी सम्मलित है।

राजस्थान सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के तहत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के तहत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय (फरवरी 2011) किया। बकाया गारंटी प्रतिबद्धतायें 45.66 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 के ₹ 2221.08 करोड़ से 2017-18 में ₹ 3235.32 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान चार[7] राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा ₹ 34.24 करोड़ की गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

4.7 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अतंर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.4: राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी ऋण एवं बकाया गारण्टियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध मे बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अतंर
पूँजी	3074.78	3107.56	32.78
ऋण	1666.33	1936.85	270.52
गारण्टियां	3567.10	3235.32	331.78

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों एवं वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

7 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 28 राज्य पीएसयूज में से आठ पीएसयूज में इस तरह का अन्तर है जो कि **अनुबंध 15** में दिखाया गया हैं। आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। अतंर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया। मुख्य रुप से अन्तर राजस्थान शहरी पेयजल सिवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड़ के शेषो में पाया गया है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार एवं पीएसयूज को अंतर का समयबद्ध समाशोधन करना चाहिए।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

4.8 कुल 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 25 कार्यरत पीएसयूज अर्थात 22 सरकारी कम्पनियां एवं तीन सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज 31 मार्च 2018 को सीएजी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। राज्य पीएसयूज द्वारा लेखों की तैयारी के लिए समय की पालना की स्थिति निम्न दर्शायी गयी है।

कार्यरत राज्य पीएसयूज द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

4.8.1 वर्ष 2017-18 के लिए इन सभी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 30 सितंबर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किए जाने थे। हालांकि, 22 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 10 सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2017-18 के लिए उनके लेखे सीएजी को लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2018 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये थे जबकि 12 सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। तीन सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन तीन सांविधिक निगमो में से दो सांविधिक निगमो के लेखे वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए समय पर प्रस्तुत कर दिये गये। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2017-18 के लेखे 30 सितम्बर 2018 को प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2018 को कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की संख्या	33	33	34	25	25
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	25	32	38	22	17
3.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रुप दिया गया	17	20	21	18	12
4.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	8	12	17	4	5
5.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	16	13	11	7	13

6.	बकाया लेखों की संख्या	24	25	19	9	17
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष से सात वर्ष	एक वर्ष से आठ वर्ष	एक वर्ष से पाँच वर्ष	एक वर्ष से दो वर्ष	एक वर्ष से तीन वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यरत पीएसयूज के लेखों के आधार पर संकलित किया गया।

कुल कार्यरत 25 पीएसयूज में से 13 पीएसयूज ने 17 वार्षिक लेखों को 01 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया जिसमे से 12 वार्षिक लेखे वर्ष 2017-18 से संबंधित थे एवं पांच वार्षिक लेखे गत वर्षों से संबंधित थे। आगे, 17 वार्षिक लेखे बकाया थे जो कि 13 पीएसयूज से संबंधित थे, जिनका विस्तृत विवरण **अनुबंध 16** में दिया गया है। इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागो पर हैं। संबंधित विभागो को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

राजस्थान सरकार ने 13 कार्यरत पीएसयूज जिनके लेखे कम्पनी अधिनियम 2013/राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नियम 1964 के अनुसार 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिये गये थे, में से छः पीएसयूज में ₹ 1109.04 करोड़ (ऋणः ₹ 210.12 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 898.92 करोड़) निवेश किया था जबकि शेष सात पीएसयूज में लेखो की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा लेखों की बकाया अवधि के दौरान पीएसयूवार निवेश का विवरण **अनुबंध 16** में दर्शाया गया है। यद्यपि, इन कार्यरत पीएसयूज में से वर्ष 2017-18 के लिए नौ[8] के लेखे अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिये गये एवं प्रस्तुत किये गये जबकि चार[9] कार्यरत राज्य पीएसयूज के आठ लेखे दिसम्बर 2018 तक प्रतीक्षित थे।

लेखों के अंतिमिकरण एवं इनकी अनुवर्त्ती लेखापरीक्षा के अभाव में शेष चार पीएसयूज में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये है एवं राशि के निवेश करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राज्य सरकार का इन पीएसयूज में निवेश, इसलिए, राज्य विधान सभा के नियंत्रण से बाहर बना रहता है।

अकार्यरत पीएसयूज के द्वारा लेखों के तैयारी में समयबद्धता

4.8.2 तीन अकार्यरत पीएसयूज के लेखे अंतिमिकरण हेतु बकाया थे जिनकी स्थिति नीचे दर्शायी गयी हैं

तालिका 4.6: अकार्यरत पीएसयूज के बकाया लेखों की स्थिति

क्र. सं.	अकार्यरत कम्पनियों के नाम	लेखों के बकाया रहने की अवधि
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15 से 2017-18
2	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2017-18
3	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2017-18

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यरत पीएसयूज के लेखों के आधार पर संकलित किया गया।

8 अनुबंध 16 के क्रम संख्या 1 से 9

9 अनुबंध 16 के क्रम संख्या 10 से 13

इन अकार्यरत पीएसयूज में से दो पीएसयूज नामित राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2017-18 के लेखे अंतिमिकरण किये गये एवं अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये गये जबकि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लेखे दिसम्बर 2018 तक प्रतीक्षित थे।

सांवधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

4.9 तीन कार्यरत सांविधिक निगमो में से दो निगमो ने वर्ष 2017-18 के लिए उनके लेखे 30 सितम्बर 2018 तक अग्रेषित किये ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते है। सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखों की स्थिति एवं उनके एसएआर के विधान सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति निम्न वर्णित है:

तालिका 4.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की स्थिति

निगम का नाम	लेखों की वर्ष	एसएआर के पटल पर रखे जाने का माह
राजस्थान वित्त निगम	2016-17	फरवरी 2018
राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	2016-17	फरवरी 2018
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2015-16	सितम्बर 2018
	2016-17	पटल पर रखे जाना शेष है

स्रोत: राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर संकलित किया गया।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

4.10 जैसा कि अनुच्छेद 4.8 में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये पीएसयूज का 2017-18 में राज्य की जीडीपी में योगदान का आकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

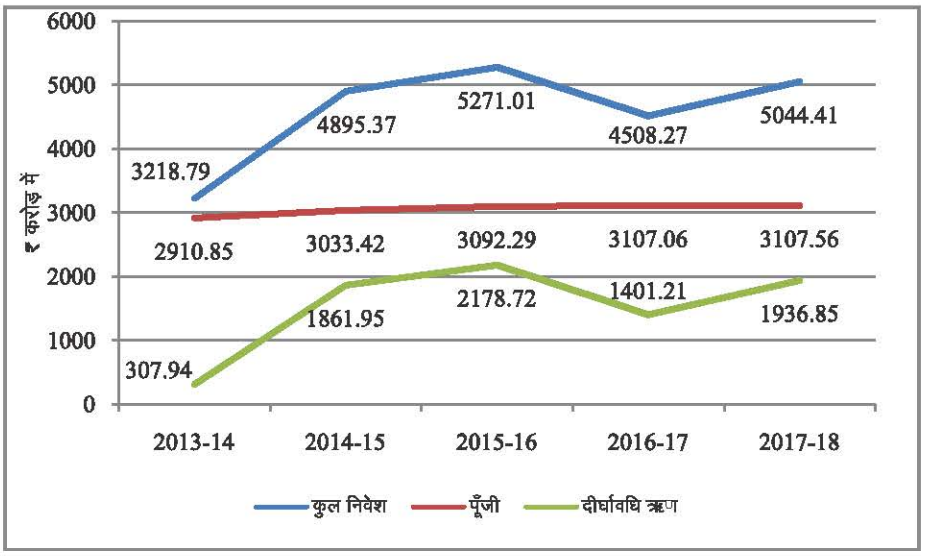
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

4.11 नवीनतम अंतिम रूप दिए गए उनके लेखों के अनुसार 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की 30 सितंबर 2018 तक की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम **अनुबंध–17** में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को निवेश की राशि ₹ 10516.59 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3589.87 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 6926.72 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 25 पीएसयूज में राजस्थान सरकार का निवेश ₹ 5044.41 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3107.56 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 1936.85 करोड़ सम्मिलित थे।

राजस्थान सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 4.2: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राजस्थान सरकार का कुल निवेश

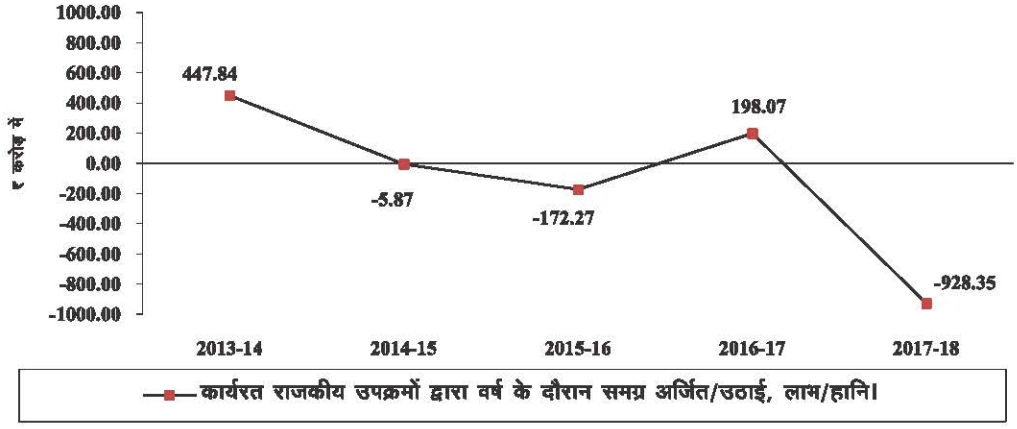


कंपनी की लाभदायकता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कंपनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को शेयर धारको की निधि से विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

4.12 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि[10] की समग्र स्थिति को एक चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: वर्षो के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि



इन कार्यरत पीएसयूज द्वारा 2013-14 में ₹ 447.84 करोड़ के अर्जित लाभ के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हानि में अधिक वृद्धि के कारण 2017-18 में ₹ 928.35 करोड़ की हानि वहन की गई। वर्ष 2017-18 के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, इन 25 कार्यरत राज्य पीएसयूज में से 19 पीएसयूज ने ₹ 350.08 करोड़ का लाभ कमाया एवं छः पीएसयूज ने ₹ 1278.43 करोड़ की हानि वहन की जो कि **अनुबंध-17** में दर्शाया गया है।

शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियों में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 142.94 करोड़), राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 109.68 करोड़), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (₹ 23.51 करोड़) जबकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 1169.76 करोड़) एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 90.12 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

2013-14 से 2017-18 के दौरान 31 मार्च 2018 को कार्यरत 25 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा 2013-14 से 2017-18 के दौरान अर्जित/उठाई, लाभ/हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	पीएसयूज(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किये गये पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाये गये पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान पीएसयूज की संख्या जिनकी मामूली लाभ/हानि थे
2013-14	25	14	11	-

10 आंकड़े संबंधित वर्ष के नवीनतम अंतिम लेखो पर आधारित है।

2014-15	25	17	7	1
2015-16	25	18	6	1
2016-17	25	19	6	-
2017-18	25	19	6	-

(अ) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

4.13 राज्य के 28 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य सरकार ने पूँजी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश **केवल 25 पीएसयूज** में किया है। सरकार ने इन 25 पीएसयूज में ₹ 5044.41 करोड़ का निवेश किया है, जिसमे पूँजी के रूप में ₹ 3107.56 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 1936.85 करोड़ सम्मिलित है।

पीएसयूज द्वारा निवेश पर प्रतिफल की गणना राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में पीएसयूज में किये गये निवेश के आधार पर की गई है। ऋण के संबंध में केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इस प्रकार के ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है एवं पुनर्भुगतान की नियम एवं शर्तो के अनुसार ऋण की वापसी के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, इस प्रकार यह सरकार के द्वारा किये गये पूँजी निवेश के प्रकृति के है। इस प्रकार, इन 25 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश की गणना पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण को सम्मिलित करते हुए की गई है एवं जिन प्रकरणों में ब्याज मुक्त ऋण पीएसयूज के द्वारा वापस कर दिये गये है, निवेश की मूल्य की गणना अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य (पीवी) के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषो के आधार पर की गई है जैसा की तालिका 4.9 में दर्शाया गया है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है।

राज्य सरकार की इन 25 पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को पूँजी ₹ 3107.56 करोड़ थी। अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋण के घटाये गये शेषो के आधार पर निस्तारित किये गये दीर्घावधि ऋण ₹ 1936.85 करोड़ में से ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1322.26 करोड़ थे। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा 25 पीएसयूज में किया गया निवेश ऐतिहासिक लागत के आधार पर ₹ 4429.82 करोड़ (₹ 3107.56 करोड़ + ₹ 1322.26 करोड़) था।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.9: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार वर्षवार ब्यौरा	वर्ष के लिए कुल आय	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में धन का किया गया निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (%)
2013-14			
सामाजिक क्षेत्र	5.25	1718.47	0.31
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	474.93	1424.96	33.33
अन्य	-0.02	4.99	-0.40

कुल	**480.16**	**3148.42**	**15.25**
2014-15			
सामाजिक क्षेत्र	29.09	2900.86	1.00
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	4.41	1572.53	0.28
अन्य	-0.33	4.99	-6.61
कुल	**24.30**	**4478.38**	**0.54**
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	-51.48	2953.80	-1.74
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-106.99	1839.40	-5.82
अन्य	-0.21	4.99	-4.21
कुल	**-158.68**	**4798.19**	**-3.31**
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	14.05	2008.15	0.70
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	176.60	1988.50	8.88
अन्य	-0.19	4.99	-3.81
कुल	**190.46**	**4001.64**	**4.76**
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	-56.98	2397.33	-2.38
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-870.71	2027.00	-42.96
अन्य	-0.19	5.49	-3.46
कुल	**-927.88**	**4429.82**	**-20.95**

राज्य सरकार के निवेश की गणना इन पीएसयूज की कुल आय[11] को राज्य सरकार की निवेश की लागत से विभाजित करके की गई है। राज्य सरकार के निवेश पर कमाया गया प्रतिफल 2013-14 से 2017-18 की अवधि में -20.95 प्रतिशत एवं 15.25 प्रतिशत के मध्य था। समग्र रूप से 2015-16 एवं 2017-18 की अवधि में प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (2015-16 में -₹ 754.10 करोड़ एवं 2017-18 में -₹ 1169.76 करोड़) एवं सामाजिक क्षेत्र में जयपुर रेल मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2015-16 में -₹ 90.20 करोड़ एवं 2017-18 में -₹ 90.12 करोड़) के भारी हानि उठाने के कारण राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था। अग्रिम विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल अस्थिर प्रवृति को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से प्रतिफल मुख्यतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के हानियों में बढोतरी एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की लाभों में कमी के कारण 2013-14 की 33.33 प्रतिशत से काफी हद तक घट कर 2015-16 में -5.82 पर आ गया है। इस क्षेत्र ने आगे काफी हद तक घटने एवं आरएसआरटीसी के क्रमशः 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान हानियों में बढोतरी के कारण 2016-17 (8.88 प्रतिशत) एवं 2017-18 (-42.96 प्रतिशत) के दौरान अस्थिर प्रतिफल दर्ज किया।

11 इस में उन राज्य पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है, से संबंधित वर्ष की शुद्ध आय/हानि सम्मिलित है।

(ब) निवेश के वर्तमान मुल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

4.14 25 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के निवेश के संबंध में इन पीएसयूज की लाभदायकता की गणना करने के लिये कुल आय का एक विश्लेषण किया गया है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना राजस्थान सरकार के राज्य पीएसयूज में निवेश की वर्तमान मूल्य की प्रतिफल की दर का पता लगाने के लिए सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में 31 मार्च 2018 तक वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, पूर्व निवेश/वर्षवार राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज में डाला गया धन को वर्षवार सरकारी उधार की औसत ब्याज दर जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की धन की न्यूनतम लागत है, पर चक्रवृद्धि किया गया है। इस प्रकार, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 25 राज्य पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश किया गया है, में राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना इन कंपनियों की स्थापना से 31 मार्च 2018 तक की गई है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन 25 पीएसयूज में निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 के दौरान धनात्मक था। निवेश पर प्रतिफल की, इसलिए, इन तीन वर्षो की गणना की गई है एवं पीवी के आधार पर दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा 25 उपक्रमों में निवेशित धन राशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार के ब्याज मुक्त ऋण को सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। यद्यपि, पीएसयूज द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान के संबंध में, अवधि के दौरान पीवी की गणना ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषो पर की गई है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है जैसा कि पैरा 4.6 में सब्सिडी की प्रकृति को दर्शाया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[12] के लिये राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाया जा सकता है।

12 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राजस्थान सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] * 100।

इन 25 कंपनियों ने 2015-16 एवं 2017-18 के लिए हानि वहन की थी, हानि के कारण पूँजी का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। कंपनियों के पूँजी के क्षरण को पैरा 4.17 में टिप्पणी की गई है।

4.15 इन 25 राज्य पीएसयूज में 2000-01 से 2017-18 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के धन के निवेश की पीएसयूज वार स्थिति **अनुबंध-18** में इंगित की गई है। आगे, इन राज्य पीएसयूज में समान अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश की पीवी एवं कुल लाभदायकता की समेकित स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है:

तालिका 4.10: 2000-01 से 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण[13]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल[14]	वर्ष के लिए कुल लाभ[15]
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1+vi)/100}	ix={vii*vi)/100}	x
1999-2000 तक	**-**	**412.44**	**36.80**	**449.24**	**10.40**	**1164.89**	**1286.04**	**-**	**-**
2000-01	1286.04	2.76	-0.49	2.27	10.50	1288.31	1423.58	135.27	-57.88
2001-02	1423.58	0.20	-3.34	-3.14	10.50	1420.44	1569.59	149.15	-45.92
2002-03	1569.59	6.05	-3.52	2.53	10.00	1572.12	1729.33	157.21	-18.61
2003-04	1729.33	134.46	-0.84	133.62	9.60	1862.95	2041.80	178.85	10.85
2004-05	2041.80	29.46	-12.06	17.4	9.10	2059.20	2246.59	187.39	133.45
2005-06	2246.59	14.89	-5.51	9.38	8.20	2255.97	2440.95	184.98	208.73
2006-07	2440.95	1.30	-0.39	0.91	8.30	2441.86	2644.54	202.68	259.05
2007-08	2644.54	7.50	-0.85	6.65	8.00	2651.19	2863.28	212.09	365.80
2008-09	2863.28	3.87	-0.69	3.18	7.70	2866.46	3087.18	220.72	295.26

13 कॉलम में दर्शाये गये ब्याज मुक्त ऋण की ऋणात्मक आंकडे संबंधित वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा राज्य सरकार को ऋण का पुर्नभुगतान दर्शाते है।

14 वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मुल्य - वर्ष के अंत में कुल निवेश।

15 वर्ष के लिए कुल निवेश संबंधित वर्ष के लिए उन 25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है। यदि किसी पीएसयू के वर्ष के दौरान वार्षिक लेखे बकाया है, तो उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/हानि) संबंधित पीएसयूज के नवीनतम वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार ली गई है।

2009-10	3087.18	19.56	-0.72	18.84	7.70	3106.02	3345.19	239.17	136.85
2010-11	3345.19	203.95	-0.31	203.64	7.70	3548.83	3822.09	273.26	276.54
2011-12	3822.09	416.63	-5.79	410.84	7.70	4232.93	4558.86	325.93	751.69
2012-13	4558.86	813.61	102.98	916.59	7.40	5475.45	5880.63	405.18	706.21
2013-14	5880.63	844.17	132.30	976.47	7.30	6857.10	7357.67	500.57	480.16
2014-15	7357.67	122.57	1207.38	1329.95	7.50	8687.62	9339.19	651.57	24.30
2015-16	9339.19	58.87	260.95	319.82	6.70	9659.01	10306.17	647.16	-158.68
2016-17	10306.17	14.77	-811.32	-796.55	7.60	9509.62	10232.35	722.73	190.46
2017-18	10232.35	0.50	427.68	428.18	7.30	10660.53	11438.75	778.22	-927.88
कुल		**3107.56**	**1322.26**	**4429.82**					

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 1999-2000 में ₹ 449.24 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 के अंत में ₹ 4429.82 करोड़[16] हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000-01 से 2017-18 की अवधि के दौरान पूँजी (₹ 2695.12 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 1285.46 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियों की पीवी 31 मार्च 2018 को ₹ 11438.75 करोड़ आता है। 2000-01 से 2017-18 के दौरान, वर्ष के लिए कुल लाभ इन पीएसयूज में से चार[17] पीएसयूज के भारी हानि वहन करने के कारण 2000-01 से 2004-05, 2009-10 एवं 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए धन निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहा है। आगे, समस्त अवधि (2000-18) के दौरान अन्य तीन पीएसयूज[18] द्वारा अर्जित लाभ इन चार पीएसयूज के हानियों से बराबर हो जाता है, जिससे कि कुल लाभ इन सभी पीएसयूज के न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहता है।

तीन लाभ अर्जन करने वाली पीएसयूज अर्थात रीको,आरएसएमएम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम जिन्होने 2000 से 2018 के मध्य लाभ अर्जित किया था, का अग्रिम विश्लेषण दर्शाता है कि यह पीएसयूज बाजार में इनकी एकाधिकारी अनुकूल परिस्थिति के कारण लाभ अर्जित कर सके थे जैसा कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड द्वारा भूमि का आवंटन करने से पर्याप्त आय का अर्जन किया जो कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि रियायती दरों पर अधिग्रहण करने की अनुमति देने का परिणाम है एवं यह राज्य में एक मात्र संस्था है, जिसे संस्थानिक उद्देश्य के लिए भूमि का विकास एवं आवंटन करने का अधिकार है; राजस्थान स्थान एवं स्थनिज लिमिटेड द्वारा रॉक फोस्फेट के विक्रय से महत्वपूर्ण राजस्व का अर्जन किया जाता है, कम्पनी की इस स्थनिज में देश में लगभग एकाधिकार है एवं यह देश के कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत का योगदान करती है एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (निगम) एक मात्र उपक्रम है जो राज्य में राज्य सरकार की ओर से गेहूँ का प्रापण करती है एवं इसके लिए राज्य सरकार से कमीशन (भण्डारण शुल्क) की प्राप्ति करती

16 ₹ 4429.82 करोड़ = ₹ 3107.56 करोड़ + ₹ 1322.26 करोड़

17 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (2000-18), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2009-18),जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2011-18),राजस्थान वित्त निगम (2009-10)

18 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्थान एवं स्थनिज लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम लिमिटेड।

है एवं इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) द्वारा फसलों का भण्डारण करने से महत्वपूर्ण भण्डार शुल्क का अर्जन करती है।

4.16 वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा इन पीएसयूज में किये गये निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था, राज्य सरकार के धन पर ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर क्षेत्रवार प्रतिफल की तुलना नीचे तालिका में दर्शाया गयी है:

तालिका 4.11: राज्य सरकार की धनराशि पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्षवार क्षेत्रवार ब्योरा	वर्ष के लिए कुल आय	राजस्थान सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया गया निवेश	राज्य सरकार के निवेश का ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार की निधियों का वर्तमान मूल्य	राज्य सरकार की निधियों पर वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर प्रतिफल (%)
2013-14					
सामाजिक क्षेत्र	5.25	1718.47	0.31	2220.22	0.24
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	474.93	1424.96	33.33	5131.00	9.26
अन्य	-0.02	4.99	-0.40	6.45	-0.31
कुल	**480.16**	**3148.42**	**15.25**	**7357.67**	**6.53**
2014-15					
सामाजिक क्षेत्र	29.09	2900.86	1.00	3657.80	0.80
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	4.41	1572.53	0.28	5674.46	0.08
अन्य	-0.33	4.99	-6.61	6.94	-4.76
कुल	**24.30**	**4478.38**	**0.54**	**9339.20**	**0.26**
2016-17					
सामाजिक क्षेत्र	14.05	2008.15	0.70	3242.76	0.43
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	176.60	1988.50	8.88	6981.62	2.53
अन्य	-0.19	4.99	-3.81	7.97	-2.38
कुल	**190.46**	**4001.64**	**4.76**	**10232.35**	**1.86**

राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल 2013-14 में 15.25 प्रतिशत था, यह 2014-15 में 0.54 प्रतिशत तक घटा एवं तत्पश्चात 2016-17 के दौरान 4.76 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि राज्य सरकार के धन पर वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर समान अवधि के लिए प्रतिफल 6.53 प्रतिशत, 0.26 प्रतिशत एवं 1.86 प्रतिशत था। आगे, इसी अवधि के दौरान, निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल क्रमशः 33.33 प्रतिशत, 0.28 प्रतिशत एवं 8.88 प्रतिशत की तुलना में वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से प्रतिफल केवल 9.26 प्रतिशत, 0.08 प्रतिशत एवं 2.53 प्रतिशत निकाला गया।

निवल मूल्य का क्षरण

4.17 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ अथवा हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय का कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह माप है कि क्या एक उपक्रम स्वामियों के लिए

मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है। इन 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में **अनुबंध–17** में दिये गये विवरणानुसार पूँजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 3533.39 करोड़ एवं ₹ 1112.02 करोड़ थे जिससे कि ₹ 2.22 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात निवल मूल्य ₹ 2419.15 करोड़ आता है । निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि इन 28 पीएसयूज में से 10 में निवल मूल्य का क्षरण हो गया है जैसे कि इन 10 पीएसयज़ में पँजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 747.91 करोड़ एवं ₹ 4968.45 करोड़ था। इन 10 पीएसयूज में से, मुख्य रूप से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 4000.31 करोड़), राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (₹ 123.10 करोड़), राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 47.20 करोड़) एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 17.55 करोड़) में निवल मूल्य का क्षरण हुआ था। इन 10 पीएसयूज जिनका निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया है, में से छः[19] पीएसयूज ने वर्ष 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित किया है यद्यपि इनकी पर्याप्त मात्रा में संचित हानियां थी।

आगे ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 25 कंपनियों जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधा निवेश किया गया है, की कुल प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि, एवं कुल निवल मूल्य को नीचे तालिका में इंगित किया गया है:

तालिका 4.12 : वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 25 कंपनियों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में लाभ (+)/ हानि (-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	2847.54	489.39	0.00	3336.93
2014-15	2046.90	-166.41	0.00	1880.49
2015-16	2105.77	-81.78	0.00	2023.99
2016-17	3373.23	26.05	6.24	3393.04
2017-18	3372.42	-1075.18	2.22	2295.02

यह देखा जा सकता है कि इन कंपनियों का निवल मूल्य अवधि के दौरान अस्थिर रहा है। यह 2013-14 के ₹ 3336.93 करोड़ से घट कर 2017-18 में ₹ 2295.02 करोड़ आ गया।

19 वर्ष 2017-18 के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं वर्ष 2016-17 के लिये राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड ।

वर्ष 2013-14 के दौरान 25 पीएसयूज में से 15 पीएसयूज[20] ने धनात्मक निवल मूल्य एवं 10[21] पीएसयूज ने ऋणात्मक निवल मूल्य को प्रदर्शित किया। यद्यपि, 2014-15 से 2017-18 के दौरान एक पीएसयू नामित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निवल मूल्य धनात्मक हो गया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कम्प्यूटर व्यय (₹ 19.32 करोड़) असाधारण मद के रूप में अपलिखित करने के कारण संबंधित वर्ष के लिए कम्पनी की हानियां (₹ 12.53 करोड़) कम्पनी की प्रदत्त पूँजी (₹ पांच करोड़) से अधिक होने के कारण निवल मूल्य का 2013-14 के दौरान क्षरण हो गया। 2015-16 के दौरान राज्य सरकार से प्रापण औषधियों के लागत के अतिरिक्त कमीशन प्राप्ति के कारण बाद के वर्षो में लाभ अर्जन करने से कम्पनी का निवल मूल्य धनात्मक हो गया।

इस प्रकार, 2014 -15 से 2017-18 के दौरान, 16 पीएसयूज ने धनात्मक निवल मूल्य प्रदर्शित किया जबकि नौ पीएसयूज का निवल मूल्य ऋणात्मक था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान आठ[22] पीएसयूज का निवल मूल्य घटा जबकि 16[23] पीएसयूज के

20 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम।

21 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

22 जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड ।

23 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड , राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

संदर्भ में यह बढ़ा एवं एक पीएसयू यथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के संदर्भ में यह समान रहा।

लाभांश का भुगतान

4.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार (सितंबर 2004) की थी जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लाभ अर्जन करने वाली कंपनियों को प्रदत्त शेयर पूँजी पर दस प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश किया है, अवधि के दौरान लाभांश का भुगतान निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.13: 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयूज जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश		वर्ष के दौरान लाभ कमाने वाले पीएसयूज		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश / भुगतान		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/ भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2013-14	25	2910.85	14	751.10	6[24]	21.28	2.83
2014-15	25	3033.42	16	884.23	7[25]	60.19	6.81
2015-16	25	3092.29	17	949.74	7[25]	94.38	9.94
2016-17	25	3107.06	19	970.27	7[25]	62.14	6.40
2017-18	25	3107.56	19	970.27	5[26]	59.25	6.11

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, लाभ कमाने वाले पीएसयूज की संख्या 14 एवं 19 के मध्य थी। इसी अवधि में राजस्थान सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले पीएसयूज की संख्या पांच एवं सात के मध्य थी।

24 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड।

25 राजस्थान राज्य स्पान एवं स्पनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड।

26 राजस्थान राज्य स्पान एवं स्पनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

लाभांश भुगतान अनुपात 2013-14 से 2017-18 के दौरान केवल 2.83 प्रतिशत एवं 9.94 प्रतिशत के मध्य रहा। अग्रिम विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) ने 1962-63 से लाभांश की घोषणा/भुगतान किया है एवं लाभांश भुगतान अनुपात 1962-63 में 2.24 प्रतिशत से बढ कर 2017-18 में 6.11 प्रतिशत हो गया।

2017-18 के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाली पांच पीएसयूज में से, तीन[27] पीएसयूज ने निर्धारित से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि एक[28] पीएसयू ने सरकार की लाभांश नीति में निर्धारित लाभांश से कम लाभांश घोषित किया एवं केवल एक[29] पीएसयू ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

पूँजी पर प्रतिफल

4.19 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है जिससे यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा शेयरधारको की निधि का उपयोग लाभो के सृजन करने में किस प्रभाव से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारको की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कंपनी में की जा सकती है, यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारको की निधि दोनों धनात्मक संस्थायें है।

कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो हितधारको के पास कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारको की निधि दर्शाती है कि कंपनी के पास अपने दायित्व के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारको की निधि का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक है।

पूँजी प्रतिफल की गणना 25 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए 25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के शेयरधारको की निधि एवं आरओआई का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.14: 25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारको की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2013-14	480.16	3336.93	14.39
2014-15	24.30	1880.49	1.29
2015-16	-158.68	2023.99	-

27 **अनुबंध 17** के क्रम संख्या 10, 17 एवं 25 पर वर्णित पीएसयूज।

28 **अनुबंध 17** के क्रम संख्या 15 पर वर्णित पीएसयू।

29 **अनुबंध 17** के क्रम संख्या 4 पर वर्णित पीएसयू।

2016-17	190.46	3393.04	5.61
2017-18	-927.88	2295.02	-

मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षो के दौरान, शुद्ध आय 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 के दौरान धनात्मक थी एवं इन वर्षो के दौरान आरओई 1.29 प्रतिशत एवं 14.39 प्रतिशत की सीमा के मध्य थी। जिस प्रकार इन पीएसयूज की 2015-16 एवं 2017-18 में शुद्ध आय ऋणात्मक थी, इन पीएसयूज के संबंध में आरओई की गणना इस अवधि के लिए नहीं की जा सकी।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

4.20 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी कार्यरत पूँजी से मापता है। आरओसीई की गणना एक कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[30] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान **समस्त 28 राज्य पीएसयूज के आरओसीई** (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.15: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2013-14	637.17	8055.06	7.91
2014-15	326.78	10198.16	3.20
2015-16	255.15	9462.39	2.70
2016-17	669.34	10331.41	6.48
2017-18	-1198.35	9173.50	-13.06

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन राज्य पीएसयूज का आरओसीई -13.06 प्रतिशत से 7.91 प्रतिशत की सीमा के मध्य रहा। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें काफी कमी हुई एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वर्ष 2017-18 के दौरान हानियों में वृद्धि हो जाने के कारण आरओसीई ऋणात्मक हो गयी।

पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.21 पीएसयूज जिनमे 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋण थे, में दीर्घावाधि ऋणों का विश्लेषण कंपनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का भुगतान करने के लिए कंपनियों की क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण आवर्त अनुपात के माध्यम से किया गया है

30 नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय । आंकडे पीएसयूज के नवीनतम वर्ष जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

4.22 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की आय को उसी अवधि के ब्याज स्वर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.16: जिन राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ऋण का भार है, में ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिन पर सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का ऋण	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2013-14	191.43	686.95	17	11	6[31]
2014-15	334.09	89.31	14	09	5[32]
2015-16	428.86	210.80	19	15	4[33]
2016-17	472.62	577.56	19	14	5[34]
2017-18	475.35	-1233.10	20	15	5[34]

वर्ष 2017-18 के दौरान जिन 20 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में सरकार के साथ बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की देयता है, 15 पीएसयूज में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है जबकि शेष पाँच पीएसयूज में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है

31 राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

32 राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

33 राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

34 जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

जो कि यह दर्शाता है कि यह पाँच पीएसयूज इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर पा रहे थे।

ऋण आवर्त अनुपात

4.23 गत पांच वर्षो के दौरान, इन 28 पीएसयूज के टर्नओवर में 10.97 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 16.66 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे की ऋण आवर्त अनुपात 2013-14 में 0.54 से सुधर कर 2017-18 में 0.50 हो गया जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.17: राज्य पीएसयूज से संबंधित ऋण आवर्त अनुपात (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	5014.01	7235.85	7281.07	6829.12	6926.72
टर्नओवर	9273.10	11390.91	12171.63	13417.48	13911.21
ऋण आवर्त अनुपात	0.54:1	0.64:1	0.60:1	0.51:1	0.50:1

स्रोतः पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

इस अवधि के दौरान ऋण आवर्त अनुपात 0.50 से 0.64 की सीमा के मध्य रहा है। संचित हानि समग्र रूप से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संचित हानियों में वृद्धि हो जाने के कारण वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक बढ गई।

अकार्यरत पीएसयूज का समापन

4.24 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से तीन कंपनियां अकार्यरत थी जिनमें 31 मार्च 2018 को पूँजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घकालीन ऋणों (₹ 16.27 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़ (राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड में ₹ 22.28 करोड़, राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड में ₹ 4.49 करोड़ एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड में ₹ 1.27 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

तालिका 4.18: अकार्यरत पीएसयूज

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	3	3	3	3	3

स्रोतः संबंधित वर्ष के सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रतिवेदन, राजस्थान सरकार एवं अनुबंध 15 के आधार पर संकलित

इन अकार्यरत कम्पनियों में से कोई भी समापन के अन्तर्गत नहीं थी। चूंकि ये तीन अकार्यरत पीएसयूज गत दो से 18 वर्षों से असंचालित है अतः सरकार को इन पीएसयूज के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिये।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियाँ

4.25 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक तेरह कार्यरत कम्पनियों ने अपने 14 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 10 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है।

तालिका 4.19: कार्यरत कंपनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र .सं	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	28.74	1	0.06	3	23.91
2.	लाभ में वृद्धि	4	7.02	3	3.91	1	4.43
3.	हानि में वृद्धि	2	2.21	1	0.09	-	-
4.	हानि में कमी	1	0.74	-	-	1	3.43
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	1	2.98	3	6.23	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	2	50.33	3	16.66	1	9.74

स्रोतः सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र प्रदान किये। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि तीन लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के पांच मामले इंगित किये गये।

4.26 राज्य में तीन सांविधिक निगम अर्थात (i) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), (ii) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) एवं (iii) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संबंध में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों (आरएफसी एवं आरएसडब्ल्यूसी) ने वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखे प्रेषित किये जबकी आरएसआरटीसी ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 के दौरान वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे प्रेषित किये। सभी तीन लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किये गये। आरएफसी के वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखो पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया। तत्पश्चात, आरएफसी के वर्ष 2016-17 के लेखों पर सीएजी द्वारा 'सत्य एवं उचित' नहीं का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	31.59	1	49.81	2	55.46
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	1	2364.69	1	1658.39	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	1	464.82
5.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	1	1819.89	1	7404.63	1	1100.00
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	2	81.00	2	83.00	1	2.00

स्रोत: सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद

4.27 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) से संबंधित दो लेखापरीक्षा अनुच्छेद, दो सप्ताह की अवधि में उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ, संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को जारी किये गये थे। दोनों अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त हो गये थे तथा अनुच्छेद को अंतिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रख लिया गया था। इन अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 43.35 करोड़ है।

लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

4.28 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/स्पष्टीकरण टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे।

तालिका 4.21: पीएसयूज ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर बकाया स्पष्टीकरण टिप्पणियों की स्थिति (30 सितम्बर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीएज) एवं अनुच्छेद		पीएज/अनुच्छेदों की संख्या जिन पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	अनुच्छेद	पीए	अनुच्छेद
2016-17	27.02.2018	-	5	0	2

स्रोत: राजस्थान सरकार के संबंधित विभागो से प्राप्त स्पष्टिकरण टिप्पणियों के आधार पर संकलित

दो[35] अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां सितम्बर 2018 तक दो विभागों से लंबित थी। हालांकि, दोनों विभागो से नवम्बर 2018 में स्पष्टीकरण टिप्पणीयां प्राप्त हो गई।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

4.29 30 सितम्बर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित पीएसयूज से संबंधित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 4.22: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2018 तक चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2015-16	1	8	-	7
2016-17	-	5	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलित

वर्ष 2014-15 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) पर चर्चा पूर्ण की जा चुकी है।

कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

4.30 मार्च 2017 एवं फरवरी 2018 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोपू के तीन प्रतिवेदनों पर राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) कार्यवाही विषयक टिप्पणियां प्राप्त (30 सितम्बर 2018) नहीं हुई थी जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.23: कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सम्मिलित सिफारिश की संख्या	सिफारिशों की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2016-17	1	12	12
2017-18	2	11	11

स्रोत: कोपू की सिफारिशों पर राजस्थान सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यवाही विषयक टिप्पणियों के आधार पर संकलित

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदन में वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के लिये भारत के सीएजी के प्रतिवेदन में सम्मिलित राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य स्नान एवं स्नेनिज लिमिटेड से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित थी। कोपू के इन तीन प्रतिवेदनों में सम्मिलित सिफारिशों पर कार्यवाही विषयक टिप्पणियां नवम्बर 2018 में प्राप्त हुई।

35 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड प्रत्येक से संबंधित एक-एक अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर।

अध्याय V

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

अध्याय V

5. सरकारी कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

सरकारी कम्पनियां

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

5.1 निर्माण पूर्ण करने व उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने एवं प्रतिधारित प्रभारों की वसूली की निगरानी में प्रणालीगत कमियाँ

5.1.1 परिचय

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना (मार्च 1969) भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने एवं उद्यमियों को पट्टे पर भूखण्ड आवंटित करने के मुख्य उद्देश्य के लिये की गयी थी ताकि राज्य में समग्र औद्योगिक विकास को बढावा दिया जा सके। कम्पनी, राजस्थान सरकार (जी.ओ.आर.) के पूर्ण स्वामित्व वाली नोडल एजेन्सी है जो कम्पनी के द्वारा बनाये गये *"रीको भूमि निस्तारण नियम 1979" (नियम)* के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से उद्योगों को बढावा देने के लिये उत्तरदायी है।

31 मार्च 2018 तक, कम्पनी ने 84,441 एकड़ भूमि अधिग्रहण की, 27 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्रों में 342 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया एवं राज्य के विभिन्न हिस्सों में 54,955 विकसित भूखण्ड आवंटित किये। इन आवंटित भूखण्डों में से, 47,576 भूखण्डों में उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ हो गयी थी, 2,213 भूखण्डों का निर्माण कार्य प्रगति पर था एवं शेष 5,166 भूखण्डों[1] मे कोई गतिविधि नहीं थी जो कि रिक्त पड़े थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं क्षेत्र

5.1.2. लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिये, दक्ष एवं प्रभावी तन्त्र विकसित किया है कि:

- उद्यमियों ने निर्माण गतिविधियों को प्रारम्भ एवं पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने में निर्धारित समय की पालना की थी,
- निर्माण गतिविधियाँ पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने में समय विस्तार, नियमों के अनुसार दिया गया था,

1 कुल भूखण्ड आवंटित (54,955) - {भूखण्डों में उत्पादनरत (47,576) + भूखण्डों में निर्माण कार्य प्रगति पर (2,213)} = रिक्त पड़े भूखण्ड (5,166)।

- प्रतिधारित प्रभारों की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित की गई थी, एवं
- दोषी उद्यमियों के विरूद्ध, नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही की गई थी।

लेखा-परीक्षा (फरवरी 2018 से अप्रैल 2018) में कम्पनी के मुख्यालय एवं 27 इकाईयों मे से चयनित छः[2] इकाईयों की 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के अभिलेखों की जाँच को सम्मिलित किया गया है। इन चयनित इकाईयों में, तीन इकाईयाँ ऐसी हैं जो पिछली लेखा-परीक्षा[3] में चयन की गयी थी एवं शेष तीन इकाईयाँ ऐसी हैं जिनमें 2013-17 के दौरान प्रतिधारित प्रभारों की वसूली अधिक थी। आगे, चयनित इकाईयों में से 95 प्रकरण क्रमरहित तरीके से विस्तृत विश्लेषण के लिये चयन किये गये थे।

रीको भूमि निस्तारण नियम 1979 का ढाँचा

5.1.3 कम्पनी द्वारा समय सारणी के निर्धारण एवं समय विस्तार के लिये एवं निर्धारित प्रभारो में रियायत/छूट के लिये बनाये गये रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979 निम्नानुसार हैं:

- नियम 3 (डब्ल्यू) में कुछ विशेष प्रकरणों में, औद्योगिक भूमि के अधिमान्य आवंटन का प्रावधान है जैसे औद्योगिक परियोजनाओं में न्यूनतम निर्धारित पूँजीगत निवेश, नियम में निर्दिष्ट न्यूनतम प्रत्यक्ष रोजगार, गैर-निवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनायें, अन्य निगमित संस्था एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (विनिर्माण एवं सॉफ्टवेयर विकास) एवं कुल निवेश के 33 प्रतिशत या अधिक *'निरंतर आधार पर'* विदेशी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनायें आदि में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में, विज्ञापन के द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/ आवेदन आदि की आवश्यकता से छूट होगी। नियम में दिया गया है कि उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये निर्धारित 3 वर्ष की समय सीमा आवंटन पत्र में आवंटन तिथि से मानी जायेगी। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को, निर्धारित भूमि की अतिरिक्त लागत एवं प्रतिधारित प्रभार का भुगतान करने पर, उत्पादन गतिविधियों को प्रारम्भ करने में समय विस्तार देने के लिये अधिकृत किया हुआ है।
- नियम 21 में प्रावधान है कि आवंटी को, आवंटित भूमि का कब्जा देने या क्षेत्र को विकसित घोषित करने की दिनांक, जो भी बाद में हो, के तीन वर्ष की अवधि के अंदर (नियम 3 डब्ल्यू के तहत हुए आवंटन को छोड़ कर), निर्माण/उपयोग प्रारम्भ करना होगा। इसके अतिरिक्त को प्रयोग किया हुआ मानने के लिये आवंटी को न्यूनतम आवश्यक निर्माण[4] करना जरूरी होगा। इससे पहले, (2012-13 तक) नियमों में यह प्रावधान था कि आवंटी को भूमि का कब्जा देने या पट्टा विलेख के दिनांक, जो भी पहले हो, से दो वर्ष की अवधि में निर्माण कार्यवाही पूर्ण करनी होगी एवं तीन वर्ष की अवधि में उत्पादन/भूखण्ड का उपयोग प्रारम्भ करना होगा।

2 ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर (ग्रामीण), नीमराणा, भिवाड़ी I, भिवाड़ी II, एवं कोटा।

3 भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन मे पैराग्राफ (4.6) में इसी तरह का प्रकरण सम्मिलित था एवं पैरा पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति (कोपू) की अनुशंसा अनुबंध-19 में दी गई है।

4 औधोगिक भूखण्डों के लिये भूमि पर भूखण्ड का 20 प्रतिशत क्षेत्र या मंजिल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) एवं वाणिज्यिक, रिहायशी एवं संस्थागत भूखण्डों के लिये मानक का 20 प्रतिशत/निर्धारित एफएआर।

- नियम 23-सी में प्रावधान है कि निर्धारित समय सीमा के पश्चात, आवंटी के आग्रह पर निर्माण पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने (नियम 3 डब्ल्यू के अधीन आवंटित भूखण्ड़ों को छोड़कर) में समय विस्तार की अनुमति, प्रतिधारित प्रभारों का भुगतान करने पर दी जायेगी। इस नियम में संशोधन कर (25 अगस्त 2014) यह प्रावधान किया गया कि भूमि आवंटन प्रकरण, जिनमें निर्माण पूर्ण करने एवं गतिविधियाँ प्रारम्भ करने में पाँच वर्ष या अधिक अवधि पहले से ही समाप्त (31.07.2014 को) हो गयी है एवं आवंटी द्वारा भूखण्ड का उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में समय विस्तार/विलम्ब का नियमितीकरण, क्रमशः प्रथम वर्ष, अगले दो वर्ष एवं अग्रिम अवधि के लिये, प्रचलित विकास शुल्क के एक प्रतिशत,1.5 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत की दर से प्रतिधारित प्रभारों का भुगतान करने पर किया जायेगा। नियम मे यह भी प्रावधान था कि वाणिज्यिक भूखण्डों के लिये प्रतिधारित प्रभारों की गणना करने के लिये आवंटन दर, दोगुणा वसूली जायेगी।
- नियम 23 डी, प्रभारों में छूट/कमी की प्रक्रिया निर्धारित करता है। नियम 23 डी-1 मे दिया गया है कि जिस अवधि मे आवंटी, अदालत के स्थगन या सक्षम अदालत के निर्णय के कारण, भूखण्ड पर गतिविधी प्रारम्भ या संचालन नहीं कर सका, उस अवधि के लिए प्रतिधारित प्रभार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अनुमति से माफ किये जा सकते है।
- नियम 24 (1) में यह दिया गया है कि आवंटन पत्र मे निर्धारित शर्तों या पट्टा अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन करने पर, आवंटी को नियमों के उल्लंघन करने के लिये 45 दिवस का नोटिस देकर कम्पनी को आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.1.4 *समय विस्तार देने एवं प्रतिधारित प्रभारों की वसूली के नियमों में कमियाँ*

लेखापरीक्षा में नियमों की समीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कंपनी द्वारा समय विस्तार देने एवं प्रतिधारित प्रभारों की वसूली के लिये बनाये गये नियम निम्न कारणों से अपूर्ण थेः

- निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भूखण्ड को निरस्त करने के प्रकरण में से उन प्रकरणो में जिनमें आवंटी आवेदन ना करें निर्धारित/विस्तारित अवधि की दिनांक से भूखण्ड के निरस्त करने के दिन तक नियमों में प्रतिधारित प्रभारों की वसूली का कोई प्रावधान नहीं था।
- नियम, उत्पादन गतिविधी प्रारम्भ करने के लिये समय विस्तार देने के लिये अधिकतम समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं।

सरकार ने (जुलाई 2018) कहा है किः

(i) भूखण्ड को निरस्त करने के पश्चात, या तो सम्बन्धित आवंटी से लागू प्रतिधारित प्रभारों की वसूली करके भूखण्ड बहाल किया जाता है या अन्य आवंटी को, मूल आवंटन की दर से अधिक दर पर पुनः आवंटित किया जाता है। अतः ऐसे प्रकरणों में प्रतिधारित प्रभारों की वसूली के प्रावधान नियमों में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य हालाँकि यह है कि ऐसे प्रकरणो में जिन दोषियों ने पूर्व में प्रतिधारित

प्रभारों का भुगतान करके समय विस्तार लिया था, की तुलना में उन दोषियों को प्रतिधारित प्रभारों की वसूली न करके अनुचित लाभ दिया गया, जहाँ पर दोषी आवंटितो द्वारा चूक समय अवधि के लिये समय विस्तार नहीं मांगा गया है। आगे, ये कमी, दोषी आवंटितों को समय विस्तार के लिये आवेदन न करने की परिपाटी को प्रोत्सहित करेंगी।

(ii) नियमों में इकाई प्रमुख/कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा पाँच/सात वर्षों[5] का समय विस्तार देने का प्रावधान था। इस सीमा के पश्चात समय विस्तार, प्रत्येक प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर आईडीसी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। हालांकि, हमने पाया कि आईडीसी समय विस्तार के लिये प्रत्येक प्रकरण के गुण-दोष पर ध्यान देने के स्थान पर सभी प्रकरणों में समय विस्तार स्वीकृत कर रही है।

5.1.5 *अभिलेखों/डेटा बैंक के रखरखाव के लिये एक समान/कम्प्यूटीकृत तन्त्र को न अपनाना*

कम्पनी द्वारा उत्पादन गतिविधियाँ एवं प्रतिधारित प्रभारों से सम्बन्धित डेटा बैंक रखने के लिये एक तन्त्र विकसित करना अपेक्षित था। कम्पनी द्वारा इकाईयों से प्राप्त सूचना के रखरखाव के लिये निर्धारित एक समान प्रारुप भी बनाना था। राजस्थान विधानसभा के कोपू ने भी अनुशंसा[6] की थी कि कम्पनी को दोषी इकाइयों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने एवं उद्यमियों को समय पर नोटिस जारी करने के लिये उचित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान अपनाना चाहिए था।

अभिलेखों की जाँच के दौरान, हमने पाया कि:

- कम्पनी ने उत्पादन एवं प्रतिधारित प्रभारों की वसूली की स्थिति की निगरानी की सूचना के रख-रखाव के लिये मानक प्रारुप निर्धारित नहीं किया था। विस्तृत जाँच के लिये चयनित छः इकाईयों में उत्पादन की स्थिति दर्ज करने एवं प्रतिधारित प्रभारों की वसूली की निगरानी के लिये भिन्न प्रारुप अपनाये गये थे।
- कंपनी ने भूखण्ड के अनुसार ऐसा डेटा बैंक नहीं बनाया जिसमें आवंटन की तिथि, निर्माण प्रारम्भ/पूर्ण करने की निर्धारित तिथि एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करना ताकि निर्धारित समयावधि की अनुपालना सुनिश्चित हो सके एवं चूक की स्थिति में समय पर प्रतिधारित प्रभारों की वसूली हो सके। इकाई कार्यालयों द्वारा तैयार किये गये डेटाबेस में केवल रिक्त भूखण्डों की संख्या एवं ऐसे भूखण्डों की संख्या जिनमें उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ था, दर्शाये गये थे।
- कंपनी ने दोषी इकाईयों को नोटिस जारी करने के लिये मानक तरीका निर्धारित नहीं किया। परिणामस्वरूप, चयनित छः इकाई कार्यालय दोषी इकाईयों को अपनी सुविधानुसार नोटिस जारी कर रहे थे।

5 उन प्रकरणों में पाँच वर्ष जिनमें 31 जुलाई 2014 को भूखण्ड को प्रयोग करने की कुल अवधि पाँच वर्ष या उससे अधिक बीत चूकी है एवं अन्य प्रकरणों में सात वर्ष ।

6 कोपू की प्रतिवेदन संख्या 102 की अनुशंसा संख्या 4 ।

- कंपनी ने नोटिस जारी करने एवं निर्माण/उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने में चूक करने वाली इकाईयों की निगरानी करने के लिये तकनीकी प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधान का संचालन नहीं किया जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि कम्पनी के पास एक प्रणाली है जिसमे निर्माण पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने से सम्बन्धित समय सीमा निगरानी के लिये व्यक्तिगत लेखे एवं भूखण्डों की डेटा लिस्ट बनायी जाती है। उत्तर वास्तविक रूप में सहीं नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई भी अभिलेख, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, अभिलेख के रख-रखाव ना करने/तैयार ना करने के बारे में इकाई कार्यालयों के साथ-साथ मुख्यालय द्वारा भी स्वीकार किया गया था।

5.1.6 *एमआईएस के रख-रखाव में कमियाँ*

कम्पनी के प्रबन्ध सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अनुसार एवं चयनित इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार आवंटित भूखण्डों पर 31 मार्च 2018 को उत्पादन तथा निर्माण गतिविधि की स्थिति निम्न प्रकार है:

(संख्या में)

चयनित इकाई कार्यालय	एम आई एस के अनुसार उत्पादन की स्थिति			एमआईएस[7] में उपलब्ध डेटा के अनुसार भूखण्ड जिनमें उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है	इकाई कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भूखण्ड जिनमें उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है
	आवंटित भूखण्ड	उत्पादनरत भूखण्ड	निर्माणाधीन भूखण्ड		
ईपीआईपी, सीतापुरा	2324	2203	25	121	35
जयपुर (ग्रामीण)	2086	1996	83	90	16
नीमराणा	955	921	15	34	50
भिवाड़ी-I	1917	1773	80	144	66
भिवाड़ी-II	2671	2365	228	306	200
कोटा	3677	3119	222	558	358
कुल	**13630**	**12377**	**653**	**1253**	**725**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2018 तक, कम्पनी की एमआईएस में चयनित इकाईयों द्वारा 13630 भूखण्डों का आवंटन दर्शाया गया है। आगे 12,377 एवं 653 भूखण्डो को क्रमशः उत्पादनरत एवं निर्माणधीन दर्शाया है एवं 1,253 भूखण्डों में 31 मार्च 2018 तक कोई उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है। चयनित इकाईयो द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2018 तक 725 भूखण्डों पर उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ था। यह सूचना तन्त्र में अंतर दर्शाता है एवं यह भी दर्शाता है कि एमआईएस डेटा, इकाई कार्यालयों के अभिलेखो से मिलान नहीं करता है।

सरकार का कहना है कि (जुलाई 2018) कम्पनी ने इकाई कार्यालयों को एमआईएस के डेटा का मिलान करने एवं भविष्य में संकलन के लिये सही सूचना भेजने के निर्देश (जून 2018) दिये हैं।

7 आवंटित भूखण्ड-भूखण्ड उत्पादनरत ।

5.1.7 *सूचना प्रोद्योगिकी मॉडयूल का कार्यान्वयन*

कम्पनी ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओ के स्वप्रचालन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित भूमि बैंक प्रबन्धन अनुप्रयोग के लिये एकीकृत साफ्टवेयर समाधान के कार्यान्वयन के लिये *राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल)* के साथ अनुबंध (अगस्त 2014 एवं जुलाई 2015) निष्पादित किये। आरआईएसएल ने, इस परियोजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर विकसित एवं अनुरक्षण करने एवं हार्डवेयर की आपूर्ति करने के कार्य को *मैसर्स ई-कनेक्ट सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड* को आउटसोर्स (जुलाई 2014) किया। सॉफ्टवेयर को विकसित करने एवं हार्डवेयर की आपूर्ति करने का कार्य ₹ 830 लाख की लागत पर दिया गया। समझौते के अनुसार, लेखा एवं वित्त प्रबन्धन, अवधि ऋण प्रबन्धन, सीपीएफ प्रबन्धन, कार्य नियंत्रण एवं परियोजना प्रबन्धन, मानव संसाधन प्रबन्ध प्रणाली सहित, सात मॉड्यूल्स चरण-I मे जुलाई 2015 तक विकसित किये जाने थे एवं अन्य सात मॉडयूल्स जैसे वेब पोर्टल, भूमि प्रबन्धन, इकाई प्रबन्धन, स्थायी सम्पत्ति प्रबन्धन आदि सहित चरण-II मे मार्च 2016 तक विकसित किये जाने थे। हमने पाया कि, भूमि प्रबन्धन, कार्य नियंत्रण एवं परियोजना प्रबन्धन, मानव संसाधन प्रबंधन, मियादी ऋण प्रबन्धन एवं सीपीएफ प्रबन्धन मॉड्यूल्स पूर्ण कर दिये थे परन्तु भूखण्डो की पत्रावलियो के पुराने विवरण के सत्यापन ना होने के कारण, लागू करने की निर्धारित समयावधि से दो वर्ष अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी भूमि प्रबन्धन मॉडयूल्स का कार्यान्वयन (जुलाई 2018) नहीं हो सका। इस प्रकार भूमि प्रबन्धन मॉडयूल्स के कार्यान्वयन की अनुपस्थिति में कम्पनी ने भूखण्ड आवंटन का डेटा तैयार नहीं किया था, इसलिये यह निर्माण गतिविधियां पूर्ण न करने एवं उत्पादन गतिविधियां प्रारम्भ न करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी करने की अनुगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

सरकार ने स्वीकार किया (जुलाई 2018) कि भूमि पत्रावलियो के पुराने विवरण के सत्यापन न होने के कारण, कम्पनी भूमि प्रबन्धन माड्यूल संचालित नहीं कर सकी एवं विवरण को सत्यापित करने का कार्य प्रगति पर है।

5.1.8 *दोषी आवंटियों के खिलाफ कार्यवाही में विफलता*

निम्नलिस्थित तालिका ऐसे भुखण्डो की स्थिति इंगित करती है जिन पर 31 मार्च 2018 (चयनित इकाई कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर) तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ था:

(संख्या में)

चयनित इकाई कार्यालय	इकाई कार्यालय के अनुसार भूखण्ड जिनमें उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है	भूखण्ड जिनमें उत्पादन अवधि समाप्त नहीं हुई है	भूखण्डों की स्थिति जिनमें उत्पादन प्रारम्भ करना देय हो चुका है परन्तु उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है/ सत्यापन नहीं हुआ			
			रिक्त भूखण्ड	निर्माणाधीन भूखण्ड	भूखण्ड जिनमें उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है परन्तु सत्यापित नहीं हुआ है	कुल
ईपीआईपी, सीतापुरा	35	9	0	17	9	26
जयपुर (ग्रामीण)	16	2	0	9	5	14
नीमराणा	50	9	6	34	1	41
भिवाड़ी-I	66	25	11	25	5	41
भिवाड़ी-II	200	45	80	75	0	155
कोटा	358	88	165	89	16	270
कुल	**725**	**178**	**262**	**249**	**36**	**547**

इससे पता चलता है कि 547 भूखण्डों में से जहाँ उत्पादन प्रारम्भ करने का समय हो चूका था, 262 भूखण्ड बिना किसी गतिविधि के रिक्त पड़े थे, 249 भूखण्डो में निर्माण कार्य चल रहा था

जबकि 36 भूखण्डों में उत्पादन प्रारम्भ हो गया था लेकिन अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण सम्बंधित कार्यालय द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका।

नीचे दी गयी तालिका, 31 मार्च 2018 को, 547 दोषी आवंटितों से सम्बन्धित भूखण्डों की, आवंटन की अवधि, निर्धारित उत्पादन प्रारम्भ करने की वास्तविक/विस्तारित अनुसूची एवं प्रारम्भिक/आगे समय विस्तार की स्थिति को इंगित करती है।

(संख्या में)

आवंटित भूखंडो पर गतिविधि की स्थिति	कुल भूखंड	अवधि जिसमें इन भूखंडो का आवंटन किया गया	अवधि जिसमें आवंटन विस्तार आदेश में उत्पादन प्रारम्भ करना अनुसूचित था	भूखंड जिनमें समय विस्तार दिया गया	भूखंड जिन पर विस्तार अवधि भी समाप्त हो गई	भूखंड जिनमें प्रारम्भिक स्तर आगे समय विस्तार नहीं मांगा गया
1	2	3	4	5	6	7 (2-5+6)
भूखंड बिना किसी गतिविधि के रिक्त हैं	262	मई 1985 से फरवरी 2015	सितम्बर 1996 से मार्च 2018	94	57	225
निमार्णाधीन भूखंड	249	अगस्त 1983 से अगस्त 2014	फरवरी 1994 से मार्च 2018	116	96	229
भूखंड जिनमें निर्माण गतिविधी प्रारम्भ हो गई परन्तु सत्यापन नहीं हो सका	36	जून 1990 से जुलाई 2014	मार्च 2013 से मार्च 2018	18	13	31
कुल	**547**			**228**	**166**	**485**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 262 भूखण्ड बिना किसी गतिविधि के रिक्त पडे हैं एवं 249 भूखण्डों में निर्माण गतिविधि चल रही है, इनमें से क्रमशः 85.88 प्रतिशत एवं 91.97 प्रतिशत आवंटितों ने उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ करने के वास्तविक/विस्तारित अनुसूची के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी प्रारम्भिक स्तर/आगे समय विस्तार नहीं मांगा था। इसके अतिरिक्त, 36 भूखण्ड ऐसे थे जिनमें उत्पादन प्रारम्भ हो गया था लेकिन सत्यापित नहीं हुआ था, 86.11 प्रतिशत भूखण्ड आवंटितो ने उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ करने के वास्तविक/ विस्तारित अनुसूचित समय के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आगे/प्रारम्भिक समय विस्तार नहीं मांगा था।

हमने पाया कि कम्पनी ने बिना आगे समय विस्तार चाहे, अनुसूचित समय/विस्तार अवधि में उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ ना करने वाले दोषी आवंटितों के विरूद्ध शीघ्र एवं समय पर कार्यवाही नहीं की। कम्पनी ने मार्च 2018 से पहले उत्पादन प्रारम्भ करने का दावा करने के प्रकरणों में, उत्पादन गतिविधी का शीघ्र सत्यापन, सुनिश्चित करने के लिये आवंटितों से उत्पादन प्रारम्भ करने के समर्थन में वांछित अभिलेख लेने के उचित प्रयास नहीं किये।

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि समय पर आवंटित भूखण्डों के उपयोग सुनिश्चित करने एवं दोषी आवंटितों के आवंटित भूखण्ड निरस्त करने के लिये कम्पनी में निर्धारित प्रक्रिया है एवं इसके लिये आवधिक निर्देश जारी किये जाते हैं। हालांकि,वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण भूखण्ड को निरस्त करने की कठोर कार्यवाही उचित नहीं होगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने दोषी आवंटितो के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही नहीं की एवं आवंटितो से वांछित अभिलेख प्राप्त उत्पादन प्रारम्भ करना सत्यापित नहीं किया।

5.1.9 *अदेय समय विस्तार एवं अप्रयुक्त भूखंडो का आवंटन रद्द नहीं करना*

नियम 24 (1) में प्रावधान है कि आवंटन पत्र/लीज डीड में वर्णित नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन पर भूखंड का आवंटन रद्द किया जा सकता है। इकाई प्रमुख, निर्माण एवं उत्पादन गतिविधियों की निगरानी के लिये उत्तरदायी है एवं आवंटन पत्र/लीज डीड की नियमों एवं शर्तों की अनुपालना ना होने की स्थिति में उन्हे आवंटन रद्द करने का अधिकार है। चूक को प्रतिधारण शुल्क के भुगतान के बाद ही माफ किया जा सकता है।

हमने निम्न प्रकरणों में पाया कि आवंटितों ने आवंटन-पत्र के नियम व शर्तों की अनुपालना नहीं की थी जैसे अनिसूचित समय के अन्दर निर्माण गतिविधि पूर्ण करना, समझौते में निर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त भूखंण्ड का उपयोग करना, प्रतिबद्ध निवेश, पर्यावरण मंजूरी एवं स्थापना की सहमति हेतु आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना एवं प्रस्तावित गतिविधियों को प्रारम्भ ना करना। फिर भी कंपनी द्वारा आवंटन रद्द नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त, बिना किसी उचित कारण के अदेय समय विस्तार दिये गये।

(अ) मैसर्स ऐलन कैरियर इंस्टीट्यूट

कंपनी ने चार भूखंण्ड मूल आवंटी से **मैसर्स ऐलन कैरियर इंस्टीट्यूट** (आवंटी) को औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोग[8] के लिये हस्तांतरित (मई 2002 से सितंबर 2004) किये थे जिनकी निर्धारित पूर्णता अवधि मई 2005 एवं सितम्बर 2006 के मध्य थी। हालांकी यह देखा गया कि कंपनी ने सभी चार भूखंड़ो की उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ करने की अवधि क्रमशः जुलाई 2018, फरवरी 2018, जनवरी 2019 एवं जनवरी 2019 तक विस्तारित (अप्रैल 2006 से जून 2017) की थी।

हमने आगे देखा कि आवंटी ने इन भूखंडो पर निर्माण कार्य नहीं किया था एवं इन भूखंडो को हस्तान्तरित करने की तिथि से 13 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी सभी चार भूखंड रिक्त (मार्च 2018) थे। इनके अतिरिक्त, हमने कंपनी की निम्न कमियों को भी देखा:

- इकाई कार्यालय कोटा ने देखा (जून 2008 एवं अप्रैल 2009) कि आवंटी दो भूखंडो (एसपीएल-एच-1 एवं ई-18) पर विवाह समारोह गतिविधि (उत्सव वाटिका) का संचालन कर रहा था एवं तीसरे भूखण्ड का प्रयोग (एसपीएल-1) अपेक्षित उद्देश्य के स्थान पर वाहनों की पार्किंग के लिये किया जा रहा था। हालांकि, इकाई कार्यालय ने केवल एक भूखंड (ई-18) का आवंटन रद्द (अप्रैल 2009) किया था। इसके अतिरिक्त इकाई कार्यालय ने भूमि की लागत को वापस कर निरस्त भूखंड (ई-18) का कब्जा हासिल करना सुनिश्चित नहीं किया था। आगे यह देखा गया कि तत्पश्चात जून 2014 में ई-18 भूखंड का आवंटन बहाल कर दिया गया था। इन भूखंडो का आवंटन पत्र में वर्णित प्रयोजनो के लिए उपयोग न होने पर भी, कंपनी ने बिना किसी न्यायसंगत आधार पर लगातार विस्तार प्रदान किया था एवं भूखंडो का प्रयोग अधिकृत गतिविधि के लिये प्रतिबंधित नहीं किया था।
- कंपनी ने एक भूखंड (ई-18) के प्रतिधारित प्रभारों की वसूली औद्योगिक दर से की थी जबकि भूखंड का प्रयोग वाणिज्यिक गतिविधि के लिये किया जा रहा था। इस प्रकार ₹ 38.77 लाख की कम वसूली हुई थी।
- इकाई कार्यालय कोटा ने 2010-16 के दौरान दूसरे भूखंड (एफ-24) की, इसके पश्चात भी कि उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ करने की निर्धारित अवधि सितम्बर 2006 में समाप्त हो गई थी, कोई साईट रिपोर्ट नहीं ली, ना कारण बताओ नोटिस (एससीएन)जारी किया एवं निरस्त करने की भी कोई कार्यवाही नहीं की थी । यह निगरानी तंत्र को कमजोर होना दर्शाता है। आगे, भूखंड की

8 ई-18(डाटा प्रोसेसिगं यूनिट) एवं एफ-24 (कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिगं यूनिट) औद्योगिक प्रयोग के लिये, एसपीएल-एच1 (होटल गतिविधी) एवं एसपीएल-1 (अस्पताल सेवा) वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये ।

विस्तारित अवधि भी फरवरी 2018 में समाप्त हो गई थी।

आगे दिये गये चित्र तीनों भूखंडो (ई-18, एसपीएल-एच-1, एवं एसपीएल-1) का अनधिकृत उद्देश्यों के लिये उपयोग दर्शाते हैं:





ई-18 एवं एसपीएल-एच1 पर विवाह स्थल के लिए उद्यान विकसित किया एवं एसपीएल-1 पर वाहनों की पार्किंग

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि कंपनी ने प्रथम भूखंड (ई-18) के लिये प्रतिधारण शुल्क वाणिज्यिक दर से वसूल नहीं किये थे क्योंकि इन भूखंड पर 31 मार्च 2015 के बाद कोई वाणिज्यिक गतिविधियाँ नहीं हो रही थी। हालांकि, 18 मई 2005 से 31 मार्च 2015 तक प्रतिधारित प्रभारों की वाणिज्यिक दर पर वसूली ना करने के संबंध में उत्तर मौन है। भूखण्ड एसपीएलएच-1 एवं एसपीएल-1 में सरकार का कहना है कि विस्तारित अवधि (18 जनवरी 2018) में वाणिज्यिक गतिविधी प्रारम्भ करने के लिये सतर्कता सूचना (15 जून 2018) जारी कर दिया है एवं 18 जनवरी 2018 तक अनुमत उद्देश्य के लिये प्रयोग ना करने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। चतुर्थ भूखंड (एफ-24) के संबंध में, सरकार ने कहा कि आवंटन पत्र में उल्लेखित निर्धारित समय अवधि केवल प्रतीकात्मक थी चूंकि मूल आवंटी ने मेसर्स ऐलन कैरियर इंस्टीट्यूट को लीज अधिकारों के हस्तांतरण से पहले आवंटित भूखंड पर उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ कर दी थी एवं उस समय हस्तान्तरिती द्वारा उत्पादन गतिविधि को फिर से प्रारम्भ करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवंटी को निर्धारित समय में भूखंड पर उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ करना एवं आवंटन पत्र में वर्णित प्रयोजनो के लिये ही भूखण्ड का उपयोग करना आवश्यक था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप अनेक समय विस्तार दिये जाने के पश्चात भी 13 वर्ष से अधिक अवधि के लिये भूखंड अप्रयुक्त रहे एवं कंपनी इन भूखंडो का उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सकी थी।(क्रोटा शुक्रवार)

(ब) मेसर्स जेबीएस अलॉय

कंपनी ने दो भूखंडो (एस सी 227 एवं 228) को संयुक्त (जनवरी 2011) किया था एवं उन्हें (कुल माप 181706 वर्ग मीटर) मेसर्स जेबीएस अलायज (आवंटी) को आवंटित किया था। इन भूखंडो पर उत्पादन गतिविधि अक्टूबर 2013 तक प्रारम्भ होनी चाहिये थी। हालांकि, आवंटी ने निर्धारित तिथि तक उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं की थी एवं कंपनी ने आवंटी को एक कारण बताओ नोटिस जारी (अक्टूबर 2013) किया था। आवंटी ने आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति की प्राप्ति ना होने के आधार पर प्रतिधारण शुल्क लगाये बिना 31 दिसम्बर 2017 तक का समय विस्तार मांगा था। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कमिटी (आईडीसी) ने परियोजना के लिये राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनो के अनुकूलित पैकेज एवं पर्यावरण स्वीकृति की प्राप्ति ना होने को दृष्टिगत रखते हुये 19 अक्टूबर 2013 से संबंधित प्राधिकारी द्वारा सहमति जारी करने की तिथि से दो वर्ष तक का समय विस्तार बिना प्रतिधारण शुल्क लगाये प्रदान (मई 2014) किया था।

हमने देखा कि मार्च 2018 तक आवंटी ने ना तो अग्रिम समय विस्तार की अनुमति चाही थी एवं ना ही उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ की थी। आवंटी ने कंपनी द्वारा जारी नोटिसों का भी उत्तर नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, आवंटी ने पर्यावरण स्वीकृति की प्राप्ति, स्थापना की सहमति एवं परियोजना मे किये गये निवेश से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किये थे। हमने अवलोकन किया कि कंपनी ने समय विस्तार की निर्बाध अनुमति दी थी जो कि सम्बन्धित प्राधिकारी से सहमति जारी करने से दो वर्ष के लिये थी। कंपनी ने परियोजना के लिये आवंटी की प्रतिबद्धता सुनिश्चित किये बिना ही प्रतिधारण शुल्क की माफी प्रदान की थी। कंपनी ने उत्पादन प्रारम्भ होने के लिये मूलरुप से निर्धारित अवधि की समाप्ति से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी आवंटन रद्द नहीं किया था जबकि आवंटी ने आवश्यक अभिलेख कंपनी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये थे।

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि आवंटी ने पर्यावरण स्वीकृति हेतु किये गये प्रयासों एवं संबंधित

अधिकारी से सहमति जारी किये जाने के साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। सरकार ने आगे आश्वासन दिया कि प्रकरण की जांच की जायेगी तथा तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। आगे की प्रगति लम्बित थी **(नवम्बर 2018)। (आबू रोड ईकाई)**

5.1.10 *प्रतिधारण शुल्क/भूमि की अतिरिक्त लागत में अदेय छूट*

संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान चुने गये प्रकरणों में से, सात प्रकरण देखे गये जिनमें आवंटितो ने अनुसूचित समय/विस्तारित अवधि में निर्माण /उत्पादन/ गतिविधियां पूर्ण नहीं की एवं न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश सुनिश्चित नहीं किया था। आवंटन के पाँच प्रकरणों में, आवंटितो ने आगे समय विस्तार के लिये आवेदन तक नहीं किया। इनमें आवंटन के दो प्रकरण नियम 3 (डब्ल्यू) के थे जिनमें आवंटी ने अनुसूचित न्यूनतम निवेश सुनिश्चित नहीं किया एवं दो प्रकरण ऐसे थे जिनमें आवंटितो ने समय विस्तार के लिये आवेदन किया था, परन्तु देय प्रतिधारित प्रभार ₹ 1.28 करोड़ मार्च 2018 तक जमा नहीं कराये थे। जिसके परिणामस्वरूप **अनुबंध-20** में दर्शायेनुसार ₹ 13.93 करोड़ प्रतिधारण शुल्क की वसूली नहीं हुई थी।

नियम 3 (डब्ल्यू) में आवंटित दो प्रकरणों में सरकार ने बताया (जुलाई 2018) कि पहले प्रकरण (जेबीएम ऑटो लिमिटेड) में आवंटन मई 2012 से पहले हुआ था, जब निवेश के मापदण्ड के आधार पर नियम 3 (डब्ल्यू) के तहत आवंटित भूखण्ड पर उत्पादनरत माना जाये, का मापदण्ड प्रारम्भ हुआ। आवंटी ने आवश्यक न्यूनतम निर्माण पूर्ण करते हुए विस्तारित समयावधि के भीतर परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ कर लिया था। आईडीसी ने ऐसे ही एक प्रकरण सनसिटी शीट प्राइवेट लिमिटेड की समीक्षा के उपरांत, आईडीसी के निर्णय (मई 2012) से पूर्व आवंटित सभी प्रकरणों जिसमें निवेश को उत्पादन प्रारम्भ करने का मापदंड माना गया था, यह ध्यान में रखते हुए कि क्या संबंधित आवंटी को निर्णय एवं इसकी प्रयोज्यता समय पर संप्रेषित हुई थी, को जांच के निर्देश (फरवरी 2018) दिये। इसके बाद यह प्रकरण भी तदनुसार आईडीसी द्वारा लिए गए सामान्य पॉलिसी निर्णयानुसार जांच किया जा रहा है। द्वितीय प्रकरण में, सरकार ने स्वीकार (जुलाई 2018) किया कि आवंटी ने न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश के साथ उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी एवं आवंटी के विरुद्ध आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आवंटी ने निर्धारित अवधि में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी, कंपनी को आगे समय विस्तार देते समय पुनरीक्षित नियमों के अनुसार जो कि समय विस्तार के समय विद्यमान थे, यह निर्दिष्ट करते हुए, एक निश्चित शर्त डालनी चाहिये थी कि उल्लेखित प्रतिबद्ध निवेश के पूर्ण होने पर ही उत्पादन प्रारम्भ हुआ माना जायेगा, जो कि कंपनी द्वारा इन दो प्रकरणों में नहीं किया गया।

तीन प्रकरणों मे, सरकार ने स्वीकार (जुलाई 2018) किया कि रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी एवं आवंटन निरस्त करने के लिए कार्यवाही की जाएगी जबकि पुष्पा इंडस्ट्रीज ने जुलाई 2018 में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ कर दी थी एवं उत्पादन के सत्यापन के उपरांत देरी को नियमित करने का निर्णय लिया जाएगा। नीमराणा एज्यूकेशन एवं रिसर्च चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई थी क्योंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि स्वीकार्य नहीं था क्योंकि न्यायालय ने प्रतिधारण शुल्क की वसूली/आवंटन के निरस्तीकरण पर कोई भी स्थगन नहीं लगाया था। आवंटन के शेष दो प्रकरणों में सरकार ने स्वीकार (जुलाई 2018) किया कि इन आवंटितो ने उत्पादन गतिविधि

प्रारंभ नहीं की थी एवं यदि आवंटी प्रतिधारण शुल्क जमा नहीं करवायेंगे तो आवंटन निरस्तीकरण के लिए कार्यवाही की जाएगी।

उपर्युक्त वर्णित सात प्रकरणों के अतिरिक्त, हमने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखे:

- चार[9] प्रकरणों जिनमे आवंटितो ने निर्धारित नियमों के अनुसार प्रतिधारण शुल्क/भूमि की अतिरिक्त लागत के ₹ 16.80 करोड़ जमा नहीं करवाए।
- एक प्रकरण (अर्थात मैसर्स बी. के. गियर्स प्राइवेट लिमिटेड) जहां पर कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क/भूमि की अतिरिक्त लागत की वसूली राशि की गणना नहीं की थी।
- एक प्रकरण (अर्थात मैसर्स स्ट्राइड ऑटो पार्टस लिमिटेड) जहां कंपनी को न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश की गणना में पूँजीगत अग्रिमों को सम्मिलित करने के कारण प्रतिधारण शुल्क/भूमि की अतिरिक्त लागत में ₹ 3.87 करोड़ की अनुचित छूट प्रदान की थी।

इन महत्वपूर्ण प्रकरणों का विस्तृत विवरण **अनुबंध–21** में दिया है।

5.1.11 *प्रतिधारण शुल्क की कम वसूली*

निम्न दो प्रकरणों में कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क की वसूली हेतु नियमानुसार सही प्रावधान/दर लागू नहीं की थी जिसके परिणामस्परूप प्रतिधारण शुल्क ₹ 3.86 करोड[10] कम वसूली/ वसूली नहीं हुई थी:

(अ) मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड

मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड (आवंटी) को वाणिज्यिक/सिटी सेंटर के लिये औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी में एक वाणिज्यिक भूखण्ड का आवंटन (जुलाई 2005) किया गया। आवंटी को भूखण्ड 5 अक्टूबर 2008 तक प्रयोग करना आवश्यक था। आवंटी, निर्धारित समयावधि के अन्दर निर्माण गतिविधि को पूर्ण करने एवं भूखण्ड का प्रयोग करना सुनिश्चित नहीं कर सका। आवंटी की प्रार्थना (अप्रैल 2008) पर कंपनी ने प्रतिधारित प्रभारों ₹ 38.11 लाख के भुगतान करने पर जुलाई 2010 तक समय विस्तार (फरवरी 2010) दे दिया। कंपनी ने आगे फिर प्रतिधारित प्रभारों ₹ 43.55 लाख का भुगतान करने पर जुलाई 2012 तक समय विस्तार (अक्टूबर 2011) दे दिया। हालांकी आवंटी निर्माण गतिविधि को 15 सितम्बर 2014 में पूर्ण कर सका एवं आगे समय विस्तार के लिये प्रार्थना (जून 2014 एवं दिसम्बर 2014) की। इकाई कार्यालय ने प्रतिधारित प्रभारों ₹ 146.99 लाख के भुगतान करने पर निर्माण पूर्ण होने की तिथि तक पुनः समय विस्तार (मार्च 2015) दिया।

हमने देखा कि कंपनी ने समय विस्तार अवधि (अक्टूबर 2008 से सितम्बर 2014 तक) के लिये अनुचित दर से प्रतिधारित प्रभार लगाये एवं नियमानुसार ₹ 405.58[11] लाख के स्थान पर ₹ 228.65 लाख ही वसूल किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 176.93 लाख की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, प्रबन्ध निदेशक समय विस्तार के लिये सक्षम प्राधिकारी था जिसको भी सुनिश्चित नहीं किया गया।

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि प्रतिधारित प्रभारों की कम वसूली के प्रकरण की जाँच की जायेगी एवं तदनुसार वसूली कर ली जायेगी। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित **(नवम्बर 2018)** है। **(भिवाड़ी–I इकाई)।**

9 मैसर्स बिड़ला कॉरपोरेशन (₹ 1.06 करोड़), मैसर्स फिनप्रोजेक्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (₹ 4.58 करोड़), मैसर्स संधार टेक्नॉलोजिज लिमिटेड (₹ 10.30 करोड़) एवं मैसर्स जूक्किनी इंडिया आर एंड डी कैमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड (₹ 0.86 करोड़)।

10 मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड (₹ 1.77 करोड) एवं मेसर्स राजटेक ऑटोमोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड (₹ 0.48 करोड़ + ₹1.61 करोड़ = ₹ 2.09 करोड)

11 क्रमशः 0.50 प्रतिशत, 0.50 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 0.75 प्रतिशत, एक प्रतिशत एवं दो प्रतिशत से गणना की गई ।

(ब) मैसर्स राजटेक ऑटोमोटिव्ज प्राईवेट लिमिटेड

मैसर्स राजटेक ओटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड (आवंटी) को नियम 3 (डब्ल्यू) के अन्तर्गत ऑटोमोबाइल पार्टस के उत्पादन के लिये एक भूखण्ड आवंटित (जुलाई 2007) किया गया। आवंटी को ₹ 25.00 करोड़ के वाणिज्यिक निवेश के साथ 19 अगस्त 2011 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ करना था। आवंटी निर्धारित समय सारणी के अंदर उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं कर सका। आवंटी ने औद्योगिक से भण्डारण के लिये उपयोग बदलने की प्रार्थना सहित दिसम्बर 2013 तक समय विस्तार (अप्रैल 2012) मांगा। इकाई कार्यालय ने प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित (सितम्बर 2012) किया एवं कहा कि भूखण्ड अभी रिक्त है एवं आवंटी ने भूखण्ड को भण्डारण के लिये प्रयोग करने के लिये समय विस्तार मांगा है जो कि नियमानुसार अनुज्ञेय नहीं है। मुख्यालय के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2012) इकाई कार्यालय ने क्रमशः 7 नवम्बर 2012 एवं 19 नवम्बर 2012 को भूखण्ड का आवंटन रद्द कर दिया एवं स्वामित्व ले लिया। मगर इकाई कार्यालय ने भूमि की लागत वापिस करना सुनिश्चित नहीं की। आवंटी के पुनः आवेदन (नवम्बर 2012) करने पर कंपनी ने, प्रतिधारित प्रभारों ₹ 66.53 लाख का भुगतान (अप्रैल 2013 एवं जून 2013) करने पर नवम्बर 2014 तक का समय विस्तार दे दिया (मार्च 2013)। फिर भी आवंटी मार्च 2018 तक प्रतिबद्ध निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं कर सका।

हमने पाया कि कंपनी ने प्रतिधारित प्रभारों की वास्तविक वसूलने योग्य राशि ₹ 114.21 लाख के स्थान पर केवल ₹ 66.53 लाख ही वसूल किये इस प्रकार लागू नियमों के अन्तर्गत ₹ 47.68 लाख की कम वसूली हुई है। विस्तारित अवधि में उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ ना करने के पश्चात भी कंपनी ने आवंटन को रद्द करने की/ आवश्यक प्रतिधारित प्रभारों ₹ 161.51 लाख की वसूली करके आगे समय विस्तार देने की कोई कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि क्योंकि आवंटी आवश्यक अभिलेख जमा कराने में असफल रहा था, कंपनी ने आवंटन को रद्द करने का निर्णय लिया एवं इस संबंध में आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी (जून 2018) किया। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित **(नवम्बर 2018)** है। **(भिवाड़ी–II इकाई)।**

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन, राजस्थान सरकार (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 1) ने निर्माण/उत्पादन गतिविधियों की प्रगति का निरीक्षण एवं परिणामस्वरूप प्रतिधारित प्रभारों की विलंब से वसूली / अवसूली मे प्रणालीगत दोषों पर प्रकाश डाला था। वर्तमान अध्ययन में यही बताया है कि इसी तरह की कमियाँ अभी भी विद्यमान हैं। कंपनी ने आवंटितो को शीघ्रता से नोटिस जारी किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जिन्होंने निर्माण गतिविधियाँ पूर्ण करने एवं/अथवा उत्पादन गतिविधियाँ प्रारंभ करने मे चूक की थी। इकाई कार्यालयों ने निगरानी के लिये एवं अनुसुची के अनुसार आवंटितो द्वारा, निर्माण एवं उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने को सुनिश्चित करने हेतु उचित डाटाबेस नहीं बनाया था। ऐसे प्रकरण देखे गये हैं जिनमे कंपनी ने नियमानुसार प्रतिधारण शुल्क की वसूली नहीं की थी एवं प्रतिधारण शुल्क की बिना उचित कारणों के माफ/कम वसूली की थी। कंपनी ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को प्रबंध करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी समाधान लागू करने हेतु कदम उठाये हैं, परन्तु मॉड्यूल्स के एकीकरण ना होने से प्रणाली वास्तव मे कंपनी की दक्षता में वृद्धि हेतु योगदान नहीं कर रही है।

हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी को यह सुनिश्चित करने हेतु कि उद्यमी निर्माण पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारंभ करने हेतु समय अनुसूची का पालन करते हैं, के लिए एक कुशल एवं प्रभावी प्रणाली की रचना करनी चाहिये। कंपनी को नियमानुसार समय विस्तार स्वीकार करना चाहिये, वांछित प्रतिधारण शुल्क लगाना चाहिये एवं दोषी उद्यमियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये। कंपनी को चाहे गये उद्देश्यों की पूर्ति

हेतु प्राथमिकता पर विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगो के अधूरे माड्यूलस को पूर्ण करने हेतु त्वरित कदम उठाने चाहिये ताकि इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

5.2 भूमि की लागत से नीचे अनुचित आवंटन के कारण परिहार्य हानि

उद्योग विभाग के निर्णय के आधार पर भूमि के रियायती दर पर आवंटन के कारण रीको को ₹ 4.50 करोड़ की परिहार्य हानि।

राजस्थान सरकार (जीओआर) के प्रतिनिधियों[12] (उद्योग विभाग सहित) एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) की श्री वल्लभ पिट्टी ग्रूप (एसवीपीजी) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक (18 मार्च 2015) हुई, जिसमें सैद्धान्तिक रूप में निम्न निर्णय लिये गयेः

- एसवीपीजी को औद्योगिक क्षेत्र धनोदी, झालावाड़ में ₹ पाँच करोड़ की एकमुश्त राशि में 25 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि आवंटित करना।
- रीको औद्योगिक क्षेत्र, धनोदी में हुए वास्तविक स्पर्च का आंकलन करेगा एवं प्रति वर्ग मीटर की दर की गणना के बाद 25 हेक्टेयर भूमि की लागत की गणना की जायेगी। यदि वास्तविक लागत ₹ पाँच करोड़ से अधिक है तो उसकी प्रतिपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जायेगी।
- एसवीपीजी लाभ प्राप्त करने के लिये अनुकूलित पैकेज जैसे ब्याज अनुदान, भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क एवं विद्युत शुल्क से छूट आदि के लिये आवेदन करेगा एवं प्रस्ताव का अनुमोदन निवेश संवर्धन ब्यूरो एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णयों पर, राजस्थान सरकार/रीको के यथोचित स्तर से अनुमोदन लिया जाना था।

एसवीपीजी ने तद्नुसार झालावाड़ में ₹ 1000 करोड़ का एक टेक्सटाईल प्रोजेक्ट लगाने के लिये रीको को अपनी चार समूह कंपनियों[13] के पक्ष में 25 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के लिये चार आवेदन (19 मार्च 2015) किये। एसवीपीजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रीको ने संबद्ध औद्योगिक क्षेत्र को पुर्ननियोजित (20 मार्च 2015) किया एवं क्षेत्र में मार्च 2015 तक हुए वास्तविक एवं प्रतिबद्ध व्यय के आधार पर लागत आंकलन को पुनरीक्षित करके ₹ 13.19 करोड़[14] से घटाकर ₹ 12.86 करोड़ कर दिया। पुनरीक्षित लागत आंकलन के आधार पर क्षेत्र की भूमि आवंटन की दर को ₹ 600 प्रति वर्ग मीटर से घटाकर ₹ 380 प्रति वर्ग मीटर कर दिया। तद्नुसार, प्रस्तावित आवंटन की कुल लागत ₹ 9.50 करोड़[15] बनती थी। संशोधित योजना एवं लागत मूल्यांकन के संदर्भ में रीको ने भूमि आवंटन के लिये विद्यमान

12 राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव (सीएस), प्रधान सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (उद्योग), वित्त सचिव (राजस्व) एवं कंपनी (रिको) के सलाहकार (ईन्फ्रा)।

13 श्री वल्लभ पिट्टी उद्योग लिमिटेड, आकाश गंगा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, प्लेटिनम टेक्सटाईल लिमिटेड एवं एसवीपी ग्लोबल वेंचर लिमिटेड।

14 पीडब्ल्यूडी, बीएसआर-2012 (सिविल निर्माण कार्य) एवं पीडब्ल्यूडी, बीएसआर-2008 (विद्युत कार्य) के आधार पर मई 2013 में क्षेत्र की अनुमानित लागत निकाली गई।

15 ₹ 380 प्रति वर्ग मीटर की दर से 250107.81 वर्ग मीटर।

नियमों/प्रकियाओं[16] में ढील देते हुए अधिमान्य आधार पर एसवीपीजी की चार समूह कंपनियों के पक्ष में 25 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने एवं ₹ 4.50 करोड़ की अंतर लागत की प्रतिपूर्ति के लिये राजस्थान सरकार से अनुरोध करने का निर्णय (25 मार्च 2015) लिया। तदनुसार रीको ने (26 मार्च 2015) एसवीपीजी की चार समूह कंपनियों के पक्ष में ₹ पाँच करोड़[17] में 250107.81 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने के आदेश जारी किये।

अंतर लागत की प्रतिपूर्ति के प्रकरण की स्टेट एम्पॉवरड कमेटी[18] (एसईसी) में चर्चा (15 अप्रैल 2015) की जिसमें एसईसी ने अंतर लागत की प्रतिपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा अनुकूलित पैकेज के तहत करने की संस्तुति की। हालाँकि, राज्य मंत्रिमंडल के आदेश (3 जून 2015) के अन्तर्गत, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने रीको को आवंटित भूमि की अंतर लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिये अनुमति नहीं दी।

राजस्थान सरकार के अनुमोदन के अभाव में रीको ने ₹ 4.50 करोड़ की अंतर लागत को एसवीपीजी की चार समूह कंपनियों से वसूली करने का निर्णय लिया (30 अक्टूबर 2015) एवं तदनुसार माँगे जारी की गई (नवम्बर 2015 एवं जनवरी 2016)। परंतु एसवीपीजी की इन चार समूह कंपनियों ने माँग राशि जमा नहीं कराई। तत्पश्चात एसईसी ने (17 जून 2016) रीको को स्वयं इस अंतर लागत को वहन करने की अनुशंसा की एवं एसईसी की यह अनुशंसा राज्य मंत्रिमंडल, राजस्थान सरकार से अनुमोदित (3 अगस्त 2016) थी। रीको ने तदनुसार, एसवीपीजी की चार समूह कंपनियों को ₹ 4.50 करोड़ की अंतर लागत की जारी की गई माँग वापिस (अक्टूबर 2016) ले ली एवं अंतर लागत की ₹ 4.50 करोड़ की राशि को अपने लेखों में अपलिखित करने का निर्णय (दिसम्बर 2016) लिया।

हमने देखा कि एसवीपीजी को, ₹ पाँच करोड़ की एकमुश्त राशि में भूमि आवंटन करना एवं यदि वास्तविक लागत ज्यादा आती है तो उसकी प्रतिपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा रीको को किया जाने का निर्णय (18 मार्च 2015) सैद्धांतिक रूप से रीको एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग (उद्योग विभाग) के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लिया गया था। हमने अवलोकन किया कि वास्तविक लागत का अवलोकन किये बिना ₹ पाँच करोड़ की एकमुश्त राशि में भूमि आवंटन करने का वायदा किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के पश्चात भी कि राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (आरआईपीएस) 2014 में रियायती दर पर भूमि देने का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं था, लागत से नीचे भूमि आवंटन करने का प्रतिबद्धता जिसमें अंतर लागत की प्रतिपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जानी थी, पर उद्योग विभाग द्वारा सहमति दी गई। इसके अतिरिक्त एसवीपीजी को वास्तविक कीमत से काफी नीचे मूल्य (52.63 प्रतिशत) पर भूमि के आवंटन के आदेश जारी करने से पहले ना तो विभाग एवं ना ही रीको ने राजस्थान सरकार से अंतर लागत की प्रतिपूर्ति की पूर्व स्वीकृति सुनिश्चित की। राजस्थान सरकार को

16 समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना, लॉटरी द्वारा भूमि/जमीन का आवंटन एवं 60 प्रतिशत से ज्यादा बिक्री योग्य भूमि होने पर नीलामी प्रकिया को अपनाना ।

17 ₹ 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से 250107.81 वर्ग मीटर ।

18 स्टेट एम्पावरड कमेटी, एक चेयरमैन (राज्य सरकार का मुख्य सचिव), 11 सदस्य (अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ राज्य सरकार के आठ विभागों के सचिव जैसे वित्त, वन एवं पर्यावरण, शहरी विकास एवं गृह विकास, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, खान एवं पेट्रोलियम, राजस्व, ऊर्जा विभाग, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव, रिको का प्रबन्ध निदेशक एवं आयुक्त-उद्योग) एवं एक सदस्य सचिव (आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन) से मिलकर बनती है।

अंतर लागत की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिये देरी से संपर्क किया गया। उद्योग विभाग ने वित्त विभाग की सलाह का विरोध नहीं किया कि रीको को भूमि की अतिरिक्त लागत वहन करनी चाहिये। विभाग ने राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (आरआईपीएस) 2014 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होने वाली भूमि को रियायती लागत पर आवंटन करने के मुद्दे को हल नहीं किया। परिणामस्वरूप, रीको को लागत से नीचे भूमि आवंटन के कारण ₹ 4.50 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

उद्योग विभाग (सितम्बर/अक्टूबर 2018) ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि इस औद्योगिक क्षेत्र को मई 2018 में संतृप्त घोषित कर दिया एवं शेष भूमि नीलामी के द्वारा आवंटित की जायेगी। शेष भूमि की आरक्षित दर, क्षेत्र की शेष विकास लागत की वसूली को ध्यान में रखते हुए तय की जायेगी ताकि हानि से बचा जा सके। यह आगे कहा गया है कि रीको 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है एवं रीको के साथ सरकार का उद्देश्य भी राज्य में निवेश को बढावा देकर पिछड़े/अति पिछड़े जिलों में रोजगार पैदा करना है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षेत्र का अधिकांश भाग लागत से कम पर आवंटन करना एवं अंतर लागत को शेष क्षेत्र पर वसूल/भारित करके छोटे उद्यमियों से वसूल करना,राज्य में निवेश को बढावा देने/रोजगार पैदा करने के उद्देश्य के विरूद्ध होगा। रीको का उद्देश्य एकल मुख्य आवंटन से हुई हानि को छोटे उद्यमियों पर अनावश्यक भार डालकर भूमि की लागत को वसूल करना नहीं होना चाहिये।

अनादि मिश्र

(**अनादि मिश्र**)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
25 जून, 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

(**राजीव महर्षि**)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
26 जून, 2019

अनुबंध

अनुबंध-1

(पृष्ठ संख्या 13 पर अनुच्छेद संख्या 1.8, पृष्ठ संख्या 14 पर अनुच्छेद संख्या 1.9 एवं पृष्ठ संख्या 20 पर अनुच्छेद संख्या 1.13 में संदर्भित)

ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य[1]	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ.	उत्पादन								
1	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2017-18	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	-0.04
2	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2017-18	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	-0.04
3	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2017-18	-90.81	-241.45	0.00	370.05	-268.00	-570.59	-940.64
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2017-18	3293.54	607.26	12784.11	9721.45	40463.76	5288.09	-4431.59
5	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2017-18	18.26	9.78	107.77	12.94	169.57	169.57	156.63
	क्षेत्रवार योग		**3220.99**	**375.59**	**12891.88**	**10104.54**	**40365.35**	**4887.09**	**-5215.68**
ब.	प्रसारण								
6	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2017-18	-0.27	-0.27	0.00	0.05	-9.30	-9.30	-9.35
7	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2017-18	-0.02	-1.77	0.00	0.05	-15.26	-15.26	-15.31
8	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2017-18	-0.02	-0.02	0.00	0.05	-2.00	-2.00	-2.05
9	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2017-18	1297.04	195.71	2839.59	4270.73	13766.19	3024.67	-1246.06
	क्षेत्रवार योग		**1296.73**	**193.65**	**2839.59**	**4270.88**	**13739.63**	**2998.11**	**-1272.77**
स.	वितरण								
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	4910.61	1199.08	11285.67	8933.43	-589.00	-20551.94	-29485.37
11	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	5207.92	943.16	16257.44	9625.12	-243.85	-22341.63	-31966.59
12	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	3904.80	30.47	12304.22	8892.03	-2136.63	-22116.53	-31008.53
	क्षेत्रवार योग		**14023.33**	**2172.71**	**39847.33**	**27450.58**	**-2969.48**	**-65010.1**	**-92460.49**
द.	अन्य								
13	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कम्पनी)	2017-18	12.96	8.90	17.43	0.05	19.27	19.27	19.22
14	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	0.00	0.00	9.23	50.00	50.00	50.00	0.00
15	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	क्षेत्रवार योग		**12.96**	**8.90**	**26.66**	**50.05**	**69.27**	**69.27**	**19.22**
	कुल योग		**18554.01**	**2750.85**	**55605.46**	**41876.05**	**51204.77**	**-57055.63**	**-98929.72**

1 निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ एवं हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय का कुल योग होता है। निवल मूल्य ज्ञात करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रकरण में ₹ 1.77 करोड़, ₹ 0.16 करोड़ एवं ₹ 0.03 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय घटाये गये है।

अनुबंध -2

(पृष्ठ संख्या 17 पर अनुच्छेद संख्या 1.12 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा सात ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों में स्थापना से 31 मार्च 2018 तक लगाई निधियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एवीवीएनएल			जेवियिएनएल			जेडिवियिएनएल			आरवियिपीएनएल	आरवीयूएनएल	आरआरईसीएल	आरयूवीएनएल	कुल		
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण
2000-01	150.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	-465.99	432.72	3.65	0.00	380.38*	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00
2002-03	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	79.00	209.00	6.43	0.00	338.43	0.00	0.00
2003-04	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	79.00	159.00	0.76	0.00	282.76	0.00	0.00
2004-05	57.00		0.00	60.00		0.00	55.00		0.00	56.00	120.00	2.00	0.00	350.00		0.00
2005-06	75.50	118.70	0.00	80.00	131.97	0.00	74.00	99.33	0.00	70.00	331.00	0.10	0.00	630.60	350.00	0.00
2006-07	83.00	51.75	0.00	88.00	55.50	0.00	81.00	42.75	0.00	90.00	352.00	0.00	0.00	694.00	150.00	0.00
2007-08	120.00	54.00	0.00	80.00	54.00	0.00	80.00	42.00	0.00	125.00	658.00	0.00	0.00	1063.00	150.00	0.00
2008-09	120.00	90.00	0.00	235.00	90.00	0.00	110.00	70.00	0.00	165.00	706.00	0.00	0.00	1336.00	250.00	0.00
2009-10	160.00	61.20	0.00	230.00	61.20	0.00	0.00	47.60	0.00	240.00	650.00	0.00	0.00	1280.00	170.00	0.00
2010-11	192.29	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	400.00	336.00	0.00	0.00	1540.29	0.00	0.00
2011-12	524.36	295.47	375.65	562.67	391.34	392.67	466.68	308.19	301.68	400.00	521.00	0.00	0.00	2474.71	995.00	1070.00
2012-13	916.66	371.35	0.00	969.18	309.23	0.00	877.16	319.42	0.00	449.00	636.00	0.00	0.00	3848.00	1000.00	0.00
2013-14	910.18	0.00	0.00	901.57	0.00	0.00	1000.25	0.00	0.00	326.00	740.00	0.00	0.00	3878.00	0.00	0.00
2014-15	988.46	70.88	271.85	1041.10	94.50	231.11	968.15	70.87	226.44	370.00	881.50	0.00	0.00	4249.21	236.25	729.40
2015-16	2485.70	70.88	394.97	2726.78	94.50	469.46	2540.18	70.87	401.17	537.16	1144.00	0.00	0.00	9433.82	236.25	1265.60
2016-17	1041.70	0.00	0.00	1108.76	0.00	0.00	1026.62	0.00	0.00	194.56	694.08	0.00	50.00	4115.72	0.00	0.00
2017-18	1078.58	0.00	0.00	1162.06	0.00	0.00	1062.99	0.00	0.00	250.01	296.28	0.00	0.00	3849.92	0.00	0.00
कुल	**8933.43**	**1184.23**		**9625.12**	**1282.24**		**8892.03**	**1071.03**		**3364.74**	**9229.58**	**12.94**	**50**	**40107.84**	**3537.50**	**3065.00**

* यह राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित निवल निवेश/पूंजी को संचित हानियो को घटाने के पश्चात दर्शाता है। आरएसईबी को पांच कम्पनियों में विभाजित करने में कुल व्यय ₹ 376.73 करोड़ (अर्थात पूँजी ₹ 1774.59 करोड़ – आरएसईबी की संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़) + ₹ 3.65 करोड़ (आरआरईसी की प्रारंभिक पूँजी)।

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 36 एवं 80 पर अनुच्छेद 2.9 एवं 3.1.3 में संदर्भित)
आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अन्तर्गत सामग्री के प्रापण के लिए निर्धारित प्रावधानों के क्रियान्वयन में विचलन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. संख्या	विचलन का प्रावधान / मानदण्ड	आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के प्रावधान में विचलन का संक्षिप्त विवरण
1	बातचीत	**आरटीपीपी नियम-2013 के नियम -69** में प्रावधान है कि: (1) एकल स्त्रोत क्रय या प्रतियोगी बातचीत द्वारा क्रय की पद्धति के अतिरिक्त, जहां तक संभव हो, बोली-पूर्व स्तर के पश्चात कोई बातचीत नहीं की जायेगी। (2) हालांकि, बातचीत केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोलीदाता से नियमों में निर्धारित परिस्थितियों में की जा सकेगी। (6) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता से बातचीत असंतोषजनक होने की दशा में, बोली मूल्यांकन समिति, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली दाता की एक लिस्ित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकेगी एवं यदि यह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो समिति बोली को अस्वीकार करने एवं बोलियां पुनः आमंत्रित करने का निश्चय कर सकती है या वही प्रति-प्रस्ताव प्रथमतः दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को, तत्पश्चात तीसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता को एवं इसी प्रकार उनकी प्रारम्भिक स्थिति के क्रम में एवं कार्य/आपूर्ति आदेश उस बोलीदाता को दिया जा सकेगा जो प्रतिप्रस्ताव स्वीकार करता है। यह प्रक्रिया मात्र आपवादिक परिस्थितियों में ही उपयोग में लायी जानी चाहिए। **क्रय नियमावली के पैरा 21** में कहा गया है कि यदि एल-1 बोली लगाने वाले द्वारा दी गई दरें अन्य बातो के साथ-साथ पूर्व में दिये गये इसी तरह के अनुबंध से अधिक है तो एल-1 बोलीदाता के साथ बातचीत की जा सकती है। यदि बातचीत के बाद कम की गई कीमत को अनुचित माना जाता है तो क्रय प्राधिकारी को लागत/ स्वयं अद्यतन कीमत के आधार पर निकाले उचित मूल्य का, सभी बोली लगाने वालों प्रतिप्रस्ताव रखना चाहिये एवं आपूर्ति के आदेशों को प्रति प्रस्ताव स्वीकार करने वाले बोलीदाता को दिया जाना चाहिए।
2	प्रापण प्रक्रिया के लिए समय सीमा	**क्रय नियमावली,** आरटीपीपी नियम 2013 (नियम 40) के अधीन निर्धारित 70 दिनों की समय सीमा के विरूद्ध निविदाओं की वैद्यता (अनुच्छेद 22.8) के लिए 120 दिनों की समय सीमा प्रदान करती है।
3	पुनरादेश	**आरटीपीपी नियम-2013 के नियम-73** में कहा गया है कि पुनरादेशों को मूल अनुबंध के वस्तुओं के मूल्य का 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन आपूर्तिकर्ताओं को दिया जा सकता है। **क्रय नियमावली के वाक्यांश 23** में कहा गया है कि क्रय प्राधिकारी कारणों को उल्लेखित करने के बाद मूल आदेशित मात्रा के 15 प्रतिशत के बराबर मात्रा के लिए समान आपूर्तिकर्ताओं पर पुनरादेशों की नियुक्ति के अनुमोदन का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं सक्षम क्रय समिति की स्वीकृति प्राप्त करता है बशर्ते मूल आदेश की निर्धारित आपूर्ति की अंतिम तिथि से तीन महीने की समाप्ति के बाद ऐसे आदेश नहीं दिए जाएंगे। साथ ही, सीएलपीसी को लिखित में कारणों को अभिलेखित करने के पश्चात मूल आदेशों की मात्रा तक किसी भी मात्रा के क्रय को अनुमोदित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4	आदेश के समय एक से अधिक	**आरटीपीपी नियम-2013 के नियम 74** में यह कहा गया है कि जब यह समझा जाये कि प्राप्त की जाने वाली प्रापण की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है एवं इस संपूर्ण मात्रा का

	बोली लगाने वालों के मध्य मात्रा का आवंटन	प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि प्राप्त की जाने वाली प्रापण की विषयवस्तु गम्भीर एवं महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में मात्रा को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है एवं द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में ओर भी बोली लगाने वालों के मध्य,उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, उचित, पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। **क्रय नियमावली के वाक्यांश 10.23** में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के लिए बोली लगाने वालों के मध्य विभिन्न अनुपातों में मात्रा को वितरित करने का प्रावधान है।
5	सुरक्षा जमा राशि	**जीसीसी के वाक्यांश 1.59** में आपूर्तिकर्ताओं से सुरक्षा जमा के रूप में आदेश मूल्य का 2% स्वीकार करने का प्रावधान है। यद्यपि, **आरटीपीपी अधिनियम-2012/नियम-2013** में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।
6	प्रापण/बोली प्रक्रिया से निकासी पर आपूर्तिकर्ता पर दंड	**आरटीपीपी अधिनियम-2012 की धारा 42 की उपधारा (2)** बोली लगाने वाला जो-(क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात प्रापण प्रक्रिया से हटता है: (स) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात प्रापण प्रक्रिया से हटता है: (ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात प्रापण संविदा करने में असफल होता है (घ) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबंधनों में अपेक्षित, कार्यसंपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है, वह, बोली लगाने वाले दस्तावेजो या संविदा में उपलब्ध साधन के अतिरिक्त ऐसे दंड से दण्डनीय होगा जो पचास लाख रूपये या प्रापण के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा। **कम्पनीयों के जीसीसी** में प्रावधान है (नियम 1.24) कि ईएमडी जब्त/विक्रेता पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं आदेश जारी होने की दिनांक से ऐसी फर्म का अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये व्यापार संबंध विच्छेदित कर दिया जायेगा।
7	बोलियों का स्पष्टीकरण	**आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 60(4)** मे प्रावधान है कि किसी अयोग्य बोली लगाने वाले को योग्य बनाने या किसी गैर-प्रत्युत्तरदायी प्रस्तुतिकरण को प्रत्युत्तरदायी बनाने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए योग्य सूचना या प्रस्तुतीकरण में कोई सारभूत परिवर्तन चाहा, प्रस्तावित, या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। **प्रथा के अनुसार**, कंपनी ने बोली लगाने वालों को योग्य आवश्यकताओं की टिप्पणियों/ कमियों/विचलन को सूचित किया एवं यदि बोली लगाने वाला इसे पूर्ण करता है/ प्रस्तुत करता है तो बोली लगाने वालो को उत्तरदायी माना जाता है।
8	प्रापण प्रबंधन सूचना (एमआईएस) प्रणाली का रस्स-रस्साव	**आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 9** में कहा गया है कि प्रत्येक प्राप्य संस्था प्रापण प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)का विकास और रखरखाव करेगी। आरटीपीपी नियम 2013 में विनिर्दिष्ट प्रावधान होने के पश्चात भी **क्रय नियमावली** में प्रापण प्रक्रिया पर नियंत्रण के लिए एमआईएस के रखरखाव के लिए प्रावधान नहीं किया है ।
9	परीक्षण आदेश	**क्रय नियमावली** में यह कहा गया है कि राजस्थान स्थित आपूर्तिकर्ता यानी नए आपूर्तिकर्ता और साथ ही मौजूदा आपूर्तिकर्ता जो न्यूनतम मात्रा में आपूर्ति किए गए मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे लेकिन पर्याप्त एवं आवश्यक विनिर्माण एवं परीक्षण सुविधा एवं निविदा सामग्री का तकनीकी ज्ञान रखते है, वे परीक्षण आदेश के लिए पात्र है। हालांकि, **आरटीपीपी अधिनियम** में परीक्षण आदेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
10	राजस्थान स्थित फर्मो एवं बाहरी	**आरटीपीपी अधिनियम** में यह प्रावधान है कि उन फर्मो की बोलियों का सारणीकरण करते

	फर्मो की दरों की तुलना	समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए,राजस्थान की फर्मो द्वारा उल्लेखित की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा एवं राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा। **क्रय नियमावली** नेट फ्री ऑन रोड़ (एफओआर) गंतव्य मूल्य (सभी करों और बीमा शुल्कों सहित) के आधार पर दरों की तुलना के लिए प्रदत्त है।

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 41 पर अनुच्छेद 2.12.2 में संदर्भित)

अनुपयोगी शेष रही सामग्री के स्टॉक को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(मात्रा संख्या में/₹ लाख में)

क्रम संख्या	आपूर्तित वस्तु	निविदा संख्या (टीएन)	क्रय आदेश की दिनांक	आदेशित मात्रा	31 मार्च 2018 तक शेष रहा स्टॉक	
					मात्रा	मूल्य
1	33 केवी लाइन डीपी सेट	947	22.01.16	1000	171	13.35
2	11 केवी डिस्क इन्सुलेटर	1185	18.09.15	75000	54076	155.17
3	11 केवी डिस्क इन्सुलेटर के लिए हार्डवेयर फिटिंग	4475	23.03.15	51577	51957	233.52
		1198	12.01.16	40000		
4	एमसीसीबी थ्री फेस 40 एएमपी	970	05.12.15	28789	8200	81.57
5	एमसीसीबी थ्री फेस 32 एएमपी	970	05.12.15	28789	4170[2]	41.48
6	एमसीसीबी सिंगल फेस 135 एमपी	2284	22.08.14	120000	8271	48.70
		970	05.12.15	5344		
7	एमसीसीबी सिंगल फेस 80 एएमपी	970	05.12.15	8226	4669	23.38
	कुल					**597.17**

2 कुल स्टॉक (10072) - आगामी टीएन-1087 में स्टॉक (5902)

अनुबंध-5

(पृष्ठ संख्या 68 पर अनुच्छेद 2.19.11 में संदर्भित)

निष्क्रिय सामग्री के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण -पत्र

केस 1: स्टील स्टे सैट्स के उच्च अंतिम शेष का संधारण

सभी एसीओएस के पास 11528 को 2013 मार्च 31 स्टील स्टे सैट्स (हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड) का शेष था। एसीओएस ने वर्ष 2013-18 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं से 163399[3] स्टील स्टे सैट्स की आपूर्ति प्राप्त की एवं 152314[4] स्टील स्टे सैट्स अपने क्षेत्राधिकार के अधीन उपस्कंडों को जारी किए। इस प्रकार, 22613 स्टील स्टे सैट्स 31 मार्च 2018 को अप्रयुक्त रहे। स्टील स्टे सैट्स की प्राप्ति एवं जारी करने की प्रवृति के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि स्टील स्टे सैट्स की मासिक आवश्यकता के विरुद्ध एसीओएस द्वारा संधारित किए गए अंतिम शेष वर्ष 2013-14 के दौरान 3.30 माह के समान रहे।

हमने अवलोकन किया कि एसीओएस द्वारा संधारित किए गए स्टील स्टे सैट्स के अंतिम शेष वर्ष 2014-18 के दौरान तेजी से बढ़े एवं असाधारण रूप से उच्च रहे क्योंकि उस अवधि के दौरान 10.47 और 48.45 माह उपभोग के मध्य रहा। हमने अवलोकन किया कि कंपनी ने लगातार अपने कोष अवरूद्ध रखे एवं प्रापण के संबंधित वर्ष के स्थान पर प्राप्त स्टील स्टे सैट्स अगले वर्ष में उपयोग किए। तथ्यों से यह भी सिद्ध होता है कि वर्ष 2013-18 के दौरान कंपनी द्वारा संधारितकिए गए अंतिम शेष ₹ 1.84 करोड़[5] और ₹ 4.26 करोड़[6] के मध्य रहे।

केस 2 : एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का उपयोग नहीं होना

एसीओएस अजमेर सिटी के पास 31 मार्च 2006 को 3002 माउलडेड केस सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स (40 एम्पीयर) का शेष था। एसीओएस अजमेर सिटी ने व्रष 2006-07 के दौरान 29 एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की ओर आपूर्ति प्राप्त की। एसीओएस अजमेर सिटी ने मार्च 2018 तक कुल 3031 एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज में से 1126 (वर्ष 2006-07 में 515, वर्ष 2014-15 में 109 और वर्ष 2015-16 में 271) एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज जारी किए। हमने देखा कि 8 वर्षों की अवधि अर्थात 2007-11, 2012-14 एवं 2016-18 के दौरान एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की कोई मात्रा उपयोग नहीं की गई थी एवं शेष 1905 एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज एसीओएस अजमेर सिटी के पास रखे रहे (मार्च 2018)। हमने अवलोकन किया कि 11 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के पश्चात भी एसीओएस ₹ 28.46 लाख की कीमत के शेष 1905 एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। इन बॉक्सेज की समय पर उपयोग की अनुपस्थिति में, गुणवत्ता में गिरावट की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

केस 3: एलटी-सीटी मीटर्स का उपयोग नहीं होना

कंपनी ने जीनस इनोवेशन लिमिटेड को टीएन-819 के अधीन थ्री फेस लो टेंशन करंट ट्रांसफॉर्मर एलटी-सीटी मीटर्स की आपूर्ति का आदेश (अक्टूबर 2015) दिया। क्रयादेश के वाक्यांश 8 के अनुसार, इन मीटर्स की वारन्टी संस्थापन की तिथि से पांच वर्ष अथवा पिछले प्रेषण की प्राप्ति की तिथि से साढे पांच वर्ष, जो भी दोनों में पहले होगी।

हमने देखा कि 2100 एं 2800 एलटी-सीटी मीटर्स की आपूर्ति क्रमशः एसीओएस सीकर और अजमेर सिटी द्वारा

3 2013-14 में 76183, 2014-15 में 75107, 2015-16 में 4332, 2016-17 में 5101 एवं 2017-18 में 2676।

4 2013-14 में 68797, 2014-15 में 50221, 2015-16 में 11250, 2016-17 में 8334 एवं 2017-18 में 13712।

5 मार्च 2014 में 18914 @ ₹ 972.98

6 मार्च 2015 में 43800 @ ₹ 972.98

प्राप्त (मार्च 2016) की गई। तथापि एसीओएस सीकर और अजमेर सिटी मार्च 2018 तक क्रमशः 438 और 837 एलटी-सीटी मीटर्स का उपयोग सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार, इन मीटर्स प्राप्ति के 2 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरांत भी एसीओएस के पास ₹ 96.06 लाख की कीमत के 3625 एलटी-सीटी मीटर्स[7] अनुपयोगी रखे रहे।

केस 4: सामग्री का उपयोग नहीं होना

एसीओएस उदयपुर के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एसीओएस सीकर ने ₹ 26.08 लाख और ₹ 32.95 लाख मूल्य के क्रमशः- सपोर्ट स्ट्रक्चर तथा कंट्रोल एवं रिले पैनल के साथ 12 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एवं सात[8] अन्य मद एसीओएस उदयपुर को हस्तान्तरण किये (जून 2012 और अगस्त 2012)। एसीओएस उदयपुर ने टीएन 1995 के अधीन ₹ 93.34 लाख रुपये की कीमत की संपूर्ण सामग्री उपयोग नहीं की जा सकी (मई 2017)। वितरण प्रणाली में सामग्री का उपयोग करने की संभावनाओं की अनुपस्थिति में, एसीओएस उदयपुर ने सामग्री को दूसरे स्टेट पीएसयू (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा (मई 2017) लेकिन अभिलेखों पर कोई निर्णय नहीं मिला। इस प्रकार, 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी एसीओएस उदयपुर सामग्री का उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सकता एवं मार्च 2018 तक एसीओएस के पास सामग्री शेष रही।

केस 5: टर्नकी ठेकेदारों से गैलवेनाइज्ड आयरन वायर को स्वीकार करना

कंपनी ने गैलवेनाइज्ड आयरन (जीआई) वायर के अलग से क्रय को बंद कर दिया क्योंकि यह एबी केबल के साथ आता था एवं अंतिम बार टीएन-264 के अधीन नवंबर 2007 में जीआई वायर का क्रय किया गया था। डीसीएफ ने डिस्कॉम्स को टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री के रूप में जीआई वायर को स्वीकार नहीं करने के लिए निर्देशित किया (अगस्त 2010)। यद्यपि, कंपनी ने अनुबंध के समय से पूर्व समापन के कारण टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष जीआई वायर स्वीकार करना बंद नहीं किया। डीसीएफ के निर्देशों के उल्लंघन करते हुए टर्नकी ठेकेदारों से स्वीकार की गई कुल जीआई वायर की मात्रा को मांगी हुई सूचना/आंकड़ों के अभाव में पता नहीं लगाया जा सका। हालांकि हमने देखा कि एसीओएस के पास ₹ 2.67 करोड़ की कीमत के 834.44 एमटी (8 एसडब्ल्यूजी) जीआई वायर का कुल अप्रयुक्त सामग्री शेष (मार्च 2017) है। अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि एसीओएस अजमेर सिटी ने डीसीएफ के निर्देशों के उल्लंघन करते हुए अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014 तक ₹ 9.82 लाख मूल्य की 18.56 एमटी जीआई वायर स्वीकार की।

7 कुल प्राप्त मीटर्स (4900)- कुल प्रयुक्त मीटर्स (438+837=1275)

8 केपेसीटर बैंक्स के सपोर्ट स्ट्रक्चर, 11 केवी पिन इनसुलेटर, पावर ट्रांसफॉर्मर, केपेसीटर बैंक्स, बैटरी चार्जर, कंट्रोल एवं रिलेपैनल एवं 12 केवी वीसीबी

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 72 पर अनुच्छेद 2.20.5 में संदर्भित)

टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार करने संबंधित प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

केस:1- स्विच फ्यूज यूनिट्स (एसएफयूज) में अवरूद्ध किये हुये कोष

अभिलेखो की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एफआरपी के अन्तर्गत टर्नकी ठेकों के क्रियान्वयन में कुछ प्रकरणों में एसएफयूज के सीमित उपयोग के कारण टर्नकी ठेकेदारों के पास अधिशेष पड़े रहे एवं तदनुसार कंपनी ने टर्नकी ठेकों के समापन के दौरान ₹ 2.87 करोड़ मूल्य के 1744 थ्री फेज एसएफयूज और ₹ 1.27 करोड़ मूल्य के 3301 सिंगल फेज एसएफयूज को स्वीकार किया । तत्पश्चात, इन एसएफयूज के उपयोग का निर्णय लेने के प्रकरण को तकनीकी समिति के समक्ष रखा (जून 2013) गया । तकनीकी समिति ने 24 घण्टे आपूर्ति वाली शहरी एवं नगरपालिका कस्बों के फीडर्स में थ्री फेज एस एफ यूज तथा केवल आबादी क्षेत्र में सिंगल फेज एसएफयूज को उपयोग करने की अनुशंसा की।

हमने देखा कि कंपनी के द्वारा ठेकेदारों को केवल थ्री फेज एसएफयूज को अनुमत करने के उपरान्त भी सिंगल फेज एसएफयूज को स्वीकार किया। हमने यह भी देखा कि मार्च 2018 तक एसीओएस के पास ₹ 1.24 करोड़[9] मूल्य की कीमत के एसएफयूज अप्रयुक्त पड़े थे जबकि शेष एसएफयूज उपस्खण्डीय स्टोर्स को जारी किये गये थे। आवश्यक सूचना के अभाव में क्षेत्र कार्यालयों को जारी किये गये एसएफयूज का उपयोग की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका है।

सरकार ने उन तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर की चोरी रोकने के कारण एसएफयूज का उपयोग धीमा था और एक महीने के भीतर शेष एसएफयूज का उपयोग करने का आश्वासन दिया। (जुलाई 2018)

केस 2: सीटीएल जांच के बिना अधिशेष सामग्री को स्वीकार करना

डिस्कॉम के अध्यक्ष ने दिशानिर्देश (फरवरी 2009) जारी किए कि सीटीएल जाँच सफल होने के बाद ही टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया जाये । अभिलेखो की समीक्षा के दौरान एक उदाहरण देखा जहाँ टीएन-177 और 179 के अधीन जारी किये गये कार्यादेशों के अनुसार टर्नकी ठेकेदार (जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) द्वारा 16 केवीए डीटीज की आपूर्ति करनी थी । जीपी असफल डीटीज के प्रतिस्थापन के लिए पांच साल की गारण्टी अवधि कार्यादेशो द्वारा प्रदान की गई। हमने देखा कि एसीओएस चित्तौड़गढ़ ने ₹ 0.56 करोड़ मूल्य के 169 अधिशेष डीटीज स्वीकार (मई 2015) किये जिनकी मई 2011 तक आपूर्ति की गई थी। हमने देखा कि कंपनी ने टर्नकी ठेकों के अंतिमीकरण में देरी के कारण अधिशेष डीटी को समय पर जमा करना सुनिश्चित नहीं किया एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई अधिशेष डीटीज को इन डीटीज की आपूर्ति के चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात स्वीकार किया। इसलिए गारण्टी अवधि का अधिकतम समय इन डीटीज के उपयोग के बिना ही निकल गया। साथ ही, निर्धारित नियमों के अनुसार सीटीएल जांच के बिना ही वितरण ट्रांसफार्मर्स को स्वीकार किया गया।

सरकार/ कंपनी ने लगभग सम्पूर्ण गारण्टी अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अधिशेष वितरण ट्रांसफार्मर्स को स्वीकार करने के लिए कोई उत्तर नहीं दिया ।

केस 3: सीटीएल जांच के लिए गठित समिति में असाधारण देरी

शहरी केन्द्र कार्यक्रम के अधीन कार्य की आपूर्ति एवं निर्माण के प्रकरण में कंपनी ने टीएन-172 के अंतर्गत मै.रैकेम आरपीजी (ठेकेदार) पर कार्यादेश किये (अक्टूबर 2007) एवं कार्य के निष्पादन के पश्चात ठेकेदार ने अधिशेष सामग्री को संबंधित एसीओएस (उदयपुर) को जमा करवाया (मार्च 2012)। एसीओएस उदयपुर ने एसई (ओएण्डएम) को ठेकेदार द्वारा जमा की गई अधिशेष सामग्री के बारे में सूचित(अक्टूबर 2014/फरवरी 2015) किया । तथापि, एसई (ओ एण्ड एम) ने सीटीएल जांच द्वारा सामग्री की स्वीकृति के लिए समिति नियुक्त नहीं की। तत्पश्चात, एसीओएस उदयपुर ने एसई (टीडब्ल्यू) को सूचित(सितम्बर 2016) किया कि सम्पूर्ण जमा की गई

9 ₹ 18.17 लाख मूल्य के सिंगल फेज एसएफयूज और ₹ 1.06 करोड़ मूल्य के थ्री फेज एसएफयूज

सामग्री (केबल के 30 ड्रम्स सहित) में से 4सी X 6 वर्ग मीटर केबल के केवल 10 ड्रम्स उपयोग के योग्य थे। हमने यह भी देखा कि कंपनी ने कार्य आदेश के प्रावधानो के अनुसार मई 2010 तक ₹ 10.89 लाख (अर्थात् सामग्री के मूल्य का 40 प्रतिशत) की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद, कंपनी ने सामग्री की उपयोगिता का आंकलन करके एवं ठेकेदार से अनुपयोगी सामग्री की लागत को समायोजित/वसूलने के लिए जमा की गई अधिशेष सामग्री के लिए उचित एवं समय पर कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि आपूर्तिकर्ता से उपलब्ध वित्तीय राशि से उपर्युक्त वसूली की जायेगी।

केस 4: उचित अनुमोदन एवं सीटीएल जांच के बिना केबल और कण्डक्टर्स की स्वीकृति

कंपनी ने टीएन-152,153 एवं 161 के अंतर्गत ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड (ठेकेदार) को फीडर रेनोवेशन प्रोग्राम (एफआरपी) के लिए सामग्री आपूर्ति एवं निर्माण कार्य के लिए कार्य प्रदान किये (2007)। तत्पश्चात, प्रबन्ध संचालक ने तीन अधीक्षण अभियंताओ (ओएण्डएम)[10] को दिशानिर्देश जारी (3 दिसम्बर 2012) किये कि कण्डक्टर और केबल्स की टीएन-126,151,152 एवं 153 के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा अधिशेष सामग्री जमा करने के समय जांच की जानी थी। तीन निविदाओं (टीएन-151 से 153) की स्थिति में ठेकेदार ने उपस्थण्डीय स्टोर्स पर अधिशेष सामग्री जमा की । संबंधित एसई (ओएण्डएम) के प्रस्ताव पर प्रबन्ध निदेशक ने उपस्थण्डों में ठेकेदार द्वारा जमा किए गए केबल एवं कण्डक्टर्स की सीटीएल जांच को माफ कर दिया (नवम्बर 2013) क्योंकि सामग्री पहले से ही उपयोग में आ गई थी।

एसई (टीडब्ल्यू) के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिशेष सामग्री को संबंधित एसीओएस में जमा किया जाना था या उपस्थण्डों में जमा की गई सामग्री संबंधित एसीओएस एवं रसीद किए गए माल जमा पत्रों (एमसीएन) के माध्यम से संबंधित एसीओएस द्वारा नियमित रूप से सत्यापित कर वरिष्ठ लेखा अधिकारी (केन्द्रीय भुगतान सेल) को प्रस्तुत करना था ।

हमने देखा कि उपस्थण्डों ने, एसई (टीडब्ल्यू) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 8.56 करोड़[11] मूल्य की सामग्री जमा की और एसई (टीडब्ल्यू) की अनुमति के बिना सम्पूर्ण जमा सामग्री का उपयोग किया। हमने यह भी देखा कि ₹ 1.05 करोड़ की सामग्री को सीटीएल जांच के बिना स्वीकार एवं उपयोग किया था। साथ ही, सामग्री जमा की गई थी और उचित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही पुनः उसी दिन जारी किया गया, इस तथ्य को देखते हुए सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं जा सकता था ।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि सामग्री को उपस्थण्डीय स्तर पर सामग्री की अत्यन्त कमी के कारण उचित अनुमोदन एवं सीटीएल जांच के बिना स्वीकार एवं उपयोग किया गया था। साथ ही इसने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए पहले से उपयोग की गई सामग्री की सीटीएल जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी, इसलिए सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई।

10 राजसमंद,उदयपुर और झुन्झुनू

11 ₹ 3.37 करोड़ (टीएन - 152), ₹ 1.50 करोड़ (टीएन - 153) और ₹ 3.69 करोड़ (टीएन - 161)

अनुबंध-7

(पृष्ठ संख्या 76 पर अनुच्छेद 2.22.2 में संदर्भित)

अप्रयुक्त सामग्री की घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र

केस 1: उतारे गये ट्रांसफॉर्मर्स का उपयोग/ निपटान न होना

कंपनी ने फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम (एफ आर पी) के अन्तर्गत उतारे गये माल को संबंधित स्टोर्स में जमा कराने के निर्देश (अगस्त 2006) जारी किये। कंपनी ने उतारे गये माल की स्थिति की समीक्षा एवं इसके पुनः उपयोग अथवा माल को स्क्रैप घोषित करने के लिए एक कमेटी बनाने के लिए भी निर्देशित किया । कंपनी ने एफआरपी के अन्तर्गत उतारे गये ट्रांसफॉर्मर्स के स्टोर्स में पडे रहने की स्थिति जानने के लिए प्रत्येक वृत कार्यालय में एक तीन[12] सदस्य कमेटी का गठन कार्यालय आदेश (नवम्बर 2011) के द्वारा किया एवं कमेटी से रिपोर्ट दस दिन के अन्दर संबंधित अधिशासी अभियंता (ओएण्डएम) को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में विभागो के प्रमुखो की बैठक में, यह आंकलन किया गया कि एफआरपी के अंतर्गत हटाये गये ट्रांसफॉर्मर्स बहुत समय से अप्रयुक्त पड़े हुए है एवं इनमें से कुछ ट्रांसफॉर्मर्स की सीएलआरसी दर पर मरम्मत/रद्दोबदल करने के बाद फील्ड में उपयोग की संभावना व्यक्त की गई। वस्तु स्थिति परखने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मर्स की जांच एवं वृत स्टोर्स में पड़े हुए ट्रांसफॉर्मर के उपयोग / अनुपयोगी की छँटाई हेतु एक कमेटी[13] का गठन किया गया। संबंधित एसई (ओएण्डएम) एवं एसीओएस उपयोगी ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत / रद्दोबदल आरम्भ करना था एवं तदनुसार ट्रांसफॉर्मर्स को फिल्ड में जारी करना था। शेष रहे अनुउपयोगी ट्रांसफॉर्मर्स को स्क्रैप में बदलने की प्रक्रिया डीसीओएस द्वारा आरंभ करनी थी । एसीओएस द्वारा संगृहित की गई सूचना के अनुसार, एफआरपी के अंतर्गत 2266[14] ट्रांसफॉर्मर्स उतारे गये एवं एसीओएस में जमा किया गया। सभी एसीओएस ने यह बताया(नवम्बर 2017) कि जमा किये गये विभिन्न वितरण ट्रांसफॉर्मर्स पुराने थे एवं एफआरपी कार्यो के दौरान उपयोग करने योग्य थे। यह भी सूचित किया गया कि ये ट्रांसफॉर्मर्स बिना ऑयल के जमा किये गये एवं सभी की बुशिंग टूटी हुई थी, ट्रांसफॉर्मर्स का मूल भाग मुडा हुआ था एवं इन ट्रांसफॉर्मर्स की इस अवस्था में मरम्मत नहीं हो सकती थी। इन ट्रांसफॉर्मर्स को स्क्रैप में बदलने एवं ई-ऑक्शन द्वारा बिक्री करने के उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन हेतु केस की कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा निर्देशित किया गया । यदि कंपनी ने समय रहते इन ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत अथवा स्क्रैप के रूप निस्तारित करने का निर्णय कर लिया होता, नवीनतम नीलामी मूल्य के अनुसार ₹ 1.99 करोड़ का राजस्व अर्जित कर लिया होता।

केस 2: एमोरफॉस एवं कॉपर वाउण्ड ट्रांसफॉर्मर्स

सीएलपीसी ने निधियों को प्राप्त करने एवं भण्डार में स्थान को खाली करने के लिए 5 केवीए एवं 25 केवीए रेटिंग के कॉपर वाउण्ड ट्रांसफॉर्मर की नीलामी का निर्णय लिया (मार्च 2016)। लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2016 में नीलामी आयोजित करने के बावजूद, एमएम विंग ने सीएलपीसी से अनुमोदन के समय 191 (25 केवीए) ट्रांसफॉर्मर के स्टॉक पर विचार नहीं किया था, इसलिए सितम्बर 2009 से स्टोर्स में पड़े इन ट्रांसफॉर्मर के निपटान के संबंध मे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। यदि कंपनी ने मरम्मत या निपटान का निर्णय लिया होता तो नवीनतम नीलामी मूल्य पर ₹ 4.30 करोड़ के राजस्व को प्राप्त किया जा सकता था।

केस 3: गारन्टी अवधि के पश्चात खराब हुए 5 केवीए के डीटी का मरम्मत न होना

सीएलपीसी ने निर्णय (फरवरी 2017) लिया कि गारंटी अवधि के पश्चात खराब हुए 5 केवीए के डीटी की मरम्मत नहीं करवाई जायेगी(टीएन-903)। हालांकि, गारन्टी अवधि के पश्चात खराब हुए 5 केवीए के डीटी की मरम्मत पर फरवरी 2017 तक कोई प्रतिबंध नहीं था। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान हमने देखा कि एसीओएस सीकर ने 2013-17 के दौरान 4448 गारन्टी अवधि के पश्चात खराब 5 केवीए के डीटी प्राप्त किये लेकिन एसीओएस एवं एसई (ओएण्डएम) के द्वारा इन खराब डीटी को सही नहीं कराया गया था। हमने आगे देखा कि एसीओएस सीकर ने

12 संबंधित वृत्त कार्यालयों के अधीक्षक अभियंता के तकनीकी सहायक , सलेअ/लेखाकार एवं एसीओएस

13 संबंधित वृत्त कार्यालयों के एक्सईएन (ओएण्डएम) एवं अधीक्षक अभियंता के तकनीकी सहायक (ओएण्डएम), डिसीओएस/एक्सईएन (स्कैप), संबंधित एसीओएस एवं सलेअ (राजस्व)

14 सीकर (1049), चित्तौडगढ़ (966), झुन्झुनू(178), अजमेर शहर वृत्त (64) एवं अजमेर जिला वृत्त (9)

इस अवधि के दौरान 8856 नये 5 केवीए डीटी प्राप्त किये एवं उपखण्डों को जारी किये। यह प्रदर्शित करता है कि 2013-17 के दौरान एसीओएस के पास 5 केवीए डीटी की पर्याप्त मांग थी। इस प्रकार, 5 केवीए गारंटी अवधि पार खराब डीटी की गैर मरम्मत के परिणामस्वरूप नये ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय करना पडा। हमने यह भी देखा कि कंपनी ने एसीओएस में पड़े हुए इन खराब डीटी के संबंध में मार्च 2018 तक कोई निर्णय नहीं लिया था।

केस 4: पावर ट्रांसफार्मर्स का सर्वेक्षण एवं नीलामी

अनुपयोगी वस्तुओ की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 36 अनुपयोगी पावर ट्रांसफॉर्मर्स (पीटी) स्टोर्स में पडे हुए थे जिनका आकंलन मूल्य ₹ 2.11 करोड़ था। इनमे से, नौ एवं 13 पावर ट्रांसफॉर्मर्स क्रमशः एक से दो साल एवं दो साल से अधिक की सीमा तक पड़े हुए थे। आगे, एक 2.5 एमवीए पीटी एवं दो 3.15 एमवीए पीटी क्रमशः जून 2014, दिसम्बर 2016 एवं सितम्बर 2017 में मरम्मत के लिए अमितव्ययी घोषित किये गये। हालांकि, ये अनुपयोगी पीटी सर्वे रिपोर्टस मे सम्मिलित नहीं किये गये एवं इन पीटी के मूल्य का आंकलन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ये तीन पीटी मार्च 2018 तक छह महीने से 45 महीने के अंतराल की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी नीलामी के लिए नहीं रखे जा सके। इस प्रकार, स्क्रैप ट्रांसफॉर्मर्स को रद्दी सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करने एवं नीलामी में रखने में देरी के कारण राजस्व वसूली में देरी के साथ स्टोर्स में स्थान का घेराव भी हुआ।

अनुबंध-8

(पृष्ठ संख्या 84 पर अनुच्छेद 3.1.6 में संदर्भित)

मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता का मूल्यांकन, प्रापण, नियोजन और प्रबंधन समिति (पीपीएमसी) द्वारा अनुमोदित मात्रा, मात्रा जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी एवं मात्रा जिसके लिए 2015-18 की अवधि के दौरान जेवीवीएनएल द्वारा क्रय आदेश जारी किए गए थे को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र. सं.	वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रकार	मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा मात्रा का आंकलन (संख्या में)	पीपीएमसी द्वारा स्वीकृत की गई मात्रा (संख्या में)	आवश्यकता और अनुमोदित मात्रा के अनुसार निविदा को आमंत्रित किया गया	पीपीएमसी द्वारा अनुमोदित मात्रा तथा जारी एनआईटी में अन्तर	मात्रा जिसके लिए पीओ जारी किया गया	अनुमोदित मात्रा और पीओ में अन्तर	पीओ के विरूद्व अनुमोदित मात्रा से जारी पीओ में अन्तर प्रतिशत में
	2015-16							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटी:							
1	10 केवीए	8032	8000	10000	2000	9501	+1501	19
2	16 केवीए	37698	45000	45000	-	38404	-6596	(15)
3	25 केवीए	9711	10000	अजमेर	-	9912	-88	(1)
4	40 केवीए	3938	2500	2500	-	1522	-978	(39)
5	40 केवीए बॉक्स रहित	392	-	-	-	-	-	-
6	63 केवीए बॉक्स रहित	1211	1100	1100	-	1085	-15	(1)
7	100 केवीए बॉक्स रहित	472	1200	1200	-	1141	-59	(5)
8	160 केवीए बॉक्स रहित	302	600	600	-	567	-33	(6)
9	500 केवीए बॉक्स रहित	23	23	23	-	23	-	-
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटी:							
10	25 केवीए बॉक्स रहित	10581	5580	5580	-	-	-5580	(100)
11	16 केवीए बॉक्स रहित	8406	5630	14442	8812	9021	+ 3391	60
12	10 केवीए बॉक्स रहित	143	14461	14461	-	9477	-4984	(34)
13	5 केवीए बॉक्स रहित	8862	15563	15563	-	15508	-55	-
	2016-17							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटी:							
1	10 केवीए	17862	15000	20381	5381	-	-15000	(100)
2	16 केवीए	-	29385	अजमेर	-	29883	-498	-
3	25 केवीए	7540	10000	अजमेर	-	6846	-3154	(21)
4	40 केवीए	4485	1500	600	- 900	600	-900	(60)

क्र. सं.	वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रकार	मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा मात्रा का आंकलन (संख्या में)	पीपीएमसी द्वारा स्वीकृत की गई मात्रा (संख्या में)	आवश्यकता और अनुमोदित मात्रा के अनुसार निविदा को आमंत्रित किया गया	पीपीएमसी द्वारा अनुमोदित मात्रा तथा जारी एनआईटी में अन्तर	मात्रा जिसके लिए पीओ जारी किया गया	अनुमोदित मात्रा और पीओ में अन्तर	पीओ के विरूद्ध अनुमोदित मात्रा से जारी पीओ में अन्तर प्रतिशत में
5	40 केवीए बॉक्स रहित	2426	-	-	-	-	-	-
6	63 केवीए बॉक्स रहित	3360	1500	1500	0	1500	0	-
7	100 केवीए बॉक्स रहित	2885	1800	1800	0	1800	0	-
8	160 केवीए बॉक्स रहित	1680	1000	1000	0	1000	0	-
9	250/315 केवीए बॉक्स रहित	727	500	500	0	370	-130	(28)
10	500 केवीए बॉक्स रहित	140	30	30	15	15	-15	(50)
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटी:							
11	25 केवीए बॉक्स रहित	3918	4000	4000	0	-	-4000	(100)
12	16 केवीए बॉक्स रहित	5327	5000	5000	0	-	-5000	(100)
13	5 केवीए बॉक्स रहित	2570	-	-	-	15000	+15000	
	2017-18							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटी:							
1	10 केवीए	2544	10000	10000 (2016-17)	0	10000	0	-
2	16 केवीए	28287	28000	20000	-8000	20000	-8000	(29)
3	25 केवीए	19207	19000	5700	-13300	5700	-13300	(70)
4	40 केवीए	1957	2000	2000	0	2000	0	-
5	40 केवीए बॉक्स रहित	-	-	-	-	-	-	-
6	63 केवीए बॉक्स रहित	568	1000	500	-500	500	-500	(50)
7	100 केवीए बॉक्स रहित	1509	1500	750	-750	750	-750	(50)
8	160 केवीए बॉक्स रहित	373	700	210	-490	210	-490	(70)
9	250/315 केवीए बॉक्स रहित	448	450	335	-115	335	-115	(26)
10	500 केवीए बॉक्स रहित	28	30	0	-30	0	-30	(100)
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटी:							
11	25 केवीए बॉक्स रहित	6379	6500	4875	-1625	4875	-1625	(25)
12	16 केवीए बॉक्स रहित	9486	9500	7125	-2375	7125	-2375	(25)
13	10 केवीए बॉक्स रहित	22454	16000	12000	-4000	7000	-9000	(56)
14	5 केवीए बॉक्स रहित	-	6400	-	-6400	0	-6400	(100)

अनुबंध-9

(पृष्ठ संख्या 84 पर अनुच्छेद 3.1.6 में संदर्भित)

2015-2018 के दौरान जेडीवीवीएनएल द्वारा ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता का आंकलन, अनुमोदित मात्रा, निविदा की मात्रा तथा आदेशित मात्रा को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रकार	मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा मात्रा का आंकलन (संख्या में)	आरएसी द्वारा स्वीकृत मात्रा	आवश्यकता और अनुमोदित मात्रा के विरूद्व आमंत्रित निविदा	आरएसी द्वारा अनुमोदित मात्रा तथा जारी एनआईटी में अन्तर	मात्रा जिसके लिए पीओ जारी किया गया	अनुमोदित मात्रा और पीओ में अन्तर	पीओ के विरूद्व अनुमोदित मात्रा मे भिन्नता की प्रतिशतता
	जेडीवीवीएनएल							
	2015-16							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटी:							
1	10 केवीए	0	1050	0	-1050 (-100%)	0	-1050	-100.00
2	16 केवीए	5800	5650	8424	2774	8812	3162	55.96
3	25 केवीए	14547	14547	23819	9272	12059	-2488	-17.10
4	40 केवीए	14404	14404	14404	0	7873	-6531	-45.34
5	63 केवीए	7479	7479	15579	8100	7975	496	6.63
6	100 केवीए	4195	4195	7995	3800	6028	1833	43.69
7	160 केवीए	437	437	152	-285	152	-285	-65.22
8	315 केवीए	280	280	125	-155	125	-155	-55.36
9	500 केवीए	91	91	50	-41	50	-41	-45.05
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटी:							
10	25 केवीए	2411	2411	9737	7326 (303.86 %)	5842	3431	142.31
11	16 केवीए	6503	6503	13238	6735	8657	2154	33.12
12	10 केवीए	6803	6803	15044	8241	12458	5655	83.13
13	5 केवीए	14451	14451	8442	-6009	6245	-8206	-56.78

	2016-17							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटी:							
1	10 केवीए	1050	1550	3000	1450	2306	756	48.77
2	16 केवीए	5565	5565	5315	-250	5315	-250	-4.49
3	25 केवीए	14316	13866	2306	-11560	2308	-11558	-83.35
4	40 केवीए	14540	14540	6879	-7661	6879	-7661	-52.69
5	63 केवीए	6838	7288	7288	0	2047	-5241	-71.91
6	100 केवीए	3050	3050	3050	0	3050	0	0.00
7	160 केवीए	248	248	463	215	463	215	86.69
8	315 केवीए	192	192	280	88	280	88	45.83
9	500 केवीए	50	50	141	91	3	-47	-94.00
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटी:							
10	25 केवीए	2582	2832	4995	2163	827	-2005	-70.80
11	16 केवीए	5121	4621	10066	5445	4535	-86	-1.86
12	10 केवीए	7901	3901	10631	6730	1282	-2619	-67.14
13	5 केवीए	2200	1000	2250	1250	5155	4155	415.50
	2017-18							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटी:							
1	10 केवीए	3410	3558	2491	-1067	2491	-1067	-29.99
2	16 केवीए	9338	8971	8971	0	4411	-4560	-50.83
3	25 केवीए	9664	8312	8312	0	0	-8312	-100.00
4	40 केवीए	10270	5823	0	-5823 (-100%)	0	-5823	-100.00
5	63 केवीए	8793	8272	8272	0	8272	0	0.00
6	100 केवीए	5531	5566	5566	0	5343	-223	-4.01
7	160 केवीए	250	234	238	4	0	-234	-100.00
8	315 केवीए	225	218	218	0	0	-218	-100.00
9	500 केवीए	45	48	48	0	35	-13	-27.08

	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटी:							
10	25 केवीए	1141	1030	773	-257	773	-257	-24.95
11	16 केवीए	2424	2083	1562	-521	0	-2083	-100.00
12	10 केवीए	2013	1126	2491	1365	0	-1126	-100.00
13	5 केवीए	4288	3873	5810	1937	2905	-968	-24.99

अनुबंध-10

(पृष्ठ संख्या 85 पर अनुच्छेद 3.1.7 में संदर्भित)

जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल द्वारा निविदाओं के अंतिमीकरण में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	निविदा संख्या	मद का नाम	तकनीकी बोलियां/ निविदा को खोलने की तारीख	कीमत बोली को खोलने की तिथि	निविदा अंतिमीकरण की तिथि	क्रय आदेश जारी करने की तिथि	निविदा अंतिमीकरण में लगने वाले कुल दिन	निविदा अंतिमीकरण में 120 दिन से ज्यादा देरी
1	2217	16 केवीए एमएण्डपी बॉक्स के साथ डीटीज	7-अगस्त-13	6-जनवरी-14	12- फरवरी-14	22-अप्रैल-14	258	138
2	2270	16 केवीए 3क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	12-नवम्बर-14	28-मई-15	20-जुलाई-15	26-अगस्त-15	287	167
3	2332	63 एण्ड 100 केवीए 3क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	18-फरवरी-16	5-मई-16	9-जून-16	20-जून-16	123	3
4	2335	315 केवीए 3क्यू कॉपर वाउण्ड डीटीज	17-मार्च-16	23-जून-16	19- जुलाई-16	29-अगस्त-16	165	45
5	2359	5 केवीए 1क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	27-अक्टूबर-16	3-फरवरी-17	16-फरवरी-17	29-जून-17	245	125
6	2360	10 केवीए 3क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	18-अक्टूबर-16	22- दिसंबर-16	22-मार्च-17	10-अप्रैल-17	174	54
7	2384	10,16 एवं 25 केवीए 1क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	27-दिसंबर-16	23-फरवरी-17	22-मार्च-17	5-जुलाई-17	190	70
8	2388	25 केवीए 3 फेज डीटीज	10- जनवरी-17	20-अप्रैल-17	24-मई-17	8-जून-17	149	29
9	2390	63 एवं 100 केवीए 3क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	20-दिसंबर-16	20-अप्रैल-17	17-मई-17	26-मई-17	157	37
10	2392	315 केवीए 3क्यू कॉपर वाउण्ड डीटीज	3- जनवरी-17	20-अप्रैल-17	17-मई-17	26-मई-17	143	23
11	2413	315 केवीए 3क्यू कॉपर वाउण्ड डीटीज	3-मई-17	11-अगस्त-17	4-अक्टूबर17	27-अक्टूबर-17	177	57
12	1223	11/0.433 केवी, 3 फेज, 3 स्टार 63 केवीए एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	31-मार्च-16	01-जुलाई-16	29-सितम्बर-16	10-अक्टूबर-16	193	73
13	1305	11/0.433, 10 केवीए 3 स्टार ईईएल-2, 3 फेज एल्यूमीनियम वाउण्ड ट्रांसफॉर्मर	28-मार्च-17	29-मई-17	07-जुलाई-17	30-अगस्त-17	183	63
14	1203	11/3 केवी/240 वो. सिंगल फेज 5 केवीए कॉपर वाउण्ड	08-सितम्बर-15	16-नवम्बर-15	19-मार्च-16	20-फरवरी-17	531	411
15	1222	11/3 केवी/240 वो 100 केवीए 3 फेज डीटी एमएण्डपी बॉक्स के साथ	30-मार्च-16	09-जून-16	02-अगस्त-16	11-सितम्बर-16	165	45

अनुबंध-11

(पृष्ठ संख्या 86 पर अनुच्छेद 3.1.8 में संदर्भित)

जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) की गैर आपूर्ति मात्रा के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	फर्म का नाम	निविदा संख्या	क्रय आदेश संख्या	डिलिवरी अनुसूची की समाप्ति की तारीख	डीटी की आदेशित मात्रा (संख्या में)	डीटी की गैर आपूर्ति मात्रा (संख्या में)	एक्स वर्क्स मूल्य (₹ प्रति डीटी)	लगने वाला अधिकतम जुर्माना[15] (₹ में)
अ	**जेवीवीएनएल**							
1.	श्रीनाथ केबल एण्ड कण्डक्टर्स	2217	25	फरवरी 2015	156	12	39999	23999
2.	पशुपतिनाथ ट्रांसफॉर्मर्स	2270	47	जून 2016	1429	421	39870	839263
3.	राजस्थान मेटल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज	2270	52	जून 2016	1000	650	39870	1295775
4.	शिव ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल	2270	55	जून 2016	1430	432	39870	861192
5.	सूपर ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल	2270	59	जून 2016	1430	758	39870	1511073
6.	स्वास्तिक कॉपर	2270	--	जून 2016	5234	5234	39870	10433979
7.	वर्धमान इलेक्ट्रोमेक	2270	58	जून 2016	1430	630	39870	1255905
8.	एस.एम. ट्रांसफॉर्मर्स	1052	-	जुलाई 2017	164	164	44268	363000
							योग - अ	**16584186**
ब	**जेडीवीवीएनएल**							
9.	अनुपम उद्योग	968	9239	दिसंबर 2016	531	231	38006	438969
10.	मैसर्स हार्दिक ट्रांसफॉर्मर्स	968	9238	दिसंबर 2016	531	231	38006	438969
11.	माहेश्वरी इलेक्ट्रोज	968	9245	जनवरी 2017	531	89	38095	169523
12.	विकास एन्टरप्राइजेज	968	9247	नवम्बर 2017	5477	3987	37873	7549983
13.	दिव्यम ट्रांसफॉर्मर्स	968	9240	जनवरी 2017	531	231	42757	493845
14.	मोर ट्रांसफॉर्मर्स	968	9244	दिसंबर 2016	531	251	38006	476980
15.	गोयल ट्रांसफॉर्मर्स	968	9241	दिसंबर 2016	581	181	37828	342348
							योग- ब	**9910617**
							कुल योग (अ+ब)	**26494803**

15 आपुर्ति नहीं की गई मात्रा के मूल्य का 5 प्रतिशत की दर से।

अनुबंध-12

(पृष्ठ संख्या 89 पर अनुच्छेद 3.1.11 में संदर्भित)

2015-18 की अवधि के दौरान उप-खण्ड के अनुसार विफल डीटीज की संख्या की स्थिति व डीटीज की विफलता दर (गारण्टी अवधि के पहले या बाद में) को दर्शाने वाला विवरण पत्र ।

क्र.सं.	चयनित उप-खण्ड के नाम	2015-16							2016-17							2017-18						
		स्थापित डीटीज	विफल डीटीज की संख्या			डीटीज की विफल दर (प्रतिशत में)			स्थापित डीटीज	विफल डीटीज की संख्या			डीटीज की विफल दर (प्रतिशत में)			स्थापित डीटीज	विफल डीटीज की संख्या			डीटीज की विफल दर (प्रतिशत में)		
		की कुल संख्या	डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल	डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल	की कुल संख्या	डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल	डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल	की कुल संख्या	डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल	डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल
अ	जेवीवीएनएल																					
1	मुण्डावर	9337	1023	502	1525	10.96	5.38	16.33	9743	873	820	1693	8.96	8.42	17.38	10052	716	751	1467	7.12	7.47	14.59
2	बानसुर	10360	988	521	1509	9.54	5.03	14.57	11201	824	693	1517	7.36	6.19	13.54	11694	773	862	1635	6.61	7.37	13.98
3	बस्सी	8008	767	675	1442	9.58	8.43	18.01	8399	937	761	1698	11.16	9.06	20.22	8540	1026	893	1919	12.01	10.46	22.47
4	विराटनगर	6245	667	590	1257	10.68	9.45	20.13	6481	704	606	1310	10.86	9.35	20.21	6596	510	418	928	7.73	6.34	14.07
5	नदबई	5076	417	531	948	8.22	10.46	18.68	5693	457	414	871	8.03	7.27	15.30	5940	481	331	812	8.10	5.57	13.67
6	बयाना	6081	408	348	756	6.71	5.72	12.43	6900	410	383	793	5.94	5.55	11.49	7221	340	296	636	4.71	4.10	8.81
ब	जेडीवीवीएनएल																					
1	बालेसर	5133	475	447	922	9.25	8.71	17.96	5586	659	381	1040	11.80	6.82	18.62	5720	351	323	674	6.14	5.65	11.78
2	डेचू	8631	696	501	1197	8.06	5.80	13.87	8661	557	535	1092	6.43	6.18	12.61	9317	394	356	750	4.23	3.82	8.05
3	बज्जू	2000	129	74	203	6.45	3.70	10.15	2639	199	104	303	7.54	3.94	11.48	3108	191	69	260	6.15	2.22	8.37
4	लूणकरणसर	2333	225	134	359	9.64	5.74	15.39	2434	275	180	455	11.30	7.40	18.69	3017	255	260	515	8.45	8.62	17.07
5	भदरना	7676	522	383	905	6.80	4.99	11.79	8005	557	488	1045	6.96	6.10	13.05	8554	447	423	870	5.23	4.95	10.17
6	सांचौर	4265	422	505	927	9.89	11.84	21.74	4578	362	388	750	7.91	8.48	16.38	4763	301	598	899	6.32	12.56	18.87

अनुबंध-13

(पृष्ठ संख्या 95 पर अनुच्छेद 3.1.17 में संदर्भित)

वर्ष 2015 से 2018 के दौरान केन्द्रीय भण्डार/आपूर्तिकर्ता फर्म के पास पड़े हुऐ गारन्टी अवधि के दौरान खराब डीटीज जिन्हे केन्द्रीय भण्डार में जमा की गई, उठायी गई, मरम्मत की गई तथा पुनः वापस दी गई मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	01 अप्रैल 2015 को गारण्टी अवधि में दोषपूर्ण डीटीज (संख्याएं)		केन्द्रीय भण्डार में जमा कराये गये जीपी विफल डीटीज की संख्या (30 जून 2017 तक)	आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उठाई गई जीपी विफल डीटीज (संख्याएं)	मरम्मत व पुनः वापिस दी गई जीपी विफल डीटीज				31 मार्च 2018 को गारण्टी अवधि में पड़े हुऐ दोषपूर्ण डीटीज (संख्याएं)	
		केन्द्रीय भण्डार	आपूर्तिकर्ता फर्म			निर्धारित अवधि में (संख्याएं)	निर्धारित अवधि के पश्चात (संख्याएं)	योग (संख्याएं)	अधिकतम दिनों की देरी	केन्द्रीय भण्डार	आपूर्तिकर्ता फर्म
1	फतेहपुरिया ट्रांसफॉरमर्स एवं स्विचगियर्स	1205	112	5320	6221	947	4120	5067	1085	304	1266
2	जिनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर	334	406	624	946	4	1214	1218	851	12	134
3	गोयल ट्रांसफॉरमर्स उद्योग	181	43	319	229	1	113	114	762	271	158
4	कल्पना इंडस्ट्रीज	251	1421	1010	1253	375	2279	2654	1021	8	20
5	कोटसन्स (प्रा.) लिमिटेड	2078	2035	5635	5805	233	4818	5051	926	1908	2789
6	मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज	2951	1911	11921	13489	1077	12453	13530	663	1383	1870
7	प्रकाश ट्रांसफॉर्मर्स एवं स्विचगियर्स	227	0	698	611	8	355	363	731	314	248
8	राहुल कन्डक्टर्स	190	354	1274	1462	20	1752	1772	1138	2	44
9	श्री कृष्णा सुदर्शन उर्जा	3027	536	12013	14909	5318	10073	15391	1177	131	54
10	स्वास्तिक कॉपर	836	95	391	211	1	120	121	574	1016	185
11	उत्तम (भारत) इलेक्ट्रिकल्स	1635	899	7728	9296	3387	6598	9985	1369	67	210
12	वर्धमान इलेक्ट्रोमेक	211	394	1562	1736	98	2032	2130	1682	37	0
13	विजय इलेक्ट्रिकल्स	2554	405	4804	7265	612	6336	6948	1078	93	722
14	विकास इन्टरप्राईजेज	823	0	4050	4725	349	3910	4259	1270	148	466
	योग (अ)	**16503**	**8611**	**57349**	**68158**	**12430**	**56173**	**68603**		**5694**	**8166**
15	**अन्य आपूर्तिकर्ता फर्में (ब)**	**6626**	**3765**	**24891**	**29072**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**30237**		**2445**	**2600**
	योग (अ+ब)	**23129**	**12376**	**82240**	**97230**	**-**	**-**	**98840**		**8139**	**10766**

अनुबंध–14

(पृष्ठ संख्या 116 पर अनुच्छेद 4.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूँजी एवं बकाया ऋण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को दर्शाने वाला विवरण–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर पूँजी[16]				वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर[17]	जीओआई[18]	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
अ	**सामाजिक क्षेत्र**										
	I. **कार्यरत सरकारी कंपनियां**										
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3-जून-1961	6.64	0.27	0.05	6.96	10.02	0.00	0.00	10.02
2.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	1-अप्रेल-1984	45.51	0.00	0.55	46.06	0.00	0.00	0.43	0.43
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्य सरकार	1-दिसम्बर-2004	48.67	0.00	0.00	48.67	278.11	0.00	227.03	505.14
4.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	वित्त	24-फरवरी-2005	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	1-जनवरी-2010	1494.04	0.00	200.00	1694.04	676.65	0.00	0.00	676.65
6.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	सैनिक कल्याण विभाग	29-मार्च-2012	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4-मई-2011	5.00	0.00	0.00	5.00	26.14	0.00	0.00	26.14
8.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	श्रम एवं रोजगार	17-अगस्त-2010	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	27-दिसम्बर-2010	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	9.78	9.78
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28-मार्च-1978	6.33	1.04	0.22	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

16 पूँजी में शेयर आवेदन राशि सम्मिलित है।

17 राजस्थान सरकार

18 भारत सरकार

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर पूँजी[16]				वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर[17]	जीओआई[18]	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
	कुल अ-I			**1663.24**	**1.31**	**200.82**	**1865.37**	**990.92**	**0.00**	**237.24**	**1228.16**
	II. अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1-अगस्त-1969	6.01	0.00	0.00	6.01	16.27	0.00	0.00	16.27
12.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	भूजल विभाग	25-जनवरी-1984	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल अ-II			**7.28**	**0.00**	**0.00**	**7.28**	**16.27**	**0.00**	**0.00**	**16.27**
	कुल अ (I+II)			**1670.52**	**1.31**	**200.82**	**1872.65**	**1007.19**	**0.00**	**237.24**	**1244.43**
ब.	**प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र**										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
13.	राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्त	21-दिसम्बर-2012	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	वित्त	1-जुलाई-1956	180.34	0.00	0.05	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (विघटित जनवरी 1980 से)	उद्योग	28-मार्च-1969	210.19	0.00	0.00	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	8-फरवरी-1979	100.00	0.00	0.00	100.00	53.48	0.00	2134.78	2188.26
17.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	खान	7-मई-1947	77.54	0.00	0.01	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	27-अक्टूबर-2010	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7-जून-1965	2.16	0.00	0.00	2.16	10.00	0.00	1.05	11.05
20.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24-नवम्बर-1978	21.95	0.00	0.00	21.95	23.00	0.00	0.38	23.38
21.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक एवं संयुक्त कम्पनी)	खान	19-जनवरी-2007	0	0	20.00	20.00	0	0	1651.77	1651.77

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर पूँजी[16]				वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर[17]	जीओआई[18]	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
22.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 23 की सहायक कंपनी)	खान एवं पेट्रोलियम	20-सितम्बर-2013	0	0	129.87	129.87	0	0	0	0
23.	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	10-जुलाई-2008	0	0	67.08	67.08	0	0	0	0
	कुल ब-I			**687.18**	**0.00**	**217.01**	**904.19**	**86.48**	**0.00**	**3787.98**	**3874.46**
	II. सांविधिक **निगम**										
24.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1-अक्टूबर-1964	612.13	26.83	0.00	638.96	561.27	0.00	664.65	1225.92
25.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	कृषि	30-दिसम्बर-1957	3.93	3.92	0.00	7.85	280.88	0.00	0.00	280.88
26.	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17-जनवरी-1955	128.31	0.00	32.42	160.73	1.03	0.00	300.00	301.03
	कुल ब-II			**744.37**	**30.75**	**32.42**	**807.54**	**843.18**	**0.00**	**964.65**	**1807.83**
	कुल ब (I+II)			**1431.55**	**30.75**	**249.43**	**1711.73**	**929.66**	**0.00**	**4752.63**	**5682.29**
स	**अन्य**										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनी										
27.	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	गृह	22-जून-2013	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल स-I			**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II. **अकार्यरत सरकारी कंपनी**										
28.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	सामान्य प्रशासनिक और नागरिक उड्डयन	20-दिसम्बर-2006	4.49	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल स-II			**4.49**	**0.00**	**0.00**	**4.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल स (I+II)			**5.49**	**0.00**	**0.00**	**5.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल योग (अ+ब+स)			**3107.56**	**32.06**	**450.25**	**3589.87**	**1936.85**	**0.00**	**4989.87**	**6926.72**

अनुबंध-15

(पृष्ठ संख्या 119 पर अनुच्छेद 4.7 में संदर्भित)

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखो मे 31 मार्च 2018 को पूँजी, ऋण एवं गारंटी शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के लेखों के अनुसार			राजस्थान सरकार के वित्त लेखो के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	6.33	0.00	0.00	6.33	0.64	-	0.00	-0.64	0.00
2	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	210.19	0.00	0.00	193.69	5.37	-	16.50	-5.37	0.00
3	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	48.67	278.11	-	33.51	0.00	331.78	15.16	278.11	-331.78
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	180.34	0.00	-	181.09	0.11	-	-0.75	-0.11	0.00
5	राजस्थान राज्य स्खान एवं स्खनिज लिमिटेड	77.54	0.00	-	77.56		-	-0.02	0.00	0.00
6	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	21.95	23.00	0.00	21.94	23.00	-	0.01	0.00	0.00
7	राजस्थान वित्त निगम	128.31	1.03	300.00	128.31	1.26	300.00	0.00	-0.23	0.00
8	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6.01	16.27	-	4.13	17.51	-	1.88	- 1.24	0.00

अनुबंध–16

(पृष्ठ संख्या 120 पर अनुच्छेद 4.8.1 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया है, में बकाया लेखो के वर्षो के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की समय अवधि	बकाया लेखों की समयावधि	नवीनतम लेखो के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखो की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
अ	**सरकारी कम्पनियां**						
1	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	46.06	0.00	0.80	0.80
2	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	100.00	53.48	0.00	53.48
3	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.50	0.00	53.49	53.49
4	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1694.04	115.14	0.00	115.14
5	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.00	0.00	560.00	560.00
6	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	48.67	0.00	0.00	0.00
7	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	20.00	0.00	0.00	0.00
8	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	2016-17	2017-18	77.55	0.00	0.00	0.00
9	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	11.10	0.00	0.00	0.00
10	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2017-18	50.00	0.00	0.00	0.00
11	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2017-18	2.16	0.00	0.00	0.00
12	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2017-18	21.95	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)			**2077.03**	**168.62**	**614.29**	**782.91**
ब	**सांविधिक निगम**						
13	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2016-17	2017-18	638.96	41.50	284.63	326.13
	योग (ब)			**638.96**	**41.50**	**284.63**	**326.13**
	कुल योग (अ+ब)			**2715.99**	**210.12**	**898.92**	**1109.04**

अनुबंध-17

(पृष्ठ संख्या 123 पर अनुच्छेद 4.11 एवं पृष्ठ संख्या 130 पर अनुच्छेद 4.17 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
अ.	**सामाजिक क्षेत्र**									
	कार्यरत सरकारी कंपनियां									
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	5.05	4.77	136.06	6.96	-13.22	-17.55	-24.51
2.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.50	0.49	16.25	46.06	-0.53	-4.05	-50.11
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.80	0.49	5.33	48.67	668.25	69.76	21.09
4.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	28.98	5.12	5699.57	2.00	39.72	39.72	37.72
5.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	-45.49	-90.12	9.72	1694.04	2079.92	1513.79	-180.25
6.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	4.02	4.01	102.36	5.00	14.75	14.75	9.75
7.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	16.54	10.79	526.86	5.00	45.36	19.22	14.22
8.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2017-18	2018-19	2.14	2.14	80.10	0.05	-13.00	-13.00	-13.05
9.	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	15.81	5.66	561.77	50.00	82.88	82.88	32.88

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	7.54	1.08	261.58	7.59	125.51	125.51	117.92
	कुल अ-I			**35.89**	**-55.57**	**7399.6**	**1865.37**	**3029.64**	**1831.03**	**-34.34**
	अकार्यरत सरकारी कंपनियां									
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	-0.14	-1.44	0.00	6.01	-2.11	-47.20	-53.21
12.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.03	0.03	0.00	1.27	-0.82	-0.82	-2.09
	कुल अ-II			**-0.11**	**-1.41**	**0.00**	**7.28**	**-2.93**	**-48.02**	**-55.30**
	कुल अ (I+II)			**35.78**	**-56.98**	**7399.60**	**1872.65**	**3026.71**	**1783.01**	**-89.64**
ब.	**प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र**									
	कार्यरत सरकारी कंपनियां									
13.	राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	5.91	4.25	6.64	90.00	105.50	105.50	15.50
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2017-18	2018-19	44.34	23.51	1143.25	180.39	298.14	297.58	117.19
15.	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	196.06	142.94	689.23	210.19	1726.79	1726.79	1516.60
16.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	264.48	19.12	1044.10	100.00	2320.63	193.34	93.34
17.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	2016-17	2017-18	146.71	109.68	709.79	77.55	2040.31	2040.31	1962.76
18.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	10.04	3.29	129.93	5.00	55.08	55.08	50.08
19.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-1.22	-1.26	1.47	2.16	-0.35	-6.35	-8.51

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	-14.53	-14.59	67.89	21.95	-109.01	-123.10	-145.05
21.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक एवं संयुक्त कम्पनी)	2016-17	2017-18	58.49	0.62	813.41	20.00	1511.37	-6.33	-26.33
22.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 23 की सहायक कम्पनी)	2017-18	2018-19	-2.14	-2.45	26.06	129.87	120.18	120.18	-9.69
23.	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	0.02	0.01	0.00	11.10	10.28	10.28	-0.82
	कुल ब-I			**708.16**	**285.12**	**4631.77**	**848.21**	**8078.92**	**4413.28**	**3565.07**
	II. सांविधिक **निगम**									
24.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2016-17	2017-18	-2030.32	-1169.76	1674.49	638.96	-2738.39	-4000.31	-4639.27
25.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2017-18	2018-19	43.48	4.12	111.44	7.85	464.03	183.15	175.30
26.	राजस्थान वित्त निगम	2017-18	2018-19	44.74	7.99	93.90	160.73	343.87	41.65[19]	-116.86
	कुल ब-II			**-1942.10**	**-1157.65**	**1879.83**	**807.54**	**-1930.49**	**-3775.51**	**-4580.83**
	कुल ब (I+II)			**-1233.94**	**-872.53**	**6511.60**	**1655.75**	**6148.43**	**637.77**	**-1015.76**
स.	**अन्य**									
	I. **कार्यरत सरकारी कंपनी**									
27.	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	-0.25	-0.25	0.01	0.50	0.20	0.20	-0.30
	कुल स-I			**-0.25**	**-0.25**	**0.01**	**0.50**	**0.20**	**0.20**	**-0.30**

19 राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में निवल मूल्य की राशि निकालने के लिए प्रदत्त पूँजी एवं संचित हानियों के अंतर में से ₹ 2.22 करोड़ के स्थागित राजस्व व्यय घटाये गये है।

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	II. अकार्यरत सरकारी कंपनी									
28.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.06	0.06	0.00	4.49	-1.83	-1.83	-6.32
	कुल स-II			**0.06**	**0.06**	**0.00**	**4.49**	**-1.83**	**-1.83**	**-6.32**
	कुल स (I+II)			**-0.19**	**-0.19**	**0.01**	**4.99**	**-1.63**	**-1.63**	**-6.62**
	कुल योग (अ+ब+स)			**-1198.35**	**-929.70**	**13911.21**	**3533.39**	**9173.51**	**2419.15**	**-1112.02**
i	**कार्यरत सरकारी कंपनियां**			**743.80**	**229.30**	**12031.38**	**2714.08**	**11108.76**	**6244.51**	**3530.43**
ii	सांविधिक **निगम**			**-1942.10**	**-1157.65**	**1879.83**	**807.54**	**-1930.49**	**-3775.51**	**-4580.83**
iii	**कार्यरत कंपनियां** (i+ii)			**-1198.30**	**-928.35**	**13911.21**	**3521.62**	**9178.27**	**2469.00**	**-1050.40**
iv	**अकार्यरत सरकारी कंपनियां**			**-0.05**	**-1.35**	**0.00**	**11.77**	**-4.76**	**-49.85**	**-61.62**
	कुल योग (iii+iv)			**-1198.35**	**-929.70**	**13911.21**	**3533.39**	**9173.51**	**2419.15**	**-1112.02**

अनुबन्ध– 18

(पृष्ठ संख्या 128 पर अनुच्छेद संख्या 4.15 में संदर्भित)

2000–01 से 2017–18 की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा संचारित किया गया कोष (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को दशाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

अ. सामाजिक क्षेत्र										
क्र. सं.	1.		2.		3.		4.		5.	
वर्ष	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड		राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड		राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	1.50	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.38
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	-2.50
2017-18	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00	0.00	0.00	278.11	0.00	-2.50
कुल	**0.00**	**0.00**	**1.50**	**10.02**	**39.91**	**0.00**	**48.67**	**278.11**	**5.00**	**12.50**

अ. सामाजिक क्षेत्र										
क्र. सं.	6.		7.		8.		9.		10.	
वर्ष	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम		राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड		जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड		राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.95	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	307.04	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.00	561.00	0.00	5.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	-15.22	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.38	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	-24.88	0.00	0.00	0.00	72.02	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-958.05	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.34	0.00	0.00
कुल	**0.05**	**0.00**	**50.00**	**15.00**	**2.00**	**0.00**	**1494.04**	**410.69**	**5.00**	**0.00**

अ. सामाजिक क्षेत्र (11 एवं 12) एवं ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र (13 से 15)										
क्र. सं.	11.		12.		13.		14.		15.	
वर्ष	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड		राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	-0.49	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-1.31	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	-1.06	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	-0.04	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	-10.59	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	-5.51	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	-0.39	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	-1.05	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	-0.69	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.31	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.69	10.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**	**42.57**	**-27.85**	**90.00**	**0.00**

ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र										
क्र. सं.	16.		17.		18.		19.		20.	
वर्ष	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड		राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड		राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान वित्त निगम	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	-2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-2.10
2003-04	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80
2004-05	0.00	0.00	0.00	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-0.55
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	21.50	0.00	0.00	0.00	0.29	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	11.69	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	3.50	0.00	25.65	0.00
2013-14	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	0.00
2014-15	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2016-17	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**176.79**	**0.00**	**15.81**	**-3.50**	**1.19**	**9.54**	**8.11**	**23.00**	**81.15**	**-3.45**

ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र (21 से 23) एवं स. अन्य (24-25)										
क्र. सं.	21.		22.		23.		24.		25.	
वर्ष	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम		राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम		राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड		राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
2012-13	188.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00
2013-14	150.00	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2014-15	80.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
कुल	**531.00**	**561.40**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**4.49**	**0.00**

अनुबंध–19

(पृष्ठ संख्या 141 पर अनुच्छेद 5.1.2 में संदर्भित)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) में निर्माण कार्यों की समाप्ति, उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ तथा प्रतिधारण शुल्क की वसूली से संबंधित अनुच्छेद पर राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) की सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण–पत्र

पूर्व अध्ययन का संक्षिप्त विवरण	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (पीएसयूज) राजस्थान सरकार (रिपोर्ट संख्या 1 वर्ष 2014 (में, निर्माण कार्य की समाप्ति एवं उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ तथा प्रतिधारण शुल्क की वसूली पर कम्पनी के निष्पादन से संबंधित एक अध्ययन (अनुच्छेद 4.6) सम्मिलित किया गया जिस पर राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा विचार (8 दिसम्बर 2015) किया गया तथा कोपू द्वारा 17 मार्च 2016 को सिफारिशें की गई।
कोपू की सिफारिशें	कोपू द्वारा की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैः • निर्माण कार्य व उत्पादन गतिविधियों से संबंधित नियमों की कठोर अनुपालना सुनिश्चित की जाये, • नियमों/विनियमों में उन परिस्थितियों का उल्लेख करें जिन पर निर्माण कार्य/उत्पादन अवधि में रियायत के लिये विचार किया जा सकता है, • इकाई कार्यालय में समय पर नोटिस जारी करने हेतु प्रक्रिया विकसित की जाये, • डिफॉल्टर व्यवसायियों को खाली भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जाये व उत्पादन गतिविधियों की निगरानी की जाये, • उत्तरदायित्व तय करने हेतु व्यवस्था बनायी जाये एवं • विभिन्न गतिविधियों (निर्माण एवं उत्पादन गतिविधियों सहित) के लिये आईटी समाधान लागू किये जाये।
लेखापरीक्षा इकाई / कम्पनी की प्रतिक्रिया	कोपू की सिफारिशों की प्रतिक्रिया में कम्पनी ने आश्वस्त (फरवरी 2017) किया कि निर्माण कार्यों की समय पर समाप्ति एवं उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ के लिये सभी इकाई प्रमुखों को निर्देश दिये गये है तथा गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण अप्रैल 2017 तक पूरा हो जायेगा।

अनुबंध-20

(पृष्ठ संख्या 150 पर अनुच्छेद 5.1.10 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 तक चूककर्ता आवंटियों से प्रतिधारण शुल्क का गैर धारण/वसूली को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आवंटी का नाम	औद्योगिक क्षेत्र एवं इकाई कार्यालय	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्र (वर्गमीटर में)	आवंटन का महीना	प्रतिबद्धित निवेश	आवंटन आदेशानुसार उत्पादन गतिविधियों को प्रारम्भ करने का माह	परिवर्धित आदेशानुसार उत्पादन गतिविधियों को प्रारम्भ करने का माह	वसूली योग्य प्रतिधारण शुल्क
1	जेबीएम ऑटो लिमिटेड	पथरेडी, भिवाडी-II	एसपी1-891	44517	नवम्बर 2007	6900.00	19 अगस्त 2011	1 अप्रैल 2014	534.20
2	थाइसेन क्रुप जेबीएम प्राईवेट लिमिटेड	पथरेडी, भिवाडी-II	एसपी 1-888	40000	अप्रैल 2008	3500.00	19 अगस्त 2011	1 अप्रैल 2014	480.00
3	रीको ऑटो इंडस्ट्रिज लिमिटेड	पथरेडी, भिवाडी-II	एसपी 3-800 एवं 801ए	45500	मार्च 2010	अनुपलब्ध	अप्रैल 2015	अप्रैल 2016	182.00
4	नीमराना एजुकेशन एवं रीसर्च चेरिटेबल ट्रस्ट	एनआईसी (एम), नीमराना	आई-261	30611	दिसम्बर 2012	अनुपलब्ध	दिसम्बर 2015	दिसम्बर 2016	55.10
5	पुष्पा इंडस्ट्रिज	इन्द्रप्रस्थ, कोटा	एफ-313	2000	जून 1990	अनुपलब्ध	जुलाई 1999	मार्च 2004 एवं दिसम्बर 2014[20]	13.20
6	परनामी लॉजिस्टिक एवं पेकिंग सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	कहरानी, भिवाडी-I	एसपी-184बी	12620	अक्टूबर 2010	अनुपलब्ध	अक्टूबर 2014	-	98.44
7	केसीबी बिल्डर्स	खुशखेडा, भिवाडी-II	ई-45 (ई)	4000	सितम्बर 2005	अनुपलब्ध	दिसम्बर 2008	-	29.60[21]
	योग					**10400.00**			**1392.54**

20 जुलाई 2006 में भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया गया था एवं बाद में 17 दिसम्बर 2014 को पुनः बहाल कर दिया गया।

21 इसमें मांगा गया प्रतिधारण शुल्क सम्मिलित है परन्तु यह परिवर्धित समयावधि 30 अक्टूबर 2013 तक भी जमा नहीं करवाया गया है (अगस्त 2013 में मांग उठने के अनुसार)।

अनुबंध–21

(पृष्ठ संख्या 150 पर अनुच्छेद 5.1.10 में संदर्भित)

नियमों के अनुसार प्रतिधारित प्रभारों/ भूमि की अतिरिक्त लागत नहीं जमा करवाने वाले आवंटियों से, प्रतिधारित प्रभारों की गणना एवं वसूली न करना एवं आवंटियों को प्रदान अनुचित छूट को दर्शाने वाला विवरण पत्र

मैसर्स बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड

फ्लाई ऐश आधारित पोर्टलैंड पॉजोलना सीमेंट (पीपीसी) की स्थापना हेतु कंपनी ने **मैसर्स बिड़ला कॉर्पोरेशन (आंवटी)** को दो भूखंड आवंटित (फरवरी 2010) किए थे। उत्पादन गतिविधि 9 मई 2011 से पूर्व प्रारंभ की जानी थी। आवंटी ने निर्धारित समय में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी। कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क के भुगतान पर 30 अप्रैल 2013 तक का समय विस्तार प्रदान (मार्च 2012) किया था। आवंटी ने विस्तारित समयावधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सका। हालांकि, आगे समय विस्तार ना मांगे जाने पर, कंपनी ने उत्पादन गतिविधि प्रारंभ ना करने पर कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी नहीं किया। तत्पश्चात आवंटी ने अप्रैल 2017 तक आगे समय विस्तार हेतु प्रार्थना (अगस्त 2015 एवं मई 2016) की थी। कंपनी ने आवंटी को परियोजना हेतु संबंधित विभागों से आवश्यक दस्तावेज/सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को निर्देशित (जुलाई 2016) किया । इसके पश्चात आवंटी ने 30 अप्रैल 2019 तक उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने हेतु दूसरी प्रार्थना (अगस्त 2017) करते हुए यह बताया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने उसकी प्रस्तावित परियोजना निरस्त (जून 2015) कर दी थी एवम तदनुसार, एक वाष्पित ठोस संयंत्र (एसीपी) जिसके लिए इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, को स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी।

हमने देखा कि कंपनी ने विस्तारित अवधि से पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी ₹ 1.14 करोड़ के प्रतिधारण शुल्क की वसूली हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की थी। आगे, हमने देखा कि मार्च 2019 तक का समय विस्तार प्रबंध निदेशक ने दिया (मार्च 2018) था जबकि निर्धारित उत्पादन तिथि से सात वर्ष के पश्चात समय विस्तार प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी आईडीसी थी।

सरकार ने स्वीकार (जुलाई 2018) किया कि आवंटी ने पर्यावरण स्वीकृति एवं वन स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी। इस मामले की जांच की जा रही है तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा आगे समय विस्तार दिये जाने को अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। **(कोटा इकाई)**

मैसर्स फिन प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी ने नियम 3 (डब्ल्यू) के अंतर्गत एक औद्योगिक भूखंड (एफ-1292) **मैसर्स फिन प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** को आवंटित (मार्च 2011) किया था। आवंटी को 17 मई 2012 से पूर्व एफडीआई के रूप में ₹ 60.10 करोड़(भूमि की लागत के अतिरिक्त) न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश के साथ उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करनी थी। आवंटी ने उत्पादन प्रारंभ नहीं किया था एवं 31 अक्टूबर 2012 तक बिना प्रतिधारण शुल्क के समय विस्तार मांगा। नियम 3 (डब्ल्यू) के अंतर्गत वरीयता आवंटन हेतु गठित उपसमिति के समक्ष, इस प्रस्ताव के साथ रखा (10 अक्टूबर 2012) गया था कि आवंटी को 31 अक्टूबर 2012 तक का समय विस्तार ₹ 10.60 करोड़ प्रतिधारण शुल्क लगाकर दिया जा सकता है। उप-समिति ने समय विस्तार हेतु बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवंटन तिथि (अर्थात मई 2013 तक) से उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने हेतु कुल दो वर्ष की अवधि प्रदान करने का निर्णय (अक्टूबर 2012) लिया । हालांकि, आवंटी ने अप्रैल 2018 तक ना ही प्रतिबद्ध निवेश के साथ उत्पादन गतिविधि प्रारंभ की थी ना ही आगे किसी प्रकार का समय विस्तार चाहा था।

हमने देखा कि उप समिति ने संशोधित नियमों (2 जनवरी 2012) के तहत आवंटी को दो वर्ष का समय विस्तार प्रदान किया था। तथापि कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क /भूमि की अतिरिक्त लागत जो की ₹ 4.58 करोड़ (18 मई 2013 से अप्रेल 2018) थी, की वसूली भी सुनिश्चित नहीं की थी। **(ईपीआईपी– सीतापुरा इकाई)**

मैसर्स संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

कंपनी ने नियम 3(डब्ल्यू) के अंतर्गत एक औद्योगिक भूखंड (एसपी1- 889) **मैसर्स संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड** को आवंटित (नवंबर 2007) किया था। आवंटी को 19 अगस्त 2011 से पूर्व ₹ 65 करोड़ निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ करना था। आवंटी निर्धारित समय में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं कर सका था। कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क के भुगतान पर 31 जनवरी 2014 तक समय विस्तार प्रदान (मार्च 2013) किया था। भूखंड स्थल रिपोर्ट से यह परिलक्षित (सितंबर 2014) हुआ कि आवंटी ने कुल भूखंड क्षेत्रफल के 21 प्रतिशत में फैक्ट्री शेड बिल्डिंग के निर्माण के साथ उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। आगे, आवंटी फरवरी 2014 तक मात्र ₹ 21.92 करोड़ निवेश कर

सका था। आवंटी की विलंबित प्रार्थना (मार्च 2015) पर कंपनी ने ₹ 7.61 करोड प्रतिधारण शुल्क का भुगतान करने की दशा में 31 जनवरी 2016 तक का समय विस्तार प्रदान करने का निर्णय (मार्च 2015) लिया । कंपनी ने आवंटी को आवश्यक प्रतिधारण शुल्क जमा करने का निर्देश (मई 2015, अक्टूबर 2015 और जुलाई 2016) दिया । हालांकि, आवंटी ने आवश्यक प्रतिधारण शुल्क मार्च 2018 तक जमा नहीं करवाया था ।

हमने देखा कि आवंटी ने आज तक (मार्च 2018) प्रतिबद्ध निवेश नहीं किया था। आगे, आवंटी ने जनवरी 2014 में विस्तारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी ना ही प्रतिधारण शुल्क जमा करवाया ना ही आगे समय विस्तार मांगा था। जबकि, कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क/ भूमि की अतिरिक्त लागत ₹ 10.30 करोड़ (अर्थात ₹ 7.61 करोड फरवरी 2014 से जनवरी 2016 एवं ₹ 2.69 करोड़ फरवरी 2016 से मार्च 2018) की वसूली सुनिश्चित नहीं की थी। **(भिवाड़ी–II इकाई)**

सरकार ने बताया (जुलाई 2018) की आईडीसी ने सनसिटी शीट प्राइवेट लिमिटेड के एक समान प्रकरण की समीक्षा के उपरांत निर्देशित किया (फरवरी 2018) गया था कि आईडीसी के निर्णय (मई 2012) जिसमें निवेश को उत्पादन गतिविधि शुरू करने का मापदंड माना गया था, से पूर्व आवंटित सभी प्रकरणों की जांच यह ध्यान में रखते हुए कि संबंधित आवंटी को, क्या निर्णय एवं इसकी लागू होने को समय पर संप्रेषित हुई थी। इसलिए, ये दो मामले भी आईडीसी द्वारा लिए गए सामान्य पॉलिसी निर्णय के अनुसार जांच किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा की इन प्रकरणो में समयवृद्धि संशोधितः न्युनतम पूंजी निवेश नियम की शर्तो के अंतर्गत दी जानी चाहिए थी जो कि नहीं किया गया।

मैसर्स ज्यूकिनी इंडिया आर एण्ड डी केमिकल्स (पी) लिमिटेड

कंपनी ने नियम 3 (डब्ल्यू) के एफडीआई श्रेणी में एक भूखंड मैसर्स ज्यूकिनी इंडिया आर एंड डी केमिकल्स (पी) लिमिटेड को आवंटित (अप्रैल 2013) किया था। आवंटी को 11 अप्रैल 2015 तक उत्पादन प्रारंभ करना था। आवंटी को न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश ₹ 17.90 करोड़ (₹ 5.90 करोड़ की राशि सम्मिलित अर्थात 33 प्रतिशत एफडीआई के द्वारा) भी करना था। अग्निशमन विभाग से अनापत्ति[22] प्रमाण पत्र प्राप्ति में विलंब के मद्देनजर, कंपनी ने बिना प्रतिधारण शुल्क की वसूली किए निर्धारित उत्पादन अवधि को 10 अक्टूबर 2015 तक विस्तारित (अगस्त 2015) किया था। तथापि, आवंटी उत्पादन गतिविधि को निर्धारित समयावधि में प्रारंभ नहीं कर सका था एवं 3 जुलाई 2015 तक केवल ₹ 10.11 करोड़ निवेश किए थे। आवंटी ने निवेश का विवरण (₹ 17.94 करोड़) एवं 31 मार्च 2017 तक प्राप्त एफडीआई (₹ 7.53 करोड़) प्रस्तुत (जून 2017) किया था। हालांकि, इसमें अन्य संस्थान (ज्यूकिनी इंडिया केमिकल्स (पी) लिमिटेड) का निवेश (₹ 0.74 करोड़) एवं प्राप्त एफडीआई (₹ 2.90 करोड़) सम्मिलित थे, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। हमने देखा कि कंपनी ने आवंटी को एससीएन जारी (अक्टूबर 2017) किया जो कि आवंटी द्वारा प्रत्युतर नहीं किया गया था। हालांकि, कंपनी ने ना तो प्रतिधारण शुल्क (₹ 85.74 लाख 3 नवम्बर 2015 से मार्च 2018 तक की समयावधि तक) की वसूली हेतु कार्यवाही की एवं ना ही आवंटन निरस्त किया था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2018) आवंटी को परियोजना के लिए आवश्यक एफडीआई से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लगातार कहा गया था। प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात, प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार समय विस्तार प्रदान करने/भूखंड के आवंटन को निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2018)। (ईपीआईपी सीतापुरा इकाई)

मैसर्स बी.के. गियर्स प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी के नियम 3(डब्ल्यू) के अंतर्गत गियर रोल विनिर्माण उद्योग की स्थापना हेतु मैसर्स बी.के. गियर्स प्राइवेट लिमिटेड (आवंटी) को दो भूखंड (ई-263 एवं ई-264 परिमाप 5950 वर्ग मीटर) आवंटित (नवंबर 2011) किए थे। आवंटी को न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश ₹ 22.49 करोड़ के साथ 14 नवंबर 2013 तक उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करनी थी। कंपनी ने पूर्व में हस्तांतरित एवं विलय किए गए तीन भूखंडों (ई-167(ए),ई-167 एवं ई-168 परिमाप 6000 वर्ग मीटर) के साथ इन दोनों भूखंडों के विलय की अनुमति (फरवरी 2012) प्रदान की थी। हालांकि, नियम 3 डब्ल्यू के अर्न्तगत भूखण्डो के विलय का कोई नियम नहीं था। कंपनी ने समय पर उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने हेतु वेक अप कॉल नोटिस जारी (अगस्त 2013) किया था। आवंटी ने निर्धारित समय सीमा में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी एवं कम्पनी द्वारा जारी एससीएन के उत्तर में सूचित किया कि (दिसंबर 2013) उसने ₹ 4.65 करोड़ का निवेश कर लिया था एवं दिसंबर 2013 तक ₹ 18 करोड़ की मशीनरी क्रय करने हेतु आदेश दे दिए थे। आवंटी इकाई ने नवंबर 2014 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था।

22 अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र 2 नवम्बर 2015 को प्राप्त किया गया था।

हमने देखा कि आवंटी ने दो विभिन्न चार्टर्ड अकाउटेंट के (सीए) प्रमाण पत्र प्रस्तुत (मई 2014 एवं मार्च 2016) किए थे, जिनमें प्रथम प्रमाण पत्र में अक्टूबर 2013 तक कुल आवंटित क्षेत्र में ₹ 28.81 करोड़ (मशीनरी के लिए ₹ 17.88 करोड़ अग्रिम सम्मिलित करते हुए) का निवेश बताया गया था जबकि द्वितीय प्रमाण पत्र में दो भूखंडों (ई-263 एवं ई- 264) में अक्टूबर 2013 तक ₹ 23.59 करोड़ (मशीनरी के लिए ₹ 17.67 करोड़ अग्रिम सम्मिलित करते हुए) का निवेश बताया गया था। तत्पश्चात, आवंटी ने नवंबर 2014 तक दो भूखंडों (ई-263 एवं ई-264) में ₹ 31.78 करोड़ (मशीनरी की तरफ ₹ 25.11 करोड़ अग्रिम शामिल करते हुए) निवेश बताने वाला एक ओर प्रमाण पत्र प्रस्तुत (अक्टूबर 2017) किया था। हालांकि, आवंटी ने नियम 3 डब्ल्यू के अन्तर्गत प्रतिबद्ध निवेश के तुल्य वास्तविक निवेश को करने की तिथि पता करने हेतु आवश्यक दस्तावेज / सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। हमने देखा कि कंपनी ने आवश्यक दस्तावेज प्राप्ति हेतु उचित प्रयास नहीं किए थे एवं बकाया राशि की वसूली में असाधारण विलंब किया था। प्रतिबद्ध निवेश की राशि एवं निर्धारित समय सीमा में किए गए निवेश की सूचना की अनुपस्थिति में, अंकेक्षण में आवंटी से वसूल की जाने वाली भूमि की अतिरिक्त लागत/ प्रतिधारण शुल्क की गणना नहीं की जा सकी थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2018) कि आवंटी को अंतिम कारण बताओ नोटिस अप्रैल 2018 मे जारी कर दिया गया था एवम् आवश्यक दस्तावेजो एवं प्रमाणपत्रो की प्राप्ति के पश्चात मामले की जांच एवं भूमि की अतिरिक्त लागत/प्रतिधारण शुल्क की वसूली की जायेगी। अग्रिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी। (अगस्त 2018) (भिवाड़ी- I इकाई)

मैसर्स स्ट्राइड ऑटो पार्टस लिमिटेड

कंपनी ने एक भूखण्ड **मैसर्स स्ट्राइड ऑटो पार्टस लिमिटेड**(आवंटी) को आवंटित (मई 2011) किया था। आवंटी को ₹ 121.50 करोड़ के न्यूनतम निवेश के साथ 25 मई 2013 तक उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करनी थी। आवंटी ने निर्धारित समयावधि में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नही की थी। आवंटी द्वारा सी ए प्रमाणपत्र जिसमे प्रतिबद्ध निवेश से अधिक (₹ 129.64 करोड़) निवेश बताया गया था, के साथ समय विस्तार हेतु निवेदन किया गया था। प्रकरण को उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उप समिति ने प्रतिधारण शुल्क के भुगतान करने पर 31 दिसम्बर 2013 तक उत्पादन गतिविधी प्रारंभ करने हेतु समय विस्तार प्रदान करने का निर्णय (सितम्बर 2013) लिया था। आवंटी द्वारा किये गये निवेश को स्वीकार करते हुये, उप समिति ने यह भी सिफारिश की है कि समय विस्तार हेतु भूमि की अतिरिक्त लागत को माफ करने हेतु प्रकरण को आईडीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इस दौरान इकाई कार्यालय भिवाडी-I ने दिसम्बर 2013 तक समय विस्तार हेतु ₹ 24.75 करोड़ (अर्थात ₹ 23.95 करोड़ भूमि की अतिरिक्त लागत एवं ₹ 0.80 करोड़ प्रतिधारण शुल्क के लिए) की मांग जारी (अक्टूबर 2013) की थी। आवंटी ने उत्पादन गतिविधि प्रारंभ (12 फरवरी 2014) कर प्रार्थना (मार्च 2014 एवं जून 2014) की कि अधिक प्रतिबद्ध निवेश के मद्देनजर प्रतिधारण शुल्क माफ किया जाये। आवंटी द्वारा प्रस्तुत सी ए प्रमाणपत्र (22 मई 2013) के अनुसार ₹ 129.64 करोड के कुल निवेश मे ₹ 88.85 करोड़ के पूँजीगत अग्रिम शामिल थे। पूँजीगत अग्रिम पर निर्णय लेने हेतु प्रकरण को आईडीसी के समक्ष प्रस्तुत (अगस्त 2014) किया गया था। आईडीसी ने 22 मई 2013 तक परियोजना मे ₹ 129.64 करोड का निवेश मानने एवं उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने मे विलंब हेतु 12 फरवरी 2014 तक 0.5 प्रतिशत प्रति त्रिमाही की दर से प्रतिधारण शुल्क लगाने का निर्णय (अगस्त 2014) लिया था। आईडीसी के निर्णयानुसार, इकाई कार्यालय ने ₹ 53.72 लाख प्रतिधारण शुल्क की वसूली की थी।

हमने देखा कि परियोजना में पूँजीगत अग्रिमों को पूँजीगत निवेश मानना सही नहीं था क्योंकि स्थल रिपोर्ट (सितम्बर 2013) के अनुसार आवंटी ने निर्धारित समय में संयत्र एवं मशीनरी स्थापित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, इस प्रकरण मे कंपनी ने पूंजीगत अग्रिमों को निवेश मे शामिल करने की अनुमति दी थी जबकि एक अन्य प्रकरण (मैसर्स एरोबुक शू प्राइवेट लिमिटेड) में इसने इसे अस्वीकृत कर दिया था जो इंगित करता है कि ऐसे प्रकरणो मे कंपनी द्वारा लिये गये निर्णयों में निरंतरता नहीं थी। इस प्रकार कंपनी ने आवंटी को ₹ 3.87 करोड़ की अदेय छूट प्रदान की थी ।

सरकार ने स्वीकार किया कि (जुलाई 2018) कंपनी ने पूंजीगत अग्रिमों को निवेश माना था एवम् बताया कि यह मेसर्स एरोबुक शू प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण मे नही माना गया था क्योंकि उत्पादन का प्रमाणन जुलाई 2014 की संशोधित नीति के अनुसार किया गया था। इसलिये दोनो प्रकरणों विभिन्न योग्यता/आधार होने के कारण इनकी तुलना नही की जा सकती। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि पूर्व की नीति/नियमों मे भी पूंजीगत निवेश मानने के समान प्रावधान थे। इसलिये तथ्य यह रहा कि कंपनी ने आवंटी को ₹ 3.87 करोड़ की अदेय छूट प्रदान की थी। **(भिवाडी – I इकाई)**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in